लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

14 मार्च , 1969 । 23 फाल्गुन, 1890 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
153	नीचे से चौथी पंक्ति से पहले `(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल.टी.2558।69 ) `
	अन्तिम पंक्ति निकाल दीजिये ।
160	नीचे से तीसरी पंक्ति में `प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ` के स्थान पर `प्रश्न यह है `पढ़िये ।
161	दूसरी पंक्ति के बाद निम्नलिखित पढ़िये :
	`श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

	सामान्य आयव्ययक - सामान्य चर्चा जारी
	General Budget - General Discussion - contd. ।
199	नीचे से चौथी पंक्ति में ` `14 मार्च 1969 ` के स्थान पर `17 मार्च , 1969 ` पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-19, शुक्रवार, 14 मार्च, 1969/23 फाल्गुन, 1890 (शक)

No 19 – Friday, March 14, 1969/Phalguna 23, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
481 छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षकों की समिति	I. G. P's Committee on Students' Agitation...	1-5
482 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्तियां	Statues of Netaji Subhash Chandra Bose and Shri Jawaharlal Nehru	5-8
483 तंजौर में हिंसक कार्यवाही	Violence in Tanjore	8-12
484 विद्रोही नागाओं द्वारा ग्रामवासियों का अपहरण	Kidnapping of Villagers by Naga Kostiles ...	13-16
अ. सू. प्र./S.N.Q.		
6. बेरी आयोग की रिपोर्ट	Beri Commission Report – ...	16-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos		
485 न्यायालयों में मुकदमों का जमा होना	Accumulation of cases in Courts	28
486. इंजीनियरों का बड़े पैमाने पर बहिर्गमन	Large Scale exodus of Engineers – ...	28
487 गान्धी शताब्दी वर्ष में मृत्यु दंड का न दिया जाना	No Death Sentence during Gandhi Centenary Year	29
488 केन्द्रीय सेवाओं में कोटे का निर्धारण	Fixation of Quota in Central Services	29

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
489.	केन्द्रीय सरकार के निदेशों को क्रियान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Central Directives ...	29–30
490.	केरल में अराजकता	Lawlessness in Kerala	30
491	गृह-कार्य मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि अथवा पुर्ननियुक्ति	Extension or reappointment of class I Officers in Ministry of Home Affairs	30–31
492	हिन्दी आशुलिपिक परीक्षा	Hindi Stenographers' Examination	31
493	ग्रामीण मार्ग समिति	Gramin Marg Samiti	31
494	इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में 19 सितम्बर, 1968 को हुई घटना	Incident at Indraprastha Bhavan, New Delhi on 19th September, 1968	31–32
495	जहाजों के निर्माण के लिये पश्चिमी जर्मनी से ऋण	West German Credit for construction of Vessels	32–33
496	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक	Students and Teachers in Aligarh Muslim University	33–34
497	चौथी योजना में पर्यटन	Tourism during Fourth Plan	34
498	आन्ध्र प्रदेश में हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां	Airports/Airstrips in Andhra Pradesh	34
499	केरल सरकार द्वारा कर्मचारियों का फिर से रखा जाना	Reinstatement of Employees by Kerala Government	35
500	दिल्ली परिवहन की बसों में मार्ग संख्या का प्रदर्शन	Display of Route numbers on DTU Buses ...	35
501	पारादीप और हल्दिया पत्तन	Paradeep and Haldia Ports	35–36
502	चंदोद, गुजरात का विकास	Development of Chandod, Gujarat	36

503 लक्कदीव समूह के लिये युगोस्लाविया से जैहाज — Ship from Yugoslavia for Laccadive Islands... 36

504 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों का आरक्षण — Reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates 37

505 पत्तनों का आधुनिकीकरण — Modernisation of Ports 37-38

506 पत्तनों पर मशीनों से माल उतारना तथा चढाना और पृथक स्थानों की व्यवस्था — Mechanised Handling of Cargoes and separate berths at Ports 38

507 इण्डिया इटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रदर्शनी — Exhibition by India International Centre, New Delhi 38

508 भारतीय समाचार अभिकरणों द्वारा भारत विरोधी प्रचार — Anti India propaganda by Indian News Agencies 38-39

509 चौथी योजना में नये इंजीनियरी कालेज तथा पालीटेक्निक — New Engineering Colleges and Polytechnics during Fourth Plan 39

510 उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन — Division of U. P. and Bihar 39-40

अता.प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.

3014 अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक महासंघ की मांगें — Demands of All India Secondary School Teachers' Federation 40

3015 उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें — Service conditions of Judges of High Courts and Supreme Court 40-41

3016 गुजरात में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Gujarat	41-42
3017 एयर इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा में शुल्कों का दिया जाना	Charges paid by Air India in Foreign Currency	42
3018 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा ढोया गया माल	Freight carried by Indian Airlines Corporation	43
3019 महाराष्ट्र में पर्यटक आवास गृह	Tourist lodges in Maharashtra	43-44
3020 महाराष्ट्र में होम गार्ड	Home Guards in Maharashtra	44
3021 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh ...	44
3022 जिला गजेटियर तैयार करना	Preparation of District Gazetteers	44-45
3023 भारतीय प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश संवर्ग के अधिकारी	I. A. S. Officers of Madhya Pradesh Cadre ...	45
3024 मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters in Madhya Pradesh ...	45
3025 मध्य प्रदेश में नये जिले	New Districts in Madhya Pradesh	45-46
3026 नई दिल्ली में शरणार्थियों सेवानिवृत सैनिकों तथा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को परेशान किया जाना	Harassment of Refugees, Retired Military and Ex-I. N. A. Personnel in New Delhi ...	46
3027 कांडला पत्तन न्यास तथा कांडला पत्तन के प्लाट होल्डरों में विवाद	Dispute between Kandla Port Trust and Plot holders of Kandla Port	46-47
3028 नौवहन के नये तरीके का आविष्कार	New Shipping Device	47

तारा.प्र.संख्या / U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.	
3029 दिल्ली में पान के पत्तों पर बिक्री कर	Sales Tax on Betel Leaves in Delhi ... —	48
3030 विश्वविद्यालय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था	Law and Order in University Campus ...	48–49
3031 विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अधिकृत विमान भाड़े में कटौती	Undercutting in Official Air Fares by Foreign Airlines	49–50
3032 विभिन्न मंत्रालयों में हिन्दी अनुवादकों आशुलिपिकों के नये पद बनाना	Creation of New Posts of Hindi Translator/ Stenographers in various Ministries —	50
3033 निम्न श्रेणी के लिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण	Hindi Stenographers' Training to Lower Division Clerks .. —	51
3034 पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में हरिजनों की नियुक्तियां	Appointment of Harijans in Ministry of Tourism and Civil Aviation	51
3035 गुजरात में रासायनिक और औद्योगिक प्रोद्योगिकी संस्था	Institute of chemical and Industrial Technology in Gujarat ... —	52
3036 जिला वकील संघ चंडीगढ़ की मांगें	Demands of District Bar Association Chandigarh — —	52
3037 राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास	History of National Movement	52–53
3038 चंडीगढ़ में नेहरू और शास्त्री बाजारों में दुकानों का आवंटन	Allotment of shops in Nehru and Shastri Markets in Chandigarh	53–54
3039 पंजाब में नक्सलवादी आन्दोलन	Naxalite Movement in Punjab — ...	54
3040 बिहार में देहाती क्षेत्रों में सड़कें	Rural Roads in Bihar	54–55

3041 पादरी फेरर के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against Father Ferrer ... —	55
3042 देशान्तर्गत जल परिवहन व्यवस्था सबंधी भगवती समिति का प्रतिवेदन	Bhagawati Committee Report on Inland water Transport System	55
3043 दिल्ली में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Delhi — ...	55-56
3044 शिक्षा मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति संबंधी समिति	Departmental Promotion ... —	56-57
3045 वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology — ...	57
3046 विमान किराये तथा माल भाड़े की दरों में संशोधन	Revision of Air Fares and Freight Rates ...	57
3047 विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्र	Indian students studying in Foreign countries	57-58
3048 आन्ध्र प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक	Pak National's in Andhra Pradesh	58
3049 शिक्षा विभागों में अनियमितताएं	Irregularities in the Education Departments ..	58-59
3050 स्वतंत्र राज्य क्षेत्र के लिये आन्दोलनों। मांगों पर प्रतिबन्ध	Banning of Agitations/Demands for Independent Territory	59
3051 साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ	Foreign hand behind communal riots	59-60
3052 पर्यटन केन्द्रों में होटलों के लिये ऋण	Loans for Hotels at Tourist Centres — ...	60
3053 अलीगढ़ मुस्लिम, विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून	Legislation regarding Aligarh Muslim University	60-61

3054	पादरी फेरर के बारे में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री का पद	P.M's Letter to Andhra Chief Minister regarding Father Ferrer	61
3055	केरल सरकार द्वारा मामले वापस लेना	Withdrawal of cases by Kerala Government ...	61
3056	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और विन्डसर प्लेस के बीच दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा	D. T. U. Bus Service between New Delhi Railway Station and Windsor Place ...	61-62
3057	गोरखपुर में जय गुरु देव प्रशिविर	Jaigurdev Camp in Gorakhpur	62
3058	उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का सभा पटल पर रखा जाना	Laying of U. P. State Government Orders on the Table	62
3059	बड़ौदा में हवाई अड्डा	Aerodrome at Baroda	62-63
3060	सूरत के निकट हवाई पट्टी	Air strip Near Surat	63
3061	संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories	63-64
3062	लक्षदीप द्वीपसमूह तथा मुख्य भूमि के बीच समुद्र विमान सेवा	Sea Plane service between Mainland and Laccadive Islands	64
3063	विद्रोही नागाओं द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति	Nagas trained by Hostiles	64
3064	आर्यों का मूलस्थान	Origin of Aryans	64-65
3065	जहाज निर्माण कारखाने	Ship building Units	65
3066	नौवहन के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD CONFERENCE ON Shipping ...	65-66
3067	रेल तथा समुद्र यातायात	Rail cum Sea Traffic	66
3068	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Maharashtra	66-67

3069 उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास के लिये सहायता	Assistance for Development of South Indian Languages in U. P. – –	67
3070 पूर्व अफ्रीका से आने वाले भारतीयों को रियायतें	Concession to Indians coming from East Africa –	67–68
3071 तमिलनाडू में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को क्षति	Loss to Central Government properties in Tamil Nadu – ..	68
3072 अन्दमान विशेष वेतन	Andaman special Pay ..	68
3073 शिक्षा मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का सर्वेक्षण	Survey of Staff employed in education Ministry	68–69
3074 बड़े नगरों के निगमों द्वारा लाटरियां निकालना	Running of lotteries by corporations of Big cities	69
3075 राज्यों में विरोधी दलों द्वारा बनाई गई सरकारों को अपदस्थ करने का केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आरोप	Allegation against central Government for bringing about fall of opposition Ministries in States	70
3076 केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों के लिये अन्तर्राज्यीय परिषद्	Inter State Council for Centre State relations	70–71
3077 नि: संवर्ग पदों के बारे में नीति	Policy regarding ex-cadre posts – ...	71
3078 एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विज्ञापन	Advertisements by Air India and IAC... ...	71–72
3079 "मैनपावर जर्नल"	Manpower Journal	72–73
3080 व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था	Institute of Applied Manpower Research –	73

3081 व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था के कर्मचारी	Employees of Institute of Applied Manpower Research	73–74
3082 सहायकों की सेवा में व्यवधान समाप्त किया जाना	Condoning of break in service of Assistants	74
3083 पटौदी के नवाब के विवाह के उपलक्ष में स्वागत समारोह में पुलिस का प्रबन्ध	Police arrangements at Wedding Reception of Nawab of Pataudi	74–75
3084 मंत्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के विदेशों के दौरे	Visit abroad by Ministers and Parliamentary Delegations — ...	75
3085 भारत पाकिस्तान विमान सेवा	Indo-Pak. Air Service ... —	75
3086 विद्रोहियों के साथ हुई मुठभेड़ों में वफादार नागाओं का मारा जाना	Loyal Nagas Killed in clashes with Rebels ...	75
3087 मध्य प्रदेश में क्राइस्ट सेना	Christ Sena in Madhya Pradesh	76
3088 पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators	76
3089 भारतीय आर्थिक सेवा	Indian Economic Service — ...	76–79
3090 बड़ी बन्दरगाह जांच समिति	Major Ports Enquiry Committee	79
3091 गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations — —	79–81
3092 दिल्ली और कलकत्ता में रूसी दूतावास के प्रचार साहित्य का प्रकाशन	Publication of propaganda literature of Russian Embassy at Delhi and Calcutta	81–82
3093 अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा छात्रों को छात्रवृत्तियां देना	Scholarship to students by All India Council of sports	82

3094	लद्दाख में एक कालेज का खोलना	Opening of college in Ladakh ... –	83
3095	बेलोर हवाई अड्डे में बिजली लगाना	Electrification of vellore Airport ... –	83
3096	भारत में अमरीकन क्रिश्चियन मिशन सोसायटी	American Chritian Mission Society in India...	83–84
3097	छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports	84
3098	थाईलैंड के साथ विमान-सेवा करार	Air Agreement with Thailand	84–85
3099	काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा व्यापक तथा व्याख्यात्मक शब्दकोष का प्रकाशन	Bringing out of comprehensive and exhaustive dictionary by Kashi Nagri Pracharini Sabha	85
3100	भारत में युनेस्को की परियोजनाएं	UNESCO PROJECT in India –	85–86
3101	भारत में आधुनिक होटल आरम्भ करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के होटलों के मालिकों के साथ करार	Contract with West German Hoteliers to start modern hotels in India – –	86–87
3102	बम्बई बन्दरगाह का विकास	Development of Bombay Port	87
3103	संघ राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग अध्ययन दल का प्रतिवेदन	ARC Study Team's Report on Union Territories ... –	87
3104	संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 का संशोधन	Amendment of Union Territories Act, 1963...	87–88

अता. प्र.संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3105 उड़ीसा में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना	Change over of medium of instruction to Regional Language in Orissa ... —	88
3106 पारादीप पत्तन का विकास	Development of Paradeep Port	88
3107 दिल्ली की एक महिला अधिवक्ता का अपहरण	Kidnapping of Delhi Lady Advocate — ...	89
3108 राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाटरियां	Lotteries run by State Governments ... —	89-90
3109 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी	Universities employees	90
3110 मैसूर में ग्राम संचार	Rural Communications in Mysore	90-91
3111 'कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों' को वस्त्र भत्ता	Clothing allowance to Constables and Head constables — ...	91
3112 आपातकालीन सहायता संगठन योजना	Emergency relief organisation Scheme	91
3113 मैसूर में पर्यटन के विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Development of Tourism in Mysore — ...	92
3114 जम्बो जैट और सुपर सोनिक विमानों का प्रयोग	Introduction of Jumbo Jet and Supersonic Planes	92
3115 हवाई अड्डों पर आग बुझाने के उपकरण	Fire Fighting equipment at Airport	93
3116 बहुभाषा टाइपराइटर	Multi Language Typewriter	93-94
3117 नागपुर हवाई अड्डे पर आग बुझाने के उपकरण	Fire Fighting Equipment at Nagpur Airport	94
3118 केन्द्रीय सचिवालय तथा दिल्ली प्रशासन में हिन्दी में लिखा पढ़ी	Noting in Hindi in Central Secretariat and Delhi Administration — —	94-95

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3119	भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय — Measures for Prevention of Corruption ..	95–96
3120	बेरोजगार इंजीनियर, ग्रेजुएट तथा लाइसेंसशिएट — Unemployed Engineers, Graduates and Licentiates ... –	96
3121	दिल्ली की यात्रा पर आने वाले विद्यार्थियों के लिये आवास स्थान — Accommodation for students on Tour to Delhi	96–97
3122	गणतंत्र दिवस को यातायात की रोक के कारण संसद् सदस्यों को तंग करना — Harassment of M. Ps. on account of Traffic Restriction on Republic Day ... –	97
3123	एशियाई समिति, कलकत्ता को अनुदान — Grants to Asiatic Society, Calcutta ...	97–98
3124	मालदा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक गृह — Tourist lodge at Malda (West Bengal)	98
3125	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को मकान के किराये की ऊपरी सीमा — House Rent Ceiling of IAS Officers –	98–99
3126	पश्चिमी बंगाल में दीघा में पर्यटक गृहों/होटलों में सुविधायें — Facilities of Tourists Lodges/Hotels at Digha in west Bengal .. –	99
3127	हिन्दी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन — Report of Hindi Salahkar Samiti – ...	99
3128	ग्वालियर में पर्यटकों के लिये होटल — Hotel for Tourists at Gwalior	100
3129	बम्बई पत्तन न्यास में चोरी की घटनायें — Theft Incidents at Bombay Port Trust –	100–101
3130	बम्बई पत्तन न्यास — Bombay Port Trust ... –	101
3131	बम्बई पत्तन न्यास में चोरियां — Thefts at Bombay Port Trust – ..	101–102

3132 केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक	Kerala land Reforms (Amendment) Bill ...	102
3133 नृत्य संस्थाएं	Dance Institutes ..	102–103
3134 मनीपुर के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान	Grants to Private Aided Schools of Manipur	103–104
3135 मनीपुर में अपराध	Crimes in Manipur	104
3136 मनीपुर लोक निर्माण विभाग में सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Government Employees in Manipur Public Works Department ...	104–105
3137 उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Work Pending in High Courts —	105
3138 एयर इंडिया द्वारा किये जाने वाले कदाचार	Unfair Practices Indulged in by Air India ...	105
3139 कलकत्ता पत्तन का तलकर्षण	Dredging of Calcutta Port — ...	106
3140 काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास	Resettlement of Refugees in Kashmir...	106–107
3141 अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व	Representation to Minorities and Backward Classes	107
3142 माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा	Teaching of Agriculture in Secondary Schools	107–108
3143 सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण	Reservation for Backward classes in Government Services	108
3144 अल्प संख्यकों के अधिकारों के बारे में गुरू गोलवालकर के विचार	Guru Golwalkar's views on Rights of Minorities	108
3145 आसाम पुनर्गठन योजना की आलोचना	Criticism of Assam Reorganisation Plan ...	108–109

3146	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विमान द्वारा की गई यात्रा	Air-Journey performed by Central Ministers	109
3147	राजस्थान विश्वविद्यालय में पैरा साइकोलोजी यूनिटों को बन्द करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दल	UGC Team for closure of Para-psychology Units in Rajasthan University	109–110
3148	भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का विकास	Promotion of Cultural Tourism in India	110
3149	राज्यों में लाटरी निकालने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति	Central Government Permission to run Lotteries in States	110–111
3150	भारतीय पत्तनों का बड़े जहाजों के लिये उपयुक्त न होना	Inability of Indian ports to handle bigger Ships	111–112
3151	अनुच्छेद 370 का हटाया जाना	Abrogation of Article 370	112–113
3152	दिल्ली में कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Children of low paid Government Employees in Delhi	113
3153	काशी विद्यापीठ, वाराणसी	Kashi Vidyapeeth, Varanasi	113
3154	चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती पर पाबन्दी	Ban on Recruitment to Class IV Posts ...	114
3155	भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का विकास	Development of Indian Ship Building Industry	114–115
3156	भारतीय जहाजों में ढोया गया विदेशों को जाने वाला माल	Overseas Trade carried in Indian Ships ...	115–116

3157 राज्यों द्वारा लाटरी जारी करके धन की व्यवस्था	Raising of Funds by States by running Lotteries	116
3158 सरदार बल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत	Sardar Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology, Surat	116–117
3159 प्रादेशिक अनुसंधान संस्थान	Regional Research Institutes	117–118
3160 काली बंगा (राजस्थान) में खुदाई	Excavation work at Kalibanga (Rajasthan) ...	118–119
3161 भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास	History of Freedom Movement in India ...	119
3162 मरवाथे में पर्यटक केन्द्र की स्थापना	Establishment of Tourist Centre at Marvanthe	119–120
3163 प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करना	Signing of ARC Reports	120
3164 गणतंत्र दिवस समारोह	Republic Day Celebrations	121
3165 मिजो लोगों द्वारा पुल का उड़ाया जाना	Blowing up of Bridge by Mizos	121
3166 राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों की गतिविधियां	Pak activities on Rajasthan Borders	121-122
3167 केरल के महालेखापाल को धमकी भरे पत्र	Threatening letters to Accountant General, Kerala	122
3168 दिल्ली तथा नई दिल्ली में बिक्री कर की वसूली	Sales Tax collections in Delhi and New Delhi	122-123
3169 भोगल स्थित कारतूस कारखाने में विस्फोट	Explosion in Cartridge Factory in Bhogal ..	123
3171 मिली-जुली सरकारों के सिद्धान्त और उनके कार्य संचालन के बारे में अध्ययन	Study of theory and working of coalitions ...	124

तारा. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
3172 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जाल-साजी गिरोह	International currency Racket	124
3173 बम्बई पत्तन के विकास के लिये वृहद योजना	Master Plan for development of Bombay Port	124-125
3174 दिल्ली में औषध निर्माण (फार्मेसी) का स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम चालू करना	Introduction of Bachelor of Pharmacy Degree Course in Delhi	125
3175 मैसर्स स्टीजेनबरगर्स की होटल सलाहकार के रूप में नियुक्ति	Appointment of Messrs, Stelgenbergers as Hotel Consultants	125-126
3176 दिल्ली के पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा	Freeship to students in Polytechnic Institutes of Delhi	126
3177 तटीय राजपथ	Coastal Highways ...	126-127
3178 कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाएं	Research Institutes in Textiles field	127-128
3179 पालम हवाई अड्डे को नया रूप देना	Remodelling of palam airport	128
3180 उड़ीसा में राष्ट्रीय राज-पथ का निर्माण	Construction of National Highway in Orissa	128-129
3181 लोहना रोड स्टेशन का नाम बदलना	Renaming of Lohna Road Station	129
3182 मैथिली भाषा का विकास	Development of Maithili Language	129-130
3183 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्यटन	Tourism during Fourth Five Year Plan ...	130
3184 भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधियों के लिये समाचार पाठ्य-क्रम	Correspondence Courses for Post graduate degrees in Indian Universities	130

अता.प्र संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
3185 मैसूर राज्य में केरल के लोगों को रोजगार	Employment to Kerala people in Mysore State — ...	131
3186 ताजमहल आगरा के आस पास के क्षेत्र का विकास	Development of Area Surrounding Taj Mahal, Agra — ...	131
3187 डिफेंसकालोनी(नई दिल्ली) में सेधमारी की घटनायें	House breaking Incidents in Defence Colony...	131-132
3188 विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Universities Staff ...	132
3189 भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय इंजीनियरी सेवा	Indian Economic Service and Indian Engineering Service	132-134
3190 पुलिस के लिये वर्दी	Uniform for Police ... —	134-135
3191 चन्डीगढ़ में राजस्व अभिलेख	Revenue Records in Chandigarh	135
3192 उड़ीसा में बालासोर में कालेज विद्यर्थियों के लिए छात्रवास	College Students Hostel at Balasore, Orissa —	135-136
3193 तेलंगाना सम्बन्धी संरक्षण लागू करना	Implementation of Telangana Safeguards... ...	136
3194 आंध्र प्रदेश (तेलंगाना) प्रादेशिक समिति	Andhra Pradesh (Telangana) Regional Committee — —	136-137
3195 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाम में परिवर्तन	Renaming of Andaman and Nicobar Islands —	137
3196 कालिजों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Admissions in Colleges —	137
3197 कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Airport	138
3198 केरल में केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Central Schools in Kerala ... —	138-139

3199 मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन का भुगतान	Payment of Salaries and Pensions to Manipur Government Employees	139
3200 असैनिक उड्डयन विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and scheduled Tribe Employees in Civil aviation Department	139–140
3201 वाइकाउन्ट विमान	Viscount Aircraft	140
3202 एकल मार्गी राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल	Maintenance of Single Track National Highways ..	140–141
3203 राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highway N. 12	141
3204 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers	141
3205 नई दिल्ली में कुतब मीनार के चारों ओर वनस्पति उद्यान लगाना	Boianical Garden around Qutab Minar in New Delhi	141–142
3206 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	Jawaharlal Nehru University	142
3207 दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में अंशकालिक बैचलर आफ टैक्नालोजी पाठ्यक्रम	Part time B. Tech. Course in Delhi College of Engineering	142–143
3208 दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां	Statue of leaders in Delhi	143–144
3209 स्वतंत्र पब्लिक स्कूल	Independent Public Schools	144
3210 मध्य प्रदेश में नई शिक्षा प्रणाली	New System of Education in M.P.	144–145
3211 प्रतिभावान व्यक्तियों के विदेशों में जाने के सम्बन्ध में यूनेस्को का प्रतिवेदन	UNESCO REPORT on Brain Drain	145–146

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3212 बहूरघाट हवाई • अड्डा (पश्चिम बंगाल)	Bahurghat Aerodrome West Bengal	146-147
3213 भूमिहीन किसानों को शिक्षा	Education for Landless Farmers	147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	14 -152
रूस के प्रतिरक्षा मंत्री की भारत यात्रा	Visit of Soviet Defence Minister	148
सभा पटल पर रखे गये पत्र.	Papers Laid on the Table	152-155
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	155
69 वां प्रतिवेदन	Sixty Ninth Report	155
निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य	Statement Under Direction 115	157
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	157
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	158
विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक 1969	Unlawful activities (Prevention) Amendment Bill, 1969	159-160
चार्टर्ड एकाउन्टेट्स (संशोधन) विधेयक 1969	Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1969	160
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	161
श्री रंगा	Shri Ranga	163
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	164
लेखानुदान की मांगें (सामान्य) 1969-70	Demands for Grants on Account, (General) 1969-70	174-179
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1969	Appropriation (vote on account) Bill, 1969 ...	180
पुरस्थापित तथा पारित किया गया	Introduced and Passed	189

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Forty-fifth Report of Committee on Private Members' Bills and Resolutions ...	181
राज्यों के ऋणों के परिशोधन के बारे में संकल्प-जारी	Resolution re Amortisation of debts of State-Contd.	182
श्री पी. पी. एस्थोस	Shri P. P. Esthose ... —	182
श्री राणे	Shri Rane	184
श्री प्र. के. देव	Shri P. K. Deo	184
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra — ...	185
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	186
श्री क. नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	187
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	188
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master ... —	189
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	189
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh — ...	191
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha — —	194
श्री स. कुण्डू	Shri S. Kundu	195
श्री प्र. चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	196
हिमाचल प्रदेश के दर्जे के बारे में संकल्प	Resolution re. status of Himachal Pradesh —	199
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	199
मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिति के बारे में	Re. Political situation in Madhya Pradesh ...	191-193

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 14 मार्च, 1969/ 23 फाल्गुन, 1890 (शक)
Friday, March 14, 1969/ *Phalguna* 23, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षकों की समिति

+

* 481. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छात्र-आन्दोलन के बारे में पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) छात्रों के असन्तोष के बारे में 1966 में पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा नियुक्त उप-समिति के प्रतिवेदन का सार सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 332/69]**

(ग) और (घ) : सिफारिशें सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी गई है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय भी मांगी गई है ।

Shri Sita Ram Keshri : The problem of students unrest is not limited to our country only, but it is there all over the world. In France the students unrest assumed dangerous proportions, even then no interference was made by the Police. So far as my knowledge goes. I think there have never been cordial relations between the students and the Police. The students have always been provocked at the sight of the Police. May I know, keeping this in view the reasons for constituting a Committee of Inspector Generals of Police and why a Committee of educationalists, Vice Chancellors and other top intellectuals was not constituted which might have created confidence and good effect in the minds of the students ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य का मुख्य प्रश्न पुलिस महानिरीक्षकों के प्रतिवेदन से सम्बन्धित था, इसी लिये मैं ने पुलिस महानिरीक्षकों की उप समिति के प्रतिवेदन के बारे में जानकारी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तात्पर्य किसी अन्य समिति से है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस सम्बन्ध में विभिन्न निकाय है । विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय छात्रों के असन्तोष के प्रश्न पर विचार कर रहा है । उप कुलपतियों ने इस पहलू पर विचार किया है तथा शिक्षा मंत्रालय में और कई समितियां हैं, जो इस समस्या पर विचार कर रही हैं । परन्तु गृह मंत्रालय तो वस्तुत: विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का जिम्मेदार है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि छात्रों के असन्तोष ने विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की भी एक समस्या खड़ी कर दी है । इस लिये गृह मत्रालय तथा पुलिस प्रशासन को अपना व्यवसायिक अनुभव एकत्र करना पड़ रह है और व्यवसायिक ज्ञान के आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाये । यह एक ऐसी समिति नहीं है, जो छात्र असंतोष की सब समस्याओं का समाधान करेगी । उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों-अर्थात–शैक्षिक, सामाजिक और कई अन्य दृष्टिकोणों से देखना होगा । परन्तु इस में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की भी एक समस्या है, इस लिये उन व्यक्तियों को जो विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का तरीका जानते हैं, इस पर विचार करने को कहा गया है ।

Shri Sita Ram Keshri : May I know whether there is a proposal to constitute a police force and the courts from the students themselves to control the students unrest and dispose of the case pertaining to students unrest, as has been done in America, Denmark and Sweden, so that the students unrest may be controlled by the students themselves and they may not have any ill feeling against us, the police and the Government ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के समक्ष नहीं है ।

श्री रा० कृ० सिंह : गृह-कार्य मंत्री ने छात्र–असंतोष समस्या को विधि तथा व्यवस्था की समस्या के ढंग से पेश किया है । मैं समझता हूं कि इस समस्या का कारण देश में राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्यीय स्तर पर छात्र नेतृत्व अथवा छात्र संगठनों का न होना है । यह एक

विधि तथा व्यवस्था की समस्या नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इसे एक आर्थिक समस्या, एक सामाजिक समस्या और छात्र अध्यापक सम्बन्ध की एक समस्या तथा युवकों और समाज में उचित स्थान देने की एक समस्या समझ कर इस की जांच करेगी ? क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि देश में प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्माण किया जाये, ताकि इस समस्या को अच्छी तरह से सुलझाया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य के कथन से पूर्णतया सहमत हूं।

श्री हेम बरुआ : चूंकि छात्र-असंतोष एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या है, इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इसे विधि तथा व्यवस्था की समस्या न समझ कर, जैसा कि पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन बुला कर प्रदर्शित किया है, छात्र-असंतोष के मूल सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक बहुत उपयुक्त प्रश्न किया है। छात्र समस्या का पुलिस सम्बन्धी पहलू सब से कम महत्व का है। शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि यह प्रश्न उन मंत्रालयों से पूछा जाये। मेरे से यह पूछा गया था कि विधि तथा व्यवस्था समस्या के बारे में क्या किया जा रहा है और मैं ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार यदि हम इस समस्या को विधि तथा व्यवस्था की माने, तो भी हमें पांच पृष्ठों का जो सारांश प्राप्त हुआ है, उस में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि छात्रों की विधि तथा व्यवस्था की समस्या को अन्य लोगों की विधि तथा व्यवस्था की समस्या से भिन्न समझा जाना चाहिये। इस में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है क्या गोली चलाना तथा आंसू गैस छोड़ना उचित हैं अथवा अन्य कार्यवाईयां ही पर्याप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छात्र असंतोष समस्या को विधि तथा व्यवस्था की दृष्टि से अन्य लोगों की समस्या से भिन्न नहीं समझा जाना चाहिये ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि माननीय सदस्य पुलिस महानिरीक्षकों की सिफारिशों को, जिन्हें सभा पटल पर रखा गया है, ध्यान पूर्वक पढ़ेगें, तो उन्हें पता चलेगा कि छात्र समस्या को अन्य लोगों की विधि तथा व्यवस्था की समस्याओं से भिन्न समझा गया है।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has admitted that the problem of student unrest is not only a problem of law and order, but it is a social and economic problem. There has been student unrest all the world over and especially in France. France Government has felt that students should take part in the management of Universities. So I want to know whether the hon. Minister will think over it. There is a recommendation at Sr. No 6 of the summary of main recommendation according to which the Police has a right to go into the campus of the University. Will the hon. Minister think over it that the

Police should have no right to enter the campus of a University. I want to tell him that P. A. C. is still present in Banaras University. May I know whether in view of this he will ask the P. A. C. to have the University Campus ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : महोदय माननीय सदस्य ने दो अथवा तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं।उन्होंने कहा है कि अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है क्या उसे देखते हुए विश्वविद्यालयों इत्यादि के प्रबन्ध में छात्रों को भाग लेने का अधिकार दिया जायेगा। यह एक बहुत दिलचस्प सुझाव है, जो पहले भी दिया जा चुका है। मुझे शिक्षा मंत्री से मालूम हुआ है कि यह सुझाव तथा अन्य कई सुझाव इस समय शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। मैं आशा करता हूं कि देश की भलाई के लिये वह सभा के समक्ष कुछ सुझाव रखेंगे। दूसरी बात जोकि विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस को दाखिल होने की अनुमति देने से सम्बन्धित है, एक बहुत विवादग्रस्त प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दो स्थितियों की परिकल्पना की जा सकती है। एक यह है कि जब सामान्य परिस्थितियों में अपराध होने की संभावना हैं तो क्या पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त विश्वविद्यालय प्रागण में दाखिल हो जाना चाहिये अथवा उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विश्वविद्यालय प्रांगण में दाखिल होना चाहिये। दूसरी स्थिति एक सामान्य हलचल है जो छात्रों की अपनी शिकायतों पर आधारित होती है। स्थिति यह है कि यह सरकार राज्य सरकार के लिये कोई निर्णय देना नहीं चाहती। सामान्यता इस मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये। इस मामले में मैं कोई अन्तिम राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं परन्तु यदि पुलिस को किसी सामान्य अपराध के खतरे की सूचना मिलती है, तो उस पर कार्यवाही करना उस का कानूनी फर्ज है। यदि उनसे कहा जाये कि आहते में हत्या की जा रही है, तो आहते में प्रवेश करने के लिये वे उप कुलपति की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों की सामान्य उत्तेजना, उनके अपने आन्दोलन आदि के मामले में आमतौर पर उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए और नियम ऐसा होना चाहिए कि उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की स्वीकृति के बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह हमारा सामान्य दृष्किोण है। माननीय सदस्य स्वय अपने प्रयोजन के लिये इस सिद्धान्त का प्रयोग बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में व्याप्त स्थिति पर कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : ऐसा मान लिया गया है कि छात्र-अशान्ति की समस्या केवल विधि तथा व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि शिक्षा सम्बन्धी समस्या है, अन्य बातें भी अन्तर्ग्रस्त हैं, और इसलिये पुलिस महा निरीक्षक इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इसलिये एक समिति बनाना अच्छा है जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्बद्ध हैं। इस समिति ने कुछ सुझाव दिये है जिनमें से एक यह है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रोक्टोरियल व्यवस्था होनी चाहिए और अनुशासनधिकारी (प्राक्टर) तथा पुलिस अधिकारियों के बीच और अच्छा सम्पर्क होना चाहिए। दूसरी बात समिति ने यह कही है कि यदि कोई छात्र कानून तोड़ता है, तो उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। आज छात्रों में जो अशान्ति व्याप्त है उसका एक कारण यह है कि जो छात्र कानून तोड़ता है अथवा आपराधिक या हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेता है, उसे कोई दण्ड नहीं दिया जाता। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि कानून तोड़ने पर या हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग लेने पर सबके साथ, चाहे वे विद्यार्थी हों अथवा अन्य कोई और लोग, एक-सा कानूनी बर्ताव किया जायेगा ? दूसरी बात यह कि क्या

बहुत रुचिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कुछ सुझावों पर और आगे विचार करने के लिये एक आयोग स्थापित किया जायेगा जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी तथा कुछ शिक्षाविशारद हों क्योंकि इस समस्या को अकेले पुलिस नहीं निपटा सकती ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक ऐसी बात कहीं है जो पूर्णतः विवाद रहित है । लेकिन छात्रों तथा अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न की गई विधि तथा व्यवस्था की समस्या से निपटने में कुछ न कुछ भेद-भाव पूर्ण बर्ताव करना जरूरी होता है ।

जहां तक विश्वविद्यालयों में अनुशासनाधिकारियों (प्राक्टर्स) तथा पुलिस अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने का सम्बन्ध है, मैंने बताया है कि स्थिति यह है कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं और राज्य सरकार उन पर अपनी टिप्पणियां भेज रहे हैं । कुछ राज्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है । सिर्फ इन प्रश्नों के बारे में यथा विश्वविद्यालय के आहते में प्रवेश-अधिकार मत-भेद है । कुछ राज्य सरकारों ने एक दृष्टिकोण लिया है कुछ अन्य ने दूसरा दृष्टिकोण लिया है । यह बात ऐसी नहीं है जिस पर पुलिस निर्णय ले सकती है । इस मामले पर शिक्षा अधिकारी ही विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं ।

Statues of Netaji Subhash Chandra Bose and Shri Jawaharlal Nehru

+

492. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that instead of putting up a stone statue of Netaji Subhash Chandra Bose, a statue of Jawaharlal Nehru is being set up at the ramparts of Red Fort where National flag is hoisted on the 15th August ;

(b) whether it is being done on the suggestion of the Municipal Corporation of Delhi ; and

(c) if so, when a final decision will be taken thereon ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

Shri Prakashvir Shastri : I want to know whether the press report that the Delhi Municipal Corporation has decided to install a statue of Shri Jawahar Lal Nehru at the ramparts of the Red Fort where the nationl flag is hoisted on the 15th August is correct and whether they have approached the Home Ministry for the purpose and if so, what was their reaction thereto and what is the latest position in the matter.

श्री के० एस० रामास्वामी : दिल्ली नगर निगम ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Shri Prakashvir Shastri : I wanted to know whether it was a fact that the Delhi Municipal Corporation had approached the Home Ministry for the installation of a statue of Shri Jawahar Lal Nehru at Red Fort. Because it had appeared in the Press that the Corporation took such a decision.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Delhi Municipal Corporation had proposed to install a statue of Shri Jawahar Lal Nehru at the Ram Lila Ground. They had not proposed to install any statue at the ramparts of the Red Fort and that is why the answer was in the negative.

Shri Prakashvir Shastri : While addressing the public on the occasion of the first independence day celebrations on the 15th August, Shri Jawahar Lal Nehru had stated that he reminisced Shri Subhash Chandra Bose who had first dreamt of hoisting the national flag at the ramparts of the Red Fort from where he was speaking. May I know whether a proposal to install a statue of Netaji Subhash Chandra Bose at this site is under consideration of the Home Ministry ; and if so, the time by which a decision will be taken in this regard ?

Shri Vidya Charan Shukla : A committee was set up to go into this question and they had selected certain sites also. They had decided to install the statue of Netaji Subhash Chandra Bose at one of the two sites around or near the Red Fort. But that was not found suitable site for the purpose. It was, therefore, decided to select some much suitable site and no decision has yet been taken in the matter.

Shri Om Prakash Tyagi : I want to know whether Government have taken into consideration the sentiments of the people in this regard because the most suitable site for installing his statue cannot be other than the ramparts of the Red Fort for the cinotional image of Netaji Subhash Bose and his INA is historically connected with it.

Shri Vidya Charan Shukla : The Government are fully aware of the public sentiments in this regard and that is why, on this question, we have sought the views o the committee of which the hon Members was one of the members,

श्री रंगा : यह एक बहुत संवेदनशील विषय है । हमारी इस मामले में अपनी व्यक्तिगत राय चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सभी इन दो राष्ट्रीय महान नेताओं को प्यार करते हैं और उनके प्रति हमारी महान श्रद्धा है और मैं नहीं चाहता कि इस मामले को विवादास्पद बनाया जाये । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार इस मामले में सभा के उन सदस्यों से विचार-विमर्श करे जिनक इस विशेष मामले में कुछ दृष्टिकोण हो और इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाये क्योंकि देश के सभी लोगों की इन दोनों नेताओं के प्रति समान श्रद्धा, आदर तथा प्रेम की भावनाएं हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक बहुत स्वागत योग्य सुझाव है ।

Shri S. M. Banerjee : We have been hearing for a pretty long time that a statue of Netaji Subhash Chandra Bose was going to be installed at the ramparts of the Red Fort. But the hon. Minister has stated that a site was selected somewhere around or near the Red Fort. I would like to suggest that it should be installed at a place where it may be visible to and catch the eye of every body and the most suitable place for the purpose is the ramparts of the Red Fort where the national flag is hoisted.

Shri Vidya Charan Shukla : The Government also hold the same views so that the people could draw inspiration from it.

We will have to select the site keeping in view his glory, and greatness. The site suggested by the committee which was appointed for the purpose is not suitable. We are making a search for the better site.

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या दोनों मूर्तियों को तथा नेताजी की तलवार को लाल किला में रखना सम्भव नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

श्री बे. कु. दासचौधरी : नेताजी की अधांश लाल किले पर झण्डा फहराने की थी । समूचे देश की इस भावना को देखते हुए नेताजी का लाल किले से सम्बन्ध है । क्या माननीय मंत्री सीधा उत्तर देंगे कि लाल किले की दीवार पर नेताजी की मूर्ति लगाने का निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने पहले ही बताया है कि हम नेताजी की मूर्ति को लाल किले में लगाना चाहते हैं । परन्तु लाल किले में इस मूर्ति को ठीक किस स्थान पर लगाया जायेगा इस पर अभी विचार किया जाना है तथा निर्णय किया जाना शेष है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Deven Sen : In 1946 I met Netaji in the Merelize port and had talks with him. At that time I was not alone. Mr. Joglekar of the Forward Block was also present there. Netaji was wearing military dress. I want to know whether Government have made up their mind that Netaji is not alive now. Some mysterious persons have been bringing letters o Netari in the office of the Amrita Bazar Patrika. The people who know the signature of Netaji can recognise them. I would like to know whether the Government consider Netaji as their enemy No. 1 even now ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just now stated that some Members of Parliament have also been included in the committee appointed for the purpose. I want to know the names of those Members. I also want to know whether these Members are fully familiar with Delhi.

The statues of many political leaders have been installed in Delhi. I want to know whether some policy has been formulated as to whose statue is to be installed in Delhi. I want to know whether the statues of other national leaders belonging to the other political, particularly of Shyama Prasad Mukerjee who was a great parliamentarian and of Chhattrapati Shivaji will also be installed.

Shri Vidya Charan Shukla : A decision to constitute a committee to consider all these things has been taken. The tenure of the old committee is over. The new committee will be constituted soon. It is hoped that it will come into existence in a few days.

Shri Kanwar Lal Gupta : I enquired about the installation of the statues of Dr. Shyama Prasad Mukerjee and Chattrapati Shivaji.

Shri Vidhya Charan Shukla : The committee was constituted to give advice on all these matters. We take decisions after considering the advice of the committee.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री जनार्दनन ।

श्री अंबाजागन : इससे पूर्व कि अगला प्रश्न लिया जाये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों के विधि व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले मामलों को इस सभा में न उठाया जाये। इस मामले पर तो न्यायालय में विचार हो रहा है। इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी (मार्क) का नाम लिया गया है। अत: मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ऐसे मामलों को इस सभा में न उठाये जाने के लिए सहयोग करेंगे। सभा का यह घंटा ऐसे प्रश्नों पर लगाया जाता है जो राज्य सरकार की विधि व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें किसी एक दल का नहीं बल्कि कई दलों का नाम है जिन्होंने इसको सभा पटल पर रखा है। जब प्रश्न आते हैं तो हम सबको रद्द नहीं कर सकते। उनमें कुछ प्रश्नों को ग्रहीत करना होता है। मंत्री महोदय इस बारे में सावधानी चाहेंगे कि क्या राज्य विषय है और उस पर किस हद तक उत्तर दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्रियों को अपनी जिम्मेवारी का पता है और वे उसमें सावधान रहेंगे। आपने सदस्यों से भी अपील की है। प्रश्न करते समय उनको भी कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

श्री स० कन्डप्पन : हम जानते हैं कि गृह-कार्य मंत्री का उत्तर क्या होगा। वह कहेंगे कि समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटा जा रहा है। हमें शंका है कि इस का डी० एम० के की सरकार की प्रभावशाली ढंग से काम करने की प्रक्रिया पर भी आक्षेप होगा।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न राज्यों में अर्थात केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में विभिन्न सरकारें हैं। हमें सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रश्न को ग्रहीत कर लिया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या आप अपने सचिवालय को निदेश देंगे कि वह प्रश्नों का संपादन करते समय सावधानी से काम लिया करेंगे। मुझे विश्वास है कि श्री जनार्दनन ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री अबाजागन : यह मामला न्यायालय में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले से परिचित है।

तंजौर में हिंसक कार्यवाही

\+

*483. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री नजा गौडर :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री द० रा० परमार :
श्री च० चु० देसाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अल राज मघोक :
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1968 के दैनिक समाचार पत्र "स्टेसमैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादियों के नेतृत्व में

तंजौर जिले के फार्म कर्मचारियों ने 25 दिसम्बर, 1968 को वेनमनी घटना के बाद गैर-साम्यवादी श्रमिकों के साथ हिंसात्मक बर्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : यह दुखदायी घटना लगभग दो महीने पूर्व घटी थी। तंजौर एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जो लगभग समूचे देश को खाद्यान्न सप्लाई करता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है लोगों के एक वर्ग द्वारा लगभग 42 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। मैं स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। परन्तु यह सच है कि मजदूरों के वर्ग द्वारा, जो शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं बल्कि हिंसा, हत्या लूटमार से लोगों पर अपनी विचारधारा तथा सूत्र थोपना चाहते हैं, 42 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। नक्सलबाड़ी में क्या हुआ। मेरे विचार में साम्यवादी (मार्कसवादी) लोगों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं इस प्रवृत्ति के भारत के अन्य भागों में भी फैलने की सम्भावना है। सरकार का विचार इस प्रकार की अराजकता। जिस को साम्यवादी मार्क्सवादी मजदूरों द्वारा फैलाया जा रहा है तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है। (अन्तर्बाधा)

श्री नम्बियार : अनको तथ्यों का पता नहीं है। भू-स्वामियों ने ये हत्याएं की हैं।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : देश के अन्य भागों में इन गतिविधियों को फैलने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वास्तव में यह उनके द्वारा उल्लखित तथ्यों से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु यदि आप अनुमति दें तो मैं उत्तर दूगां।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वास्तव में न केवल मद्रास में बल्कि देश के अन्य भागों मे भी भू-स्वामियों तथा किरायेदारों के सम्बन्ध धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण समस्या का रुप धारण करते जा रहे हैं। इस प्रकार की समस्या मद्रास राज्य के कुछ भागों में भी उत्पन्न हुई। मुझे विश्वास है कि मद्रास सरकार स्थिति से अवगत है। जब यह बुरी घटना घटी तो उन्होंने तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एक सदस्यीय आयोग को भी नियुक्त किया है। इस मामले में मुझे राज्य सरकार पर निर्णय करना होगा और मुझे कोई सन्देह नहीं कि वह स्थिति को संभाल लेगी और इस प्रकार की अबैध गतिविधियों में वृद्धि नहीं होगी।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : मैं राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं जानता हूं कि वह बहुत कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक

सदस्य पर आधारित एक आयोग बनाया हो। परन्तु प्रश्न यह है कि साम्यवादी मार्कसवादी मजदूरों की गतिविधियां समूचे देश में फैल रही है....अन्तर्बाधा

श्री नम्बिगार : साम्यवादी देश में जगेत जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। दो राज्यों में वे सत्तारुढ़ हैं। उनका बढ़ना अनिवार्य है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : देश के अन्य भागों में साम्यवादी विचारधारा को फैलाने के लिए साम्यवादी एक नये प्रकार के सम्राज्यवाद पर चल रहे हैं। आज भारत सरकार जो कि देश की एकता को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है इस ओर से अपनी आंखे नहीं मूद लेनी चाहिए। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यहां किसी राजनैतिक दल पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस देश में यह दल जिसका उन्होंने उल्लेख किया दो राज्यों में सरकारें चला रहा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे संविधान की भावना को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। अन्तर्बाधा

श्री नन्दकुमार सोमानी : दुर्भाग्यवश इस देश में तंग करने का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। चाहे यह विचारधाराओं के मतभेद की समस्या को सुलझा रहा हो अथवा यह कुछ स्थानीय भू–स्वामियों की ही हो। इस बारे में हमने मध्यावधि चुनाव में भी शिकायतें सुनी थी। तंजौर जिला में जो दुखदायी घटना घटी हम उसे जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि राज्य सरकार ने स्थिति को उचित तरीके से समझ लिया हो। परन्तु हाल में श्री नेगी रेड्डी ने खुलेआम कहा है कि उनको ससदीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वह अब तोड़फोड़ की गतिविधियां करने के लिए दल को भी छोड़ गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय आसूचना विभाग तथा अन्य गुप्तचर अभिकरणों को मामले का पूरी तरह पता है और वे प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही कर रहें हैं ताकि देश में लोकतत्रात्मक प्रणाली ठीक ढग से चलती रहे और तोड़फोड़ की कार्यवाही न हो।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि माननीय सदस्य संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली की भावना को समझते हैं तो वे जानते होंगे कि लोकतंत्र को केन्द्रीय आसूचना विभाग अथवा पुलिस के समर्थन से बचाये नहीं रखा जा सकता। इसको लोगों के समर्थन से ही बचाये रखा जा सकता है। मैं वास्तविक स्थिति का ध्यान रख रहा हूं। जब मैं कठोर होना चाहता हूं तो माननीय सदस्य कहते हैं कि राज्य सरकारों के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में सावधान नहीं हूं।

श्री रंगा : वह गलत समय पर गलत ओर जा रहे है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। यह ऐसा अवसर नहीं है।

श्री द० रा० परमार : क्या यह सच है कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना घटी वहां पर एक छोटी सी झौपड़ी थी जिसमें 43 व्यक्ति नहीं आ सकते ? क्या यह भी सच है कि व्यक्तियों की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और उनके शवों को लाकर इस झौपड़ी में रखा गया ओर उस को आग लगादी गई ? क्या ऐसा हत्या की साक्ष्य को समाप्त करने के लिए किया गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं तथ्यों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि यह वास्तविक तथ्यों पर निर्भर है ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मुझे एक साधारण प्रश्न पूछना है । क्या माननीय मंत्री के विचार में तंजौर में घटी घटना एक साधारण विधि व्यवस्था का मामला है अथवा यह खूनी क्रान्ति से सरकार उलटने के षड़यत्र का एक भाग हैं । इस संदर्भ में मेरे माननीय मित्र ने श्री नेगी रेड्डी का उल्लेख किया है । मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी न केवल प्लेटफार्म से बल्कि सार्वजनिक जलूसों में भी यह सिखाया जा रहा कि मतों के स्थान गोलियों को लेना चाहिए ?

'माओ जिन्दाबाद', 'हमारी संसदीय लोकतन्त्र में आस्था नहीं है ।' के नारे लगाये जाते हैं । ऐसी स्थिति में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह एक साधारण घटना है ? अथवा यह देश में एक प्रकार की क्राति लाने और सरकार को असंवैधानिक तरीकों से अपदस्थ करने का एक षड़यन्त्र है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न कुछ तथ्यों पर आधारित हैं । मैं कह नहीं सकता कि यह ठीक है अथवा नहीं । मैं इस बारे में कुछ जाने बगैर कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Bal Raj Madhok : The Minister of Home Affairs has said that such incidents are caused by public and it is decided by it. I want to know whether in view of the refrence to such organisations in the President's address, they have knowledge about the existance of such organisations in the country. There are certain elements in this country who have no faith in democracy. They want a bloody revolution in this country. May be some of them are in power in certain states. No doubt they have got power by constitutional means, but is clear to all that they are misusing power for a violent revolution. A group among them has formed a separate party. Its report has appeared in the Statesman. In that it is stated that they have no faith in democracy and they would bring about a revolution in this country. They are indulging in this type of activities in Naxalbari and Tanjore. This Government has been formed on the basis of democratic principles. It is its duty to protect democracy. Keeping n view all this I want to know whether Government will take some effective steps to protect the democracy.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार की यह नीति है कि हिन्सात्मक गतिविधियों को तुरन्त समाप्त किया जाये । जबतक राजनैतिक दल संविधान की परिधि में कार्य करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । विचारों को बल से नहीं दबाया जा सकता । विचारों को विचारों द्वारा ही बदला जा सकता है ।

श्री रणजीत सिंह : माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि समूचे देश में गड़बड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जनता में लोकतन्त्र के प्रथा आस्था बनाये रखने की दिशा में क्या कार्यवाही की है। लोकतन्त्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार स्वयं भी ऐसा ही कर रही है.....

अध्यक्ष महोदय : यह कहना ठीक नहीं। आप प्रश्न पूछिये।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : I want to know whether Government have received any report from there and whether those who were killed were Harijans ? The D. M. K. waged war against the castism. It was a good thing. I want to know the steps that have been taken to ameliorate the lot of Harijans.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं उनसे सहमत हूं।

श्री कन्डप्पन : यह घटना वेनमनी मामले के कारण हुई है। हमें मालूम है कि 42 व्यक्तियों को जीवित जला दिया गया था। राज्य सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। जो व्यक्ति गिरफ़्तार किये गये थे उनमें अधिकांश कांग्रेस से सम्बद्ध थे। कुछ तो पदाधिकारी भी थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ब्यौरे में न जायें। आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री कन्डप्पन : क्या गृह-मन्त्री को तंजौर की वास्तविक स्थिति की जानकारी है ? इसके दो कारण हैं। एक यह कि मिरासदार कांग्रेस पार्टी के आधीन है। मद्रास कांग्रेस ने उनके द्वारा वहां की सरकार को समाप्त करना चाहा। क्या गृह-मन्त्री इसकी ओर ध्यान देंगे कि वहां शिष्टाचार और ठीक व्यवहार बरता जाता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न करने की बजाय उन्होंने गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ मिरासदार कांग्रेसी हैं। वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। आज मद्रास में डी० एम० के० के सत्ता में होने का कारण यह कि उसे उनका समर्थन प्राप्त है।

श्री आर० एस० अरुमुगम : सब से पहले जिस व्यक्ति श्री पक्षीरस्वामी की हत्या हुई थी वह डी० एम० के० का व्यक्ति था। उसके कारण डी० एम० के० वालों ने झुग्गियों को आग लगा दी और 42 व्यक्ति मरे। श्री राममूर्ति ने कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया था भूमि के मालिक मुख्यत: डी० एम० के० के लोग थे। क्या यह सच नहीं है।

श्री प० गोपालन : यह समूचे देश के लिये शर्म की बात है कि यहां पर कुछ लोग पूरी जिम्मेदारी मज़दूरों पर डाल रहे हैं। इस घटना से पहले तीन श्रमिक नेताओं की उसी जिले में हत्या की गई थी। क्या सरकार इसे मालिकों की चाल नहीं समझती जिसके द्वारा श्रमिको को दबाया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो मामले जांच आयोग के समक्ष हैं उन पर मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा करना उचित नहीं।

विद्रोही नागाओं द्वारा ग्रामवासियों का अपहरण

+

*184. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० बरुआ : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 के तीसरे सप्ताह में विद्रोही नागाओं के एक सशस्त्र गिरोह ने माओ उपखण्ड में कर और राशन देने से इन्कार करने के कारण चार नागा ग्रामवासियों का अपहरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विद्रोही कुकी और मिजो लोगों के एक अन्य गिरोह ने जिरीबाम उपखंड के "बड़ा बेकरा" में दो गैर आदिवासी व्यक्तियों का इसलिये अपहरण किया था क्योंकि वह लोग 500 रुपये प्रति व्यक्ति मुक्तिमूल्य नहीं दे सके थे; और

(ग) यदि हां, तो विद्रोही नागाओं से देशभक्त नागाओं के जीवन की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 5 नवम्बर, 1968 को लगभग 100 मिजो-कुकी विद्रोहियों ने तामेंगलोंग उपखण्ड में सेकजग गांव से तीन व्यक्तियों का अपहरण किया था। उनमें से एक उसी दिन उनकी हिरासत से निकल आया। शेष दोनों उनकी हिरासत में बताये जाते हैं और 500 रुपये की मांग छुड़ाई के लिये की गयी है।

(ग) पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं जिनकी जांच हो रही है। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा दल की कार्रवाहियां तेज कर दी गई हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I have been to Nagaland recently People are very much afraid of hostile Nagas there. There prevails a reign of terror there. We are spending about 12 crores of rupees p. a. there. Our Government is following a policy of appeasement. May I know whether Government are considering a proposal-as proposed by Jan Sangh in 1967-to bring together loyal Nagas and provide them protection ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of hostile Nagas who have been caught and punished for killing loyal Nagas ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Shri Chand Goel : Thousands of hostile Nagas to China for getting arms training. After being trained they try to cross into India through Burma. There have been encounters between the hostile Nagas and the Assam Rifiles. May I know the number of hostile Nagas who have come back after getting training in arms and ammunitions and the steps Government is taking to watch their activities so that the royal Nagas may not be harrased ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यद्यपि यह विषय प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं इस विषय पर कुछ जानकारी दूंगा। मैं जानकारी देने से इन्कार नहीं करता। हमें समय समय पर गत दो वर्षों में चीन से शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये गये नागाओं के बारे में सूचना मिलती रहती है। मैं इनके बारे में कुछ सन्निकट आकड़े दे सकता हूं। मोटे तौर पर लगभग 4000 नागा शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन गये उनमें से लगभग 900 से 1000 के बीच एक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर लौट आये हैं। शेष बचे लगभग 3000 नागाओं में से लगभग 2000 नागा बर्मा में घुस गये है और उनमें से अधिकांश बर्मा और भारत की सीमा के बीच हैं और भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सुरक्षा दल उनको ऐसा करने से रोक रहा है और इस क्षेत्र पर बहुत सावधानी से निगरानी कर रहा है और गत छः महीनों से वे भारत में प्रवेश करने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन अन्तिम समाचार के अनुसार लगभग 100 व्यक्तियों के एक दल ने भारत में प्रवेश किया था और शायद इसी दल की आसाम राइफल्स से मुठभेड़ हुई थी।

एक माननीय सदस्य : 2000 से अधिक।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह सूचना अपनी जानकारी के अनुसार दे रहा हूं आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इस मुठभेड़ में दूसरी ओर के हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या बताना कठिन है लेकिन हमारी ओर तीन व्यक्ति घायल हुए, 6 व्यक्तियों का कुछ पता नहीं लगा उनमें से एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है।

श्री स्वैल : मैं, गृह-मन्त्री द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्य की प्रशसा करता हूं लेकिन उनके वक्तव्य से बहुत बड़े संकट की पुष्टि होती है। नागालैंड से प्राप्त हो रही सूचनाएं बहुत खराब हैं। गत कुछ दिनों में समाचार प्राप्त हुए हैं कि जिन नागाओं को चीन में प्रशिक्षण दिया गया है वे मनीपुर के सब-डिवीजन और नागालैंड के अन्य भागों में छोटे छोटे दलों में आने में सफल रहे हैं। नागालैंड के मुख्य मन्त्री ने इस महीने की 3 मार्च को एक बहुत आश्चर्यजनक वक्तव्य दिया था जो कि कोई मुख्य मन्त्री दे सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the families of the loyal Nagas killed and Kidnapped is the encounters have been given proper compensation and whether you also provide some facilities to them. You were not able to tell about the casualties on our side. But their effort to enter India is unmitigated. About 100 persons have already entered India. Out of them how many have been prosecuted and how many have been arrested ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : समय समय पर मुठभेड़े होती रहती हैं और दूसरी ओर का ब्यौरा देना हमारे लिये सम्भव नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हत हत हुए पुलिस दल के व्यक्तियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया गया है।

श्री स्वैल : माननीय मन्त्री ने बताया कि चीन से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं का आधुनिक अस्त्रों के साथ कोहिमा नगर के आसपास भारी संख्या में जमाव है। यह केवल उनसे संघर्ष का प्रश्न नहीं है। यह चीन में प्रशिक्षित नागाओं का कोहिमा के आस-पास

पास, जो नागालैंड राज्य का मुख्यालय है, में भी प्रवेश का प्रश्न है। कल और आज ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि हमारी सीमा पर भारत-बर्मा सीमा पर त्यूनसांग क्षेत्र में संघर्ष हुए हैं और हजारों नागा त्यूनसांग जिले के उत्तरी भाग से मणीपुर के दक्षिण भाग में आ गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नागा स्थिति के बारे में एक पूरा विवरण सभा पटल पर रखेगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं तो केवल प्राप्त जानकारी दे सकता हूं। पूरे विवरण को सभा पटल पर रखने के प्रश्न को माननीय सदस्य वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को भेज सकते हैं।

श्री बासुमतारी : मैं, सदस्यों को प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तरों को, सुन रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मन्त्री का यह विचार है कि ऐसा राज्य के छोटा होने के कारण हुआ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा ऐसा विचार नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether instruct ons have been issued to the Security Forces not to be strict with hostile Nagas as a result of which Government is not able to supress that small population of Nagas ? The position is this that the hostile Nagas openly realise donations from the shopkeepers and our security force remains a passive spectator. I want to know the reasons for this.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : नाग स्थिति पर कई बार चर्चा की जा चुकी है और नाग संगठन की गतिविधियों की, जिससे हमारा गत दो वर्षों से सम्पर्क रहा है, जानकारी है। इस समय वर्तमान सिविल प्रशासन का स्थिति पर नियन्त्रण है, जैसा कि नागालैंड के निर्वाचनों से स्पष्ट हो गया है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : उस क्षेत्र में दोहरा प्रशासन है–सैनिक और सुरक्षा दल का प्रशासन। वहां की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या उन्होंने कमान अधिकारी आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने का अधिकार दिया है या इसका अभिप्राय यह है कि कुछ क्षेत्र में सैनिक शासन है लेकिन उस शासन को वहां कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। क्या सरकार ने सैनिक प्रशासन को अधिकार देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य को यह विदित होना चाहिये कि वहां सिविल प्रशासन की तरह का प्रशासन है। नागालैंड सरकार है। स्वभावतया उस क्षेत्र में सिविल प्रशासन के अधिकार सर्वोच्च होंगे। इस बात में मुझे कोई शंका नहीं। जहां तक सुरक्षा दल का सम्बन्ध है वहां दो कमान नहीं हैं वहां केवल एक कमान है और वह है सेना।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : बिगड़ती हुई स्थिति से यह विदित होता है कि वहां दो प्रशासन है

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय मन्त्री इस बारे में कुछ तथ्य मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। वहां सीमा सुरक्षा दल है लेकिन वह सेना के अन्तर्गत आता है (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यह एक कमान है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में चीन से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 200 विद्रोही नागाओं ने मनीपुर के माओ डिवीजन से देश में प्रवेश किया था लेकिन हमारा सुरक्षा दल उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सका । क्या यह भी सच नहीं है कि विद्रोही नागाओं ने अपना संचालन कार्य मनीपुर के माओ डिवीजन में ले गये हैं, जो सीधा सरकार के नियंत्रण में है, और यदि हां, तो उनकी कार्यवाहियां मनीपुर के माओ सब डिवीजन न फैलने, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक भाग (क) का सम्बन्ध है, मैं इस बात की जानकारी दे चुका हूं कि चीन से प्रशिक्षण प्राप्त विद्रोही नागाओं के एक दल नागालैण्ड में प्रवेश किया है और उसी दल की आसाम राइफल्स से मुठभेड़ हुई थी । दूसरे प्रश्न के लिये अलग से सूचना देने की आवश्यकता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेवन नायर ने यह प्रश्न उठाया था कि प्रश्न संख्या 483 में पहले प्रश्नकर्त्ता का नाम श्री जनार्दनन नहीं हो सकता । मैंने इसकी सत्यता का पता लगाया है । वह नाम जनार्दनन नहीं था वह नाम मुत्थुस्वामी था । इसके लिये मुझे दुःख है ।

बेरी आयोग की रिपोर्ट

6. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री मोठालाल मोना :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर पुलिस फाइरिंग के सम्बन्ध में बेरी आयोग की राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें भारत सरकार को मालूम हो गई हैं;

(ग) क्या बेरी आयोग ने जौहरी बाजार जयपुर में अनुचित रूप में गोली चलाये जाने की कड़ी आलोचना की है; और

(घ) इस प्रकार की पुलिस बर्बता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) : जी हां ।

(घ) राज्य सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है, यह राज्य सरकार पर है कि इस मामले पर उपयुक्त कार्यवाही करे ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन के दौरान दो वर्ष पूर्व की गई फाइरिंग न्यायोचित नहीं थी और वह फाइरिंग

केन्द्रीय सरकार के कहने पर की गई थी, जिसका उल्लेख कल रोटेरी क्लब की बैठक में किया गया था, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन जिसमें दोषी अधिकारियों का उल्लेख किया गया था, को राजस्थान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा गया था ताकि इस मामले के अन्तर्गत एक से अधिक राज्य आ सकें। मामले की जटिलता को देखते हुए बेरी आयोग द्वारा दोषी ठहराये गये अधिकारियों के विरुद्ध भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या बेरी आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा में रखे गये इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यदि वह इसकी एक प्रति प्राप्त करना चाहे तो वह इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। एक सार्वजनिक दस्तावेज को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकार इस मामले में प्रतिवेदन की जांच कर रही है। राजस्थान विधान सभा ने इस प्रतिवेदन पर चर्चा की है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : दो महीने।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसके लिये उत्तरदायी नहीं हूँ। हमें आशा करनी चाहिये कि वे इस मामले में शीघ्र यथा सम्भव कार्यवाही करेंगे।

श्री हेम बरुआ : एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार की पुलिस के विरुद्ध बिना केन्द्र की अनुमति के कैसे कार्यवाही कर सकती है ?

नन्द कुमार सोमानी : मैंने एक प्रश्न उठाया परन्तु उसका गृह मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है। इस मामले में एक से अधिक राज्य सरकारें शामिल हैं। यह फाइरिंग और बेरी आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के शासन के दौरान की गई थी अतः अब केन्द्रीय सरकार अपने दायित्व से परे नहीं हट सकती और यह नहीं कह सकती कि इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने तथ्य को गलत समझा है। फाइरिंग में उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाथ था अतः इस मामले में राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से सलाह करेगी केन्द्रीय सरकार से नहीं (अन्तर्बाधाएं)

श्री नन्द कुमार सोमानी : ऐसा राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हुआ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सच नहीं है। माननीय सदस्य ने फिर गलत समझा है। फाइरिंग के समय वहां निर्वाचित सरकार कार्य कर रही थी। उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं था।

श्री रंगा : आसाम से निर्वाचित माननीय सदस्य जिन अन्य राज्यों से लाये गये व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे और जिनके बारे में बेरी आयोग ने दोषारोपण किया था, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करेगी और केन्द्रीय सरकार के माध्यम से यह बातचीत नहीं होगी।

श्री रंगा : राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार के सद्भाव के कारण किसी अन्य राज्य से पुलिस को प्रतिनियुक्त किया गया था। अतः यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यदि आचार्य जी थोड़ा संतोष रखें तो मैं उन्हें यह सिद्ध कर दूंगा कि जब गोली चली थी, उस समय वहां पर राष्ट्रपति का शासन नहीं था।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्री सोमानी ने कहा है कि जब आयोग नियुक्त किया गया था, उस समय वहां राष्ट्रपति शासन था। (व्यवधान)

श्री नन्द कुमार सोमानी : मेरे प्रश्न की मुख्य बात यह है कि जब बेरी आयोग नियुक्त किया गया था उस समय राज्य में राष्ट्रपति का शासन था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है, नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं ने यह नहीं कहा है। मैं ने कहा है कि जिस घटना के बारे में जांच की जानी थी उस समय राष्ट्रपति का शासन नहीं था। उसके बाद राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ। परन्तु राज्य प्रशासन ने आयोग को नियुक्त किया था। यह केन्द्रीय सरकार का निर्णय नहीं है। अब प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और अब वहां पर उपयुक्त सरकार बनी हुई है। जब उत्तर प्रदेश से कुछ पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया था, तब उन्हें राष्ट्रपति शासन द्वारा प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्त किया था। अब राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अवश्य परामर्श करेगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जांच आरम्भ की थी। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों पर यह मामला उच्च न्यायालय के न्यायधीश को भेजा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने तत्कालीन सरकार से जो राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन चला रही थी, वचन लिया था कि बेरी आयोग के सभी निष्कर्षों तथा सिफारिशों को प्रकाशित किया जायेगा और उन सब को स्वीकार किया जायेगा। यदि कोई उप-सचिव अथवा कोई कार्यकारी प्राधिकार उसके निष्कर्षों की छानबीन की जानी है तो उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस कार्य को नहीं करेगा। अब अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने और राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने के दो महीने बाद, वर्तमान सरकार अपने उत्तरदायित्व से उन्मुख होने का प्रयत्न कर रही और यह कहा जा रहा है कि यह उनका काम नहीं है। इस देश में भविष्य में होने वाली जांचों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वे राजस्थान सरकार को उनके द्वारा दिये वचन के अनुसार सभी सिफारिशों के स्वीकार करने के लिये कहेंगे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राज्य सरकारों को परामर्श देना मेरा काम नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय इतनी जल्दी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। या तो वह अनजान है या वह जानबूझ कर इस सभा को गुमराह कर रहे हैं। इस मामले के तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। राष्ट्रपति के शासन के समय इस आयोग को नियुक्त किया गया था और केन्द्रीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल काम कर रहा था। उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बिशेष वचन दिया गया था कि उन सबको स्वीकार कर लिया जायेगा अब गृह मंत्री कहते हैं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। यह हास्यास्पद बात है। हाल ही में राजस्थान विधान सभा में राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा था कि आयोग की नियुक्ति उस समय हुई थी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन था, अतः यह उनका काम नहीं है। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि राज्य सरकार कार्यवाही करेगी और राज्य सरकार का कहना है केन्द्रीय सरकार करेगी। बेरी आयोग ने उनके रहस्य को बता दिया है। राज्य की कांग्रेस पार्टी, राज्यपाल और केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार की इच्छा से गोली चलाई गई थी। इन परिस्थितियों में क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान से पूछेगी कि वे आयोग के सभी निष्कर्षों को स्वीकार क्यों नहीं करती और क्या वह राजस्थान सरकार से कहने के लिये तैयार है कि सभी निष्कर्षों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ? जब तक केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का आदेश जारी नहीं करती तब तक वे आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक राय व्यक्त की है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री रंगा : यह सरकार के सम्मान का विषय है। इन्होंने वचन दिया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कहीं कोई वचन नहीं दिया है।

श्री रंगा : केन्द्रीय सरकार ने दिया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : वह उत्तर देने में टालमटोल कर रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं टालमटोल नहीं कर रहा हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप लोकतन्त्र की हत्या करते है और उत्तर नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है तो प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir .....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें और नियमों का पालन करें। यदि प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट न हों तो उन्हें यह बात कहनी चाहिये। यदि बहुत सदस्य एक साथ खड़े होकर शोर करने लगे तो मंत्री अथवा अध्यक्ष को उनकी शिकायत समझ नहीं आ सकती। अब श्री पटोदिया ने अनुपूरक प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया।

इसके बाद बहुत से माननीय सदस्य शोर करने लगे। इस सभा में प्रत्येक सदस्य के समान अधिकार हैं। यदि सभी सदस्य एक सदस्य की सहायता करना चाहें तो सम्बन्धित सदस्य का महत्व कम हो जाता है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : बेरी आयोग ने उस समय की स्थिति की पुष्टि की है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य कांग्रेस दल और राज्यपाल ने परस्पर मिल कर यह कार्यवाही की थी और पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना बिल्कुल अनुचित था। अतः क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को ये सभी सिफारिशें स्वीकार करने के लिये कहेगी और दूसरे, क्या वह राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिये तैयार है कि वे सभी सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझ पर उत्तर देने में टालमटोल करने का आरोप लगाया गया है। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। वास्तव में यह अल्प सूचना प्रश्न है और यदि मैं चाहता तो मैं इसका उत्तर देने से इन्कार नहीं कर सकता था परन्तु मैं तो सभा को जानकारी देने के लिये तैयार हूं। माननीय सदस्य मेरी आलोचना कर सकते हैं, मुझ से असहमत हो सकते हैं परन्तु मुझ पर टालमटोल करने का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये। जैसाकि मैंने बताया है, राज्य सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और आशा है कि राज्य सरकार निर्णय करेगी। वे आयोग की सिफारिशें स्वीकार करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु जब राज्य सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है तो उन्हें निदेश का प्रश्न कैसे उठता है ? मैं यह बात कह रहा था। अन्य राज्य सरकारों के बारे में यदि कोई जानकारी मांगी भी जांय तो राज्य की स्वायत्तता की बात कही जाती है। परन्तु यदि कांग्रेस सरकार हो तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : निदेश देने का प्रश्न इसलिये उठता है क्योंकि यह कार्यवाही राज्यपाल द्वारा की गई थी जो केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि है। दूसरे श्री दामोदर लाल व्यास ने दो या तीन दिन पहले राज्य विधान सभा में कहा था कि पिछली सरकार द्वारा दिये गये वचन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, यह बात उस सभा की कार्यवाही वृतान्त में है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे प्रतिवेदन को नहीं देखा है और बिना उसे देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मेरे विचार में कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उन्होंने यह वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री तापड़िया।

श्री नम्बियार : आप को हमारी ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस छपी हुई सूची के अनुसार चल रहा हूँ। यदि मैं किसी अन्य सदस्य को अवसर दूं जिसका इस सूची में नाम नहीं तो यह सिद्धान्त टूट जायेगा। आज सभी

प्रश्न विरोधी पक्ष के हैं अतः मैं दूसरी ओर ध्यान नहीं दे सका परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनको बोलने का अवसर नहीं देना चाहता ।

श्री सु० कु० तापड़िया : गत दो महीनों में देश में दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिनका केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के बीच गठबन्धन के मामले के साथ सीधा सम्बन्ध है । एक पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम हैं और दूसरे बेरी आयोग का प्रतिवेदन जिसने इस गठबन्धन की फिर निन्दा की है । जिन्होंने जांच आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा है और जिन्होंने फरवरी, मार्च 1967 में राजस्थान की घटनाओं पर ध्यान दिया है उनके मन में राजस्थान की वर्तमान सरकार के बारे में कोई संदेह नहीं है । गृह मंत्री ने कहा है कि वह सरकार आवश्यक कार्यवाही करने में समर्थ है । वर्तमान सरकार राजस्थान की जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती । निश्चय ही यह सरकार वैध नहीं है । केवल दस दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि वहां की स्थिति ठीक करने में विरोधी दल सहयोग दें । हम सहयोग करने के लिये तैयार है, परन्तु बात स्पष्ट होनी चाहिये ।

क्या वहां पर अच्छे प्रशासन की दृष्टि से और गन्दे वातावरण को दूर करने के लिये यह सरकार हमारा सहयोग प्राप्त करेगी और मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया, से कहेगी कि वह इस्तीफा दे दें और सरकार को बर्खास्त करेगी और मध्यावधि चुनाव करायेगी ? हम वहां पर विरोधी सरकार लाने की बात नहीं कह रहे हैं । हम चुनाव के लिये तैयार हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य को अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हम उस दिन राज्य विधानमंडल के वहां सरकार की स्थापना के अधिकार पर विचार कर रहे थे । चूंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, स्वतंत्र दल की सरकार नहीं है, तो क्या हम अब लोकतंत्र के सिद्धान्तों में परिवर्तन करेंगे ।

Shri Onkal Lal Bohra : The hon. Member, Shri Tapuriah, has said that there is no constitutional Government worth the name in Rajasthan. What does he mean by the word 'constitutional'. The whole matter is being placed here with political aspect in view. It has been proved in three or four bye-elections that feudalism and Swatantra Party have received a great setback.

A conspiracy was made there by feudals and wealthy people to put an end to democracy there and the Legislators were detained in a fort. The alignment of Swatantra Party and the rulers is mainly responsible for firing there. Had they not indulged in unconstitutional activities there would have been no firing incident in Rajasthan. This is an internal matter of the State and the democratic Government established there is looking into this matter. Therefore, there is no need to discuss this matter here.

Shri Meetha Lal Meena : You are very well aware that in spite of their being 92 members of opposition, firing was done on innocent people with the conspiracy of Dr. Sampurnanand. In this connection, I would like to quote the words of Shri Haribhan Upadhayay :

"Being the Governor of Rajasthan, especially at the end of last elections, at the time of formation of new Government, the establishment of Congress Government has been possible on account of his courage, faith in Congress and determination. The foundation

was already laid by Babuji although the actual formation of Government has been done in the tenure of existing Governor. He had told me the inner secret of it. I know very well that had he not shown so much determination the Congress rule would have come to an end in Rajasthan."

When the judgement of jury is not binding in democratic Government, when character assasination of judges is done in Vidhan Sabha and outside, no judge will be prepared to hold an enquiry. I would like to ask the Home Minister though you why the recommendation made in the report that an enquiry should be held against these officers has not been accepted. On the other hand, these officers have been promoted. If this goes on and the innocent people are fired for nothing, it would lead to serious consequences.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । राज्य सरकार प्रतिवेदन की जांच कर रही है ।

Shri Meetha Lal Meena : I would read the report and lay it on the Table.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सरकारी दस्तावेज है जो बाजार में उपलब्ध है । इसको सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नम्बियार : सरकार गोलीकांड की न्यायिक जांच कभी-कभी ही कराती है । अब चूंकि प्रतिवेदन आ गया है, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पहिले किये गये वायदे अथवा आश्वासन को पूरा किया जाय और न्यायिक जांच के निष्कर्षों को क्रियान्वित किया जाय ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा कोई कानूनी दृष्टिकोण अपनाने का विचार नहीं है । कानून की उपेक्षा नहीं की जा सकती । आयोग की नियुक्ति राज्य प्रशासन द्वारा की गई थी । राष्ट्रपति शासन के समय भी, राज्य सरकार समाप्त नहीं होती है । वह कार्य करती रहती है । उसी राज्य सरकार ने आयोग की नियुक्ति की है । जबकि राज्य सरकार काम कर रही है, तो मेरे लिये कोई आश्वासन देना या कुछ कहना कहां तक ठीक है । यदि राज्य सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करती है, तो मुझे खुशी होगी । मैं इतना ही कह सकता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : This report was discussed in Rajasthan Assembly. There the Rajasthan Government had said that at the time of appointment of enquiry committee, there was the President's Rule. Secondly, whether the firing was done by the Military or not and the Military is under the control of Central Government. Thirdly, the police of U.P. and Madhya Pradesh Government had gone there and the Rajasthan Government cannot take any action against them.

At the time the enquiry was held there was Governor's rule in the State. The enquiry was held at the instance of the Minister of Home Affairs and a commitment was made with your permission I want to read out as to what the commitment was. It reads as follows :

"राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति को आश्वासन दिया है कि 7 मार्च को जयपुर गोलीकाण्ड पर न्यायाधिपति भगवती प्रसाद बेरी की रिपोर्ट

सरकार को पूर्णतय: मान्य होगी । यह आश्वासन उच्च न्यायाधिपति सी० एस० दवे ने सरकार से उस समय मांगा था जबकि सरकार ने गोलीकाण्ड की जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उन्हें कहा । उच्च न्यायाधिपति ने यह आश्वासन उन निर्णयों के अनुसार मांगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं राजीय उच्च न्यायालयों के उस सम्मेलन में लिया गया जो कि देश में न्यायपालिका के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है ।"

The State Government has said that the commitment of the Governor is not binding on them. I have to state in that connection that when a State is placed under Governor's rule, it is the Parliament which approves its budget and as such the responsibility devolves on the Parliament and the President.

In these circumstances the commitment is yours and the commitee was set up when the state was under Governor's rule and the State Government could not take any action against the military and the police of other states-it is stated in the report-they stated at the time of confidence motion that the position was such that the Assembly could not function and the disturbance was likely to break out :

"The story of concentrated service stone pelting towards the Gulab Band, the RAC verandah and towards the verandah near Partanion-ka-Rasta's mouth by a concentrated group of thousands of people is false. The police parties were not besieged, as alleged. There was no firing of any gunshet towards Bhanwar Singh and Umar Singh from the side of the public."

May I know, whether in view of the fact that you gave an assurance to a judge of the State High Court, is it not your responsibility as well as duty to issue a directive to the Rajasthan Government to agree to implement the report ? If that Government does not agree, will the Government dismiss the Sukharia Government ? if not, why not ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसे मामलों में सरकार कोई निदेश नहीं दे सकती ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I wanted to raise a point of order for some time and now I amalgamate that with this question in order to save time.

श्री कंवरलाल गुप्त : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है । आपका वही प्रश्न है जो श्री सोमानी का था ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने कुछ उद्धरण पढ़े हैं उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं जी ।

श्री लिमये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want to link my point of order with this question.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : प्रश्न अवधि के मध्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित नहीं ।

Shri Madhu Limaye : It is not question hour but call attention Notice is under discussion.

अध्यक्ष महोदय : यह अल्प सूचना प्रश्न है । कृपया व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत न करें अपितु प्रश्न पूछें ।

Shri Madhu Limaye : I link the two as it will save time.

Mr. Speaker : Please do not link on else I will have to rule it out.

Shri Madhu Limaye : In fact the constitutional position is that when this judge commission was appointed to enquire into the firing incident, all the powers of the State Government, the powers vested in the Governor were assumed by the President as is provided in Article 356(1) A which reads that the President may :

"assume to himself all on any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exerciseable by the Governor....." So he cannot escape from the responsibility.

My question has two parts; first, has the attention of the hon. Minister been drawn to an article written by a Rajasthan congress leader Shri Haribhau Upadhaye-a few lines of which I shall read out here :

"The courage, allgience towards congress and the strength exhibited by Babu Sampurnanand while holding the office of the Governor of Rajasthan especially at the time of formation of ministry at the end of the last election is responsible in the formation of congress Government in Rajasthan to-day, though it has been formed in the era of our present Governor but it's foundation stone was laid by Babuji be fore-hand. The congressmen of Rajasthan cannot forget this last service of Babuji towards congress." In fact he has proved his great alligence towards the congress.

Mr. Speaker, Sir, what is the real status of the Governor is clear from the above. Hence I want to know his reaction to the aforesaid facts.

The second part of my question is, has the Advocate General of Rajasthan in a letter to the Chief justice of Rajasthan given an assurance that the report of the enquiry commission which was headed by an eminent judge of Rajasthan, will be implemented in to to. These are the two parts of my question-please reply keeping in view the Article 356.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य मुझे अपना उत्तर पूरा क्यों नहीं करने देते । मुझे ज्ञात नहीं कि यह कथन श्री हरिभाऊ उपाध्याय का था । यदि यह किसी भी प्रकार उनका कथन है तो मेरे विचार में उन्हें ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए । मुझसे उसकी व्याख्या की अपेक्षा कैसे की जाती है ?

Shri Madhu Limaye : No reply has been given regarding the views of the Advocate General.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निश्चय ही, महाधिवक्ता के बारे में मैं सूचना प्राप्त करूंगा । इस समय मेरे पास उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Mr, Speaker, Sir, he has said that he would collect the information and furnish it. I want him to place it on the Table of the house together with the letter.

श्री स० मो० बनर्जी : अनेक माननीय सदस्यों द्वारा विविध पूरक प्रश्न पूछे जाने से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि यह सदन इस मामले पर उत्तेजित है क्योंकि माननीय गृह मन्त्री ने उस समय आश्वासन दिए थे .....

श्री स० मो० बनर्जी : आश्वासन राज्यपाल द्वारा केन्द्र के कहने पर दिये गये थे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भेजे गये और न्यायिक जांच के आदेश दिये गये। अब यह बात लगभग प्रमाणित है कि राजस्थान सरकार रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी क्योंकि वे दोषी व्यक्ति दण्डित नहीं करना चाहती। यदि राजस्थान सरकार रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं करती तो, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री स्वविवेक का प्रयोग करते हुए राज्य को रिपोर्ट के कार्यान्वित करने का आदेश देगें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इस मामले में स्वविवेक के प्रयोग करने का अधिकार नहीं। परन्तु मैंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर दी है कि मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे इसे कार्यान्वित करें।

श्री स० मो० बनर्जी : और यदि वे ऐसा नहीं करते तो ?

श्री सोनावने : यह एक परिकल्पनात्मक प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं आपसे सुरक्षा अथवा मार्गदर्शन पा सकता हूं। राज्यपाल ने एक विशेष समिति का गठन किया.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मुझसे क्या चाहते हैं ? क्या मैं गृह मंत्री को इसलिए पदच्युत कर दूं कि उन्होंने राज्य सरकार को पदच्युत नहीं किया। यह कैसे किया जा सकता है ?

श्री कंवरलाल गुप्त : आप उन्हें ताड़ना दे सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं किसी को प्रताड़ित कैसे कर सकता हूं ? उन्होंने पहले ही कहा है कि वह प्रसन्न होंगे यदि रिपोर्ट कार्यान्वित कर दी जाती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो वह क्या करेंगे इस बारे में वह इस समय कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने निरुपाधि रूप से कहा है कि वह अति प्रसन्न होंगे यदि यह कार्यान्वित की जाती है। इसका अभिप्राय है कि वह माननीय सदस्य के कथन से सहमत हैं। फिर भी यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कि कार्यान्वित न होने की दशा में वह क्या कार्रवाई करेंगे, तो यह एक प्रकार से उलझन में डालने वाला है जिसका मैं यहां उल्लेख नहीं चाहूँगा।

श्री के० नारायण राव : राज्यपाल ने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आयोग की नियुक्ति की थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कानूनी तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री के० नारायण राव : हमें उसे भूलना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम एक कांग्रेसी सदस्य तो पूरक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ है।

श्री के० नारायण राव : उन्होंने यह कार्रवाई राज्यपाल और राज्य के प्रमुख के नाते भी की थी। उस विशेष परिस्थिति में उन्होंने अपने को वचनबद्ध कर लिया होगा। इस मध्य में वहां लोकप्रिय निर्वाचित सरकार स्थापित हो गई। अभी पिछले दिन हम राज्यपाल के स्वविवेक के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे। क्या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए मन्त्रीमण्डल के परामर्श की अवहेलना करे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सब परिकल्पनात्मक परिस्थितियां हैं। राज्य सरकार अभी भी इसका अध्ययन कर रही है। इसलिए अभी सरकार का राज्यपाल को परामर्श देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Shri B. N. Bhargave : Is it not a fact that the opposition party adopted an agitational approach discarding the constitutional metbods and for that the people were misguided and this happened.

श्री नाथ पाई : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई प्राधिकरण अथवा कोई व्यक्ति उन अभिवचनों तथा आश्वासनों के लिए उत्तरदायी है जोकि राष्ट्रपति शासन काल में दिये जाते हैं। यदि कोई ऐसा प्राधिकरण है तो वह कौनसा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अन्ततः यह राज्य प्रशासन ही है जिसकी ओर से सम्पूर्ण प्रशासन कार्य करता है। इस मामले में अन्ततः स्थानीय निर्वाचित निकाय अथवा विधान सभा ही प्राधिकरण है।

Shri Onkar Lal Berwa : Sukhadia Government revived the incident of Jalheanwala Bagh in the Johri Bazar of Jaipur. When the Governor gave an assurance to the justice, did he consult the Home Minister ?

Firing continued there for three hours. All the businessmen of Jauhri Bazar had left their shops All silver, gold and ornaments were looted by the congress leaders. I would like to know whether the Government would get the actions of these Ministers and congress leaders enquired into by the police and if they have done so. will they attach their properties.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० कन्डप्पन : मुझे इस बात पर हर्ष है कि गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्य को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए तथा मुझे इस बात पर भी प्रसन्नता है कि गृह मंत्री इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मुख्य न्यायाधिपति को दिये गये आश्वासनों का

सन्मान होना चाहिए । यहां विवाद का विषय यह है, कि केन्द्र तो ऐसा समझता है कि वचन राज्य सरकार द्वारा दिया गया है जबकि राज्य सरकार यह समझती है, जैसा कि श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने स्पष्ट किया है, कि वचन-बद्धता केन्द्र की है न कि उनकी । यह एक सांविधानिक संदिग्धता प्रतीत होती है कि क्या यह वचन-बद्धता केन्द्र की है अथवा राज्य की । इस वचन-बद्धता का पालन करने के लिए केन्द्र भी उद्यत है और राज्य भी....

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : कोई भी उद्यत नहीं है ।

श्री एस० कन्डप्पन : गृह मंत्री ने कहा है कि यह केन्द्र द्वारा किया गया था....

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने ऐसा नहीं कहा कि...

श्री एस० कन्डप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र द्वारा सांविधान का स्पष्टीकरण मांगा गया था ? इस वचन-बद्धता का उत्तरदायित्व सांविधानिक रूप से किस पर है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि मैं सांविधानिक स्थिति की व्याख्या करूं तो कहा जायेगा कि मैं इसका वैधानिक दृष्टिकोण ले रहा हूं । परन्तु अब निश्चय ही मुझे ऐसा करना होगा ।

इस मामले में वचन-बद्धता राज्य सरकार की है और इस वचन-बद्धता को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व विधान सभा पर है न कि केन्द्रीय सरकार पर । यह कोई ऐसा मामला नहीं जिस बारे में कोई निदेशन दिया जा सके ।

Shri Rabi Ray : Please permit discussion over this matter.

Shri Sashi Bhushan Vajpayee : I had given a notice under Rule 377 regarding the majority of the congress party in Madhya Pradesh. The new Chief Minister who has taken oath there is not calling the Assembly. I requested that this point may be allowed to be raised in the house.....

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं । अब एक भी अक्षर सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायगा ।

कुछ माननीय सदस्य : (* *)

**सभा की कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

न्यायालयों में मुकदमों का जमा होना

*485. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह द्वारा गत दिसम्बर में दिये गये कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि न्यायालयों की फाइलों में जमा हुए मुकदमें वर्तमान दर से बढ़ते रहे तो भारतीय न्यायिक ढांचे के पूर्णतः ठप हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का पूरा ब्यौरा क्या है और मुकदमों के जमा हो जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सरकार ने न्यायाधिपति श्री जे० सी० शाह का वह कथित वक्तव्य देखा है जो 15 दिसम्बर, 1968 को एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में छपा था ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 333/69]

इन्जीनियरों का बड़े पैमाने पर बहिर्गमन

*486. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंजीनियर बड़ी संख्या में भारत से विदेशों में चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किन-किन देशों को गये है ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा चलाई गई तकनीकी सहयोग परियोजनाओं में नियुक्त के बाद कितने इंजीनियर भारत से विदेशों में गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : देश के बाहर जाने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में सूचना उनके व्यवसाय अथवा शैक्षणिक श्रेणी के आधार पर एकत्रित नहीं की जाती । अतः यह बताना कि क्या बड़ी संख्या में इंजीनियर हाल में इस देश के बाहर चले गये हैं और वे किन-किन देशों की कितनी संख्या में गये हैं सम्भव नहीं है ।

गान्धी शताब्दी में मृत्यु दण्ड का न दिया जाना

*487. श्री रा० की० अमीन :
श्री ओंकार सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी वर्ष में मृत्यु दण्ड न देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है : और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान, तथापि "गांधी शताब्दी वर्ष" के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि न्यायालयों द्वारा दिये गये मृत्यु दण्डों के बारे में राष्ट्रपति उन सभी कैदियों के मामले में दया के अपने परमाधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनको 12 नवम्बर, 1968 को अथवा उससे पहले मृत्यु दण्ड दिये गये हैं, और प्रत्येक मामले में मृत्यु दण्ड को कम करके आजीवन कारावास में बदल देंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Fixation of quota in Central Services

*488. Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the candidates from Madras and Punjab are preferred in the Central Services on the ground of medium of instructions and the candidates from Uttar Pradesh are ignored due to their medium of instruction being Hindi ; and

(b) if so, whether Government propose to fix the quota in the Central Services on the basis of population with a view to provide equal opportunity to all the citizens of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : No, Sir.

Non Implementation of Central Directives

*489. Shri Kanwar Lal Gupta ;
Shri Bansh Narain Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Sharda Nand :
Shri Yashpal Singh :
Shri S C. Samanta :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Kerala did not fully implement a number of Central directives ;

(b) if so, the details of the directives which were not fully implemented by them ;

(c) whether it is also a fact that the said State Government had taken such steps mainly to maintain its entity ; and

(d) the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) There has been no occasion for the Central Government to issue any direction to the Government of Kerala either under Article 256 or Article 257.

(b) to (d) : Do not arise.

केरल में अराजकता

*490. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1968 और जनवरी, 1969 के महीनों में केरल राज्य में गैर-कानूनी कार्यवाहियों और अराजकता के बारे में औपचारिक तथा अनौपचारिकरूप से रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने और उस राज्य के लोगों को कष्ट में रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को उस राज्य के सार्वजनिक निकायों और व्यक्तियों से कोई रिपोर्ट हुई थी और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) दिसम्बर, 1968 और जनवरी, 1969 के महीनों में केरल कथित कुछ हिंसक कार्यवाहियों व अराजकता के बारे में सरकार को कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) विशिष्ट आरोपों वाले अभ्यावेदन कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को भेज दिये गये थे। इस पर कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

गृह-कार्य मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति

*491. **डा० सुशीला नैयर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि की गई है जिन्हें वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हो जाना था और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनके मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा-निवृत्त होने पर वर्ष 1968 में पुनर्नियुक्त किया गया और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके सेवा-काल में वृद्धि करने अथवा उन्हे पुनर्नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : एक अपेक्षित सूचना धारक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 334/69]

Hindi Stenographers' Examination

*492. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Union Public Service Commission propose to hold an examination for recruitment of Hindi Stenographers ;

(b) if so, the time by which the said examination is proposed to be held ;

(c) if not, the details regarding other facilities of employment proposed to be provided by Government for such young men of Hindi-speaking areas as are acquiring efficiency only in Hindi Stenography and do not know English Stenography ; and

(d) whether Government propose to form a separate service cadre for the Hindi Stenographers with a view to provide equal opportunities of employment to all young men in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : As the scheme is to train the existing personnel to do work in Hindi as well, it is not the intention to make any fresh recruitment of Hindi Stenographers. The Ministries/Departments were accordingly advised in March, 1968, that no ex-cadre posts of Hindi Stenographers, Hindi Stenotypists should be created thereafter, and that the requirements for Hindi work should be met from among the Grade II Stenographers and Clerks trained in Hindi Stenography/Hindi Typing.

Gramin Marg Samiti

*493. **Shri Ram Gopal Shalwale:** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the date on which Government received the report of the Gramin Marg Samiti ;

(b) the progress made in the Centrally administered areas so far ; and

(c) the progress being made in the various States in this direction ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) 24-4-68.

(b) and (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Incident at Indraprastha Bhavan, New Delhi on 19th September, 1968

*494. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the report of the Deputy Commissioner in regard to the details of the treatment actually meted out to the employees by the Police personnel who entered in Indraprastha Bhavan on the 19th September, 1968 has been considered ;

(b) if so, the details of the conclusions arrived at by Government ;

(c) whether Government have received the report of inquiry by Shri A. S. Rama Chandra Rao ;

d) if so, the main recommendations thereof and the reaction of Government thereto ; and

(e) the special measures proposed to be taken by Government to avoid recurrence of such incidents ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : Attention is invited to reply given to starred question No. 121 on November 15, 1968 and the position explained on behalf of Government in the course of a discussion on 18th December, 1968. Government have considered the report of the Deputy Commissioner and asked the Central Bureau of Investigation to investigate into the circumstances of the death of Shri Arjun Singh. Departmental action is also being taken against officers of the Central Reserve Police whose conduct has come in for adverse comment in the report of the Deputy Commissioner.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Government are taking all possible steps to train the police officers and the police forces suitably with a view to making the police force an effective instrument of service to the people.

जहाजों के निर्माण के लिये पश्चिम जर्मनी से ऋण

*495 **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी ने पश्चिम जर्मनी के जहाज निर्माण कारखानों में भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिये कुछ जहाजों के निर्माण के लिये वित्त प्रदान करने के हेतु 60 करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह व्यवस्था औसत ब्याज और अदायगी की अवधि की दृष्टि से भारत को लाभदायक रहेगी ;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी के इस प्रस्ताव से भारत को अपने नौवहन टनभार के विकास में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) भारतीय जहाजों से हमारे निर्यात की प्रतिशतता कितनी है और पश्चिम जर्मनी से प्राप्त होने वाले ऋण के उपयोग से यह कितनी बढ़ जायेगी ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1968-69 में पश्चिम जर्मनी ने जहाजों को खरीदने के लिए डी० एम० 92.4 मीलियन (27.325

करोड़ रु०) का कुल ऋण दिया है जिस में से डी एम 30 मीलियन अन्तर्शासनिय ऋण है और डी एम 62.4 मीलियन मैदान-कर्त्ता ऋण है ।

(ख) अन्तशासनिय ऋण भारत सरकार द्वारा 25 वर्षों में देनी है इसमें 7 वर्ष का प्रारम्भिक ग्रेस अवद्धि भी शामिल है और इस पर 3 प्रतिशत वार्षिक पड़ता है । प्रदानकर्त्ता ऋण के मामले में पुनर्भुगतान की औसत आवद्धि जहाजों की सुपुर्दगी के बाद 8 वर्ष है और ब्याज पर साढ़े पांच प्रतिशत वार्षिक है । मिलाकर रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने बताया है कि भारत में किन्हीं दूसरे पत्तनों की हालत की तरह कलकत्ता पत्तन की स्थिति समुद्र से बहुत दूर नदियों की बिगड़ती हालत में कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया था और सिफारिश की है कि पोर्ट कमिश्नर्स को इस सम्बन्ध में सहायता पाने का अधिकार है सारी समस्या पर और विचार करने के पश्चात भारत सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि कलकत्ता पोर्ट कमीश्नर्स को नन्दी खुदान और नदी की देखभाल पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान 1968-69 से 1971-72 तक चार वर्ष के लिये दे दिया जाये ।

(ख) इस आश्वासन को पूरा करने के लिए भारत सरकार को लगभग दो 2.60 करोड़ रुपया का अनुदान देना पड़ेगा ।

(ग) भारत सरकार के द्वारा अनुदान को दिये जाने पर भी पत्तन की आर्थिक दशा में चालू वर्ष में या अगले वर्ष में (1969-70) कोई वृद्धि की आशा नहीं दिखती । 1968-69 में संशोधित आर्थिक बजट में 1 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है और 1969-70 में 1.5 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

Students and Teachers in Aligarh Muslim University

*496. **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of students on rolls in the various Faculties in the Aligarh Muslim University at present and the total number of teachers in the University ;

(b) the respective number and percentage of the Hindu and Muslim students and teachers ;

(c) whether there are certain restrictions on the admission of non-Muslim students to certain Faculties and, if so, the details thereof ; and

(d) the reasons for these restrictions and the steps being taken to remove them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) and (b) : Number of Students and Teachers during the current academic year.

	Muslim		Hindu		Others		Total
	No	Percentage	No.	Percentage	No.	Percentage	
Students	4,385	65.0	2,273	33.7	84	1.3	6,742
Teachers	522	76.0	161	23.4	4	0.6	687

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

चौथी योजना में पर्यटन

*497. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय और योजना आयोग के बीच चौथी योजना में पर्यटन के लिए धन के नियतन के बारे में कोई मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के पृष्ठ 4 पर इस सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। साधनों के परिसीमित हो जाने के कारण पर्यटन सम्बन्धी परिव्यय का लक्ष्य अनन्तिम रूप से मूल प्राक्कलनों की अपेक्षा घटा कर कम कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

आन्ध्र प्रदेश में हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां

*498. श्री गाडलिंगन गौड : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों की कुल संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या उस राज्य में वर्तमान हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विस्तार करने तथा नये हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में 10 हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां (एयरस्ट्रिप्स) हैं जिनमें से आठ नागर विमानन विभाग के नियन्त्रण में है।

(ख) से (घ) : बेगमपत में 84 लाख रुपये की लागत से एक नये टर्मिनल कम्पलैक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे के मुख्य धावन-पथ को 33.38 लाख रुपये की लागत से मजबूत बनाने के कार्य की मंजूरी भी दी जा चुकी है। तिरुपति में एक नये हवाई अड्डे का निर्माण विभाग की चौथी योजना की स्कीमों में सम्मिलित कर लिया गया है। विजयवाड़ा में एक नये टर्मिनल कम्पलैक्स के निर्माण विषयक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

Reinstatement of Employees By Kerala Government

*499. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kerala Government have reinstated those Government employees who had been removed from service on account of anti-national activities ;

(b) if so, whether this policy of the Kerala Government is not against the policy of the Central Government and national interest ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : Facts are being ascertained from the State Government.

दिल्ली परिवहन की बसों में मार्ग संख्या का प्रदर्शन

*500. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की बहुत सी बसों में मार्ग संख्या स्पष्ट नहीं लिखी होती है अथवा उसे कभी-कभी खड़िया से लिख देते हैं। जिसे प्रतिक्षा करने वाले यात्री मुश्किल से ही देख पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की इन शिकायतों को दूर करने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह सच नहीं है कि दिल्ली परिवहन की बसों में मार्ग संख्याओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन नहीं किया जाता है। विशेष हालतों में यातायात निपटान और अधिकतम गाड़ियों और कर्मीदल के उपयोग के हित में जहां गाड़ियों को सामान्य मार्गों से विशाखन करना पड़ता है केवल वहां मार्ग संख्या और मंजिल को खड़िया से लिखी काली पट्टियों का प्रयोग करना पड़ता है।

(ख) उपक्रम उन संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करना है जो गंतव्य पट्टी का प्रदर्शन नहीं करते हैं।

पारादीप और हल्दिया पत्तन

*501 **श्री हेम बरुआ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हल्दिया पत्तन की खातिर पारादीप पत्तन की उपेक्षा के बारे में कड़े विरोध का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो किसी एक पत्तन की खातिर दूसरे पत्तन की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जनवरी 1969 में उड़ीसा में प्रेस के एक टुकड़ी ने किसी हलकों में व्यक्त, यह भय कि पारादीप पत्तन के विकास का हल्दिया के विकास के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, का उल्लेख किया। ऐसा भय का कोई आधार नहीं है। इन पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन की यातायात शक्ति और पश्च प्रदेश जिनकी ये सेवा करते हैं उनको दृष्टि में रखते हुए इन दो पत्तनों का विकास आयोजित किया रहा है।

चंदोद, गुजरात का विकास

*502. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में नर्मदा नदी पर एक प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल, चंदोद का विकास करने का है ;

(ख) गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन-कौन से स्थलों का छुट्टी बिताने के स्थलों के रूप में विकास किया जा सकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में नर्मदा नदी पर इन स्थलों का छुट्टी बिताने के केन्द्रों के रूप में निकास के लिये कार्यक्रम बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अत्यधिक परिसीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सरकार इन में से किसी भी स्थान का विकास करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) शुक्ल तीर्थ, कबीरवाड़, गोरा और माससार।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लक्कदीप समूह के लिये युगोस्लाविया से जहाज

*503. **श्री प० मु० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीप समूह में इस्तेमाल किये जाने के लिये युगोस्लाविया में बनाये जा रहे जहाजों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन जहाजों के कब तक दिये जाने तथा चालू किये जाने की सम्भावना है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : जलयान की कील 1 मार्च, 1968 को रखी गई। युगोस्लाविया में जलयान की सुपुर्दगी 31 दिसम्बर, 1969 तक आशा की जाती है। यह आशा की जाती है कि यह मार्च, 1970 तक सेजा में लगा दिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों का आरक्षण

*504. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मन्त्रालय के जुलाई, 1968 के ज्ञापन के कुछ उपबन्धों को समाप्त कर रही है जिनमें पदोन्नतियों के हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 12 तथा 5 प्रतिशत ऐसे स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है जो सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं भरे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्रेणी II, III तथा IV के भीतर अथवा इन श्रेणियों की सेवाओं। पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का तत्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता, विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई पदोन्नतियों में तथा श्रेणी III और IV के भीतर अथवा इन श्रेणियों की सेवाओं । पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का तत्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता, चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्तियों में क्रमशः साढ़े बारह प्रतिशत तथा पांच प्रतिशत आरक्षणों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने काफी सोच विचार के बाद आदेश जारी कर दिये हैं । सरकार की दृष्टि में अभी इन आदेशों में संशोधन करने के लिये कोई कारण नहीं हैं ।

पत्तनों का आधुनिकीकरण

*505. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पत्तनों के आधुनिकीकरण के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वहां बड़े बड़े जहाज आ जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब आरम्भ होने की संभावना है,

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संघ के एक विशेषज्ञ दल ने यह टिप्पणी की थी कि वर्तमान सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : बड़े जहाजों के आवागमन के लिये बहुत से पत्तनों पर सुविधाओं का पहले से ही विकास किया जा रहा है। इस आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये चौथी पंचवर्षीय योजना विकास कार्यक्रम जो विचाराधीन है को भी बना दिया गया है।

(ग) और (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बंदरगाह संघ के एक विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में सामान्य टिप्पणी की थी कि कुछ अपवादों के साथ वर्तमान पत्तन सुविधाओं का उनकी पूरी शक्ति तक प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन इस टिप्पणी की पुष्टि तथ्य से नहीं होती है क्योंकि हमारे देश में पश्चिमी देशों की अपेक्षा घाटों का सामान्य उपयोग अधिक है। इसके होते हुये भी सुधरे डुवावों, माल धराई के तरीकों रात्रि नौचालन सुविधाओं आदि से उपलब्ध सुविधाओं का और अधिकतम प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

पत्तनों पर मशीनों से माल उतारना तथा चढ़ाना और पृथक स्थानों की व्यवस्था

*506. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तनों पर मशीनों से माल उतारने तथा चढ़ाने के लिए व्यवस्था करने और अनाज, उर्वरक, के कलपुर्जे तथा दवाइयों जैसे भारी माल को एक साथ लादने-उतारने के लिए पृथक स्थानों की व्यवस्था करने के लिए भारत में पत्तन अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 335/65]

Exhibition by India International Centre, New Delhi

*507. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether an exhibition was arranged by the India International Centre, New Delhi, in which ancient books and maps were exhibited;

(b) whether the India International Centre had asked for ancient maps of Delhi from the National Library, Calcutta; and

(c) whether the National Library refused to supply these maps and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The India International Centre asked for a list of pre-1900 maps of Delhi City and photo-copies thereof.

(c) No, Sir.

भारतीय समाचार अभिकरणों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*508. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय समाचार अभिकरण अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से देश के हितों के विरुद्ध भारत में प्रचार कर रहे हैं : और

(ख) यदि हां तो, उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और बाद में प्रस्तुत किये जाएंगे

New Engineering Colleges and Polytechnics during the Fourth Plan

*509. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of new Engineering Colleges and Polytechnics proposed to be opened in the country during the Fourth Five-Year Plan period; and

(b) the steps proposed to be taken to reform the system of education in the Fourth Five-Year Plan period with a view to solve the problems of unemployment in the country?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R.V. Rao) : (a) No new engineering college or polytechnic is proposed to be started under the Fourth Five-Year Plan of the Central Government and State Governments.

(b) The present unemployment among engineers and technicians is mainly because of recession in industry and postponement of Plan projects. The position is expected to improve during the Fourth Plan period.

To improve the standard and quality of tecnical education, polytechnic diploma courses are proposed to be diversified and functionally oriented to the training of technicians required by industry. Schemes for curriculum development, preparation of instructional materials, pre-service and in-service training of technical teachers, faculty development, practical training in industry are all included in the Fourth Plan.

उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन

*510. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री महंत दिग्विजयनाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के विभाजन का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस विषय में कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) इस प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के कुछ क्षेत्रों को पृथक कर एक नये राज्य बनाए जाएं । अतीत में विचार किया गया था तथा समस्त विवाद को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को अधिनिमित करके तय किया गया है। सरकार का इस विवाद को पुनः चालू करने का कोई विचार नहीं है ।

अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक महासंघ

3014. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक महासंघ की मांगों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में वेतन देने की गारन्टी, उनके तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के महंगाई भत्ते में समानता तथा वेतनक्रमों में समानता की जो उनकी मांगें हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। इस विषय पर फेडरेशन के महासचिव से एक पत्र 9 मार्च को प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) : इन मामलों का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है, जिनके साथ इस विषय को उठाना फेडरेशन के लिए अधिक व्यावहारिक हो सकता है ।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

3015. **श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चन्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार लाने के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुँची है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 को अब संशोधित कर दिया गया है ताकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ड्यूटी पर यात्रा करते समय एक स्टेण्डर्ड गैज सेलून में ले भी यात्रा कर सकें तथा बिना खर्चे किए एक रिश्तेदार को अपने साथ सैलून में ले जा सके ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनके द्वारा अर्जित छुट्टियां, कुछ शर्तों के अधीन, आधे भत्तों पर छुट्टी

के रूप में अधिक से अधिक चार महीने की अवधि के लिए आगे ले जाने की स्वीकृति देने का भी निर्णय किया गया है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 25 नवम्बर, 1968 को लोक-सभा में पुर: स्थापित किया गया था जिस पर विचार किया जाना है।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि सेवा-निवृत्ति होने पर एक न्यायाधीश तथा उसके परिवार के सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने निवास स्थान को जाने के हेतु यात्रा-भत्ता के लिये तथा एक निश्चित हद तक सरकारी खर्चे से अपना सामान ले जाने के लिए हकदार हो सकें।

कुछ अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

गुजरात में पर्यटक केन्द्र

3016. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से पर्यटक केन्द्र हैं;

(ख) इन स्थानों में पर्यटक को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं और पर्यटकों की रुचि के अन्य स्थानों पर किन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1968-69 में और चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों की सूची नीचे दी गयी है :-

(1) बड़ौदा
(2) अहमदाबाद
(3) राजकोट
(4) जामनगर
(5) द्वारका
(6) पोरबन्दर
(7) गीर फोरेस्ट
(8) भावनगर
(9) पालिताना
(10) जूनागढ़
(11) सोमनाथ

(ख) गुजरात के पर्यटक केन्द्र केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी सहायता से दी गयी सुविधाओं के ब्यौरे सहित नीचे दिये गये हैं :-

(1) लोथल में जल-व्यवस्था, पहुंचमार्ग और कैंटीन व रिटायरिंग रूम।

(2) सस्सनगीर स्थित विश्राम-गृह (रैस्ट हाउस) में सुधार।

(3) केशोद हवाई अड्डा और सस्सनगीर के बीच परिवहन सुविधाएं ।

(4) पोरबन्दर में निम्न आय वर्ग का विश्राम गृह ।

(5) चोरवाड़ में अवकाश गृह (हालीडे होम) ।

(6) नलसरोवर में कैफेटीरिया ।

(ग) 1968–69 के दौरान साबरमती आश्रम में एक अतिथि–गृह (गैस्ट हाउस) का निर्माण आरम्भ किया गया है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान साबरमती में एक ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन सहित अहमदाबाद कॉम्पलैक्स में सुविधायें प्रदान करने का अन्तिम प्रस्ताव है ।

एयर इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा में शुल्कों का दिया जाना

3017. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया उतरने के तकनीकी तथा अन्य शुल्क उस देश की मुद्रा में देती है जिसमें ये शुल्क लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया ने पिछले वर्ष देश-वार तथा शुल्क–वार इन शुल्कों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी विदेशी विमान कम्पनियां उतरने के तकनीकी तथा अन्य शुल्क हमें रुपयों में देती हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष प्रत्येक विदेशी कम्पनियां द्वारा प्रत्येक शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) इन शुल्कों के विदेशी मुद्रा में भुगतान पर जोर न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । एयर इंडिया द्वारा संबंधित देश में सभी अवतरण एवं तकनीकी फीसों का भुगतान उस देश में हुई उनकी आय में से किया जाता है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1967–68 के दौरान एयर इंडिया द्वारा भुगतान की गयी राशि को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 336/69]

(ग) जी, हां । सभी विदेशी एयरलाइनें नागर विमानन विभाग को अवतरण, तकनीकी तथा अन्य प्रभारों का रुपयों में भुगतान करती हैं ।

(घ) 1968 में उनके द्वारा भुगतान की गयी राशि को बताने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'ख') ।

(ङ) ऐसे प्रभार भारत में लगाये जाते हैं, इसलिए उनका रुपयों में भुगतान किया जाता है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा ढोया गया माल

3018. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितना माल ढोया गया उसका भार कितना था तथा रुपयों में उसका मूल्य कितना था ;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितने यात्रियों को लाया ले जाया गया और प्रतिवर्ष किराये के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कर्मचारियों को कुल तथा विमान-चालकों, इन्जीनियरों, व्योम बालाओं तथा अन्य छः मुख्य वर्गों के कर्मचारियों को अलग-अलग कितना वेतन दिया गया ;

(घ) गत तीन वर्षों में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा इस अवधि में वर्ष-वार कितना लाभ अथवा हानि हुई है;

(ङ) क्या कार्य संचालन दक्षता द्वारा वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये समुचित प्रयत्न किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो सुधार की योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 337/69]

(ङ) और (च) : निगम के कार्यचालन का निरन्तर पुनरालोकन किया जाता है, तथा व्यय में बचत करने, क्रिया-विधियों को सुव्यवस्थित करने तथा परिचालन की दक्षता को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपायों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाते हैं । विमान बेड़े के आधुनिकीकरण तथा अभिवृद्धि के लिये कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी गयी है । विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की कार्य-दक्षता को उन्नत करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ।

Tourist Lodges in Maharashtra

3019. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the location of 'Tourist Lodges' constructed in Maharashtra by the Central Government and State Government individually or jointly ;

(b) the amount spent on the construction of each such lodge ; and

(c) the amount expected to be spent by a tourist for one day's stay in the lodge ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) to (c) : A statement is laid on the table of the House [Placed in Library. See No. LT- 338/69]

Home Guards in Maharashtra

3020. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the present strength of the Home Guards In Maharashtra and whether the Maharashtra Government propose to augment it ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : As on the 28th February, 1969, there were 28,636 Urban and 29,999 Rural Home Guards in Maharashtra against the State Government's target of 30,000 Urban and 30,000 Rural Home Guards. The State Government have not proposed any increase in this target.

National Highways in Madhya Pradesh

3021. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the amount allocated for the construction of national highways in Madhya Pradesh in 1968-69 has been spent fully ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether some amount had been allocated for the development of State highways and roads of economic importance in the rural areas and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : As the financial year 1968-69 is not yet over, it is premature to give the requisite information ;

(c) Presumably the information is required in respect of allocations to the Government of Madhya Pradesh during 1968-69 for State Roads of Inter-State or Economic Importance and Rural Roads for which Grants-in-aid are given by the Government of India. No payment is likely to be made to the State Government during 1968-69 towards the Central Share of expenditure on State Roads of Inter-State or Economic Importance as the amount of Rs. 37.82 lakhs required by them is covered by the funds already made available to them. A sum of Rs. 38.82 lakhs is also provided as the Central Share of expenditure for construction of rural roads during 1967-68 and 1968-69.

Preparation of District Gazetteers

3022. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether a decision was taken in 1955 in regard to preparation of Gazetteers for all the Districts of India and their publication within a period of ten years ;

(b) if so, whether the Gazetteer for East Nimar District of Madhya Pradesh has since been prepared and published ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) : The Government of India decided in 1955 to revise the Imperial and District Gazetteers but the work was actually taken up only in 1958, when the Central Gazetteers Unit was set up. It was, however, decided to defer the publication of the Gazetteers till the 1961 Census figures were available.

(b) and (c): The draft of East Nimar District Gazetteer was prepared by the State Government and approved by the Centre for publication in December 1966. According to the information with us, the State Government has sent it to the press and it is likely to be published soon.

I. A. S. Officers of Madhya Pradesh Cadre

3023. **Shri G. C Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officers of the Madhya Pradesh cadre are working under the Central Government as I. A. S. Officers ;

(b) the manner in which they are selected for these appointments ; and

(c) whether these selections are made on the recommendations of the State Government or in consultation with them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) : Yes, Sir.

(b) and (c) : Appointments of IAS officers to posts under the Central Government are made, having regard to their suitability and seniority, from among names suggested by State Government for deputation to the Centre

Freedom Fighters in Madhya Pradesh

3024. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that freedom fighters in Madhya Pradesh are facing serious financial difficulties ;

(b) if so, the arrangements made by Government for their livelihood ;

(c) whether the number of such persons in Madhya Pradesh has been ascertained ; and

(d) if so, the number thereof and the number out of them being given assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : Government are aware that some freedom fighters are facing financial difficulties. The State Government render assistance to them in the form of pensions, cash grants, land grants, rehabilitation loans etc In individual cases of hardship, assistance is also given in the form of non-recurring cash grants out of the Home Minister's Discretionary Grant.

(c) The number of such persons in Madhya Pradesh is not known.

(d) Information about those receiving assistance from the State Government is being collected. So far 123 persons have been given assistance from the Home Minister's Discretionary Grant.

New Districts in Madhya Pradesh

3025. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of the Madhya Pradesh Cabinet are trying for the creation of new Districts by reorganising the Districts of Chhatisgarh areas ;

(b) whether it is also a fact that it is likely to have an adverse effect on the tribals of that area ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Minister (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : Facts are being ascertained from the State Government.

नई दिल्ली में शरणार्थियों, सेवानिवृत्त सैनिकों तथा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को परेशान किया जाना

3026. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शरणार्थी, सेवा निवृत्त सैनिक तथा आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारी गत 22 वर्षों से दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त की अनुमति से मैसर्स सोभा सिंह एण्ड सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली के परिसर में गैरजों तथा अन्य खुले स्थानों पर किरायेदारों, कब्जेदारों के रूप में मोटर गाड़ियों की मरम्मत तथा सर्विस के कार्य करके अपनी जीविका कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब उनको नई दिल्ली नगरपालिका तथा पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है ; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) : उक्त परिसर में कई कारखाने हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि संबंधित व्यक्ति शरणार्थी/सेवा निवृत्त सैनिक/आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारी हैं तथा/अथवा उन्हें दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई थी।

(ख) किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। इनमें से कुछ व्यक्तियों पर गंदगी फैलाने तथा बिना किसी लाइसेन्स के कारखाने चलाने के लिए पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 156 और 121 के अधीन मुकदमें चलाए गये हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। मामले की परीक्षा की जा रही है।

कांडला पत्तन न्यास तथा कांडला पत्तन के प्लाट होल्डरों में विवाद

3027. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा०की० अमीन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास तथा कांडला पत्तन के प्लाट होल्डरों के बीच प्लाटों के मूल्य के भुगतान के बारे में कोई विवाद है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) : प्लाटों के लिए चुकाये जाने वाले प्रदायों के बाबत कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि प्लाट पट्टे पर हैं। तथापि वर्गीकृत पिनालटी के भुगतान के बारे में अभ्यावेदन पत्तन ट्रस्ट को मिले हैं। यह व्यवस्था पट्टे में है कि बकायों को 2 महीने से 2 वर्ष तक की देर करके चुकाने में 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक पिनालटी होगी। कांडला पत्तन ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है और पट्टा करार में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जो परीक्षाधीन हैं। इस बीच पत्तन ट्रस्ट बोर्ड ने पिनालटी प्रभारों में 10 प्रतिशत छूट दी है यदि प्रदायों का बकाया 31 दिसम्बर, 1968 तक दिये जायें। बाद को बोर्ड ने इस सुविधा को 28 फरवरी, 1969 तक बढ़ा दिया था।

नौवहन के नये तरीके का आविष्कार

3028. **श्री अदिचन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम ने बुलबास वो नाम से नौवहन के एक नये तरीके का आविष्कार हाल ही में किया है, जिस नौवहन निगम की विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी, जो प्रत्येक नाविक पर नये जुगत का प्रयोग करने के परिणाम-स्वरूप होगी ;

(ख) यदि हां, तो इस नये तरीके की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) निगम तथा समूचे देश को इसके द्वारा विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत कितनी होगी ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) बलबोस-वो जलरेखा के तने पर एक उभार है। भारत के नौवहन निगम द्वारा दिये गये रेखा चित्र के अनुसार बलबोसा वो हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने उसके "विश्व भक्ति" नामक जहाज में लगाने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने पूर्व विरचित किया है।

(ख) नौवहन निगम भारत निर्मित जहाज में बलबोस-वो लगाने वाली पहली नौवहन कंपनी है। बलबोस-वो का भार लगभग 10 टन है। नमूने के तौर पर किये गये परीक्षण के परिणामों के अनुसार बलबोस-वो से एक ही गति पर 13 प्रतिशत तक शक्ति की बचत अथवा वैकल्पिक तौर पर उसी शक्ति से गति में 0.65 नौट की वृद्धि होने की संभावना है। वह जहाज की उत्प्लावकता में भी वृद्धि करता है जिससे जहाज के कुल भार में लगभग 80 टन की वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) जहाज में इस युक्ति की व्यवस्था करने से लगभग 80000 रू० की वार्षिक बचत होने की संभावना है। बचत में विदेशी मुद्रा का घटक कितना होगा यह इस युक्ति से लैस जहाज जिस क्षेत्र में काम पर लगाया जाएगा उस पर निर्भर करता है।

Sales Tax on Betel Leaves in Delhi

3029. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Delhi the Sales Tax is charged on betel leaves if their sale exceeds Rs. 30,000 a year ;

(b) if so, whether Government have received representations in which it has been demanded that betel leaves should be totally exempted from the Sales Tax ;

(c) if so, when these representations were received and the action taken by Government thereon : and

(d) whether it is a fact that the Rajasthan High Court has given a decision that the Sales Tax cannot be charged on the betel leaves ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (c): Betel leaf is exempt from sales tax levy since 1st April 19.8 but 'prepared pan' is not exempted, Representations had been received by the Delhi Administration in December 1966 and early part of 1967 from dealers in 'prepared pan' seeking exemption of this community from sales tax. The matter was examined and it was decided that in respect of dealers in pan (other than betel leaf) the taxable turnover shall be raised from Rs. 10,000 to Rs. 30,000. Orders to this effect were issued on the 14th June, 1968 by the Delhi Administration. The Delhi Administration has also been advised to take up the question of complete exemption of 'prepared pan' before the Regional Council of Sales Tax for the Northern Zone.

(d) Yes, Sir.

विश्वविद्यालय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था

3030. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री जि० ब० सिंह : **श्री हेम राज :**
श्री शारदानन्द :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने हाल ही में एक संकल्प पास किया है कि विश्वविद्यालय क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राज्य सरकारों का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी अन्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (ग) : 3 और 4 जनवरी, 1969 को लखनऊ में हुए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 339/69**] ये सिफारिशें मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार । उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं । किन्तु "वित्तीय मामलों"

के अन्तर्गत सिफारिश संख्या I के संबध में एक बैठक हो चुकी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार आयोग द्वारा स्वीकृत राज्यों के विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं के लिए अनुदानों की अदायगी के आधार के बारे में, सहमत हो गई है। "विश्वविद्यालयों में कानून और व्यवस्था समस्या" के अन्तर्गत सिफारिश संख्या 4 की अलग से जांच की जा रही है।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अधिकृत विमान भाड़े में कटौती

3031. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हेम राज :
श्री गाडिलिगन गौड :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में यह शंका व्यक्त की गई है कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियों ने कुछ मार्गों पर और विशेषकर उन मार्गों पर जिन पर कि उत्प्रवासी यातायात अधिक है, अधिकृत किराये भाड़ों में कमी की है, जिसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया का यातायात कम हो गया है और इससे विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो किराये भाड़े में कितनी कमी की गई है और उसके परिणामस्वरूप वर्ष 1968 में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वित्त मत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय से वैस्ट एशियन एयरलाइन्स पर उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित गलत काम की शका के आधार पर छापा मारा था ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) इस प्रकार के गलत काम को रोकने के लिए यदि कोई स्थायी उपाय किये गये हैं या करने का विचार है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि कई हवाई कम्पनियां कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर, विशेषतया भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच उत्प्रवासी (इमाइग्रेंट) यातायात के सम्बन्ध में निर्धारित हवाई किरायों की अपेक्षा कम किराये लेती रही है। इसके कारण एयर इंडिया से यातायात बिठुर जाता है, तथा उसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया की आय में कमी तथा देश को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

(ख) इस प्रकार के कुत्सित आचार की सही-सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, जब तक कि विशिष्ट मामलों को साबित न कर दिया जाय। इसलिए इस कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) जी, हां। 16 अप्रैल, 1968 को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली तथा बंबई में कुछ विदेशी हवाई कम्पनियों तथा साथ ही उनके ट्रैवल एजेंटों के कार्यालयों की छानबीन की।

(घ) छानबीन के परिणामस्वरूप, कुछ अभिशसी (इनक्रिमिनेटिंग) कागजात बरामद किये गये जिनके आधार पर जांच का कार्य जारी है ।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं :–

(i) अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के पास एक प्रवर्तक अभिकरण (एन-फोर्समेंट एजेंसी) है जो इस प्रकार के अनाचारों पर निगरानी रखती है, तथा जहां सबूत मिलता है, वहां अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करती है ।

(ii) जहां इस प्रकार के अनाचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विरुद्ध अपराध के दोषी होते हैं वहां प्रवर्तन निदेशालय विरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करता है ।

(iii) क्योंकि यह अनावश्यक अधिकतया उत्प्रवासी यातायात के संबध में चल रहा है, इसलिये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच उत्प्रवासियों के लिए एक रियायती किराये की व्यवस्था की गई है । केवल इन दो देशों के राष्ट्रीय वाहकों, अथात् एयर इंडिया और ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन, को ही इन घटाए हुए किरायों को लेने का अधिकार है । इसका प्रभाव यह होता है कि उत्प्रवासी यातायात इन दो हवाई कम्पनियों की ओर आकर्षित होता है, और इस प्रकार विदेशी मुद्रा में हानि का निरोध होता है ।

Creation of new Posts of Hindi Translator/Stenographers in various Ministries

3032. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some posts of Hindi Translators, Hindi Stenographers and Hindi Typists have been created in various Ministries keeping in view the increasing work-load of Hindi ;

(b) if so, the number of posts, category-wise, out of them proposed to be reserved for the Scheduled Castes and the names of Ministries where these would be reserved ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Instructions have been issued on 23rd March, 1968 that no recruitment of Hindi Stenographers and Hindi Typists should be made and the requirements for Hindi work may be met from Stenographers and Clerks of regular Services who know Hindi Stenography/Hindi Typing. Instructions have also been issued on 28.11.1968 that no recruitment of Hindi Assistants should be made and that in their place Hindi Translators may be appointed according to the requirement of each office. In such appointments the general principles regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes will apply. Ministry-wise information is not available.

Hindi Stenographers' Training to Lower Division Clerks.

3033. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri J. B. Singh : **Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Lower Division Clerks who have completed the Hindi Stenographers' training successfully from the Central Secretariat Training School so far ;

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them ;

(c) whether all those candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are trained and have passed the examination, have been promoted to the post of Stenographer ;

(d) if not, the time by which it is proposed to promote them ;

(e) the names of the Ministries in which the posts of Stenographers are reserved ;

(f) the time by which the posts of Stenographer would be reserved in the Ministries where these posts are not reserved ; and

(g) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : Forty-two Lower Division Clerks have so far successfully completed the Hindi Shorthand Course from the Central Secretariat Training School. According to the information available, four of them belong to Scheduled Caste

(c) and (d): It is not the purpose of this training that after passing the prescribed examination these persons will be appointed as Stenographers. Therefore, the question of the time within which all such persons will be appointed as Stenographers does not arise.

(e), (f) and (g) : Reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates in the grade of Stenographers is made, in accordance with the general orders in this regard, at the time of direct recruitment on the results of the U. P. S. C. examinations.

Appointment of Harijans in Ministry of Tourism and Civil Aviation

3034 **Shri R. K. Amin :**
Shri D. R. Parmar.

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Harijans are completely neglected by his Ministry in the matter of appointment of candidates to the various posts in the Ministry ; and

(b) if so, the directions issued by him in this regard.

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)(a) and (b): Government, in the Ministry of Home Affairs, have issued instructions for reservation of vacancies for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in the various posts under the Govt. of India. So far as this Ministry is concerned, these instructions are being duly observed.

गुजरात में रासायनिक और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्था

3035. **श्री रा० की० अमीन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में तकनीशनों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रथक रासायनिक और औद्योगिक प्रौद्योगिकी सस्था स्थापित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात राज्य की आयोजना में रासायनिक इंजीनियरी तथा रासायनिक टेकनालौजी की संस्थाएं स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था शामिल नहीं है ।

फिर भी धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए दान से नड़ियाद में एक नयी रासायनिक इंजीनियरी संस्था स्थापित की गयी है । अहमदाबाद में रासायनिक टैकनालौजी की संस्था स्थापित करने के लिए दूसरी पजीकृत सोसायटी बनाई गई है । तकनीकी जनशक्ति, विशेषतः रासायनिक उद्योग, की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जा रहा है । निर्धारित मांग पर निर्भर, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं को व्यापक बनाने के प्रश्न की सरकार जांच करगी ।

जिला वकील संघ, चंडीगढ़ की मांगें

3036. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के जिला न्यायालयों में कोई वकील कक्ष (बार रूम) नहीं है ;

(ख) क्या न्यायालय के पांच मंजिले भवन में कोई लिफ्ट नहीं है ।

(ग) क्या जिला वकील संघ ने इन मांगों के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जिला न्यायालयों में वकील कक्षक की व्यवस्था की गई थी । तथापि वकीलों द्वारा इसे प्रयोग में नहीं लाया गया और तब इसे न्यायालय कक्ष में बदल दिया गया ।

(ख) भवन केवल तीन मंजिला है और इसमें कोई लिफ्ट नहीं है ।

(ग) और (घ) : जी हां । चण्डीगढ़ प्रशासन इन मांगों की जांच कर रहा है ।

राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास

3037. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) किन-किन सुप्रसिद्ध इतिहासकारों को यह कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) उन्होंने अब तक कौन-कौन सी कृतियां प्रकाशित की हैं और किन-किन कृतियों का काम पूरा किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास लिखने पर छपाई के व्यय को सम्मिलित करके कुल मिलाकर अब तक ग्यारह लाख रुपये की राशि खर्च आई है, जिसमें से 67,000 रुपये विक्रय-आय के रूप में वसूल हो गए हैं ।

(ख) यह कार्य डा० तारा चन्द को सौंपा गया है । इस कार्य में इनको परामर्श देने के लिए निम्नलिखित इतिहासकारों की एक समिति स्थापित करदी गई है :

1. प्रो० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री ।
2. प्रो० मुहम्मद हबीब ।
3. प्रो० के० के० दत्त ।
4. डा० बिशेश्वर प्रसाद ।
5. डा० एन० आर० राय ।

(ग) इतिहास के खण्ड 1 तथा खण्ड 2 प्रकाशित हो गये हैं तथा तीसरा और अन्तिम खण्ड अभी निर्माणाधीन है ।

चंडीगढ़ में नेहरू और शास्त्री बाजारों में दुकानों का आवंटन

3038. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू और शास्त्री बाजार में जिन लोगों को दुकानों के भू-भाग दिये गये हैं, उनसे चण्डीगढ़ प्रशासन किराया वसूल नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बाजारों में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, बिक्रीकर अधिनियम तथा अन्य अधिनियम लागू नहीं किये जा रहे हैं ।

(ग) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन बाजारों में भू-भागों के नियतन के लिये कुछ अधिकारियों ने रिश्वत ली है ;

(घ) क्या इन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) उपरोक्त बाजारों में भू-भागों के नियतन के लिए क्या कसौटी अपनाई गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इन बाजारों के अधिभोक्ताओं से कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जी हां । किन्तु आरोप सिद्ध नहीं किये जा सके ।

(ङ) इन बाजारों में कई नियमित आवंटन नहीं किये गये हैं । दुकानदारों ने स्थानों पर कब्जा कर रखा है और उन पर बिना अनुमति के अस्थाई इमारतें बना रखी हैं ।

पंजाब में नक्सलवादी आन्दोलन

3039. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में हुए हाल के छात्र आन्दोलन में गिरफ्तार किये गये कुछ छात्रों ने पुलिस को बताया है कि पंजाब में नक्सलवादियों की कई शाखायें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और बहुत से छात्र उनमें सम्मिलित हो गये हैं ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये छात्रों के पास से कुछ आपत्तिजनक इश्तहार और प्रचार सामग्री मिली है ;

(ग) क्या छात्रों ने ऐसे लोगों के नाम भी बताये हैं, जो गुप्त रूप से आन्दोलन में सक्रिय भाग ले रहे हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त बातों की पुष्टि की है ;

(ङ) क्या सरकार ने अपने साधनों के माध्यम से इन बातों की सत्यता का पता लगाया है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (च) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब में हुए हाल के छात्र आन्दोलन में गिरफ्तार किये हुए जो छात्रों के पास कुछ माओवादी साहित्य तथा कुछ अन्य सामग्री मिली। पूछ-ताछ में उन्होंने कुछ उग्रवादी छात्र नेताओं की कुछ गतिविधियों के बारे में बताया । हिंसा की विशिष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में मामले चलाये गये हैं तथा जांच की जा रही है ।

बिहार में देहाती क्षेत्रों में सड़कें

3040. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन केन्द्रीय नौवहन तथा परिवहन मंत्री ने बिहार के लोगों के समक्ष भाषण करते हुये बिहार राज्य के देहाती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में कुछ आशाजनक संकेत दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)

(क) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

Memorandum against Father Ferrer

3041. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a Memorandum, the Boycott Ferrer Committee had alleged that Father Ferrer spent Rs. 76 lakhs worth of foreign exchange in Maharashtra, converted 30,000 persons to Christianity and had collected 284 kilos of Dynamite ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Bhagavati Committee Report on Inland Water Transport system

3042. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the report of the Bhagavati Committee on Inland Water Transport system has been received, and

(b) if so, the main recommendations made by the Committee and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : The Committee has not yet completed its work. Its report is awaited.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

3043. श्री चेंगलराया नायडू : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित एयर लाइन्स के कार्यालय के निकट 8 जनवरी, 1969 को एक विदेशी दम्पति से नकदी छीन ली गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 24 अक्टूबर, 1968 को चार सशस्त्र व्यक्ति तपेदिक अस्पताल की कर्मचारी कालोनी में एक मकान में घुसकर सोने के आभूषण तथा नकदी लूटकर ले गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 6 जनवरी, 1969 को जनपथ में एक विदेशी दम्पति से नकदी छीन ली गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 23।24 दिसम्बर, 1968 के बीच की रात को महरौली स्थित तपेदिक अस्पताल की कर्मचारी कालोनी में एक मकान में चार सशस्त्र व्यक्ति घुसे और सोने के आभूषण तथा नकदी लूट कर ले गये। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) दिल्ली में अपराध की स्थिति का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक निरोधात्मक तथा अन्य उपाय किये जाते हैं। ज्ञात दुश्चरित्रों पर निगाह रखी जाती है तथा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी जाती है।

शिक्षा मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति संबंधी समिति

3044. **श्री स० च० सामन्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) उनके मंत्रालय के तकनीकी विभाग में राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति संबंधी समिति की बैठक कब से नहीं हुई है तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस समिति की बैठक कितने अन्तराल के बाद होनी चाहिए ;

(ग) इस समिति की बैठक न होने के कारण कितने राजपत्रित अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा हानि पहुँची है ; और

(घ) विभागीय पदोन्नतियों को यथासमय नियमित करने के लिये समिति को सक्रिय बनाने अथवा कोई अन्य व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) विभागीय पदोन्नति समिति (प्रवर) की पिछली बैठक 28-11-1968 को और विभागीय पदोन्नति समिति (अवर) की बैठक 11-9-1962 को हुई थी। विभागीय पदोन्नति समिति (अवर) की उसके बाद बैठक न बुलाने का कारण यह है कि सहायक शिक्षा अधिकारी (टी०) के पद के लिए भर्ती-नियमों में संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) गृह मंत्रालय के हाल ही के अनुदेशों के अनुसार, चुने हुए व्यक्तियों की सूची, प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए वैध होगी, एक वर्ष और छः महीने व्यतीत हो जाने पर अथवा एक नई सूची के तैयार होने पर, जो भी पहले हो, चुने हुए व्यक्तियों की सूची लागू नहीं रहेगी। इस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार होनी चाहिए।

(ग) एक।

(घ) प्रशासनिक कारणवश, विभागीय पदोन्नति समितिगों की बैठक जितने समय में होनी चाहिए थी, नहीं हो सकीं । तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही हैं कि विभागीय हदोन्नति समिति की बैठकें लगभग एक वर्ष के नियमित अन्तर पर हों ।

Commission for Scientific and Technical Terminology

3045. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi
Shri Suraj Bhan :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Bajpayee :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred so far in connection with the Commission for Scientific and Technical Terminology, the names of the books published by it and their sale proceeds; and

(b) the types of publications proposed to be brought out by the Commission in future ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Presumably, the hon'ble members are referring to the expenditure incurred by the Commission for its publication. On that basis, a statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-340/69].**

(b) The Commission has plans to publish glossaries in some subjects, pefinitional dictionaries, translation work of classics etc. which our Universities may not be in a position to undertake for the present. But no final decision on the future programme has yet been taken, as it is still under consideration.

विमान-किराये तथा माल भाड़े की दरों में संशोधन

3046. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का विचार विमान-किराये माल भाड़े की दरों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : आई० ए० टी० ए० नियमों के अधीन, एयर इंडिया के अभिवृद्धि विषयक किरायों को छोड़ कर फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्र

3047. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशों में देशवार इस समय हैं तथा वे किन विषयों में विशेषता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो उतनी अवधि से अधिक विदेशों में रह रहे हैं जितनी अवधि की उनको अनुमति दी गई थी; और

(ग) उनके वहां पर अधिक ठहरने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विदेशों में भारतीय छात्रों का, देशवार तथा विषयवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०341/69]

(ख) और (ग) : सूचना उपलब्ध नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक

3048. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में आन्ध्र प्रदेश राज्य में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन बस गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने पाकिस्तानियों ने अपने आवास की व्यवस्था बढ़ा दी है;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति पाकिस्तान लौट गये हैं; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को नोटिस दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या जो 1964 से 1968 तक 5 वर्षों के समय में आन्ध्र प्रदेश आये थे, 6,402 थी। उनमें से 5 को बसने की सुविधायें दी गई हैं, 254 के ठहरने की अवधि में वृद्धि की गई, 5994 पाकिस्तान वापस चले गये तथा 43 को चले जाने के नोटिस दिये गये। 43 व्यक्तियों में से जिनको चले जाने के नोटिस दिये गये थे, 9 इन नोटिसों को दिये जाने पर पाकिस्तान वापस चले गये, 33 को देश से निकाला गया तथा शेष 1 ने लेख याचिका दायर की है जो उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी है।

शिक्षा विभाग में अनियमितताएं

3049. **श्री ओंकार लाल बेरवा।**
श्री नि० रं० लास्कर ;
श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा विभागों में की जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मन्त्रियों तथा अधिकारियों को निदेश दिये हैं कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न चयन समितियों के अध्यक्ष न बने;

(ग) इस आदेश के अन्तर्गत आने वाली चयन समितियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न समितियों का पुनर्गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस से अनियमितताएं समाप्त करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। यह देखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके शिक्षा विभागों में अनियमितातएं न हों।

(ख) जी हां। निदेश दिया गया है कि मंत्रालय के मंत्री और अधिकारीगण चयन समितियों के अध्यक्ष न बनें।

(ग) मंत्रालय द्वारा गठित चयन समितियां, जो मुख्यतः छात्रवृत्तियां प्रदान करने से संबंधित हों।

(घ) इन चयन समितियों का गठन विशिष्ठ चयनों के लिए किया जाता है और ऐसा करते समय निदेश को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) आशा है कि इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे।

Banning of Agitation/Demands for Independent Territory

3050. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand or agitation for creating an independent State by separating any territory within the country has been held as illegal and cognizable offence; and

(b) if so, the reasons for which the revolt by Nagas and Mizos and the Plebiscite Front agitation in Kashmir have not been declared by Government as illegal so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) : Taking part in unlawful activities, as defined in section 2 (f) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, is a cognizable offence under the said Act;

(b) : The Mizo National Front has already been declared an unlawful association under section 3 of the said Act. Developments in Nagaland and Kashmir are constantly under watch and such action under law as may be necessary will be taken at the appropriate time.

साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ

3051. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह कार्य मंत्री** "भारत में साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ" के बारे में 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से इस बीच तथ्य मालूम कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जनता की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार "पाकिस्तान जिन्दाबाद" जैसे नारों का लगाया जाना या पाकिस्तानी झण्डों का जलूस निकाला जाना देश में साम्प्रदायिक घटनाओं के लक्षण नहीं है, किन्तु 15 मार्च, 1968 को बिदार (मैसूर) की एक घटना में कुछ उपद्रवियों द्वारा "पाकिस्तान जिन्दाबाद" "कश्मीर पाकिस्तान का है" जैसे नारों का लगाया जाना बताया जाता है । जम्मू व कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राज्य सरकारें सतर्क है तथा साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से दृढ़ता पूर्वक निपटने के लिए कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करती है ।

Loans for Hotels at Tourist Centres

3052. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether his Ministry had formulated a scheme to provide loans for setting up good hotels at certain principal Tourist Centres;

(b) if so, whether any loans have been granted for this purpose; and

(c) whether there are still certain Tourist Centres where similar hotels have not so far been set up ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Details of the schemes were placed on the table of the House in reply to Question No. 890 answered on the 15th November 1968.

(b) Not so far.

(c) At many tourist centres, good hotel accommodation is still not sufficient.

Legislation Regarding Aligarh Muslim University

3053. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the reasons for delay in bringing forward the Bill regarding Aligarh Muslim University, which Government had proposed to bring before the House;

(b) whether it is a fact that on account of difference of opinion in the Cabinet over this matter the Bill regarding this University could not be given final shape; and

(c) the time by which this Bill will be brought before the House ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The delay has been primarily due to Government's desire to ascertain the views of leaders of public thought in the country on the question of provisions that may appropriately be included in the Aligarh Muslim University Bill.

(b) No, Sir.

(c) The Bill is proposed to be introduced in the Parliament as soon as possible.

P.M's letter to Andhra Chief Minister regarding Father Ferrer

3054. Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a letter permitting Father Ferrer to work in Andhra Pradesh was sent by the Prime Minister's Secretariat to the Chief Minister of Andhra Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the letter was received by the Chief Minister of Andhra Pradesh at the time when the question of allowing or disallowing him to work in the State was being considered by the Andhra Government; and

(c) how far it is proper on the part of the Prime Minister to send such a letter to the Chief Minister of any State about a controversial person ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not a rise.

Withdrawal of cases by Kerala Government

3055. Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether some correspondence has been made with the Kerala Government in regard to their decision about the withdrawal of cases pending in Courts in connection with the strike of the Central Government employees;

(b) if so, the reaction of the State Government thereto; and

(c) whether the Government of India propose to take some fresh decisions keeping in view the attitude of disobedience adopted by the Kerala Government in regard to the decisions of the Central Government ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c): It was conveyed to the Kerala Government that it is the obligation of a State to so exercise its executive power as to ensure compliance with laws made by Parliament and that cases should not be withdrawn rendering infructuous the legal consequences of laws made by Parliament. Kerala Government have, however, taken steps to withdraw cases arising out of the Essential Services Maintenance Act, 1968. The concerned departments and offices of the Central Government would take action according to law.

D T. U. Bus Service between New Delhi Railway Station and Windsor Place.

3056. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the reasons for not providing the bus service on the route between New Delhi Railway Station and Windsor Place ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaih) : New Delhi Railway Station and Windsor Place are already connected by bus services through Connaught Circus. The bus stop for Windsor Place is located nearby at Eastern Court as Windsor Place is a very busy traffic round-about which is not suitable for the location of a bus stop. According to the D. T. U. there is not much traffic to warrant the introduction of a direct bus service between New Delhi Railway Station and Windsor Place and the Undertaking has also not so far received any demand from the travelling public for the introduction of a direct service.

Jaigurdev Camp in Gorakhpur

3057. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 325 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether information regarding Jaigurdev Camp in Gorakhpur and other districts of Uttar Pradesh has since been collected from the State Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla): (a) to (c) : According to information received from the State Government Sant Tulsi Dasji @ Jai Gurdev @ Chirauliwale Baba is resident of Chirauli Sant Ashram, Krishna-nagar, Mathura District. He organised a camp at Rajghat in Gorakhpur from 28th to 30 October, 1968 and also delivered sermons in some other districts of Uttar Pradesh. Besides delivering sermons on a number of subjects, he is reported to have advised the audience to fully understand the value of their votes and not to cast their votes in favour of any political party unless it adhered to the path of truth.

Laying of U. P. State Government Orders on the Table

3058. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 1784 on the 22nd November, 1968 and state :

(a) whether the question of placing the copies of the U. P. Government orders on the Table of the House at the request of the Members has been examined;

(b) if so, the results thereof and whether a copy of the same will be laid on the Table of the House; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : It has already been stated in reply to Unstarred Question No. 3344 dated the 9th August, 1968 and Unstarred Question No 1784 dated the 22nd November, 1968 that the copies only of such statutory orders and rules are presented before the Parliament-when on the basis of the ordinance issued under Article 356 the powers of the State Legislature are exercised by Parliament or under the authority of the Parliament-as are required to be presented before the State Lagislature under the law. Copies of such rules and orders had already been placed on the Table When under Article 356 the ordinance was in force in respect of any state.

बड़ौदा में हवाई अड्डा

3059. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में बड़ौदा में हवाई अड्डे को पुनः वर्गीकृत तथा सुदृढ़ करने के कार्य में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और विमान सेवा कब से आरम्भ हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बड़ौदा के धावन-पथ के पुनर्वर्गीकरण एवं मजबूत बनाने के कार्य के, पूर्व योजना के अनुसार दिसम्बर, 1968 के बजाय अब अप्रैल, 1969 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है। इस कार्य की प्रगति में रुकावट इस कारण हुई कि मौनसून के मौसम में धावन-पथ की निम्न-स्तर की मिट्टी (सब-ग्रेड सोयल) बहुत अधिक जलाप्लावित (वाटर-लोग्ड) हो गई थी, और इस पर तारकोल बिछाने से पहले इसको सूखने देने के लिये काफी समय देना पड़ा।

(ग) बड़ौदा के धावन-पथ के तैयार हो जाने पर इन्डियन एयरलाइन्स का एच. एस-748 विमान से एक सेवा बम्बई-बड़ौदा-अहमदाबाद परिचालित करने का प्रस्ताव है।

सूरत के निकट हवाई पट्टी

3060. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा स्थित गुजरात फ्लाइंग क्लब और सूरत स्थित इसकी शाखा ने भारत सरकार से सूरत के निकट हवाई पट्टी का विस्तार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस स्कीम को इस मन्त्रालय की चौथी योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, परन्तु यह सर्वेक्षण के परिणामों तथा निधियों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

संघ राज्य क्षेत्र

3061. **श्री देवव्रत बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों की, आरम्भ में केवल अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कारणों से तथा विभिन्न परिस्थितियों में बने। जब तक ये कारण तथा परिस्थितियां बनी रहेंगी उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में ही बना रहना होगा। सरकार ने उनकी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया है।

लक्षदीप द्वीपसमूह तथा मुख्य भूमि के बीच समुद्र-विमान सेवा

3062. श्री प० मु० सईद : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षदीप समूह में भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच समुद्र-विमान सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Nagas trained by Hostiles

3063. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5275 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether the investigation in regard to the eleven persons who have been arrested on the charge of their having received training from Naga hostiles in the use of explosives and other sabotage activities, has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, by what time it is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : Information is being collected from the Government of Assam and will be laid on the Table of the House

Origin of Aryans

3064. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a great difference of opinion among the historians of the world regarding the Origin of Aryans;

(b) whether it is a fact that many historians regard India as the Origin of Aryans;

(c) whether it is also a fact that this historical fact has bearing on the past, present and future of India;

(d) if so, whether Government would set up a Committee of scholars to reach a correct conclusion on this controversial issue; and

(e) if not, the reasons therefor and, if so, when such a committee will be set up ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K R. V. Rao) : (a) to (c) : Different views have been expressed on the subject by different scholars from time to time. Some of them regard India as the original home of the Aryans. This need not necessarily have any bearing on the present and future of India.

(d) and (e) : No useful propose may be served by setting up a Committee to decide the issue. We are not in possession of unimpeachable data like that of inscriptions etc. which can settle the issue either way. It may, therefore be best to allow the matter to be assessed by scholars according to their own researches.

जहाज निर्माण कारखाने

3065. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाज निर्माण के आदेश विदेशों में दिए जाने के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी जहाज निर्माण कारखानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी कारखानों ने यह पेशकश की थी कि यदि सरकार पर्याप्त क्रयादेश दे तो महासागरों में जा सकने योग्य जहाजों के निर्माण के लिये एक बड़ा यार्ड बनाने के हेतु वह अपना विलय कर लेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सुझाव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : भारतीय शिपिंग कम्पनियों को भारत में पबलिक और गैर सरकारी क्षेत्रों में वर्तमाग शिपयार्ड की क्षमता को दृष्टि में रखने के बाद ही महासागरों में जा सकने योग्य जहाजों के निर्माण के लिए विदेशों में क्रयादेश देने की अनुमति है।

(ख) : सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता है।

नौवहन के बारे में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

3066. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में नौवहन के पहल के बारे में नियुक्त की गई संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की चौथी समिति के क्या सक्रिय निष्कर्ष हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : चौथी समिति के विमर्श और सिफारिशों के फलस्वरूप अंकटाड II ने भारत सहित विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले नौवहन मामलों पर बहुत से संकल्प निम्नलिखित विषयों से संबंध रखते हैं:—

(1) नौवहन के क्षेत्र में परामर्श व्यवस्था की स्थापना।

(2) भाड़ा दरें और सम्मेलन का आचरण।

(3) पोत-लदान की शर्तें।

(4) विकासशील देशों का व्यापारिक समुद्र का विकास

(5) नौवहन पर अन्तर्राष्ट्रीय विधान ।

इन संकल्पों का प्रभाव और कहां तक वे विकसित देशों से कार्यान्वित किये गये हैं इसका मूल्यांकन अप्रैल, 1969 में जिनोवा में नौवहन पर बनी समिति की आगामी बैठक में करने का प्रस्ताव है ।

रेल तथा समुद्र यातायात

3067. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल के परिवहन के लिये समुद्री-एवं-रेल सेवा को पुनः आरम्भ करने तथा उसका विस्तार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या तट-व्यापार आरक्षण और एकीकृत रेलवे प्रणाली को ध्यान में रखते हुये रेल-एवं-समुद्र यातायात में बड़े पैमाने पर विकास की गुंजाइश है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : नेशनल शिपिंग बोर्ड ने तटीय नौवहन का एक विस्तृत अध्ययन किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तट पर सूखे माल का आवागमन 1967 में लगभग 23.17 लाख टन नीचे आ गया है जो कि 1962 में 40.27 लाख टन तक की उच्चतम सख्या पर पहुंच गई थी यह संख्या लगभग 30.50 लाख टन तक बढ़ाई जा सकती है यदि कलकत्ता होकर बंगाल-बिहार कोयले की खानों से विभिन्न तटीय गतव्य स्थानों को रेल-व समुद्र रास्ते से ले जाने के लिये दीर्घकाल के आधार पर 7.5 लाख टन कोयले की न्यूनतम राशि आरक्षित की जाये ताकि कलकत्ता को और कलकत्ता से दोनों दिशाओं में संतुलित यातायात की व्यवस्था हो सके । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

National Highways in Maharashtra

3068. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government has sent a scheme to the Central Government regarding development of National Highways in 1968-69;

(b) if so, the details thereof and the amount asked for by the State Government for 1968-69 ;

(c) whether Government have approved the said scheme; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d) : No specific scheme for the development of National Highways during 1968-69 was submitted by the Government of Maharashtra. In their budget proposals for the year, however, the State Government proposed a provision of Rs. 134.84 lakhs consisting of Rs. 74.84 lakhs for works in progress and Rs. 60.00 lakhs for new works. Against these budget proposals, the revised estimate for the year proposed

by the State Government for National Highways amounted to Rs. 105.01 lakhs made up of Rs. 95.13 lakhs for works in progress and Rs. 9.88 lakhs for new works. After scrutiny of the proposals, a sum of Rs. 60.40 lakhs for works in Progress on National Highways and a sum of Rs. 50 lakhs for strengthening works on National Highway No. 3 and National Highway No. 4 totalling Rs. 110.40 lakhs have been provided in revised estimates for 1968-69.

उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास के लिये सहायता

3069. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व अफ्रीका से आने वाले भारतीयों को रियायतें

3070. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पूर्व अफ्रीका में आने वाले भारतीयों को कुछ रियायतें देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको क्या क्या मुख्य रियायतें दी गई हैं ;

(ग) क्या उनको कोई अन्य सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान्। भारत में स्थायी रुप से बसने के लिये केनिया, उगांडा तथा तजानिया से आने वाले भारतीयों को आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के संबंध में कुछ रियायतें दी जाती हैं। उनको दी गई मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं :-

(i) प्रत्येक परिवार के लिए एक मोटर कार। मोटर साइकल का आयात,

(ii) सभी वास्तविक व्यक्तिगत सामान को लाने की.

(iii) प्रत्येक परिवार के लिए 16,000 रु० (सोलह हजार रुपये) तक के जेवरात लाने की

(iv) 16,000 रु० तक के माल को निःशुल्क लाने की।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Loss to Central Government Properties in Tamil Nadu

3071. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of damage caused to property belonging to the Central Government, as a result of student riots in Tamil Nadu consequent upon change in broadcasting timing of English and Hindi news from different stations of the All India Radio ; and

(b) whether any steps are being taken to prevent such riots and if so, the nature thereof ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The damage to railway property during the student agitation is estimated at Rs. 16,913/-. The position regarding damage of the Posts and Telegraphs property is being ascertained.

(b) The State Governments are vigiland and are taking appropriate action under the law.

अन्दमान विशेष वेतन

3072. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने, जिन्हें "मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्ति", 'भविष्य में स्थानीय रूप से भर्ती किये जाने वाले कर्मचारी" और "वर्तमान स्थानीय रुप से भर्ती किये गये व्यक्ति" शब्दों के बारे में शिकायत है, अन्दमान प्रशासन के द्वारा विशेष वेतन बन्द किये जाने तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में पहले के निर्णय में संशोधन के संबंध में अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उनके साथ "स्थानीय रूप से भर्ती किये गये व्यक्ति" के रूप में बर्ताव किये जाने के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं और प्रशासन द्वारा उनके अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

शिक्षा मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का सर्वेक्षण

3073. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये थे और इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है, क्या कर्मचारियों की छंटनी करने का अथवा उन्हें रोजगार दिलाने की कोई और व्यवस्था करने का विचार है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 तक उनके मंत्रालय में श्रेणीवार में कितने अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती किये गये और इसी अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने पद बनाये गये ; और

(घ) मंत्री, राज्य-मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों आदि के साथ कार्य करने वाले उन फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विषय में मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी नहीं। किन्तु 1965-66 और 1966-67 में सर्वेक्षण किये गए थे और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में रिपोर्ट 1966-67 और 1967-68 में प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 342/69]**

(घ) कोई नहीं।

बड़े नगरों के निगमों द्वारा लाटरियां निकालना

3074. श्री रा० की० अमीन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के बड़े नगरों, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के निगमों का विचार अपने विकास के लिए निधि जुटाने के लिए लाटरियां निकालने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें बम्बई नगरनिगम से, विकास योजनाओं के लिये निधि जुटाने हेतु लाटरियों चलाने का एक प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तामिल नाडु सरकार ने बताया है कि उन्हें लाटरियां चलाने के लिये मद्रास के निगम से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विकास के लिये धन जुटाने हेतु लाटरियां चलाने की अनुमति के लिये दिल्ली नगर निगम की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना अभी प्रतीक्षित है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राज्यों में विरोधी दलों द्वारा बनाई गई सरकारों को अपदस्थ करने का केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आरोप

3075. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को अपदस्थ करने का आरोप केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ राजनैतिक दलों को जानकारी है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का इन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों के लिये अन्तर्राज्यीय परिषद्

3076. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री समर गुह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ई० के० नायनार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार किया गया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच मामलों पर विचार करने के लिये एक अन्तर्राज्यीय परिषद बनायी जानी चाहिये ;

(ख) क्या केरल मुख्य मंत्री ने भी इस प्रकार की परिषद बनाने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) : केन्द्र तथा राज्य के बीच परामर्श के लिए पहले ही कई मंच हैं जैसे, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन, क्षेत्रीय परिषदें तथा अनेक क्रियात्मक सम्मेलन तथा मंत्रालयों की समितियां । प्राशासनिक सुधार आयोग द्वारा स्थापित केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अध्ययन दल ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है । अध्ययन दल का प्रतिवेदन इस समय प्रशासनिक सुधार आयोग के विचाराधीन है और सरकार उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

निःसंवर्ग पदों के बारे में नीति

3077. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निःसंवर्ग पदों पर एक ही अधिकारी असीमित अवधि तक कार्य करता रहता है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नियमों के अनुसार दो वर्षों से अधिक समय तक नियुक्त रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह कार्यवाही अन्य सुयोग्य अधिकारियों को अवसर न देने के बराबर नहीं है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्पष्ट नीति निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : प्रत्येक पद के लिए निर्धारित नियुक्ति नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों की नियुक्ति होती है । तदनुसार जहां प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी पद को भरने के लिए सम्बद्ध नियुक्ति नियम लागू होते हैं तब उनमें उस प्रतिनियुक्ति की अवधि का उल्लेख भी होता है । प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रत्येक मामले में परिवर्तित होती है जो निःसंवर्ग पद की आवश्यकता पर तथा पैतृक सेवा/पद जहां से वह अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर है, भेजने की आवश्यकता पर निर्भर करती है जो पुनःसंवर्ग संख्या, कर्मचारी वर्ग की स्थिति तथा अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । विशेष परिस्थितियों में जहां कि सरकारी हित की बात आती है तो किसी एक अधिकारी के निःसंवर्ग पद की अवधि उधार देने वाले प्राधिकारी की सहमति से बढ़ा दी जाती है ।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विज्ञापन

3078. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने वर्ष 1967-68 में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के लिये 6,03,887 रु० खर्च किये हैं जो एयर इंडिया से 47,137 रुपये अधिक हैं ;

(ख) एकाधिकार प्राप्त संस्था इंडियन एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया से अधिक खर्च किये जाने के क्या कारण हैं जिसे बहुत ही प्रतियोगी क्षेत्र में कार्य करना होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन प्राय: बड़े बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिये अधिक स्थान ले लेती है जिससे वे इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कार्य की प्रशंसा प्रकाशित करें ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में निम्नलिखित समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिये प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ;

हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, फ्री प्रैस जर्नल, अमृत बाजार पत्रिका, पैट्रियट, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, नेशनल हैरेल्ड और हितवाद ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) : यद्यपि इंडियन एयरलाइंस को अंतर्देशीय विमान परिवहन के बारे में वस्तुतः एकाधिकार प्राप्त है, फिर भी स्वस्थ जनसम्पर्क बनाये रखने के लिये तथा भारत के लिये विदेशी पर्यटकों के आयात को प्रोत्साहित करने के लिये उनके लिये माल एवं यात्रियों दोनों के ही वैमानिक यातायात की अभिवृद्धि करना आवश्यक है । एयर इंडिया का संबंध भारत के बाहर से पर्यटकों को आकृष्ट करने से है, एवं वे अपना प्रचार-कार्य भारत से बाहर अधिक करते हैं ।

(ग) : जी, नहीं । उनका एकमात्र उद्देश्य वाणिज्यिक प्रचार होता है ।

(घ) : 1967-68 में विज्ञापनों के लिये समाचारपत्रों को दी गयी राशियां निम्न प्रकार हैं :-

हिन्दुस्तान टाइम्स	(1 संस्करण)	39,453.00	रुपये
इंडियन एक्सप्रैस	(7 संस्करण)	60,446.00	रुपये
टाइम्स आफ इंडिया	(3 संस्करण)	38,231.00	रुपये
फ्री प्रेस जर्नल	(1 संस्करण)	10,752.00	रुपये
अमृत बाजार पत्रिका	(1 संस्करण)	29,781.13	रुपये
पैट्रियट	(1 संस्करण)	12,658.00	रुपये
हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड	(1 संस्करण)	10,415.00	रुपये
नेशनल हैरेल्ड	(2 संस्करण)	4,066.00	रुपये
हितवाद	(1 संस्करण)	760.00	रुपये

"मैनपावर जर्नल"

3079. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा "मैनपावर जर्नल" पत्रिका की कितनी प्रतियां प्रकाशित की जाती है;

(ख) संस्था द्वारा पत्रिका की कितनी प्रतियां बेची गई; और

(ग) विभिन्न व्यक्तियों/एजेंसियों को कितनी प्रतियां मुफ्त दी जाती हैं और उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) से (ग) : व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा अब तक "मैनपावर जर्नल" के 13 अंक प्रकाशित किये गये हैं। प्रकाशित प्रतियों की कुल संख्या, बेची गई प्रतियों की संख्या, विभिन्न व्यक्तियों तथा एजेंसियों को मुफ्त दी गई प्रतियों की संख्या और वर्तमान मानार्थ प्रति सूची एक विवरण में दी गई है जिसे सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 343/69**] इसके अतिरिक्त लगभग पचास प्रतियों का भारत तथा विदेशों के विभिन्न संगठनों के प्रकाशनों के लिए आदान-प्रदान किया जाता है।

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था

3080. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा कितनी बार अध्ययन किये गये;

(ख) इन अध्ययनों पर संस्था द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ग) संस्था को इन अध्ययनों से सम्बन्धित सामग्री के विक्रय से कितनी धन-राशि प्राप्त हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था द्वारा सन् 1968 में इकतीस अध्ययन किये गये। इनमें से पांच उसी वर्ष में पूरे कर लिये गये थे और छब्बीस प्रगति पर थे।

(ख) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था के तीन मुख्य कार्य अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श देना है। 1968-69 के लिए संस्था का 8.59 लाख रुपये का स्वीकृत बजट प्राक्कलन (आवर्ती व्यय) है। व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा किये गये व्यय के उस भाग को, जो इसकी पूर्णतया अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियों पर किया गया हो, बताना अत्यन्त कठिन है।

(ग) पूरी की गई रिपोर्टों में से तीन रिपोर्टों के प्रतियों की बिक्री द्वारा 1,081.75 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था के कर्मचारी

308 **श्री शशि भूषण** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था में प्रत्येक श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1962 में, जब इस संस्था की स्थापना हुई थी ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या में इस असाधारण वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : 31 दिसम्बर, 1962, 31 दिसम्बर, 1964 तथा 31 दिसम्बर, 1968 को व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों की स्वीकृत तथा वास्तविक संख्या बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 344/69]**

(ग) संस्था की स्थापना 1962 में केवल थोड़े से कर्मचारियों के साथ की गई थी। संस्था के कार्य के क्षेत्र तथा गति में वृद्धि हो जाने से अगले दो वर्षों के दौरान अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। विवरण से यह मालूम पड़ेगा कि दिसम्बर, 1964 के पश्चात् बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है।

सहायकों की सेवा में व्यवधान समाप्त किया जाना

3082. श्री शशि भूषण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1950-51 में तत्कालीन पूर्ति विभाग में पदावनत किये गये सहायकों की सेवा में व्यवधान की अवधि समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाभ सभी प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : पूर्ति विभाग ने 1950-51 में कई सहायकों को पदावनत किया था। उनमें एक मामले में उन्होंने विशेष रूप में प्रमाणित किया था कि यदि एक साक्षेप समय पर कोई सहायक अर्ध स्थायी घोषित किया हो तो उसका 1951 में सहायक के पद से पदावनत न किया जायगा। उस प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके मामले में पदावनत के आदेश रद्द कर दिए गये और परिणामतः सम्बन्धित व्यक्ति को लाभ प्रदान किए गये। 21 अन्य अवस्थाओं में विभाग के लिए उस तिथि की एक लम्बी अवधि के पश्चात तत्कालीन रिक्तियों की स्थिति का पुनरावलोकन करना तथा प्रत्येक मामले में श्रेणी वार यह बतलाना कि पदावनति "छटनी की हिदायतों" के अनुसार नहीं की गई थी व्यवहारिक न था। अतएव एक अवस्था में दिये गये लाभों का विस्तार अन्य अवस्थाओं में नहीं किया जा सका।

Police arrangements at redding weception of Nawab of Pataudi

3083. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the services of about 500 additional Constables of the Delhi Police were made available for making arrangements at the time of the wedding reception of Nawab of Pataudi on the 4th February, 1969; and

(b) if so the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The wedding reception of Nawab of Pataudi held on 4th January, 1969 at Dupleix Road, New Delhi, was attended, among others, by the President, some Cabinet Ministers, Diplomats and high dignitaries. Usual security arrangements for the V.I.Ps. and other necessary measures were taken by the Police at the time. A force consisting of 48 personnel of Delhi Police under the supervision of senior officers was detailed for the purpose

Visit Abroad by Ministers and Parliamentary Delegations

3084. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 766 on the 15th November, 1968 regarding visits abroad by Ministers and Parliamentary Delegations and state :

(a) whether the information has since been collected; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) Information is given in the statement Placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-345/69]**

Indo-Pak Air Service

3085. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India have sent a proposal to Pakistan regarding flights of Civilian aeroplanes between the two countries; and

(b) if so, the reaction of the Pakistan Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b): In July 1968, Government of India repeated, through diplomatic channels, their proposal to open negotiations for resumption of civil air services between the two countries. No reply has so far been received from the Government of Pakistan.

Loyal Nagas killed in clashes with Rebels

3086. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to their reply given to Unstarred Question No. 3746 on the 6th December, 1968 and state :

(a) whether the information about the murder of loyal Nagas by hostiles has since been collected from the Assam Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for non-collection of the information by now and the time by which will laid on the Table ?

The Deputy Home Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : According to information received from the Government of Assam sixtynine loyal Mizos were killed and one hundred and eightyfive loyal citizens were kidnapped.

(c) Does not arise.

Christ Sena in Madhya Pradesh

3087. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted an enquiry to find out that the Christian Missionaries in Madhya Pradesh have organised a millitant force called as "Christ Sena" in which they are imparted military training; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The State Government have reported that the formation of the "Christ Sena" has come to notice in Jashpur, Tehsil of Raigarh district, but there is no information that any military training is being imparted to its members.

(b) Does not arise.

Pak Infiltrators

3088. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani infiltrators apprehended in the country since 1st January, 1965, state-wise;

(b) the number out of them prosecuted and those convicted by the courts; and

(c) the number of persons sent back to Pakistan and those who are under detention in India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Information received so far from the State Govts. and the Union Territory/ Administrations relating to the period from the 1st January, 1965 to the 31st January, 1969 is given in the statement attached.

The information in respect of Bihar, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Pondicherry will be laid on the Table of the House on receipt from the Governments/Administration concerned **[Placed in Library. See No. LT-346/69]**

भारतीय आर्थिक सेवा

3089. श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री समर गुह :
श्री प० विश्वम्भरन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने आर्थिक विकास संस्था को भारतीय आर्थिक सेवा के लिये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के बाद इन्हें नियमित सेवाओं में नियुक्त करने हेतु इनका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा केन्द्रीय सिविल सेवा की श्रेणी I सेवा है तथा उसमें निम्नलिखित वर्ग हैं :—

वर्ग I —निदेशक—1300-60-1600-100-1800 रु०

वर्ग II —संयुक्त निदेशक—1100-50-1400 रु०

वर्ग III —उप निदेशक—700-40-1100-5012-1250 रु०

वर्ग IV —सहायक निदेशक—400-400-450-30-600-35-670-द०रो०-35-950 रु० ।

इस सेवा का गठन 1 नवम्बर, 1961 से किया गया था ।

दिनांक 15 जून, 1968 को इस सेवा की प्राधिकृत संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ग I	–	18
वर्ग II	–	23
वर्ग III	–	116
वर्ग IV	–	348
जोड़	–	505

भर्ती का स्त्रोत :—

वर्ग I - इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियों वर्ग II के अधिकारियों में से जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायगी । सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हताएं ये हैं (I)अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा कृषि अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री और (II) अर्थ-शास्त्र तथा/अथवा वाणिज्य अथवा अर्थ सांख्यिकी में अनुसंधान । खोज का 10 वर्ष का अनुभव । उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें विज्ञापन की अन्तिम तिथि पड़ती है, सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु यदि 50 वर्ष से कम हो तो उचित होगा ।

वर्ग II – इस वर्ग में कम से कम 50 प्रतिशत रिक्तियां, वर्ग III के अधिकारियों में से, जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 6 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी। इस वर्ग में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेंगी। सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हताएं ये हैं :— (I) अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा कृषि अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में एम० ए० की डिग्री, (II) अर्थशास्त्र तथा/अथवा वाणिज्य में अनुसंधान। खोज का आठ वर्ष का अनुभव। उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें विज्ञापन की अन्तिम तिथि पड़ती है, सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु यदि 45 वर्ष से कम हो तो उचित होगा।

वर्ग III – इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियां वर्ग IV के अधिकारियों में से, जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 4 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी। इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेंगी। सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अहर्तताएं ये हैं (I) अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा कृषि अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में एम० ए० की डिग्री और (II) अर्थशास्त्र तथा/अथवा वाणिज्य में अनुसंधान। खोज का 5 वर्ष का अनुभव।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा इस प्रकार हैं :—उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें विज्ञापन की अन्तिम तिथि पड़ती है, आयु 35 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक हो।

वर्ग IV – इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन अधिकारियों के चयन द्वारा भरी जायेंगी, जिन्होंने सरकार के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियन्त्रक प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त आर्थिक पदों में कम से कम चार वर्ष काम किया हो।

इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायगी। सीधी भर्ती के लिए कम से कम शैक्षिक अर्हता एक डिग्री है जिसका एक विषय अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी होना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा इस प्रकार है :—उस वर्ष पहली जनवरी को, जिसमें परीक्षा ली जाती है, आयु 21 वर्ष से कम तथा 26 वर्ष से अधिक न हो।

(ग) भारत सरकार ने आर्थिक विकास संस्था दिल्ली से नवम्बर, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में नियुक्त भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया है।

(घ) पहले ही नियमित सेवा के सदस्य होने के नाते अपने वर्तमान ग्रेड अर्थात् भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में समाविष्ट किये जाने के लिये उनका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार नहीं किया जायेगा ।

बड़ी बन्दरगाह जांच समिति

3090. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वेंकटारामन की अध्यक्षता में बड़ी-बड़ी बन्दरगाह जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पारादीप बन्दरगाह पर इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

गांधी शताब्दी समारोह

3091. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर कार्य करने के कोई विशेष कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे; और

(ख) ऐसे कार्यक्रमों पर कुल कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) *विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ख) 1969–70 के लिए प्रस्तावित बजट व्यवस्था एक करोड़ रुपए की है ।

***विवरण**

महात्मा गांधी जिन रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया करते थे, उन्हे पुनः व्यापक बनाया जा रहा है और उन को गांधी शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति द्वारा देश भर में अपनी विभिन्न उप समितियों माध्यम से तथा गांधी शताब्दी समारोह राज्य समितियों द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। गांधी शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति ने जो विशेष कार्यक्रम बनाये हैं वे मुख्यतया इस प्रकार हैं :—

(एक) **गांधी दर्शन :** दिल्ली में राजघाट समाधी पर 2 अक्तूबर, 1969 से 22 फरवरी, 1970 तक, "गांधी दर्शन" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा, जिसमें गांधीजी के जीवन, उन के सन्देश तथा उन की फिलस्फी से लोगों को अवगत कराया जायेगा ।

(दो) **गोष्ठियां :** "हमारे युग में गांधी जी के विचारों का महत्व" शीर्ष पर अब तक विश्वविद्यालयों में 17 गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्ष के दौरान अन्य विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में भी ऐसी गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी। जनवरी-फरवरी 1970 में भारत में राष्ट्रीय समिति द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जायगा। यूनेस्को ने पेरिस में अक्तूबर, 1969 में एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय किया है, जिस का विषय होगा, 'गांधी के मानव धर्म में सत्य और अहिंसा"।

(तीन) **विदेशों में गांधी शताब्दी समारोह :** गांधी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है। इस उद्देश्य के लिये गांधी जी द्वारा लिखित अथवा उनके बारे में लिखित विभिन्न पुस्तकें और प्रकाशन और फोटो, चलचित्र-उपखंड, उनके भाषणों के टेप-रिकार्ड तथा गांधीजी के बारे में ऐसी छोटी-छोटी प्रदर्शनियां, जिनमें 350 थैलियां हैं, जिन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, विदेशों में भेजी गई हैं तथा भेजी जा रही हैं। विदेशों में दो अथवा तीन बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियां भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(चार) **ग्रन्थ विवरणी :** एक व्यापक ग्रन्थ विवरणी तैयार की जा रही है, जिसमें गांधी द्वारा जो कुछ लिखा गया है अथवा उनके बारे में संसार की किसी भी भाषा में जो कुछ लिखा गया है, उस का उल्लेख होगा।

(पांच) **जन सम्पर्क :** गांधीजी के सन्देश तथा उनकी शिक्षाओं को देश में हर घर तक पहुँचाने के लिये जन सम्पर्क शिविर स्थापित किये गये हैं तथा देश भर में भारी मात्रा में कलैन्डर, बल्ले, चित्र अथवा फोल्डर इत्यादि बांटे जा रहे हैं।

(छ) **जन संचार व्यवस्था :** गांधीजी के जीवन तथा उनके सन्देश से हर व्यक्ति को अवगत कराने, उनके बारे भाषणों, वार्ताओं तथा अन्य कार्यक्रमों का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया जाता है। प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो समाचारपत्रों को लेख तथा फोटो देता है और विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बल्लों, डायरियों और कलैन्डरों इत्यादि का वितरण किया जाता है। शताब्दी वर्ष में गांधी के बारे में 20 पुस्तकें तैयार करने की योजना है और "मैसेज ऑफ महात्मा गांधी" तथा 'लैसन्स् ऑफ महात्मा गांधी" इन दो पुस्तकों की कई हजार प्रतियां प्रकाशित कराई जायेंगी, जिन का मुफ्त वितरण किया जायेगा। 'महात्मा" नाम एक 3000 फुट लम्बी फिल्म दिखाई जा रही है तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में वृत्त चित्र बनाये जा रहे हैं। गांधी के जीव का आज के भारतीय जीवन पर प्रभाव सम्बन्धी विषय पर अनेक फिल्में बनाई जा रही हैं।

(सात) **सामाजिक कार्यक्रम :** सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक जोर भंगी युक्ति और मद्य-निषेध पर दिया गया है। राज्य सरकारों से नगरपालिका उपनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है, ताकि पानी की टट्टी के बिना कोई नया मकान

बनाने की अनुमति न दी जाये। भंगी युक्ति के लिये उचित सामाजिक वातावरण तैयार करने हेतु शिवरों, सम्मेलनों, जिन में एक विचारगोष्ठी भी का आयोजन किया गया है। मद्यनिषेध के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिये काम किया गया है तथा किया जा रहा है।

(आठ) **रचनात्मक कार्यक्रम :** खादी, भूदान तथा शांति सेना की त्रिसूत्रीय परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये शांति सैनिकों के प्रशिक्षण के लिये दो शिविरों का आयोजन किया गया है तथा ग्रामदान और अन्य रचनात्मक कार्यों को लोकप्रिय बनाने के लिये कई पुस्तिकायें तैयार की गई हैं और "विनोभा जी के लिये वेद" नामक एक चलती फिरती चित्र प्रदर्शनी दिखाई जा रही है।

(नौ) **राष्ट्रीय एकता :** राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक भाषा में ऐतिहासिक पुनरीक्षण तथा राष्ट्रीय एकता के बारे में गांधी के विचारों के आधार पर 3000 शब्दों का एक लेख तैयार किया गया है। विश्वविद्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों में राष्ट्रीय एकता समितियों का गठन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये विचार गोष्ठियों, अध्ययन मंडलों, प्रदर्शनियों, नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के आदान प्रदान, और जिन-जिन क्षेत्रों में वे समितियां स्थित हैं उनको छोड़कर अन्य क्षेत्रों के साहित्य, इतिहास तथा संस्कृति पर भाषणों का आयोजन कर रही हैं।

(दस) **स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण :** चूंकि गांधी शताब्दी वर्ष, कस्तूबा गांधी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है इसलिये इसे बा-बापू शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये प्राय: प्रत्येक राज्य में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिये उप-समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है और आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक-एक बा-बापू भवन बनाने के लिये धन इकट्ठा किया जा रहा है। छूतछात को दूर करने तेथा बालबाड़ियों इत्यादि की स्थापना के लिये काम किया जा रहा है।

(ग्यारह) **अच्छे जीवन के लिये मूल सुविधायें :** 2 अक्तूबर, 1970 तक कम से कम एक लाख गांव में पीने के पानी के कुएं खोदने का विचार है। जिन स्थानों को पेय जल की आवश्यकता है, उनका सर्वेक्षण करने के लिये स्वयं सेवक भर्ती किये जायेंगे। विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से 25000 कुएं खोदने की पेशकश प्राप्त हुई है और इस कार्य में सहायता देने के लिये एक तकनीकी समिति गठित की गई है।

दिल्ली और कलकत्ता में रूसी दूतावास के प्रचार साहित्य का प्रकाशन

3092. **श्री समर गुह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली का न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस रूसी दूतावास की अधिकांश अंग्रेजी पुस्तकें पत्रिकाएं तथा अन्य प्रचार साहित्य का प्रकाशन करता है और कलकत्ता में उसी पार्टी के कालन्तर प्रेस के द्वारा उस दूतावास का उसी प्रकार का बंगला साहित्य छापा जाता है;

(ख) इन दोनों प्रेसों द्वारा कितने प्रकार का तथा कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार का साहित्य छापा जाता है और इन प्रेसों द्वारा इससे कितना-कितना लाभ कमाया जाता है; और

(ग) क्या विदेशी दूतावासों से इस प्रकार के लाभ उठाने वाले सम्बन्धों से भारत की आन्तरिक राजनीति पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय राजनैतिक दलों द्वारा विदेशी दूतावासों के साथ इस प्रकार के कारोबार को रोकने के लिए कदम उठायेगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में रूसी दूतावास द्वारा निकाली गयी अंग्रेजी व हिन्दी में कुछ सूचना पुस्तिकायें न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती हैं। इनमें सोवियत रिव्यू, यूथ रिव्यू तथा सोवियत भूमि (हिन्दी में) शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कालान्तर बहुधा भिन्न-भिन्न विषयों पर सोवियत प्रकाशनों की प्रतिलिपियों तैयार करता है। ऐसे साहित्य के छापने के कारण इन दोनों प्रेसों को हुआ लाभ ज्ञात नहीं है।

(ग) किसी प्रेस द्वारा की जाने वाली छपाई जब तक कानून के किसी उपबन्धों से सम्बन्ध नहीं रखती, तब तक दूतावासों के लिए केवल छपाई का कोई कार्य करने के लिये प्रेस के विरुद्ध कार्यवाई करना सम्भव नहीं है।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा छात्रों को छात्रवृत्तियां देना

3093. डा० कर्णी सिंह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा दी जाने वाली 500 छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों का चयन किस प्रकार की प्रतिभा के आधार पर किया जायेगा; और

(ख) आरम्भिक तथा अन्तिम चयन के लिए सिफारिश करने वाला प्राधिकार क्या होगा;

(ग) क्या यह छात्रवृत्तियां राज्यवार आधार पर दी जाएंगी; और

(घ) चयन कार्य को शीघ्र करने के लिए सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है और चुने हुए छात्रों को विशिष्ट खेलों में निपुण बनाने का कैसे प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : अखिल भारतीय आधार पर खेलों में दक्ष विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 500 नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

Opening of a College in Ladakh

3094. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of Education and Youth Services be Pleased to state :

(a) whether a demand for the establishment of a College in Ladakh immediately and for the opening of an Ayurvedic College there for imparting training in the Hindu system of medicine to the local Hakims was placed before the Gajendragadkar Commiss on; and

(b) if so, the steps being taken by Government to implement the recommendation of the Commission ?

The Minister of Education and Youth Service (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) : The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

वेलोर हवाई अड्डे में बिजली लगाना

3095 श्री नम्बियार :
श्री प० राममूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेलोर हवाई अड्डे में बिजली लगाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव को सरकार ने रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : क्योंकि वेलोर विमान-क्षेत्र का मद्रास फ्लाइंग क्लब द्वारा केवल क्रॉस कन्ट्री प्रशिक्षण उड़ानों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अभी इस स्थिति में बिजली की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

भारत में अमरीकन क्रिश्चियन मिशन सोसायटी

3096. श्री भगवान दास :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकन क्रिश्चियन मिशन सोसायटी का मुख्यालय भारत में है तथा यह भारत की जनता की राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में सामान्य से अधिक रूचि लेती रही है और भारत में सूचना एकत्र करने का इसका एक अपना एकक है तथा इसके द्वारा अमरीकी डालरों में लेन–देन करने से भारत की विदेशी मुद्रा का अपव्यय हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में उक्त सोसायटी की गतिविधियों की जांच करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : 7 मार्च, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

छोटे बन्दरगाहों का विकास

3097. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने विकास के लिये कितने छोटे बन्दरगाहों को चुना है;

(ख) उनके विकास पर कुल कितना धन लगाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन बन्दरगाहों को चुनने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन बन्दरगाहों पर क्रियान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं की सही रूप-रेखा क्या है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : छोटे पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। जैसा कि अपने 13-9-1968 की बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया कि कुछ सुपरिभाषित छोटे पत्तनों के विकास की योजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय प्रायोजक योजनाओं को आधीन लेने का प्रस्ताव है। कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

थाईलैण्ड के साथ विमान-सेवा करार

3098. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1969 मास में बैंगकाक में थाईलैण्ड तथा भारत के बीच विमान-सेवा संबंधी एक नया करार हुआ है;

(ख) इस विमान-सेवा को पहले बन्द करने के क्या कारण थे; और

(ग) इस करार में क्या निर्णय किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां। भारत सरकार और थाईलैंड राज्य की सरकार के बीच 14-1-1969 को बैंकाक में एक नये हवाई परिवहन करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) भारत और थाईलैण्ड के बीच 1 नवम्बर, 1967 से विमान सेवाएं बंद कर दी गई थीं, क्योंकि थाईलैण्ड सरकार द्वारा तद्विषयक नोटिस दिये जाने के बाद एक साल पूरा हो जाने पर दोनों देशों के बीच विमान सेवा करार समाप्त हो गया था।

(ग) करार में की गई व्यवस्था के अनुसार, थाईलैण्ड सरकार द्वारा नामजद एयर लाइन नई दिल्ली और कलकत्ता को अथवा उनसे होकर निर्दिष्ट मार्ग पर सप्ताह में प्रत्येक दिशा में 7 आवृत्तियों से अधिक का परिचालन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार, भारत सरकार द्वारा नामजद एयरलाइन थाईलैण्ड को अथवा उससे होकर निर्दिष्ट मार्ग पर सप्ताह में प्रत्येक दिशा में 7 आवृत्तियों से अधिक का परिचालन नहीं कर सकती है।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा व्यापक तथा व्याख्यात्मक शब्दकोश का प्रकाशन

3099. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी भारतीय भाषाओं के शब्द की एक व्यापक तथा व्याख्यात्मक शब्दकोश निकालने के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

भारत में युनेस्को की परियोजनाएं

3100. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के एक उच्च अधिकारी ने जनवरी, 1969 मास में भारत का दौरा किया था;

(ख) दौरा करने वाले अधिकारी ने यूनेस्को की भारत में परियोजनाओं के विकास के लिए क्या मुख्य सुझाव दिये हैं; और

(ग) उनके सुझावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी हां। यूनेस्को के उप महा-निदेशक डा० मालकोम एस० आदिसेसिहा ने 22 दिसम्बर, 1968 से 1 फरवरी, 1969 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) उप महानिदेशक के साथ विचार-विमर्श के दौरान, भारत में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न यूनेस्को प्रायोजित प्रायोजनाओं कों प्रगति की समीक्षा की गई थी और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में समझौता हो गया था। उप महानिदेशक ने निम्नलिखित बातों का विशिष्ट रूप से सुझाव दिया था :–

(i) एशियाई शिक्षा आयोजना और प्रशासन, संस्थान, नई दिल्ली को स्वायत्त शासी संगठन बनाया जाए।

(ii) नई दिल्ली स्थित दक्षिण एशिया के यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के किराए की भारत सरकार द्वारा अदायगी से सम्बन्धित विद्यमान करार को तब तक जारी रखा जाए जब तक कि भारत सरकार केन्द्र के कार्यालय के लिए आवास की व्यवस्था करने में समर्थ हो। उप महानिदेशक ने अनुरोध किया कि इस प्रयोजन के लिए सरकार का अनुदान प्रति वर्ष 30,000 रुपए से बढ़ा कर 54 000 रुपए कर दिया जाए, जो केन्द्र के भवन का बढ़ा हुआ किराया है।

(ग) सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

भारत में आधुनिक होटल आरम्भ करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के होटलों के मालिकों के साथ करार

3101. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री के० रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ आधुनिक होटल आरम्भ करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के कुछ होटल मालिकों के साथ कोई नया करार किया गया था;

(ख) कोवालम (केरल) में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक होटल आरम्भ करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोवालम में जर्मनी के सहयोग से कोई परियोजना आरम्भ करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कोवालम में पर्यटक कुटीरों का एक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजनाएं हैं।

(ग) जी, नहीं।

बंबई बन्दरगाह का विकास

3102. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह के विकास के लिये वृहत योजना कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सभावना है; और

(ग) वृहत योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) जून, 1969 के अन्त तक।

(ग) यह सूचना देना प्राक्पक्व है।

संघ राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3103. श्री हेमराज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश द्वितीय श्रेणी तथा इससे नीचे के पदों के लिये एक अलग सेवा बोर्ड तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये एक विशेष वित्त आयोग बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जांच की जा रही हैं।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 का संशोधन

3104. श्री हेमराज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 का संशोधन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके इस सुझाव को ध्यान में रख कर उक्त अधिनियम का संशोधन करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

उड़ीसा में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

3105 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने को सुविधाजनक बनाने के लिये उड़ीसा सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) प्रादेशिक भाषा में विश्वविद्यालय के स्तर की पुस्तकों की रचना के लिये उड़ीसा को कितना धन दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : प्रस्ताव 11 फरवरी, 1969 को प्राप्त हुआ था । उनके प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए उड़ीसा सरकार से इस मामले में और आगे पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

पारादीप पत्तन का विकास

3106 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के विकास के दूसरे प्रक्रम पर अब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : पारादीप पत्तन के विकास कार्यक्रम की प्रथम प्रावस्था में सहायक सुविधाओं सहित एक खनिज लोहे घाट की व्यवस्था थी । पत्तन और विकसित करने के प्रश्न पर चौथी पंचवर्षीय कार्यक्रम के अंग के रूप में विचार किया जा रहा है । चौथी पंचवर्षीय कार्यक्रम योजना आयोग के परामर्श में तैयार किये जा रहे हैं । उस के तैयार होने तक, कुछ सुधार निर्माण कार्य जैसे 60000 डी डब्लू टी तक के जहाजों के आवागमन के लिये पूंजी निकर्षण कार्य और अतिरिक्त निवास भवनों का निर्माण कार्य 230 लाख रु० की अनुमानित लागत पर मंजूर किये गये हैं ।

Kidnapping of Delhi Lady Advocate

3107. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a lady advocate, who is a resident of Delhi was kidnapped;

(b) whether it is also a fact that this lady advocate had already informed the police about the likelihood of her being kidnapped ; and

(c) the actual facts of the case and the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c): A report was lodged to the Delhi Police on the night of 16/17.1 1969 by the father of a lady advocate suspecting that his daughter had been kidnapped. The lady advocate was traced in a hotel at Agra on the next morning. A case registered by Delhi Police, in this connection, is under investigation.

The lady advocate had not informed Delhi police that she was likely to be kidnapped.

राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाटरियां

3108. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 दिसम्बर, 1968 तक गत चार वर्षों से किन राज्यों ने लाटरियां जारी की हैं, और इन राज्य सरकारों को कितना लाभ हुआ है तथा उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कितना आयकर अथवा कोई अन्य कर दिया है ; और

(ख) जो राज्य अपने राज्यों में लाटरी योजना आरम्भ करने के प्रश्न पर अब विचार कर रहे हैं उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हरयाणा, केरल, तमिल नाडू, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने इस अवधि के दौरान अपने राज्यों में लाटरियों की योजना की है । यद्यपि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने दिसम्बर, 1968 में लाटरियों की व्यवस्था की उनकी लाटरी 1969 में प्रथम बार खुली थी । केरल, तमिल नाडू और राजस्थान सरकारों द्वारा हुए लाभ तथा इनके द्वारा दिए गए आयकर के सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा हो रही है और मिलने पर सभा पटल पर पेश कर दी जायेगी ।

जैसाकि उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हरयाणा और पंजाब सरकारों द्वारा हुए लाभ का विवरण इस प्रकार है:—

हरयाणा	–	7.61 लाख रुपये ।
पंजाब	–	17.23 लाख रुपये ।

इस सम्बन्ध में हरयाणा तथा पंजाब सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को कोई आयकर नहीं दिया है ।

(ख) असम तथा महाराष्ट्र सरकारों ने राज्य में लाटरियों की योजना का निश्चय किया है ।

Universities' Employees

3109. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the time by which final decision in regard to the recommendations made by Shri D. C. Pavate and Dr. D. S. Reddy (Osmania University) in their reports in connection with the appointment of employees, is likely to be taken by the University Grants Commission ;

(b) whether it is a fact that discontentment is increasing amongst the University employees as a result of delay in the implementation of the recommendations made in both the said reports ; and

(c) whether Government do not make it clear in the terms of reference of such committees, before their appointment, that they should also keep in view the present economic situation of the country ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V K.R.V. Rao):(a) The recommendations of the Pavate Committée were examined by the University Grants Commission and referred to the Committee. as reconstituted under the Chairmanship of Dr. D. S. Reddi, for further consideration ard formulation of financial implications of its final recommendations. The report of the Committee was circulated by the U. G. C. to the Universities for comments. Replies have been received from 21 Universities so far. The Commission would be able to take a decision after replies from most of the Universities have been received.

(b) No such impression exists either in the U. G. C. or in the Government of India.

(c) While making recommendations the Committees are expected to take into consideration all the relevant factors, including the economic situation in the country.

मैसूर में ग्राम संचार

3110. **श्री से० ब० पाटिल :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में ग्राम संचार के निर्माण के लिये मैसूर राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) चौथी योजना के अगले वर्ष में ग्राम संचार के लिये (राजवार) कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967-68 और 1968-69 वर्षों के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर मैसूर सरकार द्वारा किये गये खर्च किये जाने वाले खर्च के केन्द्रीय भाग के लिये 19.27 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

(ख) चौथी योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ग्रामीण सड़कों के खर्च के लिये केन्द्रीय भाग के लिए आवंटन निश्चित किया जायेगा।

'कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों' को वस्त्र भत्ता

3111. **श्री शारदा नन्द :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटेलीजेंस ब्यूरो के कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों को जिस आदेश के अनुसार वस्त्र भत्ता दिया जा रहा है, उसका वर्ष और तिथि क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों में ऐसी शाखाओं में काम करने वाले कांस्टेबलों और हैड कांस्टेबलों को वस्त्र भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इंटेलीजेंस ब्यूरो में अब तक यह भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) : सरकार द्वारा 18-1-1961 को निर्धारित की गई प्रतिनियुक्ति की युक्तिसंगत शर्तों के अनुसार 1 मार्च, 1961 से गुप्तचर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कांस्टेबल और हैड-कांस्टेबल क्रमश: 30.00 रुपये व 40.00 रु० के वार्षिक वर्दी-भत्ते के हकदार हैं तथा उन्हें इसका भुगतान किया जाता है बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दें कि अपेक्षित वर्दी उस सारी अवधि में रखी गई है जिसके लिये वर्दी भत्ता मांगा गया है।

राज्य सरकारें राज्य में लागू विनियमों के अनुसार निःशुल्क वर्दी और या/कपड़ा भत्ते की व्यवस्था करती है।

आपातकालीन सहायता संगठन योजना

3112. **श्री रवि राय :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि आपात-कालीन सहायता संगठन योजना में निर्धारित व्यवस्था की स्थापना की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दें ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की राज्यवार स्थिति क्या है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित आपातकालीन सहायता संगठन योजना के ब्यौरे के बारे में सूचना, जैसी उन्होंने भेजी है, सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 347/69]

मैसूर में पर्यटन के विकास के लिये वित्तीय सहायता

3113. श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर सरकार से राज्य में पर्यटन कार्यों के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में कोई नये होटल बनाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : भारत पर्यटन विकास निगम ने, जोकि एक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यम है, बंगलौर में एक पांच-स्टार श्रेणी का होटल बनाना प्रारंभ कर दिया है । होटल में 200 शय्याओं की क्षमता होगी और इस पर एक करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा इसके 1970 में पूरा हो जाने की आशा है ।

Introduction of Jumbo jet and Supersonic planes

3114. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Rabi Ray :
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Jumbo jet and other Supersonic planes are likely to be pressed into service in International air-services in the next few years;

(b) if so, whether adequate arrangements have been made for them at the Indian airports ; and

(c) if not, the action being taken to provide facilities for them at the Indian Airports ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Boeing 747 (Jumbo Jet) is expected to be in commercial by the end of 1969, but is likely to operate through Indian airports from 1971 onwards. Supersonic planes are not expected to be in service for the next few years.

(b) and (c) : The question of developing the four international airports at Delhi, Bombay, Madras and Calcutta to bring them to the required standards by the time Jumbo Jets start operating to or through India has been examined by a high level committee under the chairmanship of Shri J. R. D. Tata. The final report of the Committee is yet to be received, but on the basis of their interim recommendations much technical investigation and attendant financial estimates have been worked out, and suitable provisions have already been included in the draft 4th Five Year Plan of this Ministry in this regard.

हवाई अड्डों पर आग बुझाने के उपकरण

3115. श्री वि० कु० मोडक :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री के० रमानी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे अनेक हवाई अड्डे हैं जहां पर उपयुक्त स्तर के आग बुझाने के उपकरण नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्डे कौन-कौन से हैं ; और

(ग) अपेक्षित उपकरण प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सब हवाई अड्डों पर अग्निशामक उपस्कर की व्यवस्था की गयी है [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 348/69**]। परन्तु 39 हवाई अड्डों पर, जिनका कि ब्यौरा सभा पटल पर रखी गयी सूची में दिया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा दिये गये निर्देशों की दृष्टि से यह उपस्कर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इन हवाई अड्डों पर बड़ी तेजी से अधिक बड़े और अधिक विकसित एवं जटिल विमानों को चालू किया जा रहा है जिनके कारण मौजूदा अग्निशामक उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई० सी०ए० ओ०) द्वारा निर्धारित मानकों की दृष्टि से अव्यवहार्य होता जा रहा है। क्योंकि देश में बने उपयुक्त क्रैश फायर टेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तथा विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति को भी दृष्टि में रखते हुए विमान क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करना संभव नहीं हो सका है। 25 क्रैश फायर टेंडरों के लिये एक आदेश शीघ्र ही दिये जाने की आशा है, तथा इस सम्बन्ध में कमी की यथासम्भव पूर्ति करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में और भी क्रैश फायर टेंडर प्राप्त किये जायेंगे।

बहुभाषा टाइपराइटर

3116. श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक ऐसे बहुभाषा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया है, जो अंग्रेजी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषाओं में भी टाइप कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आविष्कार की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता के प्रयोजन के लिये इस टाइपराइटर के प्रयोग करने पर विचार किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मक्त दर्शन): (क) ऐसा कोई आविष्कार अभी तक इस मन्त्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर हवाई अड्डे पर आग बुझाने के उपकरण

3117. **श्री स० कुन्दू :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर हवाई अड्डे पर आग बुझाने के उपकरणों की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो आग बुझाने के पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) मानक क्रैश फायर टेंडर 29-11-1968 से 24-1-1969 की अवधि में खराब था। परन्तु एक अन्य वाहक द्वारा कर्षित ट्रेलर पर 30/34 गैलन क्षमता वाले एक फार्म एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था करके वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिया गया जिससे रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा बिना विघ्न के चलती रही। केवल 21-1-1969 की रात को बम्बई/कलकत्ता/मद्रास से आने वाले विमानों को रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा को नागपुर में रोका और रद्द कर दिया गया क्योंकि वैकल्पिक प्रबन्ध पर्याप्त नहीं था, हालांकि दिल्ली-नागपुर लिंक उस रात भी परिचालित रही। रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा के रोके जाने का एकमात्र यही अवसर था।

(ग) नाकाम हुए क्रैश टेंडर की अब मरम्मत कर दी गयी है तथा उसे काम में लाया जा रहा है। एक और क्रैश फायर टेंडर की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

केन्द्रीय सचिवालय तथा दिल्ली प्रशासन में हिन्दी में लिखा-पढ़ी

3118. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय तथा दिल्ली प्रशासन में यदि पूर्ण रूप से फाइलों में हिन्दी में लिखा-पढ़ी की जाती है तो ऐसी फाइलें कितने प्रतिशत हैं ;

(ख) यदि इस हिसाब से काम होता रहा तो हिन्दी में पूर्ण रूप से कब तक पूरा काम होने की आशा की जा सकती है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह जांच न किये जाने के क्या कारण हैं कि हिन्दी को राज्य भाषा बनाये जाने से उसके सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित होने में बाधा पड़ गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रत्येक फाइल को देख कर अपेक्षित सूचना एकत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा जो प्राप्त होने वाले परिणामों के तुल्य नहीं होगा ।

(ख) यथा संशोधित राज भाषा अधिनियम, संघ के समस्त सरकारी प्रयोजनों के लिये अनिश्चित काल तक के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति देता है ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि हिन्दी के संघ की राज भाषा बन जाने से सम्पर्क भाषा के रूप में उसके विकास में बाधा पड़ गई है । अतः कोई जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

3119. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस के क्या कारण हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण नोटिस बोर्ड, जिन पर यह लिखा हुआ हो कि सतर्कता आयुक्त के पास शिकायत करने के प्रपत्र लगभग सभी कार्यालयों, संस्थाओं, जिनमें अस्पताल भी शामिल हैं, तथा परिवहन और बिजली जैसे सरकारी उपक्रमों में निदिष्ट अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं, और यदि शिकायत-कर्त्ता चाहे तो उसका नाम भी नहीं चलाया जायेगा, नहीं दर्शाये जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे प्रपत्र छापे जायेंगे और उनके आसानी से मिलने की व्यवस्था की जायेगी ;

(ग) क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि सतर्कता अधिकारी क्रम से सभी कार्यालयों संस्थाओं और उपक्रमों में वहां भ्रष्टाचार के तरीकों और भ्रष्टाचार में अन्तर्गस्त कर्मचारियों के बारे में अध्ययन करें और अपनी रिपोर्ट दें और यदि नहीं, तो इसे रोकने के लिए कौन सी अन्य व्यवस्था की गई है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये नहीं लिखा जाता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : चूंकि शिकायतों का सार महत्वपूर्ण है न कि शिकायतों का प्रपत्र अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायतें करने के लिए न तो कोई प्रपत्र निर्धारित है और ना कोई मानक प्रपत्र निर्धारित करना आवश्यक है ।

(ग) मुख्य सतर्कता अधिकारियों । सतर्कता अधिकारी अपने विभागों में विद्यमान प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का पुनरीक्षण करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली त्रुटियों को हटाने के कदम उठाते हैं । चुने हुए विभागों तथा कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी सतर्कता योजना प्रतिदर्श तैयार की जाती है ।

(घ) राज्य सरकारों की अपने अपने सतर्कता संगठन हैं। भ्रष्टाचार निरोध पर समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई थी।

बेरोजगार इंजीनियर, ग्रेजुएट तथा लाइसेंसशिएट

3120 **श्री लोबो प्रभु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कुल कितने इंजीनियर, ग्रेजुएट और लाइसेंशिएट उत्तीर्ण हुए ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(ग) उन्हें रोजगार देने के लिये कोई योजना न बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्तमान सड़कों और ग्राम्य संचार असम्बद्ध भागों का सर्वेक्षण करने और उनका अनुमान लगाने को विशेष कार्य पर उन्हें न लगाने तथा बाद में धन उपलब्ध होने पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी): (क) अनुमान है कि लगभग 17,000 ग्रेजुएट तथा 26,000 डिप्लोमा धारी 1968 में उत्तीर्ण हुए।

(ख) उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों में से बेरोजगारों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ): मई, 1968 में, इंजीनियरों के लिए रोजगार अवसरों के बनाने के अनेक उपाय अपनाने का निश्चय किया। अपनाये जाने वाले उपायों का एक विवरण 26 जुलाई, 1968 की तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया था। अपनाये जाने वाले उपायों में से एक उपाय, चतुर्थ तथा पंचवर्षीय योजना की प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तथा अनुसंधानात्मक कार्य का आरम्भ करना था। चूंकि ऐसे कार्य के अवसर सिंचाई व सड़क प्रायोजनाओं के मामले में विद्यमान है, जो राज्य क्षेत्र में आते हैं, अतः परिवहन मन्त्रालय तथा सिंचाई व बिजली मन्त्रालय ने इस मामले में शीघ्र कार्यवाई करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है।

दिल्ली की यात्रा पर आने वाले विद्यार्थियों के लिये आवास स्थान

3121. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के दलों को आवास के लिये क्या व्यवस्था की जाती है ;

(ख) ऐसे विद्यार्थियों को छुट्टियों के दिनों में स्कूलों और कालेजों के छात्रावासों में आवास स्थान नहीं देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बात का तथा विभिन्न स्थानों, आकर्षक स्थलों का विद्यार्थियों में प्रचार करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस प्रकार के पर्यटन के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाने का भी सरकार का विचार है, जिसमें विद्यार्थियों, संस्थाओं तथा पर्यटन और रेलवे मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हों, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार महसूस करती है कि पर्यटन के लिये आए हुए विद्यार्थियों के दलों के लिये दिल्ली तथा पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों पर आवास व्यवस्था अपर्याप्त है परन्तु सीमित साधनों के कारण वे इस मामले में अधिक कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चुने हुए स्थानों पर युवक होस्टलों के निर्माण में सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय भ्रमण करने वाले विद्यार्थियों द्वारा छुट्टियों के दौरान अपने होस्टलों के प्रयोग की, जब उनसे इसके लिए अनुरोध किया जाता है, अनुमति दे देता है। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है परन्तु मामला निःसंदेह संबंधित संस्थाओं के प्रबन्धक-वर्ग के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों तथा उनमें से प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की आवास व्यवस्था के ब्यौरे विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पर्यटन साहित्य में दिये जाते हैं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गणतन्त्र दिवस को यातायात की रोक के कारण संसद सदस्यों को तंग करना

3122. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 और 27 जनवरी, 1969 को गुरुद्वारा रकाबगंज, नई दिल्ली पर रहने वाले संसद सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पूर्वी दिशा से घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पुलिस ने उन्हें बहुत असुविधा पहुँचाई थी और उन्हें अनावश्यक परेशान करने वाले प्रश्न पूछे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई घटना दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई समिति, कलकत्ता को अनुदान

3123. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार एशियाई समिति, कलकत्ता को सरकार की ओर से कुल कितनी सहायता और कितनी राशि के अनुदान दिये गये ; और

(ख) क्या इस समिति की सहायता और अनुदान की राशि बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में शिक्षा मन्त्रालय द्वारा कुल 20,000 रुपए की सहायता दी गई और वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

1966–67	
1967–68	कुछ नहीं
1968–69	20,000 रुपये

(ख) मामला विचाराधीन है।

मालदा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक गृह

3124. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालदा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक गृह के निर्माण-कार्य पर किये गये कुल व्यय में यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अंश है, तो कितना ;

(ख) उस पर्यटक गृह के निर्माण कार्य पर कुल कितनी लागत आई हैं ;

(ग) निर्माण-कार्य कब पूरा हुआ था ; और

(घ) उसमें कितने पर्यटक सभी सामान्य सुविधाओं समेत एक साथ ठहर सकते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1.5 लाख रुपये।

(ख) 5 लाख रुपये।

(ग) दिसम्बर, 1968 में।

(घ) सोलह।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को मकान के किराये की ऊपरी सीमा

3125. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की मकान किराये की अधिकतम सीमा हाल में बढ़ाई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऊपरी सीमा किस हद तक बढ़ाई गई है;

(घ) क्या अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की, विशेषकर अराजपत्रित कर्मचारियों की, मकान किराये की अधिकतम सीमा उसी तरह से बढ़ाई जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में दीघा में पर्यटक गृहों/होटलों में सुविधायें

3126. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों को, जो पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे पर स्थित स्थान, दीघा जाना चाहते हैं । केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर यदि कोई सुविधाएं दी जाती हैं, तो क्या ; और

(ख) क्या सरकार को लोगों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये पर्यटक गृहों तथा होटलों में स्थान नहीं मिल पाता है क्योंकि वहां पर सरकारी अधिकारी हमेशा ही कब्जा किये होते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने दीघा में जनता को उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं का प्रबन्ध किया है जिनमें ये सम्मिलित हैं : विभिन्न रूचि तथा आय वाले लोगों के लिये आवास, परिवहन, जल व्यवस्था, बिजली तथा कैन्टीन ।

(ख) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

हिन्दी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

3127. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई हिन्दी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : हिन्दी सलाहकार समिति के लिये सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । इसका कार्य सरकार को सरकारी प्रायोजनों के लिये हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है । 9-6-67 से अपने गठन के पश्चात समिति ने कई सिफारिशें की हैं । एक विवरण जिसमें समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें दी गई हैं तथा जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है, सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०349/69**]

Hotel for Tourists at Gwalior

3128. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tourist Department have under consideration a scheme to open a hotel at Gwalior for the benefit of the tourists;

(b) if so, the outlines of the scheme; and

(c) the time by which this hotel would be constructed there ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : While there is no proposal to construct a hotel at Gwalior in the public sector, the question of constructing a motel there is under the consideration of the India Tourism Development Corporation. The final decision will depend on inter se priorities based on market surveys and availability of funds.

Theft Incidents at Bombay Port Trust

3129. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stray incidents of thefts at the Bombay Port Trust are taking place with the connivance of the employees there ; otherwise how do the thieves know as to where and in which packets the valuable articles are kept ; and

(b) if so, whether any action have been taken against the officials concerned ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The possibility of some of the thefts occurring with the connivance of employees of the Bombay Port Trust cannot be ruled out. It would not however, be correct to hold that the information as to which of the packages stored in the Dock area contained valuable articles was within the exclusive knowledge of Port Trust employees. Copies of manifests of vessels wherein the description of goods is furnished, are available with the Port Trust, Ship Agents/Owners and Customs. Apart from this, employees of Ship/Owners Agents, Customs, Clearing Agents, Stevedores, Police personnel, Ship Chandlers etc ,constantly call at the ships and transit sheds where cargoes are stored and could gather information as to the type of cargo lying stored in the Docks.

(b) In the case of the Port Turst employee involved or suspected to be implicated in pilferage in the Docks, the following action is taken :-

(I) The employee is suspended from duty pending disposal by the Magistrate of the charges framed against him by the Police.

(II) If the case results in a conviction, the employee is dismissed from service.

(III) If the employee is acquitted of the charges, he is immediately reinstated in service but a departmental enquiry is initiated if the records suggest that a prima-facie case exists for such an enquiry and a decision is thereafter taken on the findings of the Board of Enquiry.

(IV) A departmental Board of Enquiry is held in a case whether the Police authorities may not prosecute the employee (for want of sufficient evidence or on some other grounds) but the Administration takes the

view or is advised on the basis of available evidence that such an action is warranted. The question whether or not in such a case the employee concerned should be under suspension during the period of enquiry would largely depend on the facts of that case as also whether or not the continuance on duty of such a person would impede the conduct of the enquiry.

Bombay Port Trust

3130. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bombay Port Trust are receiving thousands of claims from the importers in which they have claimed various amounts of money for the goods received in lesser quantity by them; and

(b) if so, the amount of money paid by the Bombay Port Trust on this account during the years 1966-67 and 1967-68, separately ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The Bombay Port Trust has been receiving a large number of claims from Importers for shortages in goods received by them.

(b) The amounts for claims for shortages paid by the Port Trust during the years 1966-67 and 1967-68 are as follows :-

1966-67	—	Rs. 34,481.03
1967-68	—	Rs. 48,529.22

Thefts at Bombay Port Trust

3131. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that incidents of thefts have been taking place in the various docks of the Bombay Port Trust for the past many years;

(b) if so, the quantity of goods stolen therefrom during the last three years, year-wise; and

(c) the action taken to check such incidents of theftsin future ?

The Deputy Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) The quantity of goods stolen from the various docks of the Bombay Port Trust during the last three years, year-wise, is as follows :-

Year	Cases reported	Cases reported	Property stolen	Property recovered
1966	396	247	Rs. 7,18,412/-	Rs. 5,96,816/-
1967	401	310	Rs. 6,10,137/-	Rs. 4,72,734/-
1968	641	428	Rs. 18,88,541/-	Rs. 14,58,237/-

(c) The Port authorities are periodically reviewing and tightening their arrangements to check pilferages. The anti-pilferage mea ures are looked after by the Port Police and the Port which and ward staff. Anti-pilferage measures already in force include permit system for regulating entry into the Port areas, high perimeter walls, strenghening of

lock-fasts in transit sheds, improved lighting in the docks, jetties and yards and operation of mobile squads, etc.

The Dock gates are manned by Police personnel. All incoming and out-going persons as well as vehicles are checked.

Round the clock patrol in the docks as well as in the sea is maintained, and anti-social elements are picked out. Besides frequent patrolling, surprise general round-ups in the docks are made and the persons found in the docks are screened, and those who are found inside the dock without any reasonable explanation are arrested and prosecuted for trespass. Patrols by plain clothes policemen have also proved helpful in picking out bad characters.

A Port Anti-pilferage Committee is meeting regularly at this Port to keep a watch on the position and devise new measures where necessary.

केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

3132. **श्री जनार्दनन :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री बे० कृ० दास चौधरी
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य विधान मण्डल में विचाराधीन केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक के कुछ उपबन्धों पर केरल सरकार को अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार व्यक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सचाई है कि केन्द्र ने इस विधेयक की स्वीकृति न देने का निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : राज्य विधान मण्डल में यथापुर: स्थापित विधेयक को इस शर्त पर अनुमति प्रदान कर दी गई है कि उसके कुछ उपबन्धों को राज्य सरकार को बताई गई बातों के आधार पर सैनिक कर्मचारियों, धार्मिक तथा परोपकारी संस्थानों एवम् बगीचा लगाने वालों के हितों के लिये संशोधित किया जाय ।

नृत्य संस्थाएं

3133. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भारत में प्रत्यक्षत: कितनी नृत्य संस्थाएं चलाई जाती हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन सस्थाओं में कितने अध्यापक नियुक्त हैं और उनके वेतन–मानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं को, संस्था वार, वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितना-कितना अनुदान दिया गया?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) : इस समय केवल एक ही संस्था है अर्थात जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा सीधे ही चलाई जा रही है। कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली नामक एक और संस्थान है, जिसका सारा खर्च 1 अक्तूबर, 1964 से अकादमी उठाती है। किन्तु इसके प्रबन्ध की जिम्मेदारी फिलहाल, भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की है।

(ख) (i) **जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल**

दो नृत्य गुरु—एक 175-15-475 रुपए के वेतन मान में और दूसरा 125-7½-155-9-245-10-275 रुपए के वेतन-मान में।

13 अध्यापक-6 अध्यापक 125-7½-155-9-245-10-275 रुपए के वेतन मान में और 7 अध्यापक 110-4-150-4-170-5-200 रुपए के वेतन मान में।

(ii) **कत्थक केन्द्र, नयी दिल्ली।**

500-300-800 रुपए के वेतन मान में 3 नृत्य गुरु;

325-15-575 कु० रो०- 20-475 रुपए के वेतन मान में एक अध्यापक (कंठ); और

250-25-500 रुपये के वेतन-मान में तीन अध्यापक (दो वाद्य तथा एक नृत्य)

(ग) संगीत नाटक अकादमी की इन संस्थानों के खर्च के लिए निम्नलिखित अनुदान दिये गए हैं :-

	1967-68	1968-69
जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल	47,5000	78,000
कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली	1,82,000	2,00,000

मनीपुर के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान

3134. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान देने के मामले में मनीपुर सरकार त्रिपुरा अनुदान पद्धति का अनुसरण करती है;

(ख) क्या छठी कक्षा तक के गैर-सरकारी प्रारम्भिक स्कूलों को अनुदान के मामले में भी अनुदान की वही पद्धति अपनायी जाती है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या ऐसे प्रारम्भिक स्कूलों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिये अनुदान पर्याप्त होता है; और

(घ) यदि अनुदान अपर्याप्त होता है, तो क्या सरकार का विचार छठी कक्षा तक के प्रारम्भिक स्कूलों के लिये अनुदान की वही पद्धति लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। मणिपुर सरकार अनुदान की एक भिन्न-पद्धति का पालन करती है।

(ख) जी नहीं। मणिपुर में प्रारम्भिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों को अनुदान की भिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं।

(ग) जी हां, अनुदान पर्याप्त समझा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में अपराध

3135. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में इम्फाल नगर में सशस्त्र डकैतियों की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है, और इन मामलों में कौन से तत्व अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पिछले छः महीनों के दौरान इम्फाल नगर में सशस्त्र डकैतियों के 4 मामले रिपोर्ट किये गये। ये घटनाएं इक्की-दुक्की घटनाएं समझी जाती हैं और अपराध की स्थिति में किसी विशेष प्रवृति का संकेत नहीं देती हैं। इस संबंध में दर्ज किये गये मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) नगर में पुलिस की गश्त तीव्र कर दी गई है।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग में सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाना

3136. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को आज तक अर्धस्थायी अथवा स्थायी घोषित किया गया है;

(ख) क्या मुख्य इंजीनियर, मनीपुर को मनीपुर सरकार द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जैसा कि उपरोक्त उत्तर में उल्लिखित है 31 मार्च, 1969 तक इस काम के पूरा होने की आशा है;

(ग) क्या उपरोक्त वर्गों के कर्मचारियों में जिन्हें अर्धस्थायी अथवा स्थायी घोषित किया जायेगा प्रभारी कर्मचारी भी शामिल किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : मनीपुर सरकार के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 140 कर्मचारियों को अर्धस्थायी तथा 77 कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया है। आशा की जाती है कि 31 मार्च, 1969 तक सभी योग्य कर्मचारियों को अर्धस्थायी। स्थायी घोषित कर दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) मनीपुर लोक निर्माण विभाग में निर्माण-प्रभारी संस्थान की शर्तों, भर्ती के नियमों आदि को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस वर्ग के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के संवीक्षण करने के लिए एक तदर्थ समिति के गठन पर भी मनीपुर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

3137. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में इस समय कितनी-कितनी पहली तथा दूसरी अपीलें और लेख याचिकाएं अनिर्णीत पडी हैं; और

(ख) उपरोक्त मामलों से उत्पन्न अन्य कितने मामले प्रत्येक उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) और (ख) : 1 फरवरी, 1969 को प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में अपेक्षित सूचना बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 350/69]**

एयर इंडिया द्वारा किये जाने वाले कदाचार

3138. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया पर यह आरोप लगाया गया है कि वह विदेशी विमान सेवाओं में अनुचित तथा धोखा-धड़ी के काम कर रहा है;

(ख) क्या इन आरोपों का निपटारा करने के लिये राजीनामे के बतौर अमरीकी सिविल एरोनाटिक्स बोर्ड को 25,000 डालर की राशि देनी पड़ी थी; और

(ग) संबंधित कदाचार क्या थे और उनके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 352/69]**

कलकत्ता पत्तन का तलकर्षण

3139. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन में तलकर्षण सम्बन्धी कार्यों पर प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत भार वहन करने की निर्णय सरकार ने किन कारणों से किया है;

(ख) इस वचन को पूरा करने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन अधिकारियों को उन वचनों के सम्बन्ध में जो इसके फलस्वरूप उनके बजट में होगी, कोई निदेश दिया गया है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) :कलकत्ता पत्तन का यातायात जो सन् 1964-65 में 11 लाख टनेज था अब कम हो गया है और इस वर्ष लगभग 8 लाख टनेज हो जाने की आशा है। हुगली नदी की बिगड़ती हुई हालत का जहाजों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है और दूसरे पत्तनों पर माल के यातायात में वृद्धि हो जाने की कोई संभावना नहीं रही। पिछले कई सालों के दौरान पत्तन की दरों में बहुत संशोधन किये जाने पर भी पत्तन बराबर घाटे का खर्च वहन करता आ रहा है। और सुरक्षित धन राशि में आशातीत कमी हो गई है। खुदाई और देखभाल पर अब कुछ खर्च सन 1947-48 में 74 लाख से 7.4 करोड़ ऊपर बढ़ गया है। पत्तन की ऋण दरे भी शीघ्रता से बढ़ गई हैं। कलकत्ता पत्तन की आर्थिक दशा के विषय को सन् 1967 में स्वर्गीय पी० सी० भट्टाचारी को जांच के लिये लिया गया था। जुलाई, 1968 में उन्होंने जो दोनों ही ऋणों, जिस में पुनर्भुगतान अवद्धि 6-8 वर्ष होनी हैं, से अच्छी है। इसी प्रकार मिलाकर इन दोनों ऋणों की औसत ब्याज दर सवा चार प्रतिशत वार्षिक होती है जो जहाजों के लिए दिये गये तदर्थ ऋणों की 6 प्रतिशत सामान्य दर से न्यून है।

(ख) इन ऋणों से भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए लगभग 1.03 लाख डी डब्लू टी के 6 जहाज लिए जा सकेंगे।

(ग) 1967-68 में भारतीय जहाजों में ले जाये गये भारतीय निर्यात का प्रतिशत लगभग 16.58 प्रतिशत है। भारत के महासागरी बेड़े में इन 6 जहाजों के मिलने से भारतीय जहाजों में ले जाये जाने वाले भारतीय निर्यात और आयात का भाग और बढ़ जायेगा। लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि होगी यह अनुमान लगाना संभव नहीं और खासकर केवल निर्यात के लिए।

काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास

3140. **श्री अदिचन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के मुख्य मन्त्री ने गत जनवरी में जब वह नई दिल्ली आये थे, काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो काश्मीर के मुख्य मन्त्री द्वारा वास्तव में क्या तथा कैसी समस्या प्रस्तुत की गई थी और क्या मांग की गई थी; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : जी हां, श्रीमान्। जम्मू व काश्मीर के मुख्य मन्त्री ने भारत सरकार से 12,000 से 15,000 परिवारों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्य मन्त्री द्वारा पुनर्वास लागत लगभग एक करोड़ रुपया आंकी गई है। सरकार प्रस्ताव की सभी अर्थापत्तियों की परीक्षा कर रही है।

Representation to Minorities and Backward Classes

3141. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Kikar Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri M. N. Solanki :
Shri D. R. Parmar :
Shri Devan Sen :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have framed any separate rules to give representation to some minorities and extremely backward communities like Sweepers and 'Dhanuk' among the Scheduled Castes in the Government Service as also to grant them promotion;

(b) whether Government feel the necessity of framing special rules to check the monopoly of a particular majority community in Government Services and promotions therein as also to ensure proportional/equal representation to different communities keeping in view the backwardness of minorities ;

(c) whether Government propose to take any steps to give preference to the minorities under such rules : and

(d) the details of the provisions, if any, in the existing rules ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S Ramaswamy) : (a) No, Sir,

(b) to (d) The existing rules provide for reservation in services under Government for the Scheduled Castes as a whole and the Scheduled Tribes as a whole, There is no provision for further reservation for any particular community listed among the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Government have also not recogni ed any caste or castes among the Scheduled Castes as majority or minority communities on the basis of the relative backwardness of any particular community or otherwise. The question of framing any special rules in this regard therefore does not arise.

माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा

3142. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा को एक विषय के रूप में आरम्भ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : माध्यमिक स्कूलों में कृषि विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र में कोई योजना नहीं है। राज्यों में इसके बारे में स्थिति से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

3143. **श्री अदिचन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) (क) से (ग): अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त किन्हीं पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार की अन्तर्गत सेवाओं। पदों में कोई आरक्षण नहीं है। अतः सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Guru Golwakar's views on Rights of Minorities

3144. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the details of interview with Guru Golwalkar published in 'Navakal' a Marathi daily of Bombay ;

(b) whether it is a fact that in the said interview he had held the demand of proper rights by minorities, Harijans and people of Backward Classes as disruptive for the country ;

(c) whether he has put forward new suggestions to convert untouchables ;

(d) whether areaction among some sections of the Indian society has developed against him after his said interview ; and

(e) whether Government are contemplating to impose a ban or take some action on the publication of public speeches, writings and interviews expressing views opposed to national unity ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (e) : Facts are being ascertained from the State Government.

Criticism of Assam Reo ganisation Plan

3145. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some meetings in the Assam Hill District, the proposals regarding the reorganisation of Assam were strongly criticised ;

(b) if so, the main plea and demands of the critics ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : Meetings have been held in certain parts of the hill districts at which resolutions were passed rejecting the scheme for constituting an Autonomous State within the State of Assam and demanding the creation of a separate hill State.

(c) Government consider that the creation of an Autonomous State as already announced, and not a separate State for the hill areas, would be in the best interests of the people of the hill and the valley areas of Assam.

Air-Journey Performed by Central Ministers

3146. **Shri S. M. Joshi :**
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Virendrakumar Shah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total mileage of air-journeys performed by Central Ministers and the Prime Minister in connection with recent Mid-term elections ;

(b) the number of such air-journeys performed on the Government account ;

(c) whether there have been any such instances also where the Minister concerned might have gone to a certain place by air on official business and from there he might have gone on election campaign instead of returning to Delhi ; and

(d) if so, the full details in respect thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affair (Shri K. S. Ramaswamy) (a) and (b) : There are instructions to the effect that tours undertaken by Central Ministers in connection which election campaign should not be treated as official tours. The question of such journeys being performed on Government account, therefore, does not arise. The details of the journeys are not available as they are not on offical tours.

(c) and (d): The information is bsing collected and will be laid on the Table of the House.

राजस्थान विश्वविद्यालय में पैरा साइकोलोजी यूनिटों को बन्द करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दल

3147. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक तीन-सदस्यीय दल ने हाल में राजस्थान विश्वविद्यालय का दौरा किया था और उसने उस विश्वविद्यालय के पैरा-साइकोलोजी यूनिटों को जारी रखने के विरूद्ध विचार व्यक्त किया था ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन यूनिटों के लिये उस विश्वविद्यालय को कितनी सहायता देता है ; और

(ग) क्या उस दल ने इन यूनिटों को बन्द करने का भी सुझाव दिया है और यदि हां, तो किन कारणों से ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने 19 और 20 अप्रैल, 1968 को राजस्थान विश्वविद्यालय का दौरा किया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट में पेरा-साइकोलोजी यूनिट के कार्य के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिट के लिए विश्वविद्यालय को अब तक 45,000 रूपए दिए हैं ।

(ग) समिति की राय थी कि पेरा-साइकोलोजी यूनिट को उसके वर्तमान रूप में जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे साधनों की बरबादी होगी तथा पेरा-साइकोलोजी के प्रति भारत तथा विदेश के शिक्षाविदों की सहानुभूतियां समाप्त हो जाएंगी तथा इससे वैज्ञानिक विषय के इसके दावे को क्षति पहुंचेगी ।

भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का विकास

3148. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता करने तथा सलाह देने के लिये सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके लिये संयुक्त राष्ट्र से सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या इस योजना में राजस्थान को शामिल किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग): सांस्कृतिक पर्यटन के संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ, डा० एफ० आर० आँलचिंग इस समय इस देश के पुरातत्व एवं सांस्कृतिक महत्व के मुख्य मुख्य केन्द्रों का भ्रमण कर रहे हैं । वह राजस्थान में जयपुर, उदयपुर तथा रणकपुर का पहले ही दौरा कर चुके हैं । अपना दौरा पूरा करने के बाद वे विभाग को इस बारे में सलाह देंगे कि उन स्थानों के परिरक्षण, तथा पर्यटक आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकास की सर्वोत्तम व्यवस्था कैसे की जा सकती है ।

राज्यों में लाटरी निकालने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति

3149. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को राज्य में लाटरी निकालने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अनुमति मांगी है और इस बारे में किन राज्यों को अनुमति दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) : भारत सरकार ने राज्य लाटरियां चलाने के इच्छुक सभी राज्यों को ऐसा करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि ऐसी किसी लाटरी के टिकट दूसरे राज्य में उस राज्य की सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं बेचे जायेंगे ।

भारतीय पत्तनों का बड़े जहाजों के लिये उपयुक्त न होना

3150. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय पत्तन बड़े जहाजों के लिये उपयुक्त नहीं है और विश्व के अन्य देशों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय पत्तनों में बहुत सी अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण, भारतीय पत्तनों में आने वाले तथा वहां से जाने वाले माल पर भाड़े का भार विश्व में उसी दर के लिये लगभग सबसे अधिक है,

(ग) यदि हां, तो भाड़े के अधिक भार के कारण भारतीय पत्तनों को कितनी हानि हुई ; और

(घ) भारतीय पत्तनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये 1968 में क्या उपाय तथा सुधार किये गये हैं और क्या ये सुविधाएं भारतीय माल पर दिये जाने वाले भाड़े के भार को कम करने में सफल रही हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लगातार पंच वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारतीय बड़े पत्तनों पर कई सुधार किये गये ताकि उनमें बड़े जहाजों का आगमन हो सके और नये पत्तन-निर्माण में लक्ष्य सदा यह रहा है कि उनमें और अधिक डुबाव तथा सुधरी हुई सुविधाएं यथा संभव अधिकतम सीमा तक उपलब्ध हो । हाल के गत वर्षों में नौवहन तकनोलाजी में शीघ्रता से परिवर्तन हुए हैं और इन नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार के कई भागों के पत्तनों पर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । इसके फलस्वरूप बाहरी पत्तनों पर के डुबाव में और सुधार की आवश्यकता हो गई है और विशेष करके तेल, खनिज लौह, खाद्यान्न उर्वरक, इत्यादि जैसे खुले माल की धरा उठाई के लिए । मौजूदा पत्तनों पर नई सुविधाओं की डिजाइन बनाने और नये बन्दरगाह निर्माण करने में इन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) : पत्तनों में आने जाने वाली वस्तुओं पर का भाड़ा प्रभार पत्तन पर की सुविधाओं के अलावा कई कारणों पर निर्भर करता है । अतः यह बताना कठिन है कि किसी दिये गये समय पर केवल पत्तन सुविधाओं के कारण भाड़ा दरें किस हद तक ऊंची

रही । ऊंचा भाड़ा भारतीय पत्तनों को हानि नहीं पहुँचाता है क्योंकि भाड़ा प्रभार नौवहिक पर लगता है पत्तन पर नहीं ।

(घ) नौवहन की परिवर्तन हो रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्तनों पर की सुविधाओं का विकास एक लगातार जारी रहने वाला प्रयत्न है । इस पर भी पत्तन सुविधाओं के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य तौर पर लंबी अग्रगामी अवधि की आवश्यकता होती है । जहां तक 1968 वर्ष का संबंध है बम्बई डाक विस्तार योजना, हल्दिया डाक योजना, मदरास तेल डाक कोचीन पर एक अतिरिक्त घाट, इत्यादि, जैसी मुख्य सुधार योजनाओं ने प्रगति की है । अनेक नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया । इनमें विशाखापत्तनम वाह्य बन्दरगाह परियोजना जिसे जहाजों के फेरों में और अधिक सुधार करने के लिए अधिकल्पित किया गया । जहाजों कर फेरो में सुधार करने और माल की और शीघ्रता से धरा उठाई करने के लिए पत्तन तिरते जलयानों, क्रेनों, नौचालन साधनों, फार्क लिफ्टों, ट्रकों इत्यादि में 1968 में वृद्धि की गई । जैसाकि पहले ही बताया गया है । पत्तन प्रभार विभिन्न बातों, जिन में पत्तन दशाए भी शामिल है, को दृष्टि में रख कर निश्चित की जाती हैं । हमारे निर्यात व्यापार में भाड़ा दरों पर नौवहन महा निदेशालय नजर रखता रहा है । इसके परिणामस्वरूप सम्मेलन लाइनों द्वारा लिये जाने वाले कुछ अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिये गये हैं । पत्तन सुविधाओं में सुधार करके भाड़े की दरों में कमी करने का प्रश्न सारे विकासशील देशों द्वारा लगातार किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न का अंग है ।

अनुच्छेद 370 का हटाया जाना

3151. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत संघ के अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के लिये श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गये संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान लोक-सभा में व्यक्त किये गये मतैक्य का आदर करते हुए, क्या सरकार का विचार उस राज्य के भारत संघ के साथ और अधिक विलय के लिये कोई अग्रेसर कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) : उन विचार-विमर्शों में, सरकार की इस नीति से सामान्य सहमति प्रकट की गई थी कि संविधान के अन्य उपबन्धों को धीरे-धीरे जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू किया जाय ।

(ख) और (ग) : 1966 में संविधान के अनुच्छेद 81,325,326,327 तथा 329 उचित संशोधनों के साथ जम्मू व काश्मीर राज्य पर लागू किये गये जिससे उस राज्य में देश के अन्य भागों की तरह लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो सके ।

1967 में, संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 जिसने संविधान के अनुच्छेद 324 का संशोधन किया था, तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967 तथा संवर्ती सूची की प्रविष्टिया संख्या 16,18 तथा 19 को उस राज्य पर लागू किया गया ।

1968 में चुनाव याचिकाओं में राज्य उच्च न्यायालय के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपीलों के संबंध में संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 72 को संशोधित रूप में उस राज्य पर लागू किया गया ।

चालू वर्ष में विधान बनाने की अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 की संशोधित रूप में उस राज्य पर लागू किया गया ।

Scholarships to Children of Low Paid Government Employees in Delhi

3152. Shri Vidya Dhar Bajpai : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of scholarships granted under the post-matric scholarship scheme during the last three years to such children of low paid Government Employees as are receiving polytechnical and general education in the capital ; and

(b) if no scholarship was granted, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) (a) and (b) : There is no separate Scheme of scholarships for the children of Government employees of any category.

काशी विद्यापीठ, वाराणसी

3153. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद के बारे में अन्तिम रूप से समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : विद्यापीठ के कर्मचारियों ने 30 जनवरी, 1969 को हड़ताल की थी, उनकी मुख्य मांगों में से एक मांग-तीन महीने के वेतनों का भुगतान था जो उन्हें देय था । 17 फरवरी, 1969 को वेतन की सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया था और हड़ताल वापिस ले ली गयी थी । विद्यापीठ के प्राधिकारी कर्मचारियों की अन्य मांगों की जांच कर रहे हैं ।

चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती पर पाबन्दी

3154. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वर्ष के लिये चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बन्द करने तथा तीसरी श्रेणी के पदों पर भर्ती को सीमित करने का सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इससे खर्च में कितनी बचत होगी ; और

(घ) इस वर्ष श्रेणी 2 और 1 के कितने पद भरने का विचार है, उन पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा और इन पदों पर भर्ती को सीमित करने से कितनी बचत होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) : बचत के लिए अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि कुछ अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त 7-3-1969 से एक वर्ष की अवधि के लिए चौथी श्रेणी के कुछ वर्गों तथा तीसरी श्रेणी की रिक्तियों की सीधी भर्ती को 50 प्रतिशत तक (और विशेष मामलों में 60 प्रतिशत तक) सीमित कर दिया जाय। चौथी श्रेणी के दूसरे पदों में जैसे चपरासी, जमादार आदि के पदों में इस अवधि में कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। चूंकि आदेश अभी हाल ही में जारी किये गये हैं अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप खर्चे में कितनी बचत होगी।

(घ) उपरोक्त से मालूम पड़ेगा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इस प्रकार इन वर्गों के पदों पर भर्ती को सीमित करने से होने वाली बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। इस वर्ष मंत्रालयों। विभागों इत्यादि द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी । तथा ।। के पद की संख्या तथा उन पर किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का विकास

3155. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस, पश्चिम जर्मनी, जापान तथा यूगोस्लाविया से वित्तीय सहायता उपलब्ध होने के कारण देश में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का विकास करने की बजाय मालवाहक जहाजों के लिये विदेशों में क्रयादेश दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में मालवाहक जहाज खरीदने के लिये उक्त देशों से सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ;

(ग) इस अवधि में सरकार द्वारा देशवार कितने मालवाहक जहाज खरीदे गये;

(घ) चौथी योजना अवधि में ऐसे जहाज खरीदने के लिये सरकार द्वारा अनुमानतः कितनी पूंजी लगाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) भारत में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग से सरकार का कितने प्रतिशत खरीद करने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) यू०एस०एस०आर० में किसी समय भी और जापान में तीसरी योजना के बाद जहाजों के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है तथापि ऐसे आदेश पश्चिम जर्मनी यूगोस्लाविया सहित विभिन्न अन्य देशों में दिये गये। जहां तक संभव हो सकता है भारतीय पोत-निर्माण उद्योग का पहले ही विकास किया जा रहा है। परन्तु सारी विकास योजनाओं के पूरा होने पर भी कुछ समय तक विदेशों से जहाज खरीदना जारी रखना जरूरी होगा।

(ख) और (ग): 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के तीन वर्षों में पश्चिम जर्मनी और यूगोस्लाविया से उपलब्ध ऋण सुविधाओं से इन देशों में जहाजों के निर्माण के लिए निम्न आदेश दिये गये हैं :—

पश्चिम जर्मनी	लगभग 26650 जी आर टी व 6·16 करोड़ रूपये मूल्य के 2 जहाज
यूगोस्लाविया	लगभग 32900 जी आर टी व 43·60 करोड़ रूपये के 8 जहाज।

(घ) सरकार जहाजों पर सीधी तौर पर कोई धन नहीं लगाती है। तथापि वह जहाज खरीदने के लिए भारतीय जहाजी कंपनियों को ऋण देने के लिए नौवहन विकास निधि समिति को धन देने की व्यवस्था करती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की जाने वाली व्यवस्था को इस समय नहीं बताया जा सकता है क्योंकि चौथी योजना को अभी अंतिमरूप दिया जाना है।

(ङ) भारतीय शिपयार्डों को कुल खरीदे जाने वाले जहाजों का अलग से कोई विशिष्ट प्रतिशत नहीं दिया जाता है परन्तु देश में अपेक्षित पोतो के निर्माण की वर्तमान तथा प्रत्याशित क्षमता को विदेशों में आदेश देते समय पूर्णतः दृष्टि में रखा जाता है।

भारतीय जहाजों में ढोया गया विदेशों को जाने वाला माल

3156. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजों में इस समय विदेशों को जाने वाला कितने प्रतिशत माल ले जाया जा रहा है ;

(ख) चौथी योजना अवधि के अन्त तक भारतीय व्यापार की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि होने का अनुमान हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार नए मार्ग शुरू करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) : 1967–68 में लगभग 15.5 प्रतिशत ।

(ख) जब तक चौथी योजना को अंतिमरूप नहीं दिया जाता है वृद्धि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ): नये मार्गों पर नौवहन सेवाएं विशेषकर विकासशील देशों में चालू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नेशनल शिपिंग बोर्ड ने एक उप समिति का गठन किया है । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

राज्यों द्वारा लाटरी जारी करके धन की व्यवस्था

3157. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री ग च० दीक्षित :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकारों की लाटरियों की उत्तरोत्तर अधिक श्रृंखलाएं जारी करके धन की व्यवस्था करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ती है, लाटरियां जारी करके धन की व्यवस्था करने की वांछनीयता के प्रश्न का पुनरीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की पुनरीक्षित नीति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) : कुछ राज्य सरकारों ने लाटरियां चलाकर धन जुटाने के कदम उठाये हैं ।

(ख) और (ग) : मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने लाटरियां चलाने के इच्छुक सभी राज्यों को ऐसा करने की इस शर्तें पर अनुमति दे दी है कि ऐसी लाटरी की टिकटें अन्य राज्यों में बिना उस राज्य की सरकार की स्पष्ट सहमति के नहीं बेची जायेंगी ।

सरदार बल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत

3158. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में सूरत स्थित सरदार बल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी के अधिकारियों के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुई है ,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाई की है ;

(घ) इस संस्थान में सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई है ; और

(ङ) क्या सरकार कालेज के निदेशकों के विरूद्ध लगाये गये आरोप की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरदार बल्लभभाई रीजनल कालेज, सूरत की कर्मचारी यूनियन द्वारा कालेज के गवर्नर्स बोर्ड को पेश किया गया मांग-पत्र प्राप्त हो गया है ।

(ख) यूनियन की मुख्य मांगों में ये मागें शामिल हैं । श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मकानों का निर्माण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी, ड्यूटी की नियमित घंटे, पदोन्नति के अवसर, गर्म वर्दी, छाता, रेन कोट आदि की सप्लाई, अतिरिक्त कार्य की एवज में समयोपरि भत्ता, विशेष भत्ता, अंशदायी निर्वाह निधि तथा उपदान नियमों में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन-मान तथा भत्ते तथा बच्चों के लिए शैक्षिक भत्ता ।

(ग) क्योंकि कालेज एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए मागों पर सबसे पहले कालेज के गवर्नर्स बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने कालेज को निम्नलिखित निधियों की व्यवस्था की है :—

(i) अनावर्ती अनुदान	रू० 65,95,000
(ii) आवर्ती अनुदान	रू० 19,61,500
(iii) ऋण	रू० 19,07,000

(ङ) मांगें गवर्नर्स बोर्ड के विचाराधीन हैं और इसलिए किसी जांच समिति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक अनुसंधान संस्थान

3159. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट प्रादेशिक अनुसंधान संस्थानों के लिये संसाधन जुटाने और कर्मचारी उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन दो प्रकार के अनुसंधान संस्थान हैं ;

(i) खाद्य, चमड़ा, औषधि, कांच तथा मृत्तिका, रसायन, खनन, धातुकर्मक, सडक, भवन तथा उन्हीं के समान जैसी विशेष कार्यक्षेत्र में लगे हुए संस्थान, और

(ii) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं जो बहुद्देशीय हैं, जिनका कार्य कच्चे-माल का प्रयोग करना तथा किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सहायता देना है। इस श्रेणी में हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू तथा जोरहाट में स्थित अनुसंधान प्रयोगशालाएं आती हैं।

इन प्रयोगशालाओं के साधनों का समेकित रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :

(1) सामान्य समस्याओं पर विचार विनिमय करने के लिए समय-समय पर सम्मेलनों में प्रयोगशालाओं के निदेशकों की बैठक।

(2) जब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जाते हैं, तब वे अपनी-अपनी समस्याओं पर अपने साथियों से बात-चीत करते हैं।

(3) इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार-विनिमय करने के लिए संबंद्ध प्रयोगशालाओं की समूह बैठकें बुलाने का प्रस्ताव है,

(4) परस्पर व्यापी क्षेत्रों पर विचार विनिमय करने के लिए बैठकें बुलाई जाती हैं।

(ख) कोयला, खनिज-पदार्थ, औषधीय पौधे, भेषत्रीय तथा औषधियां तथा रसायन जैसे मोटे मोटे क्षेत्रों में समन्वय की कोशिश की गई है, जिनसे अन्तर प्रयोगशालाओं की समस्याओं को भली भांति समझा जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Excavation Work at Kalibanga (Rajasthan)

3160. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the results of the excavation of Kalibanga situated in Shriganganagar (Rajasthan); and

(b) whether Government propose to take in hand the excavation work at the mound near Dablirathan near Tehsil Hanumangarh, District Shriganganagar and at the mound at land-holding No. 34 S. T. G., Village Barupalwala in Tehsil Suratgarh to find out as to what is the era to which they belong and as to what is the era to which the earth and metals, found out by the residents of the said places from time to time after digging these mounds, belong ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Excavations have revealed two periods of occupation at the site. Of these, the upper one (Period II) was Harappan (c. 2300-1800 B. C.). The lower settlement (Period I), being Pre Harappan, was found to be enclosed by a mud-brick

fortification wall. The Harappan settlement (Period II) consisted of two principal parts : (i) the citadel and (ii) the lower city. While the citadel was located on the site of the abondoned Pre-Harappan settlement, the lower city was laid out about 40 m. to the east of it. The citadel consisted of two separately patterned and almost equal parts, each of which was enclosed by a fortification-wall The southern half contained four to six mud-brick platforms, some of which may have been used for religious or ritual purposes. The northern half of the citadel contained residential buildings of the elite. The lower city was also perhaps fortified. Within it were found north-south and east-west running thoroughfares with house-blocks in characteristic grid pattern. Besides, a cemetery of the Harappan Period has also been located.

An out standing discovery of this season's excavation is the location of a Pre-Harappan Period ploughed field, showing regular furrow-marks.

(b) At present there is no proposal for taking in hand excavation work of these mounds.

History of Freedom Movement in India

3161. Shri P. L. Barupal : Will the Minis er of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the proposal for publishing the History of Freedom Movement in India which was under consideration of Central Government has been postponed and if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that to start with the State Governments had constituted Committees and sub-Committees under the supervision of the Central Government to collect information about freedom fighters; and

(c) if so, the expenditure incurred by the Central Government and the Rajasthan Government separately on this work ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. It is not a fact.

(c) The expenditure incurred by the Central Government for preparing the History of Freedom Movement is about Rs. 11 lakhs so far. But in regard to the scheme of Who's who of Freedom Fighters, the Central Government has incurred an expenditure of nearly Rs. 1.53 lakhs so far which includes a subsidy of Rs. 4,972 given by the Central Government to Rajasthan Government. The expenditure incurred so far by the Rajasthan Government on the compilation of Who's Who of Freedom Fighters is Rs.14,898/-.

मरवाथे में पर्यटक केन्द्र की स्थापना

3162. श्री लोबो प्रभु : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मरवाथे मन्दिर की अद्वितीय विशेषता यह है कि वह चौड़ी कूलूर नदी और समुद्र के बीच दो मील तक जाने वाली सड़क पर स्थित है; और

(ख) मरवाथे में पर्यटक केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, जबकि वर्ष 1961 में मन्जूरी के बाद इसके लिये भूमि अर्जित कर ली गई थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पहले कारवार-श्रावस्ती-मारवाथे क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास पर्यटन विभाग की योजनागत स्कीमों में सम्मिलित किया गया था परन्तु योजना-परिव्यय में अत्यधिक कटौती हो जाने के कारण इस कार्य को केन्द्रीय साधनों से क्रियान्वित करना सम्भव न हो सकेगा। परन्तु मैसूर राज्य सरकार की इस क्षेत्र का विकास करने की योजनाएं हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करना

3163. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अब तक कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं तथा क्या इन प्रतिवेदनों में राज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन भी शामिल हैं;

(ख) क्या राज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर दो सदस्यों-श्री वी० पी० नायक, मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र और श्री डी० पी० मिश्र, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे और फिर भी इसे इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस गलती की शुद्धि हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा की गई है; और

(घ) क्या सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत किये गये सब मूल प्रतिवेदनों को देखेगी और यह जांच करेगी कि क्या वास्तव में उन पर उन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जिन द्वारा उन्हें हस्ताक्षरित बताया गया है और अपने निष्कर्षों का एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अब तक दस प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं। इन में राज्य स्तर प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) : सम्भवत: सदस्य "राज्य स्तर प्रशासन" सम्बन्धी अध्ययन दल का हवाला दे रहे हैं जिसकी नियुक्ति प्रशासनिक सुधार ने की थी। यह प्रतिवेदन आयोग को न कि सरकार को प्रस्तुत किया गया था। दूसरों में, सर्वश्री बी० पी० नायक और डी० पी० मिश्र भी इस अध्ययन दल के सदस्य थे। आयोग ने व्यक्त किया है कि श्री नायक ने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे किन्तु आयोग को पृथक से अपने विचार भेजे थे। आयोग ने यह भी व्यक्त किया है कि श्री मिश्र को दल के सभी विचार-विमर्शों में भाग लेने का समय नहीं मिला था और उन्होंने प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन सरकार को मूल रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। आयोग द्वारा सरकार को अभी तक प्रस्तुत किए गये सभी प्रतिवेदनों पर "नागरिकों की शिकायत निवारण समस्या" सम्बन्धी प्रतिवेदन को छोड़कर, आयोग के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। "नागरिकों की शिकायत निवारण समस्या" सम्बन्धी प्रतिवेदन पर दो सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि वे विदेश में थे। फिर भी प्रतिवेदन पर उनकी सहमति आयोग द्वारा प्राप्त कर ली गई थी।

Republic Day Celebration

3164 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to celebrate the Republic Day in other major cities e. g. Calcutta, Bombay and Madras so that the public is made aware of it which would also remove mutual animosity; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (b) : Republic Day celebrations in Delhi, which is the capital of the country, are organised by the Government of India; State capitals these are organised by the State Government concerned. The question whether the Republic Day Parade of the size and magnitude held in Delhi could be held in different State capitals by rotation has been examined but such an arrangements was not found feasible because of the practical difficulties in making arrangements in this behalf at different places eachyear.

Blowing up of Bridge by Mizos

3165. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kukis have blown up a bridge with the help of dynamite near Dimapore as per news report of the 10th February, 1967; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : On the night of February 8, 1967, 15 to 20 armed hostiles suspected to be Kukis blew up part of the Hemilton Bridge on the northern side of Kalapahar village on the Imphal-Dimapur road, about 24 miles from Imphal. Security Forces have intensified their operations in the area. Traffic was immediately diverted through another route and was resumed over the bridge on the 11th February.

Pak Activities on Rajasthan Borders

3166. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a report that the relatives of Pakistani people enter freely into India through Rajasthan Borders and indulge in spying activities;

(b) whether certain persons have been arrested in this connection recently and, if so, their number; and

(c) whether it is a fact that Pakistani people are indulging in the aforesaid activities because there are grave famine conditions in the areas of Rajasthan bordering Pakistan due to which the people of those areas have left their houses and Pakistanis have occupied those vacant Houses ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Nationals of Pakistan are not allowed to enter the country freely.

However, in spite of the vigilance exercised, sometimes a few manage to cross the border clandestinely. On their detection, suitable action is taken against them.

(b) According to the latest report of the State Government, 15 such persons were arrested upto the 20th February, 1969.

(c) No, Sir

Threatening Letters to Accountant General Kerala

3167. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Accountant General of Kerala has received threatening letters from Naxalites demanding money from him; and

(b) if so, the action being taken by the Central and State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : According to information furnished by the State Government on 3rd December, 1968, Shri T. N. Kuriakose, Accountant General, Kerala received an anonymous letter threatening that he would be killed within a few days on the road from his house to his office. There was no demand for money from him. Necessary arrangements to assure personal security to the Accountant General were made by the Kerala State Police.

दिल्ली तथा नई दिल्ली में बिक्री कर की वसूली

3168. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 1968-69 में दिल्ली तथा नई दिल्ली में कुल कितना बिक्री कर वसूल किया गया;

(ख) प्रत्येक अवधि में अनुमानतः कुल कितना कितना बिक्री कर वसूल नहीं किया गया; और

(ग) इस कर की पूरी वसूली सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में बिक्री कर की वसूली का अलग अलग लेखा नहीं रखा जाता है । तथापि, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिक्रि कर की कुल वसूली इस प्रकार है:—

1966–67	–1557.80 लाख रु०
1967–68	–1804.56 लाख रु०
1968–69 (दिसम्बर 1968 तक)	–1511.67 लाख रु०

(ख) प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को बिक्री की बकाया रकम इस प्रकार है:–

1966–67	–112.03 लाख रु०
1967–68	–149.56 लाख रु०
1968–69	–236.98 लाख रु०

(ग) बकाया रकम को शीघ्र वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:–

(1) पुरानी रकमों की भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए कलक्टर को प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं।

(2) चूक के मामलों में अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई की जाती है।

(3) उन सभी मामलों में जमानत लेने की व्यवस्था लागू की जाती है वहां व्यापारी की आर्थिक स्थिति या तो खराब हो या वह कर से बचने की कोशिश कर रहा हो।

(4) जिन व्यापारियों के बारे में सूचना दी जाती है कि वे कर नहीं दे रहे, उनके मामले में पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द करने की कार्यवाही की जाती है।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार "संयुक्त वसूली अभियान" चलाये जाते हैं। इस अवधि में भारी रकमों के दोषियों का पता लगाने के लिए बिक्री कर निरीक्षक तथा सहायक कलक्टर दोनों मिलकर उसका पता लगाते हैं।

(6) मूल्यांकन अधिकारियों को सप्ताह में एक बार उनके मांग तथा वसूली रजिस्ट्र देखने तथा बकाया राशि के वसूली के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने क्षेत्र-कर्मचारियों से विचार-विमर्श करने को कहा गया है।

(7) वसूली के लंबित पड़े मामलों के निपटान को सरल बनाने की दृष्टि से एक सहायक बिक्री कर अधिकारी को, जिसमें सहायक कलक्टर तथा 15 वेलिफों की शक्ति निहित है, वसूलियों के लिए नियुक्त किया गया है।

भांगल स्थित कारतूस कारखाने में विस्फोट

3169. **श्री राजदेव सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1968 को दिल्ली में भांगल स्थित कारतूस कारखाने में एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह कारखाना अभी तक रिहायशी क्षेत्र में चल रहा है; और

(घ) आहत व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो कितना ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) : जी हां, श्रीमान् :

(ख) स्थानीय पुलिस ने इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 286 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जांच की जा रही है।

(ग) कारखाना अभी उसी अहाते में चल रहा है।

(घ) मारे गये व्यक्ति की विधवा को 3400 रुपये की राशि दी गई थी।

मिली-जुली सरकारों के सिद्धांत और उनके कार्य संचालन के बारे में अध्ययन

3171. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के राजनीतिक कक्ष ने मिली-जुली सरकारों के सिद्धांत और कार्य-संचालन के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : गृह मन्त्रालय के अनुसंधान तथा नीति प्रभाग ने भारत में तथा अन्य लोकतंत्रों में मिली-जुली सरकारों की प्रकृति तथा उनके कार्यों का एक तेज सर्वेक्षण किया था । इसका उद्देश्य आंतरिक प्रयोग के लिये सरकार के क्षेत्र में मुख्य तथ्यों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक सर्वेक्षण करना था ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जालसाजी गिरोह

3172. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई में जनवरी, 1969 में 50 लाख रुपयों की जालसाजी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जालसाजी गिरोह का पता लगाया था;

(ख) उस गिरोह के कौन-कौन से दो भारतीय सदस्य पकड़े गये हैं और हवालात में बंद किये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये जांच-कार्य का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : जाली आयात लाइसेंस आदि दिखा कर विदेशों को कथित भेजी गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बम्बई में दर्ज किये गये मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच-पड़ताल कर रहा है । अभी तक इस सिलसिले में निम्नलिखित तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं:—

(1) श्री रामिआ राजन

(2) श्री कृष्ण जिन्दल

(3) श्री आर० के० जैन

मामलों की जांच हो रही है ।

बम्बई पत्तन के विकास के लिए वृहद योजना

3173. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के विकास की वृहद योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जून, 1969 के अन्त तक ।

Introduction of Bachelor of Pharmacy Degree Course in Delhi

3174. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5322 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether a decision has since been taken in regard to the introduction from the year 1969 of the Bachelor of Pharmacy Degree Course, which was under consideration of Delhi Administration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the reasons for delay ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) : The question of granting affiliation to the course is under the consideration of Delhi University. The Delhi Administration proposes to start the course as soon as the approval of the University is received.

मैसर्स स्टीजेनबरगर्स की होटल सलाहकार के रूप में नियुक्ति

3175. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम मैसर्स स्टीजेनबरगर्स को सरकारी क्षेत्र के होटलों के नमूने और योजनाएं तैयार करने और प्रबन्ध के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सलाहकारों की नियुक्ति की अवधि तथा शर्तें क्या हैं; और

(ग) देश में जब अनेक योग्य तथा प्रवीण वास्तुविद और डिजाइन उपलब्ध हैं तो इनको नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : समस्त मामले की अभी जांच की जा रही है और कुछ भी तो नहीं किया गया है परन्तु सिद्धान्त रूप में भारत पर्यटन विकास निगम परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर विचार कर रहा है । यह आवश्यक है क्योंकि होटल उद्योग एक ऐसा प्रमुख उद्योग है जिसका कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध स्तर के मुकाबले में पर्याप्त रूप से व्यापक तकनीकी विकास नहीं हुआ है तथा यह समझा जाता है कि

यह आवश्यक है । इससे योग्य प्रतिभाशाली भारतीय वास्तुविदों (आर्कीटेक्ट्स) के रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Freeship to Students in Polytechnic Institutes of Delhi

3176. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of students granted freeships during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 in the Polytechnic Institutes of Delhi, including Women Polytechnic Institute where courses in Pharmacy are being imparted; and

(b) the number of students in the said institutes, Institute-wise, to whom the amount of freeships has not so far been reimbursed ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) : The information is in the statement placed on the Table. [Placed in Library, See No. LT-352/69]

तटीय राजपथ

3177. **श्री मनुभाई पटेल :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी लम्बाई में तटीय राजपथों का निर्माण किया जायेगा;

(ख) गुजरात में तटीय राजपथों की लम्बाई कितनी है; और

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गुजरात में तटीय राजपथों के निर्माण के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले और पूरा किए जाने वाले काम चतुर्थ योजना में वितरण को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही बताए जा सकते हैं ।

महाराष्ट्र से चलसरी तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 4 पर पनवल से पश्चिमी किनारे को सड़क पर 761 मील पर केरल में महाराष्ट्र होकर गोवा, मैसूर, और केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47-ए० विकास करने का काम चालू है ।

यह एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त काम है जो प्रगति पर है और केन्द्र की जुमेदारी इस सड़क को सब मौसमों में चलने योग्य एक तर्फा-लेन और सड़क की सतह वाली करने तक सीमित है ।

इसके अलावा भारत सरकार ने मद्रास राज्यों में पूर्वी किनारे की सड़क पर निम्नांकित काम मंजूर किए हैं :-

काम का नाम	धनराशि की उपलब्धि
(1) महाबलीपुरम् और मारकानम के बीच (25 मील पर) अनिर्मित सड़क का निर्माण	इस काम की 50 प्रतिशत कीमत को पूरा करने के लिए सन् 1966 में 16 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुदान स्वीकृत हुआ शेष काम के लिए खर्चा राज्य सरकार द्वारा अपनी निजी साधनों द्वारा पूरा करना है।
(2) कौबालाम के निकट क्रीक के ऊपर एक पुल का निर्माण	या काम राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क कोष वितरण लेखा में 25 लाख रुपए की अनुमानित धन राशि की आर्थिक सहायता से जनवरी सन् 1967 में स्वीकृत किया गया

साधनों की उपलब्धि होने पर इन सब कामों चतुर्थ योजना काल में पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) : गुजरात सरकार बड़ोदा से मालिया कोस्टल राज-मार्ग के विकास के लिए बड़ोदा-काम्बे-भावनगर-भरवाल-पोरबन्दर-ओखा-मालिया के रास्ते के विकास के लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिए जोर देती रही। इस सड़क की कुल लम्बाई 588 मील है। चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही राज्य सरकार की प्रार्थना पर निश्चय लिया जा सकता है। इसी बीच भारत सरकार ने मई सन् 1968 में राज्य सरकार के बामलीयारी और भावनगर के बीच बड़ोदा-भावनगर सड़क को 22 मील लम्बे खण्ड को निर्माण करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सड़क कोष में राज्य सरकार को दिया गया अनुमानित खर्च 47.23 लाख रुपये है।

कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थाएं

3178. **श्री मनुभाई पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कितनी अनुसंधान सस्थाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) इन संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या बड़ोदा स्थित कपड़ा तथा सम्बद्ध उद्योग अनुसंधान संस्था को कोई सहायता दी जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कपड़ा उद्योग तथा संबन्धित क्षेत्रों में छः औद्योगिक अनुसंधान संघ और एक अनुसंधान संस्थान सूची

सभा पटल पर रखी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 353/69] अनुसंधान का कार्य कर रही हैं ।

(ख) छः औद्योगिक अनुसंधान संघों को खर्च के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि अनुसंधान संस्थाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान दिए गए हैं ।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कपड़ा और उससे संबन्धित उद्योग अनुसंधान संगठन, बड़ौदा को निम्नलिखित अनुदान दिया है :-

योजना का नाम	संचालन अवधि	दिया गया अनुदान
		रुपए
1- टेरो आटोमेटिक सिल्वर इवेनर	1-7-61 से 28-2-66	21,060.00
2- टेरो काटन तराश एनेलाइजर	फरवरी, 1966 से 31-7-1968 तक	57,840.00

पालम हवाई अड्डे को नया रूप देना

3179. डा० रानेन सेन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे को नया रूप देते हुए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पालम के टर्मिनल भवन में कुछ कार्य सम्पन्न कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यों का ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए खुले टेंडर मंगाये गये थे और इस का कुल अनुमानित व्यय कितना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । यद्यपि मौजूदा टर्मीनल बिल्डिंग के रिमाडलिंग (रूप परिवर्तन) का कार्य नागर विमानन विभाग द्वारा किया गया है, इंडियन एयरलाइन्स ने डोमेस्टिक (अन्तर्देशीय) लौंज के अन्दर की सजावट तथा वातानुकूलन का कार्य अपने खर्च से करना आरम्भ किया है । अन्दरूनी सजावट का काम हस्तशिल्प व हस्तकरघा निर्यात निगम (हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्टस कारपोरेशन) को, जोकि एक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यम है, सौंपा गया था जबकि वातानुकूलन का काम इंडियन एयरलाइन्स द्वारा मंगाये गये सीमित टैंडर' के आधार पर मैसर्स वोल्टास को दिया गया था । इन कार्यों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की संभावित अनुमानित लागत 16.15 लाख रुपये है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण

3180. श्री स० कुण्डू : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बारीपादा से भुवनेश्वर तक राष्ट्रीय राजपथ बनाने के लिये उड़ीसा लोक निर्माण विभाग ने केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में काम किया था;

(ख) क्या यह सच है कि जिन ठेकेदारों ने इस परियोजना में काम किया और निर्माणकार्य पूरा किया है उन्हें उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्र ने सड़क के इस भाग के अग्रेतर सुधार पर व्यय की गई शेष राशि उड़ीसा सरकार को नहीं दी है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन बिलों का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लोहना रोड स्टेशन का नाम बदलना

3181. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रेलवे मंत्रालय से पूर्वोत्तर रेलवे में लोहना रोड स्टेशन का नाम बदल कर विदेशवर्धम रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इसको स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मैथिली भाषा का विकास

3182. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मैथिली भाषा का विकास करने की कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : "भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" नामक योजना के अधीन, मैथिली सहित सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं अपने-अपने विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं ।

निम्नलिखित कार्यों के लिए अब तक वित्तीय सहायता दी गई है :-

(1) मैथिली शब्द कोष का प्रकाशन (2) मैथिली-अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-कोष का प्रकाशन (3) मैथिली संदर्भ-ग्रन्थ-सूची का प्रकाशन (4) अखिल भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलन की आयोजना तथा उक्त सम्मेलन में पढ़े गए कुछ अनुसंधान निबन्धों का प्रकाशन।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्यटन

3183. श्री शिव चन्द्र झा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पर्यटन पर व्यय की जाने वाली राशि के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और पुराने पर्यटन स्थलों को आधुनिक ढंग का बनाने के लिये तथा नये केन्द्रों के विकास पर कितना-कितना धन व्यय किया जायेगा; और

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में बिहार में किन-किन पर्यटन केन्द्रों पर और कितना कितना धन व्यय किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पर्यटन संबंधी योजना के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Correspondence Courses for Post-Graduate Degrees in Indian Universities

3184. Shri Shiva Chandra Jha : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to introduce correspondence courses for the Post-graduate Degrees in Indian Universities ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) : The University Grants Commission has accepted the proposal of Delhi University to start Correspondence Courses at Post-Graduate level in a few selected subjects. The details of the scheme are being worked out by the University in consultation with the Commission.

A similar proposal was made by the Kurukshetra University, but the same has not been accepted by the Commission.

Government have at present no other proposal to start correspondence courses for Post-graduate degrees under consideration.

मैसूर राज्य में केरल के लोगों को रोजगार

3185. **श्री ई० के० नायनार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर सरकार ने यह अनुदेश दिये हैं कि मैसूर राज्य में किसी कारखाने या सरकारी क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान में केरल के लोगों को तब तक रोजगार न दिये जायें जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्व-वृत्त के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर ली जाती ; और

(ख) यदि हां, तो केरल के लोगों के विरुद्ध मैसूर सरकार की इस कार्यवाही के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । मामला मुख्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Area Surrounding Taj Mahal, Agra

3186. **Shri Achal Singh :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the amount earmarked for the development of area surrounding Taj Mahal at Agra in the current plan period ;

(b) the details regarding the said scheme of development and the time by which it would be implemented ;

(c) whether he is aware that a large white marble statue of late Pt. Moti Lal Nehru had been installed at Shahjahan Garden between Taj and the Fort in December 1966 and, if so, whether it is proposed to decorate the said area with electric lights, fountains and flower-beds on the lines of Brindaban Gardens in Mysore; and

(d) if so, the time by which the said area is proposed to be decorated ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) : During the current financial year, the following two schemes have been taken up for developing the area around the Taj Mahal :

(1) Improvement to a Nala leading to the Agra Fort	Rs.42,000
(2) Approach Road leading to the Taj Mahal	Rs.40,000

These schemes have been sanctioned and are being executed by the State Government. They are expected to be completed during the current financial year.

(c) Government is aware that a large white marble statue of the late Pandit Moti Lal Nehru has been installed at Shahjahan Garden. There is no proposal at present to develop the said area on the lines of Brindaban Garden at Mysore.

(d) Does not arise.

डिफेंस कालोनी (नई दिल्ली) में सेंधमारी की घटनायें

3187. **श्री रा० की० अमीन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डिफेंस कालोनी में चोरी तथा सेंधमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या जांच का काम बहुत धीमा चल रहा है जिसमें कोई परिणाम नहीं निकलता या बहुत कम परिणाम निकलता है; और

(ग) गत एक वर्ष में कोटला मुबारकपुर पुलिस थाने में कितने मामले दर्ज कराये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1-3-1968 से 28-2-1969 तक की अवधि में डिफेंन्स कालोनी थाने में (जिसे पहले कोटला मुबारकपुर थाना कहा जाता था) चोरी तथा सेंधमारी के 454 मामले रिपोर्ट किये गये जबकि पिछले वर्ष के दौरान 565 मामले रिपोर्ट किये गये थे ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 354/69**]

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

3188. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संगठनों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें समान हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय और सरकारी संगठनों में क्या अन्तर है जबकि वे सरकारी कोष से चलाये जाते हैं और कर्मचारियों के वेतन पर सरकार का नियंत्रण होता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं । सरकारी संगठनों तथा विश्वविद्यालयों की अपनी निजी वेतन पद्धतियां हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अपने अधीन बनाए गए निगमन तथा सांविधिओं, अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों वगैरहा द्वारा शासित होते हैं । सेवा शर्तें, जिनमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनक्रम भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं ।

भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय इंजीनियरी सेवा

3189. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय इंजीनियरी सेवा की, सेवा शर्तें भारतीय प्रशासनिक सेवा की, सेवा शर्तों के समान ही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के वेतनों को, उनके पूर्व व्यवसायिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए तथा प्रथम दो वर्गों के मामले में जिनकी आयु-सीमा छूट देकर 35 वर्ष निर्धारित की गई है, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित किया जाता है ; और

(घ) क्या ग्रेड-4 को ग्रेड-2 के साथ तथा ग्रेड-3 और ग्रेड-2 को ग्रेड-1 के साथ मिलाने का काम पूरा कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय इंजीनियरी सेवा का अभी गठन होना है।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा केन्द्रीय सिविल सेवा की श्रेणी 1 सेवा है तथा उसमें निम्नलिखित वर्ग हैं :-

वर्ग i - निदेशक -1300-60-1600-100-1800 रु०

वर्ग ii - संयुक्त निदेशक -1100-50-1400 रु०

वर्ग iii - उप निदेशक -700-40-1100-50-2-1250 रु०

वर्ग iv - सहायक निदेशक-400-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950 रु०।

इस सेवा का गठन 1 नवम्बर, 1961 से किया गया था। दिनांक 15 जून, 1968 को इस सेवा की प्राधिकृत संख्या इस प्रकार थी :-

वर्ग	i	18
वर्ग	ii	23
वर्ग	iii	116
वर्ग	iv	348
		505

भर्ती तथा पदोन्नति

वर्ग i- इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियां, वर्ग ii के अधिकारियों में से जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरी जायगीं इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायगी।

वर्ग ii- इस वर्ग में कम से कम 50 प्रतिशत रिक्तियां, वर्ग iii के अधिकारियों में से, जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 6 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जायगी। इस वर्ग में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेंगी।

वर्ग iii- इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियां वर्ग iv के अधिकारियों में से, जिन्होंने उस वर्ग में कम से कम 4 वर्ष सेवा की हो, वरिष्ठता का सम्यक

ध्यान रखते हुए गुण-दोषों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जायगी। इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेगी।

वर्ग iv- इस वर्ग में अधिक से अधिक 25 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन अधिकारियों के चयन द्वारा भरी जायेगी, जिन्होंने सरकार के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त आर्थिक पदों में कम से कम चार वर्ष काम किया हो।

इस वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से भरी जायेगी।

परिवीक्षा :

इस सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहना होता है जिनकी समाप्ति पर यदि उसे स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझा जाय तथा मूल रिक्तियों तथा स्थायी पद उपलब्ध हो तो उसे स्थायी कर दिया जाता है। सरकार को अधिकार है कि वह परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती है अथवा समकक्ष अथवा उच्च उत्तरदायित्व वाले पदों में की गई कोई सेवा को गिन सकती है। अथवा किसी ग्रेड में पदोन्नति के मामले में 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि गिनती में उस ग्रेड में की गई किसी स्थानापन्न सेवा को गिन सकती है।

अन्य सेवा की शर्तें, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनके लिए सेवा नियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गई हो, वही हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवाएं, श्रेणी i पर समय-समय पर लागू होती रही हैं।

भारतीय इंजीनियरी सेवा के सदस्यों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्तें 22-11-68 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के उत्तर के साथ संलग्न ज्ञापन में विद्यमान हैं। इनको राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप देना है।

(ग) जहां तक भारतीय इंजीनियरी सेवा का सम्बन्ध है, अभी इसका प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय आर्थिक सेवा के मामले में सेवा के ग्रेड iv में भर्ती के लिए पहली दो प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए 26 वर्ष की सामान्य अधिकतम आयु सीमा के स्थान पर 35 वर्ष है। सरकार ने इस बात के कोई आदेश नहीं दिये हैं कि पहले दो गुटों में प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों की उन के द्वारा लिये जाते रहे वेतन को सुरक्षित रखा जाय, तथापि सरकारी कर्मचारियों के पिछले वेतन को सम्बन्धित नियमों में निर्दिष्ट सीमा तक सुरक्षित किया जायगा।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पुलिस के लिए वर्दी

3190. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की वर्दी बदली जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) समानता और एकता लाने के लिये समूचे भारत में 'एक जैसी वर्दी' निर्धारित न करने का क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : दिल्ली पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली पुलिस के विभिन्न पदों की वर्दी के नमूने तथा पैमाने का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है । इस समिति के प्रतिवेदन/सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ में राजस्व अभिलेख

3191. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त पंजाब के हिन्दी तथा पंजाबी क्षेत्रों में, जो इस समय चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का एक अंग हैं, राजस्व प्रविष्टियों/अभिलेखों को पंजाबी भाषा के बजाय जिसका उपयोग कुछ महीने पहले तक किया जा रहा था हाल में उर्दू में लिखना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस परिवर्तन को गृह-कार्य मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त है क्योंकि नीति में यह एक बड़ा परिवर्तन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यथास्थिति बनाये रखने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यथापूर्व स्थिति कायम रखी जा रही है ।

उड़ीसा में बालासोर में कालेज विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

3192. **श्री स० कुण्डू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में बालासोर में कालेज विद्यार्थियों के लिये 500 छात्रों के लिये छात्रावास बनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना की स्वीकृति दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

तेलंगाना सम्बन्धी संरक्षण लागु करना

3193. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों में 19 जनवरी, 1969 को हैदराबाद में तेलंगाना संरक्षण के सम्बन्ध में सर्व-दलीय समझौता हुआ ; और

(ख) उपरोक्त समझौते की शर्तें क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, संरक्षणों के उचित कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना क्षेत्र में आन्दोलन के परिणामस्वरूप तेलंगाना को दिये गये संरक्षणों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्री ने 19 जनवरी, 1969 को राज्य विधान-मण्डल के सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई। तेलंगाना क्षेत्र के सम्बन्ध में शिकायतों के निवारण करने के लिये किए जाने वाले विभिन्न उपायों पर नेतागण सर्वसम्पत्ति से सहमत थे। इस सम्बन्ध में तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए तेलंगाना क्षेत्रों में पदों की कुछ श्रेणियां आरक्षित करना तथा तेलंगाना की बचत का उसी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग करना मुख्य उपाय है। उन्होंने राज्य की सम्पूर्ण एकता प्राप्त करने के लिये अपनी सारी शक्तियां लगा देने का भी सकल्प किया और सुस्पष्ट रूप में उस नारे की जोरदार निन्दा की जो एक अलग तेलंगाना राज्य के सृजन के लिये कुछ क्षेत्रों में लगाया जा रहा था।

आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना) प्रादेशिक समिति

3194. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना) प्रादेशिक समिति किन परिस्थितियों तथा प्राधिकार के अन्तर्गत बनाई गई थी और इसके क्या कार्य हैं ;

(ख) इस समिति की कार्यवाही को निजी तथा गोपनीय करार देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पहले इस समिति के प्रतिवेदनों पर विचार किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संक्रान्ति काल के दौरान तेलगाना के न्यायसंगत हितों के संरक्षण के लिए तेलंगाना और आन्ध्र के नेताओं के बीच हुए समझौते की शर्तों में से एक तेलगाना क्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक समिति के गठन की शर्त थी। अतः एक प्रादेशिक समिति के गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(1) में जैसा कि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया उपबन्ध बनाया गया।

संविधान के इस उपबन्ध के अनुसरण में 1 फरवरी 1958 को आन्ध्र प्रदेश प्रादेशिक समिति आदेश, 1958 जारी किया गया जिसके आधार पर उस दिन आन्ध्र प्रदेश प्रादेशिक समिति बनी।

(ख) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 164-0 के अनुसरण में आन्ध्र प्रदेश प्रादेशिक समिति द्वारा बनाई गई उपविधियों की उप-विधि 32 के अधीन तथा जैसा प्रादेशिक समिति द्वारा पारित किया गया, प्रादेशिक समिति की कार्यवाही को निजी तथा गोपनीय करार दिया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा नियमों के अधीन प्रादेशिक विधेयकों पर प्रादेशिक समिति के प्रतिवेदन आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं और इसलिए प्रतिवेदनों पर विचार करने का काम राज्य विधान मण्डल का है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाम में परिवर्तन

3195. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह के प्रशासक से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के नाम को बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के प्रतिनिधि संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से भी अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) ऐसा मालूम पड़ता है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Restrictions on admissions in Colleges

3196. **Shri K.M.Madhukar :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering the imposition of some new conditions with a view to admit minimum number of students in Colleges :

(b) whether it is also a fact that the Government are showing reluctance in opening new colleges and technical institutes so as to off-set the problem of educated unemployed : and

c) if so, whether this has proved that there are obstacles in the spread of education in the country ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) ; (a) to (c) : A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-355 69]

कालीकट हवाई अड्डा

3197. **श्री ई० के० नायनार :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग ने केरल सरकार को निदेश दिया है कि कालीकट हवाई अड्डे के लिए भूमि अर्जन कार्य बन्द कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कालीकट हवाई अड्डे का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी नहीं । इसके विपरीत, राज्य सरकार को सलाह दी गई है और उन्होंने सूचित किया है कि वे कालीकट के एक नये हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र किये जाने की दृष्टि से भूमि अभिग्रहण कार्यवाही शुरू कर रहे हैं । प्रायोजना के प्राक्कलनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन किये जाने के बाद राज्य सरकार को भूमि अभिग्रहण की लागत का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह निर्माण-कार्य आरम्भ किये जाने की तारीख से लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

केरल में केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम

3198 **श्री ई० के० नायनार :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रुप में लागू कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्कूलों में अंग्रेजी तथा मलयालम भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सारे देश में केरल सहित, केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी है । केरल समेत सभी स्कूलों में समाज शिक्षा के शिक्षण के लिए 1967–68 से हिन्दी को माध्यम के रुप में लागू किया गया है ।

(ख) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ; क्योंकि जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिक्षा का माध्यम पहले से ही अंग्रेजी और हिन्दी है । केन्द्रीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रुप में प्रादेशिक भाषाओं को जिसमें मलयालम भी शामिल है, शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय स्कूल मुख्यतः स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों, जिसमें रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं, तथा अन्य चलायमान जनता के लिए हैं। इसलिए, सारे देश के सभी केन्द्रीय स्कूलों में पाठ्यविवरण, पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा की योजना तथा शिक्षा का माध्यम एक समान रखा गया है। केरल के अथवा देश के किसी भाग के केन्द्रीय स्कूलों में यदि प्रादेशिक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए, तो इन केन्द्रीय स्कूलों के विद्यार्थियों का, देश के अन्य भागों के केन्द्रीय स्कूलों में स्थानान्तरण संभव नहीं होगा।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन का भुगतान

3199. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में बहुत से सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को स्थायी बनाये जाने के पश्चात् लगातार कई महीनों तक वेतन नहीं मिल रहा है, तथा कई सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को जिनमें अध्यापक भी शामिल हैं, कई वर्षों तक पेंशन नहीं मिल सकी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन तथा पेन्शन के भुगतान में बिलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने तथा वेतन और पेंशन का भुगतान शीघ्र करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसे स्थायी बनाये जाने के पश्चात् न मिल रहा हो। तथापि 113 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेन्शन के मामलों को उनकी सेवा-निवृत्ति के पश्चात अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) स्थायी बनाए गये कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में विलम्ब का कोई मामला नहीं है। जहां तक 113 मामलों में पेन्शन के भुगतान का सम्बन्ध है, 74 मामले आसाम तथा नागालैण्ड के महालेखापाल, शिलांग के पास पड़े हैं तथा शेष 39 मामले मनीपुर सरकार के विभिन्न विभागों में तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) मनीपुर सरकार नियतकालिक विवरणियां मांग कर समस्त पेन्शन के मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रगति पर निगाह रख रही है। उस सरकार द्वारा विभागाध्यक्षों को उन मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए आसाम तथा नागालैंड के महालेखापाल के साथ मामलों का अनुसरण करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते हैं।

असैनिक उड्डयन विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

3200. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या वर्गवार कितनी है ;

(ख) इस विभाग में यदि उनके लिए कोई अभ्यंश आरक्षित हैं, तो कितने प्रतिशत ; और

(ग) क्या वह अभ्यंश पूरा हो चुका है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वाइकाउंट विमान

3201. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के गोहाटी जाने वाले एक विमान को, उसके चारों इंजनों के बन्द हो जाने के कारण मजबूर हो कर वापस डमडम आना पड़ा था क्योंकि वह दुर्घटनाग्रस्त होने ही वाला था;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ान शुरू होने से पूर्व इंजन की जांच न किये जाने के कारण ऐसा हुआ था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह अंशतः सही है । एक के बाद एक-एक करके सभी चारों इंजन बन्द हो गये; लेकिन विमानचालक, विमान के कुछ नीचे आ जाने के बाद इंजनों को फिर चालू करने में सफल हो गया । उसने तब दमदम वापस आने का निर्णय किया और वहां आकर उसने विमान को सुरक्षित रूप से उतार दिया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

एकल मार्गी राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल

3202. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एकल मार्गी राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल करने के लिये प्रतिवर्ष प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रत्येक राज्य को कितनी औसत धन राशि दी गई; और

(ख) उपर्युक्त देखभाल सम्बन्धी अनुदान, देने में भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विमान तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 356/69] ।

(ख) भेदभाव नहीं किया जाता है । किसी एक वर्ष में राज्यों को राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की देखभाल के लिए दिये गये अनुदान की राशि राष्ट्रीय मुख्यमार्ग के टुकड़ों की वास्तविक हालत पर निर्भर करती है । जिस पर मिट्टी, जलवायु, वर्षा, यातायात तीव्रता और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बाढ़, जो प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक स्थान पर भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कारणों से प्रभाव पड़ता है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12

3203. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 को पूरा करने के लिये यदि कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है तो वह क्या है; और

(ख) उक्त राजपथ के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : सर्वेक्षण और शेष निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की तैयारी पूरी होने को है । कार्यों के पूर्ण होने का कार्यक्रम उस नियतन पर निर्भर करेगा जो चौथी योजना के अन्तिमरूप दिये जाने पर निश्चय किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

3204. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नौकरी कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी आई० सी० एस०/आई० ए० एस० तथा आई० पी०/आई० पी० एस० अधिकारियों के नाम क्या हैं; तथा इनमें से प्रत्येक अधिकारी के बारे में सम्बन्धित सेवा में उसकी पहली नियुक्ति की तिथि का उस सेवा में स्थायी होने की तिथि का, वर्तमान तथा अधिवास-राज्य का, पूरा विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अपेक्षित सूचना के विवरण संलग्न हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 357/69]

नई दिल्ली में कुतुब मीनार के चारों ओर वनस्पति उद्यान लगाना

3205. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कुतुब मीनार के चारों ओर 1700 एकड़ का एक वनस्पति उद्यान लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस उद्यान के कब तक खिलने की आशा है, और

(घ) ऐसे उद्यान पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) वर्तमान प्रस्ताव दिल्ली के मास्टर प्लान में कुतुब मीनार के पास "हरी पट्टी" के रूप निर्धारित क्षेत्र के 100 एकड़ के प्लाट में एक वनस्पति उद्यान का विकास करना है।

(ख) से (घ) : इस योजना के लिए चौथी आयोजना में व्यवस्था कर दी गई है, आवश्यक निधियों के उपलब्ध होते ही, भूमि अभिग्रहण कर ली जाएगी और उक्त भूमि को वनस्पति उद्यान के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

व्यौरेवार प्राक्कलन पूरे तरह से अभी तैयार करने हैं, किन्तु केवल भूमि की कीमत 25.0 लाख रु० आने की सम्भावना है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

3206. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रस्तावित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का क्षेत्र लगभग 930 एकड़ होगा;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था तथा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था जैसी अन्य संस्थाओं को उपरिलिखित नये विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जायेगा;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय दिल्ली में कहां किस क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस नये विश्वविद्यालय के कब तक बन कर पूरा तथा चालू होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग) : लगभग 1000 एकड़ भूमि दक्षिण दिल्ली में मुनीरका गांव के पास विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित की गई है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(घ) यद्यपि, इस समय कोई तारीख निश्चित करना कठिन है, फिर भी, विश्वविद्यालय को यथासम्भव शीघ्र स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में अंशकालिक बैचलर आफ टैक्नालोजी पाठ्यक्रम

3207. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पालिटैक्निक्स से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य और उनके अग्रेतर अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखे बिना दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में अंशकालिक बैचलर आफ टैक्नालोजी पाठ्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय की सहमति से 1967 से समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसी प्रकार का पाठ्यक्रम अभी जारी है;

(ग) क्या बैचलर आफ टैक्नालोजी का अंशकालिक पाठ्यक्रम अन्य महत्वपूर्ण नगरों में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं;

(ङ) दिल्ली में उपर्युक्त पाठ्यक्रम को समाप्त करने के क्या कारण हैं तथा इस के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि बैचलर आफ टैक्नालोजी पाठ्यक्रम में अंशकालिक कक्षाओं में दाखिला लेकर आगे पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन न किये जायें; और

(च) दिल्ली में ऐसे पाठ्यक्रम के कब तक पुनः आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली इंजीनियरी कालेज का अंशकालिक बी० टेक० डिग्री पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार 1967 से बन्द कर दिया गया था और उसके बाद कोई नए दाखिले नहीं किए गए हैं। पिछले वर्षों में पहले से ही दाखिल विद्यार्थियों के लिए कालेज पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है।

(ख) दिल्ली कालेज में इंजीनियरी में कोई अंशकालिक मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) : इंजीनियरी में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन अलीगढ़, बम्बई, कलकत्ता इन्दौर और जबलपुर में किया जा रहा है।

(ङ) विश्वविद्यालय की एक मूल्याकंन समिति ने सिफारिश की थी कि पूर्णकालिक स्टाफ की कमी तथा शिक्षण सुविधाओं की अन्य कमियों को देखते हुए, अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम बन्द कर दिया जाए और डिप्लोमाधारियों को इंस्टिअयूशन आफ इंजीनियर्स की एसोशिएट मेम्बर शिप परीक्षा के जरिए आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं।

(च) अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु ए० एम० आई० ई० परीक्षा के लिए कक्षाएं चलाने का प्रश्न कालेज के विचाराधीन है।

दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां

3208. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, छत्रपति शिवाजी और स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य नेताओं की मूर्तियों को दिल्ली में लगाने का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मूर्तियों को कब तक और कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाने के सभी पहलुओं पर और दिल्ली में मूर्तियां लगाने के स्थलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए गठित समिति ने, प्रश्न में उल्लिखित कुछ राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लगाने के लिये स्थलों की सिफारिश की थी। इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने का निर्णय किया गया है तथा समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्वतन्त्र पब्लिक स्कूल

209. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री द० रा० परमार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे स्कूलों सहित जो मुख्याध्यापक सम्मेलन के सदस्य नहीं है, परन्तु जिन्हें पब्लिक स्कूल प्रणाली के आधार पर चलाया जा रहा है, स्वतन्त्र पब्लिक स्कूलों की वर्ष 1950 के आरम्भ में कितनी संख्या थी तथा इस समय उन की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे स्कूलों की वर्तमान राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के नामों सहित ऐसे स्कूलों की प्रतिरक्षा, शिक्षा इत्यादि मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकार द्वारा पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के आधार पर चलाये जा रहे स्कूलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस समय स्वतन्त्र पब्लिक स्कूलों तथा राजकीय पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना शिक्षा मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में नई शिक्षा प्रणाली

3210. **श्री लखन लाल गुप्त :** **श्री मंगरू उइके :**
श्री बाबू नाथ सिंह : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी ;**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली, जिसमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष करने की व्यवस्था है लागू करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ली थी,

(ख) क्या उक्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोठारी आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार का निर्णय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) तथा शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा की गई सिफारिशों में प्रस्तावित पद्धति के अनुरूप नहीं दिखाई देता।

(ग) और (घ) : इस मामले में, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत सरकार राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने की केवल सलाह ही दे सकती है।

प्रतिभावान व्यक्तियों के विदेशों में जाने के सम्बन्ध में यूनेस्को का प्रतिवेदन

3211. **श्री द० रा० परमार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :
श्री अ० न० सोलंकी :
श्री किकर सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल सांइटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गनाइजेशन के प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिभावान व्यक्तियों के विदेशों में जाने से युद्ध के बाद की अवधि में शिक्षा आदि पर किये गये व्यय के कारण चार करोड़ रुपये से अधिक की हानि भारत ने उठाई है;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीकी तथा चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 6121 और 3180 व्यक्ति क्रमशः अमरीका तथा कैनेडी चले गये हैं और यहां तक कि अभी भी उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्ति भारत से दूसरे देशों को जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत के हित में ऐसे विशेषज्ञों को दूसरे देशों में जाने से रोकने के सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहें हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार ने रिपोर्ट देखी है।

(ख) कुछ तकनीकी तथा चिकित्सक व्यक्ति भारत से गए हैं। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है हमारे पास ठीक ठीक सूचना नहीं है। यह एक ऐसी बात है जो भारत के लिये ही विचित्र नहीं, किन्तु ऐसा सारे संसार में ही हो रहा है।

(ग) यह सम्भव नहीं है कि विदेशों में जाने से व्यक्तियों को रोका जाए। किन्तु भारतीय वैज्ञानिकों की वापसी को सुविधा जनक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न पग उठाए गये हैं :

(i) विदेशों से वापिस आने वाले विशेष अर्हता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों एवं टैक्नोलौजीविज्ञों को अस्थाई रूप से कार्य पर लगाने के लिए एक वैज्ञानिकों के पूल की स्थापना।

(ii) स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों की सृष्टि जिन पर विदेशों में अध्ययन तथा कार्य कर रहें वैज्ञानिकों की अस्थाई रूप से तुरन्त नियुक्ति की जा सके।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकतर राजीय लोक सेवा आयोग इस बात पर राजी हो गए हैं कि वे उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलौजीविज्ञों को जिनके विवरण राष्ट्रीय पंजी में दर्ज है को "वैयक्तिक संविधा" अभ्यार्थी के रूप में सभी विज्ञापित पदों के लिए स्वीकार करें।

(iv) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलौजीविज्ञों का विवरण, वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रीय पंजी में एक पृथक भाग में किया जाये तथा उनके नाम केन्द्रीय सरकार के सभी मन्त्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों राजकीय क्षेत्र उद्योगों, तथा निजी-क्षेत्र के बड़े उद्योगों को परिचालित किए जायें। ऐसे व्यक्तियों के नाम "टैक्निकल मैन पावर बुलिटन" मासिक में प्रकाशिक किए जाते हैं जिसका वितरण भारत की लगभग 3000 संस्थाओं को बिना मूल्य वितरित किया जाता है

(v) ऐसे वैज्ञानिकों को जिनका चुनाव भारत की अनुसन्धान संस्थाओं में नियुक्ति के लिए किया जाता है तथा जो न्यूनतम तीन वर्ष के लिए कार्य करने का वचन देते हैं, के लिए यात्रा व्यय की व्यवस्था।

बहूरघाट हवाई अड्डा (पश्चिम बंगाल)

3212. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहूरघाट, पश्चिम बंगाल में एक सुसज्जित हवाई अड्डा बेकार पड़ा हुआ है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे पर अर्हता प्राप्त कर्मचारी तथा रेडियो नौवहन सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इस कस्बे को कलकत्ता से जोड़ने के लिए कलकत्ता को गोहाटी और अन्य स्थानों तथा अगरतला और अन्य स्थानों से मिलाने वाली दो सेवाओं की तरह एक विमान सेवा शुरू करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या लोगों की आवश्यकता पूरी करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बलूरघाट में एक हवाई अड्डा आपातित स्थिति में इस्तेमाल किये जाने के लिए संधारित किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर योग्यता सम्पन्न विमान क्षेत्र एवं संचार कर्मचारी तैनात किये गये हैं, तथा रेडियो दिक्चालन सुविधायें सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल, बलूरघाट को कलकत्ता से विमान सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उस सेक्टर पर सम्भावित यातायात आर्थिक दृष्टि से परिचालनों की लाभप्रदता को सिद्ध नहीं कर सकेगा।

Education for Landless Farmers

3213. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wards of the small landless farmers are not in a position to receive education even upto the High School standard because the tuition fees in the Schools have gone up very much; and

(b) whether Government propose to introduce free education upto the High School standard during the Fourth Five Year Plan period and if not, the reasons therefor especially when the Madhya Pradesh Government have already done so ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Government is aware that the poorer sections of society, including landless labourers, often find it difficult to send their children to secondary schools, partly because of poverty which disables them to forego the earnings of their children and partly because of the expenditure on tuition fees and other incidental charges. The increase in tuition fees, which has taken place to some extent, has only a marginal effect in this.

(b) School education is free for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all parts of the country. Secondary education is free for all children in Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Mysore, Nagaland and Tamil Nadu. Girls receive free education upto the secondary stage in Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. In Maharashtra and Gujarat, free education upto the secondary stage is available to the children of all parents whose income is less than Rs. 1200/-per annum. In other States, concessions in fees are available to a fair extent for poor and deserving students.

It is for the Governments to make secondary education free. The main difficulty is the lack of resources and it will not be possible to realise the goal in the Fourth Five Year Plan. The advice of the Government of India is that facilities for free education should be extended at the secondary stage to the extent possible to cover all needy students, with the ultimate objective of making secondary education free for all students.

Madhya Pradesh has not made secondary education free for all children. This facility is available only to girls and to the children of the Backward Classes.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रूस के प्रतिरक्षा मंत्री की भारत-यात्रा

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"रूस के प्रतिरक्षा मंत्री की हाल की भारत यात्रा और भारत सरकार से उनकी बातचीत"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : महोदय, रूस के रक्षा मंत्री, मार्शल ए० ए० ग्रैचको ने, वरिष्ठ सेवा अधिकारियों तथा रूसी विदेश कार्यालय के एक प्रतिनिधि के साथ 2 से 9 मार्च, 1969 तक भारत की यात्रा की थी। रूस के रक्षा मंत्री मेरे निमन्त्रण पर यहां आये थे, जो मैंने वरिष्ठ सेवा अधिकारियों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अक्तूबर, 1968 में रूस की यात्रा करते समय दिया था।

यह एक सद्भावना यात्रा थी। इसके दौरान मार्शल ग्रैचकों तथा उन के दल को भारत का जीवन तथा भारत की संस्कृति देखने के अवसर दिये गये थे। मार्शल ग्रैचकों द्वारा कुछ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों को देखे जाने और दो देशों की सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सम्पर्क से इन देशों की सशस्त्र सेनाओं में परस्पर सम्मान उत्पन्न करने में सहायता मिली है। शिष्ट मण्डल स्तर पर तथा सेवा अधिकारियों के स्तर पर वार्ता से सामान्य शिष्टाचार के अतिरिक्त दोनों देशों की प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार आदान-प्रदान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है।

श्री स० कुण्डू : यह एक बहुत गम्भीर मामला है तथा इससे सारा राष्ट्र एवं सारी सभा सम्बन्धित है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने थोड़े से शब्द कर कर इसे टाल दिया है। इस मामले के गम्भीर राजनैतिक तथा सैनिक पहलू हैं, परन्तु मंत्री महोदय ने केवल इतना कहा है कि उन्हें भारत की संस्कृति देखने के अवसर दिये गये। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति तथा उसके राजनीतिक सम्बन्धों और चीन के रूस के प्रति नये रवैये और उसके भारत पर प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया था अथवा नहीं। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि पाकिस्तान को रूस द्वारा हथियार दिये जाने के बारे में उन का रवैया क्या है ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाल में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान को 40—50 टैंक दिये गये हैं। यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से हमले का कोई खतरा नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हाल में पाकिस्तान के एयर मार्शल ने कहा है कि आगरा कानपुर तथा पंजाब उनकी उद्देश्य सूची में हैं। श्री भुट्टो ने यह भी कहा है कि आसाम पाकिस्तान का इलाका है। अतः इन बातों को

देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनकी रूस के रक्षा मंत्री के इस वक्तव्य के बारे में कि भारत को पाकिस्तान से हमले का कोई खतरा नहीं है, क्या प्रतिक्रिया है ?

गत दो महीनों में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सैनिक उपकरण जिन में इलक्ट्रोनिक उपकरण तथा टैंक भेदी मसाइल शामिल है, दिये गये हैं। इस बात को देखते हुए कि इस सहायता के अतिरिक्त पाकिस्तान को अमरीका और चीन से भी सहायता प्राप्त हुई है, मैं जानना चाहता हूं..... ....

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों को प्रतिरक्षा मंत्रालय पर वाद-विवाद के समय उठा सकते हैं।

श्री स० कुण्डू : पाकिस्तान को चीन से जो टैंक प्राप्त हुए हैं उनके फालतू पुर्जों की सप्लाई रूस द्वारा की गई है और फिर भी रूस द्वारा कहा गया है कि इससे पाकिस्तान का सैनिक पलड़ा भारी नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पहलू पर कहां तक रूस के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की गई थी और कहां तक उन्हें भारत के भय से अवगत कराया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मैं ने बार-बार उन्हें बैठ जाने का अनुरोध किया है, परन्तु वह भाषण दे रहे हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय भाषण दिया जा सकता है, इस समय नहीं। अतः माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछें और भाषण न दें।

श्री स० कुण्डू : यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि जब प्रतिरक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिले थे तो उन्होंने पाकिस्तान की समस्या का उल्लेख नहीं किया था। क्या यह समाचार सही है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इस बारे में बातचीत की थी कि यदि चीन भारत में आक्रमण करता है, तो दोनों देश उस का मुकाबला करेंगे ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री ने यह जानने का प्रयत्न किया था कि चीन द्वारा किस प्रकार का सैनिक सामान दिया गया है और मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री को यह बताया था कि रूस की नीयत साफ नहीं है क्योंकि वह एक ओर तो भारत की मित्रता की बात कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान को, जो कि आक्रमक देश है, सहायता दे रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिन बातों का उल्लेख किया है, उन सब का उत्तर देना तो मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु मैं कुछ विशिष्ठ बातों का उत्तर दूंगा। मुझे पता है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई किये जाने के बारे में सभा चिन्तित है। हमने यह समाचार देखे हैं कि कुछ रूसी उपकरण पाकिस्तान पहुंचे हैं। यह कहना सही नहीं है कि रूस के रक्षा मंत्री के साथ यह मामला नहीं उठाया गया था। वार्ता के दौरान रूस के रक्षा मन्त्री के साथ यह मामला उठाया गया था। हमें कुछ महीने पूर्व यह बता दिया गया था कि रूस का पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का इरादा है। इस बारे में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था तथा इस बारे में सभा में भी चर्चा हुई थी।

पाकिस्तान को अब जो सप्लाई की जा रही है, वह वास्तव में पाकिस्तान को कुछ हथियार सप्लाई करने के निर्णय का कार्यन्वयन है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने रूस को स्पष्ट बता दिया है कि हमें इस पर गहरी चिन्ता है, क्योंकि हम महसूस करते है कि पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में वृद्धि हमारे लिये सीधी धमकी है। परन्तु यह सरकार का निर्णय है। हम ने पुनः इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। यह समाचार काफी हद तक सही है कि पाकिस्तान को कुछ उपकरणों की सप्लाई की गई है। परन्तु पाकिस्तान को सप्लाई किये गये उपकरण के सम्बन्ध में उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। वास्तव में पाकिस्तान को सप्लाई किये गये उपकरण का ब्यौरा देने की उन से उपेक्षा नहीं की जा सकती जैसा कि रूस ने हमें जो हथियार दिये हैं उस के बारे में किसी अन्य देश को कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

श्री स० कुण्दू : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। माननीय मंत्री का इस बारे में क्या अनुमान है ?

श्री स्वर्ण सिंह : रूस के रक्षा मंत्री ने यह कभी नहीं कहा है कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। रूस के रक्षा मंत्री का अनुमान चाहे जो हो, वह उन का अपना अनुमान है तथा वह हमारा अनुमान नहीं हो सकता। खतरे का अनुमान हम अपने ढंग से लगाते हैं और इस में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : प्रतिरक्षा और वैदेशिक नीतियों में गहरा सम्बन्ध होता है। इसी लिए रूस के मंत्री अपने साथ वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ भी लाये थे। उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर भारत की यात्रा की थी, जब हमारी चारों ओर नई घटनायें हो रही थी, जिन का भारत की प्रतिरक्षा पर गहरा प्रभाव था। चीन और रूस की सेनायें आमने सामने खड़ी थी। तिब्बत में वहीं घटनायें हो रही थी। तिब्बत के समाचार पत्र में एक यह प्रकाशित हुआ था कि तिब्बत में देश द्रोही भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष ल्यू शाऊ ची के समर्थकों द्वारा एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। रूस तथा चीन में लड़ाई लगभग छिड़ चुकी थी। पाकिस्तान में और विशेषयता पूर्वी पाकिस्तान में चीनी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान को रूस द्वारा अधिक हथियार दिये जा रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए जिन का प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक मामलों के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव है, मैं तीन विशिष्ठ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि चीन तथा रूस की मुठभेड़ को देखते हुए क्या तिब्बत के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था और क्या रूस तिब्बत को स्वतन्त्र कराने और उसे एक मध्यवर्ती राज्य का दर्जा दिलाने के पक्ष में है, ताकि मध्य एशिया में शांति स्थापित की जा सके ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान को अधिक सहायता देने का प्रश्न भी उठाया गया था और क्या उनका ध्यान पाकिस्तान में और विशेषतया पूर्वी पाकिस्तान में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव की ओर दिलाया गया था ? मैं जानना चाहता हूँ कि रूस के रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ? मिस्टर भुट्टो तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार के बारे में रूस के रक्षा मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी ? क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इन घटनाओं को देखते हुए रूस पाकिस्तान को सहायता देना

बन्द कर देगा और न केवल भारत अपितु समस्त मध्य एशिया क्षेत्र और विशेषतया तिब्बत की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में भारत से समन्वय स्थापित करेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : तिब्बत के राजनीतिक दर्जे तथा चीन में क्या घटनायें घट रही हैं, इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया था। तिब्बत के स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने जो अनुमान लगाया है तथा चीन के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष की तिब्बत के बारे में क्या योजना है, इस बारे में हम गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बातें उन लोगों द्वारा कही गई हैं, जो सत्ता में नहीं हैं।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न पाकिस्तान को रूस द्वारा हथियार दिये जाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, तथा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परन्तु मैं यह और कहना चाहूंगा कि हम ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया था कि चीन से सैनिक सहायता प्राप्त कर रहा है और उसे अमरीका तथा कई अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों से भी काफी सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी।

उन का तीसरा प्रश्न पाकिस्तान के कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार से सम्बन्धित हैं। पाकिस्तान के सैनिक खतरे में हम लगातार कड़ी नजर रखे हुए हैं, परन्तु मैं नहीं समझता कि किसी विदेशी नेता के भारत आने पर उसे यह बताने से कोई लाभ होता कि पाकिस्तान के कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा भारत के विरुद्ध क्या कहा जा रहा है।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है प्रतिरक्षा नीति और वैदेशिक नीति में गहरा सम्बन्ध है। इस लिए हम वैदेशिक कार्यालय से लगातार समन्वय बनाये रहते हैं और राय का आदान प्रदान करते रहते हैं। हम स्थिति का अनुमान लगाते हैं, राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखते है और उनके प्रभावों के बारे में विचार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम लगातार सतर्क रहते हैं।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : महोदय गत एक वर्ष में कई रूसी नेता भारत आये हैं। हमारे भी कुछ शिष्टमण्डल वहां गये हैं, जिन में हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री भी शामिल हैं। हमारे वर्तमान वैदेशिक कार्य मन्त्री, जो उस समय वाणिज्य मन्त्री थे तथा हमारे तत्कालीन वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कई अन्य नेता जिन में राष्ट्रपति सब से प्रमुख हैं, वहां गये थे। जनवरी 1965 को श्री कोसिजन भारत आये थे और 26 जनवरी को वह यहीं थे फिर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसका सम्बन्ध उनकी सभी यात्राओं से है, चूंकि वह एक छोटा-सा तथा 4 या 5 ही पंक्तियों का वक्तव्य है, किन्तु स्पष्ट शब्दों में उसका अर्थ यह है कि यदि भारत उसकी सभी विदेशी नीति का समर्थन नहीं करता है, तो वह भी भारत की नीति का समर्थन नहीं करेगा और तभी से पाकिस्तान को सैनिक तथा शस्त्र सहायता के बारे में उसकी नीति में परिवर्तन आया है और काश्मीर के बारे में भी रूसी प्रतिनिधि कहने लगा है कि वहां जनमत लेना उचित होगा और तब से भारत-रूस सम्बन्धों की तस्वीर ही बदल गई है और वे बदल गये हैं। हमारे प्रतिरक्षा मन्त्री की रूस के प्रतिरक्षा मन्त्री के साथ हुए विचार-विमर्श के सिलसिले में मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या चीन तथा रूस के वर्तमान

सम्बन्धों को देखते हुए, चीन के प्रसार को रोकने के लिए किसी विशेष नीति पर विचार-विमर्श किया गया था ? दूसरा—क्या चीन और रूस के बीच कटु सम्बन्धों को देखते हुए, क्या दलित देशों को संयुक्त रुप से सहायता देने तथा चीन की सीमा से लगने वाले राष्ट्रों को जिनमें भारत एक है, रूस द्वारा इस समय दी जा रही सहायता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था ? तीसरा— क्या इन विचार-विमर्शों के दौरान, हमारे ऊपर आणविक फैलाव रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये फिर से दबाव डाला गया था ? अन्त में—क्या रूस के प्रतिरक्षा मंत्री के साथ हमें सप्लाई किये गये उपकरणों, टैंकों तथा विमानों के लिये गोलाबारूद के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था क्योंकि वे गोलाबारूद न होने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले सकते ? हम उनका निर्माण यहां नहीं करते क्योंकि ऐसा करने की इजाजत नहीं है। क्या इन बातों पर विचार-बिमर्श किया गया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन के प्रसार को रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। चीन के सम्बन्ध में हमारी खुद अपनी समस्यायें हैं और हम इस तरह की कोई बात नहीं सोच रहे हैं। इसलिये, स्वभावतः इस बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। हमारी नीति ऐसी नहीं है।

जहां तक दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों को रूस तथा भारत द्वारा संयुक्त सहायता का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर कोई बात-चीत नहीं की गई क्योंकि इन देशों को रूस अथवा किसी अन्य देश के साथ मिलकर संयुक्त सहायता देने का हमारा कोई मतलब नहीं है। इन देशों के साथ हमारे अपने सम्बन्ध हैं और हम दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर अपने सम्बन्ध रखते हैं। इस मामले में हम किसी अन्य शक्ति के साथ शामिल होना नहीं चाहते।

जहां तक आणविक हथियारों के फैलाव पर रोक सम्बन्धी सन्धि का सम्बन्ध है ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि उसे हस्ताक्षर करने के लिए कोई दबाव डाला जाये। किसी बात पर हस्ताक्षर करने अथवा न करने के लिये हम पर कोई भी देश आज दबाव नहीं डाल सकता। इसलिये इस प्रश्न पर भी कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

जहां तक गोला बारुद आदि का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे ऐसी बात न दुहरायें कि हमारे पास गोलाबारूद आदि नहीं है। माननीय सदस्य को ऐसी बातें नहीं उठानी चाहिए जिन पर उनकी जानकारी गलत हो। यह उक्ति सर्वथा गलत है। हमारे पास पर्याप्त गोलाबारुद आदि सामग्री हैं और हम जितना चाहें किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं और हमारे ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं है। इस प्रश्न का आधार ही बिलकुल गलत है और जिसका आधार ही निराधार हो, उसका उत्तर मैं क्या दूं ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 329/69]

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश, विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1969 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1968 राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7) जो दिनांक 13 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 330/69]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) (क) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

* (एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2026 में प्रकाशित हुए थे।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2557/68]

* (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2027 में प्रकाशित हुए थे।

* (तीन) भारतीय वन सेवा (सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2031 में प्रकाशित हुए थे।

** (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2070 में प्रकाशित हुए थे।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2583/68]

**(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2071 में प्रकाशित हुए थे।

**(छः) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2135 में प्रकाशित हुए थे।

**(सात) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2136 में प्रकाशित हुए थे।

**(आठ) भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2137 में प्रकाशित हुये थे।

**(नौ) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (केन्द्रीय भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2138 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2676/68]

@ (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन नागरिकता (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2029 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2030 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थीं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2558/68]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का दूसरा संशोधन जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत

---

* ये अधिसूचनायें पहले 6 दिसम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी और प्रक्रिया नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत सभा-पटल पर पुनः रखी गई।

** ये अधिसूचनायें पहले 13 दिसम्बर, 1968 को सभा-पटल पर रखी गयी थीं और प्रक्रिया नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत सभा पटल पर पुनः रखी गई।

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 437 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1969 जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 457 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का पहला संशोधन जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 458 में प्रकाशित हुये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०331/69]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

उनसत्तरवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंकटासुब्बया (तन्दयाल) : मैं शिक्षा मन्त्रालय—नेशनल आरकाईव्स आफ इंडिया—के बारे में प्राक्कलन समिति का उनसत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सोमवार, 17 मार्च 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य के बारे में लोक–सभा में वक्तव्य

STATEMENT IN LOK SABHA ON GOVERNMENT BUSINESS DURING THE WEEK COMMENCING FROM MONDAY, THE 17TH MARCH 1969

संसद–कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : सोमवार, 17मार्च 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य इस प्रकार लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से बची किसी मद पर विचार ।

(2) 1968–69 के लिये अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों पर 1966–67 के लिये अतिरिक्त अनुदानों (सामान्य) की मांगों पर 1968–69 के लिये अनुदानों (सामान्य) की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश 1969 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प जिसे श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा पेश किया जायेगा, पर चर्चा तथा सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(4) दिल्ली मोटर गाड़ी-करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(5) बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश 1969 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प जिसे श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा पेश किया जायेगा, पर चर्चा तथा बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में चर्चा तथा उसे पारित करना ।

(6) पब्लिक वाक्फ्स (सीमा का विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 1968 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प जिसे श्री श्रीचन्द गोयल द्वारा पेश किया जायेगा, पर चर्चा तथा पब्लिक वाक्फस (सीमा का विस्तार) संशोधन विधेयक 1969 पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में चर्चा तथा उसे पारित करना ।

(7) लिमिटेशन (संसोधन) अध्यादेश, 1968 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प जिसे भी श्रीचन्द गोयल द्वारा पेश किया जायेगा, पर चर्चा तथा लिमिटेशन (संशोधन) विधेयक, 1969 पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में चर्चा तथा उसे पारित करना ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, एक वक्तव्य दिया था । लेकिन वक्तव्य को पढ़ने के बाद हमें स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ । इस लिये हमारा अनुरोध है कि इस मामले पर या तो आप एक घन्टे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें अथवा गृह-कार्य मन्त्री यह स्पष्ट करें कि सभी विचाराधीन अथवा अनिर्णित मामले वापस लिये जायेंगे और इस लपेट में जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका क्या होगा । इस बारे में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I al o want certain clarifications. First how many employees still re nain dismissed or suspended after this statement has been move secondly, the number of unions out of the derecognised ones which have been granted recognition uptill now.

श्री नाथपाई (राजापुर) : हमने सावधानी पूर्व अध्ययन तथा जांच के बाद देखा है कि सरकार ने हड़तालो कर्मचारियों के बारे में जो अनुदेश दिये थे, उनका विभागीय स्तर पर पूर्णतः उल्लंघन किया गया है जो गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बिलकुल विपरीत है क्योंकि किसी विशेष विभाग के संयुक्त सचिव ने परिपत्र जारी किया है कि "यदि मुकदमा चलाने के लिये किंचित मात्र प्रमाण भी हो, तो मुकदमा चलाने से न हिचकिये क्योंकि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे इन लोगों को भविष्य में हड़ताल करने की हिम्मत ही पड़े ।

अतः हम इस नई निती का स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि जब तक इसको स्पष्ट नहीं किया जायेगा तब तक सम्भवतः इस छूट के पीछे जो भावना है उसको क्रियान्वित नहीं किया जायेगा ।

मजदूर संघो को मान्यता देने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मान्यता को वापस ले लेने से उन के साथ बातचीत करने की जो कड़ी है वह टूट गई है । छूट देने की नीति तब तक सफल नहीं हो सकेगी जब तक उन्हें पूरे अधिकार नहीं दिये जाते । इस को ध्यान में रखते हुए क्या गृह-कार्य मन्त्री इन संघों के अधिकारो को बहाल करने के लिये हमारी प्रार्थना पर विचार करने के लिये तैयार हैं?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : जो सुझाव दिये गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । नई दिल्ली में कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हैं । मेरे विचार में नियोजकों तथा कर्मचारियों के सम्बन्धों को बहाल करने के लिये यह आवश्यक है कि इन मामलों को ब्योरेवार स्पष्ट किया जाये क्योंकि अन्यथा इस से भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस नई नीति की घोषणा की गई है वह निलम्बित किये गये और नौकरी से निकाले गये सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी .....

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : अस्थायी कर्मचारियों के बारे में क्या स्थिति है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह नीति उन पर भी लागू होगी । आशा है कि कुछ दर्जन कर्मचारियों को छोड़कर 19 सितम्बर की अवैध हड़ताल के फलस्वरूप की गई कार्यवाही के अनुसार निलम्बित किये गये अथवा नौकरी से निकाले गये सभी कर्मचारियों को नौकरी में ले लिया जायेगा ।

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : श्रीमन्, माननीय गृह-कार्य मन्त्री, श्री यशवन्तराव चव्हाण ने 18 दिसम्बर, 1968 को लोक सभा में 19 सितम्बर को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के बारे में आधे घन्टे की चर्चा का उत्तर देते हुए अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया था कि "इन लोगों को उनके इन पर हस्ताक्षर करने से पहले बयान दिखा दिये थे । किसी ने कहा है कि जिन आशुलिपिकों को ये बयान लिखाये गये थे उन्होंने ही यह कहा होगा । परन्तु ये बयान भी तो बयान ही हैं जिन पर इन्हीं लोगों ने हस्ताक्षर किये थे । मुझे इन मामलों के बारे में क्या करना है ? मैं नहीं जानता कि कौन-सा बयान सही है और स्वीकार किया जाना है । उन्होंने आगे कहा, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि जो कुछ वे कह रहे हैं सही है अथवा नहीं, परन्तु उपायुक्त के निष्कर्ष इन लोगों द्वारा उन के सामने दिये

गये उन बयानों पर आधारित है, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं । यदि वे इन में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो यह उनकी मर्जी है ।"

मुझे मालूम हुआ है कि दो पत्रकारों, सर्वश्री नजमुल हसन तथा सी० वी० कृष्णन ने इन बयानों पर हस्ताक्षर किये ही नहीं थे । यही नहीं कि उन पर हस्ताक्षर नहीं हैं, उनमें बयान लेने वाले उपायुक्त ने वस्तुतः काफी परिवर्तन कर दिये हैं और मुख्यतः इसी कारण बयानों पर अन्य लोगों के साथ इन पत्रकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं । मैं ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक कागज़ पहले ही गृह-कार्य मन्त्री को भेज दिया है जिस में इस बात का प्रमाण है कि इन बयानों पर पत्रकारों के हस्ताक्षर ही नहीं लिये गये थे ।

मेरे विचार में यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । आशा है कि गृह-कार्य मन्त्री इन अभिलेखों में परिवर्तन करने के लिये ज़िम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । मुझे विश्वास है कि इस बात का जांच अधिकारी, श्री राव, जो 19 सितम्बर को इन्द्रप्रस्थ भवन के निकट तैनात पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की अब जांच कर रहे हैं, भी ध्यान रखेंगे ।

गृह-कार्य मन्त्री को चाहिये कि वह अपने वक्तव्य में शुद्धि करते समय सभा को यह बतायें कि उनको तथा उनके माध्यम से सभा को भ्रम में डालने के लिये कौन जिम्मेवार थे ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : आपकी अनुमति से मैं 18 दिसम्बर, 1968 को हुई कार्यवाही के रिकार्ड में शुद्धि करने की अनुमति चाहता हूं । एक सुझाव का हवाला देते हुए कि श्री सी० वी० कृष्णन और नजमुल हसन नामक दो पत्रकारों द्वारा दिये गये वक्तव्य पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये थे, मैंने कहा था, "मुझे सूचना है-यदि कोई व्यक्ति बाद में कोई आरोप लगाए तो मैं नहीं कह सकता इन लोगों को उनके इन पर हस्ताक्षर करने से पहले वक्तव्य दिखा दिये थे" ।

2. स्थिति की जांच करली गई है और बताया गया है कि सर्वश्री नजमुल हसन और सी० वी० कृष्णन ने अपने साक्ष्य का ज्ञापन 22 सितम्बर, 1968 को उप आयुक्त के एक आशुलिपिक को दिखाया किन्तु उनके हस्ताक्षर के लिए प्रतिलिपि के तैयार होने से पहले ही वे चले गये । उप-आयुक्त ने सर्वश्री नजमुल हसन और सी० वी० कृष्णन द्वारा लिखाए गये ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षरों के बिना 24 सितम्बर, 1968 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । मुझे खेद है कि इस बारे में सदन को दी गई सूचना सही नहीं थी । तथापि, उप-आयुक्त द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि श्री कृष्णन द्वारा लिखाये गये तथा आशुलिपिक द्वारा टाइप किये गये वक्तव्य में अनजाने से अथवा जानबूझ कर कोई परिवर्तन नहीं किया गया था ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म० प० के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at thirty minutes past fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr.Deputy Speaker *in the Chair* }

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक1969
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 1969

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I oppose this bill on the ground of legislative competency. This Act is being amended again and again because of the fact that while drafting bills all the provisions of the constitution are not taken into consideration by the officials of the Ministry of Law who are incompelent. They have themselves stated in the statement of Objects and Reasons that they are not sure about certain clauses of the bill, whether they are consistent with the provisions of the constitution.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 72 के अन्तर्गत, यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो इस अवस्था में चर्चा को केवल तथ्यों तक ही सीमित रखना होता है । परन्तु यह तो विधेयक के गुण दोषों की चर्चा कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू का प्रश्न है, उन्होंने ऐसा करने की अनुमति ले ली है । नियम 72 के परन्तुक में यह भी उपलब्ध है कि "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा ।

माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दी जाये और फिर हम देखेंगे कि उस में कोई सार है कि नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : My first point is this that the necessity of bringing forward this bill has arisen because of this fact that the Legal Advisors are indulging in slip shod drafting.

My second is this that when we are not prepared to impose restriction on the activities of Shiv Sena of Lachchit Sena or R. S. S. or CPI(M), why restrictions are being imposed on the institutions functioning in the State of Jammu & Kashmir ? Since there is no justification for this black bill, when civil liberties in that State are already being withdrawn, I, therefore, want to oppose it.

It is, therefore, in the fitness of things that this bill should be withdrawn and instead a bill repealing the very Unlawful Activities (Prevention) Act should be brought forward.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन्होंने कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं की है।

जहां तक इस विधेयक के सिद्धांतों का सम्बंध है उन्हें तो सभा ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक को अब जम्मू तथा काश्मीर राज्य इसलिये करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा करने का हमें अब ही परामर्श दिया गया है। विधि मन्त्रालय के यह बात पहले ध्यान में ही नहीं आई थी। जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस समय इस विधेयक के गुण दोषों पर विचार करने का अवसर नहीं है। ऐसा हम इस पर विचार करते समय कर सकेंगे। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पुरः-स्थापित करने की आवश्यक अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, 1969

CHARTERED ACCOUNTANTS (AMENDMENT)BILL, 1969

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री जो० भा० कृपालानी (गूना) : मुझे वित्त मन्त्री से बहुत सहानुभूति है । यह अच्छा होता, यदि उन्हें गरीब कर दाताओं विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से कुछ सहानुभूति होती । खेद इस बात का है कि गलतियां सरकार करती है परन्तु उनका परिणाम गरीब कर दाताओं को भुगतना पड़ता है ।

एक अवसर पर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार हो रहा था तो मैं ने सुझाव दिया था कि इतनी बड़ी-बड़ी योजनायें आरम्भ करने से पूर्व हमें पहले आरंभ की गई योजनायें को सुदृढ़ बनाना चाहिये । हमें पांव उतने ही पसारने चाहिये जितनी लम्बी सौर हो । उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि सौर छोटी हो तो क्या पांव काट दिये जाये । यह एक बहुत अच्छा प्रति-उत्तर था । काश कि हम ऐसे प्रति-उत्तरों से जिन पर कांग्रेस के सदस्यों को हंसी आती है अपने राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार कर पाते ।

बोकारो में चौथा इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है । मुझे आशा है वित्त मन्त्री इस कारखाने के पक्ष में नहीं है परन्तु वह अपने दल अपने नेता अथवा अपने मित्रों की रक्षा करने के लिये ही ये सब कर रहे है । वास्तविकता यह है कि इन बड़े बड़े कारखानों में प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपये की हानि हो रही है । जनता तो इन से ऊब गई है । उन्हें इन से कोई लाभ नहीं हो रहा है । जितना इन में धन लगाया गया है उन पर ब्याज के रूप में ही कोई लाभ होने की बजाय उल्टा हानि हो रही है । स्पष्ट है कि इन के कार्य संचालन में कुछ त्रुटियां हैं जो सरकार भी मानती है । या तो इन में अनावश्यक रूप से बहुत अधिक धन लगा दिया गया है अथवा उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है । इसके अतिरिक्त हमें चूंकि सहयोग देने वाले एक ही देश से सारा सामान खरीदना पड़ता है । इसलिये इसमें कोई बचत करने की भी गुंजाइश नहीं होती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि समाजवादी तथा साम्यवादी लोग इस सरकारी क्षेत्र का क्यों समर्थन करते हैं । यद्यपि इन्हें एकाधिकार प्राप्त है तथापि इन्हें हानि हो रही है ।

इसी प्रकार कृषि सम्पत्ति पर कर इसलिये लगाया जा रहा है क्योंकि चोर बाज़ारी करने वालों ने भूमि खरीद ली है । प्रश्न उठता है कि पहले सरकार ने उन्हें चोर बाजारी करने क्यों दी ? सरकार चोरबाज़ारी सम्बन्धी कानून को लागू करने में असफल रही है । सरकार अब कहती है कि बड़ी-बड़ी बस्तियां स्थापित हो गई है । मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि ऐसा होने क्यों दिया गया ? चूंकि जब हमारे मन्त्रीगण स्वयं बड़ी बड़ी बस्तियां और फार्म स्थापित करने में लगे होते हैं, तब वे पूंजीवादियों को ऐसा करने से रोक नहीं पाते हैं और बाद में सरकार चाहे कोई ईमानदार हो अथवा चोरबाज़ारी करने वाला हो सभी पर कर लगाने की बात सोचने लगती है । गलती कोई करे और दण्ड और को मिले । कर लगाने का यह निराला ढग है ।

आज हम देखते हैं कि जितने कर लगाये जाते हैं उनकी पूरी वसूली नहीं की जाती है । बड़े बड़े व्यापार गृहों पर करों की जो बकाया राशि है उसकी सरकार वसूली नहीं कर पाती

है । प्रशासनिक खर्च को कम नहीं किया जा रहा है । सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि सरकारी विभागों में 35 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास काम नहीं है । यह ठीक है कि सरकार उन्हें निकाल नहीं सकती है क्योंकि इस से बेरोजगारी फैल जायेगी परन्तु वह नयी भर्ती पर तो रोक लगा सकती है जिससे उन्हें समाविष्ट किया जा सके । इसी प्रकार सेना को जो धन दिया जाता है अथवा सदुपयोग न कर के अपव्यय किया जाता है । इस में प्रतिष्ठा वाले कुछ ऐसे पद हैं, जिन पर व्यय में कमी की जा सकती है । मेरा विश्वास है कि यदि इन सुझावों को क्रियान्वित किया जाये, तो नये कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

माननीय मन्त्री ने बताया है कि इस वर्ष के आयव्ययक में 250 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था की गई है । मालूम होता है उन्होंने प्रत्येक राज्य के आयव्ययक में घाटे की व्यवस्था का हिसाब ही नहीं लगाया हैं । सभी राज्य अधिकाधिक धन की मांग कर रहे हैं । उनकी इन मांगों को कैसे पूरा किया जायेगा ? सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को कम खर्च करने की सलाह दें । राज्यपालों तथा कर्मचारियों पर किये जा रहे व्यय को कम किया जाये । राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि ये अनुपयोगी हैं । मेरे विचार में यदि सैनिक प्रशासन तथा असैनिक प्रशासन में और राज्यों में मितव्ययता की जाये तो नये कर लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी । गत 21 वर्षों से प्रतिवर्ष नये कर लगाये जा रहे हैं । इस से मुद्रास्फीति बढ़ी है और रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा है और हो सकता है कि हमें फिर ऐसा करना पड़े । इस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर बहुत ही खराब किस्म का है । इससे न केवल देश में कीमतें ही बढ़ती हैं परन्तु हमारे निर्यात व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । हमें इस्पात का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर करना पड़ता है जबकि हमारी उत्पादन-लागत इससे अधिक है ।

खेद है कि राष्ट्रीय एकता के स्थान पर भावात्मक एकता की बात कही जा रही है । बम्बई में जो कुछ हुआ वह एक भावात्मक लहर थी । यदि मराठा लोगों को दक्षिणी भोजनालयों के कारण कुछ आर्थिक हानि हो रही थी, तो इस आर्थिक समस्या को हल करने का उचित ढंग यह होना चाहिये था कि वे लोग इन भोजनालयों का बहिष्कार कर देते जैसाकि हमने स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व विदेशी कपड़े का किया था । इससे वे अपने आप ही चले जाते । ऐसा न करके हम इस आर्थिक मामले में भावात्मक आदर्श को ले आये । तेलंगाना का मामला ही लीजिये । यदि हमने पहले भावुकता से काम न किया होता तो आज यह कठिनाई उत्पन्न ही न होती । हमने कुछ लोगों की भावात्मक भूख को मिटाने के लिये भाषा के आधार पर राज्य बनाये और अब एक ही भाषा वाले राज्य का विभाजन होने जा रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि हमें भावात्मक एकता की बात छोड़कर युक्तियुक्त एकता की बात कहनी चाहिये । हमारी परेशानियों का कारण यह है कि हम मामलों पर युक्तियुक्त ढंग से नहीं सोचते हैं ।

अन्त में मैं रेलवे मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र वालों ने मुझे लिखा है कि मैं ने उनके लिये कुछ नहीं किया है । वे चाहते हैं कि गूना को मुख्य लाइन से मिलाया जाये और बीना तथा गूना रेलवे स्टेशनों के बीच एक शटल गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाये । अतः रेलवे मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस दिशा में कोई कार्यवाही करें ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने मित्र सर्वश्री मसानी तथा अमीन द्वारा वित्त मन्त्री के करारोपण सम्बन्धी नये प्रस्तावों के सम्बन्ध में पहले ही अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं।

श्रीमन्, अब वह समय आ गया जब राज्यों तथा संघ के बीच सम्बन्धों तथा उनमें वित्तीय संसाधनों के आवंटन के बारे में संवैधानिक उपबन्धों को लागू करने के लिये एक संवैधानिक तथा नियमित रूप से कार्यवाही हमें करनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद उचित मंच नहीं है। यदि हम मितव्ययता चाहते हैं; यदि हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उन को दिये गये धन का सदुपयोग करें तो इस सम्बन्ध में सभी वित्त मन्त्रियों, प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्रियों द्वारा मिल जुलकर प्रयत्न करना होगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि राज्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री यह आश्वासन करते चले जायें कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है। अब तो केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों ने भी यही शिकायत करनी आरम्भ कर दी है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसी शिकायतों का अन्त हो, तो इस संबंध में मेरे द्वारा सुझाई गई कुछ निश्चित कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस समय मितव्ययता की बहुत आवश्यकता है। विभिन्न मन्त्रालयों की मांगों पर विचार करते समय वित्त मन्त्री को उनकी मांगों में 10 अथवा 5 प्रतिशत की कटौती अवश्य करनी चाहिये। श्री मसानी तो केवल तीन प्रतिशत ही बचत करने का सुझाव दे रहे थे, परन्तु इतनी बचत भी नहीं की गई है। व्यय को घटाने के लिये समूचे भारत में कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। आज हम देखते हैं कि डाक तथा तार, वैदेशिक-कार्य, खाद्य तथा कृषि और वित्त मन्त्रालयों में कई ऐसे पद हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की मितव्ययता द्वारा 3000 हजार करोड़ रुपये में से 300 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। यदि गत तीन वर्षों में हमने प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की बचत की होती तो इस समय हमारे पास 1,000 करोड़ रुपये फालतू हो जाते और हमें लोगों पर कर न लगाने पड़ते। इन विभागों तथा मन्त्रालयों को धन का सदुपयोग करना चाहिये।

अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस्पात कारखानों से उन्हें हानि हो रही है। उन्होंने इसका अनुमान 38 करोड़ रुपये बताया है। परन्तु उनके लिए 38 करोड़ रुपये केवल 38 पैसे हैं। इस प्रकार ब्याज की दर ही लीजिए। ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या उन्होंने ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए सभा से स्वीकृति ली थी ? क्या यह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि टाटा को भी शुरू 2 में हानि हुई थी तो इसी प्रकार बोकारों और रुरकेला में भी हानि होगी। परन्तु ऐसा कब तक होता रहेगा ?

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : अभी चार वर्ष और लगेंगे।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि अभी चार वर्ष और लगेंगे। परन्तु यह गारंटी कहां है कि इसमें केवल चार वर्ष और लगेंगे। इस बात की भी गारंटी कहां है कि तब

तक वित्त मंत्री महोदय भी रहेंगे। तब तक दूसरा मन्त्री आ जायेगा। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी। आपने इस तरह 3300 करोड़ रुपया सरकारी धन का लगाया हुआ है। राष्ट्रीय साधन इस तरह से बरबाद जा रहा है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य ने कहा है कि इस्पात कारखाने से लिया जाने वाला ब्याज 6 से 5 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। यह 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

श्री रंगा : चलिए 5 प्रतिशत को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु क्या आप इनका भुगतान करोगे। आप देश का दिवाला निकाल रहे हैं और इस प्रकार सब लोग गरीब होते जा रहे हैं। सरकार ने 1961-62 में जनता से 1050 करोड़ रुपये लिए थे और अब वे 2587 करोड़ रुपया चाहते हैं। गत 10 वर्षों के दौरान उन्होंने जनता से बहुत धन ले लिया है। प्रतिवर्ष यह बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इतने धन का क्या किया है। जनसंख्या में भी वृद्धि केवल 2 प्रतिशत रही है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जनसंख्या के बढ़ने से इतना धन उनको भोजन, वस्त्र आदि सुलभ कराने के लिए लगाया गया है, परन्तु यह निश्चय ही पूछा जायेगा कि क्या इस धन से उनको 1 गज कपड़ा, एक ग्रास अधिक भोजन, और उनकी झोपड़ी के आगे 1 वर्ग गज जमीन दिलाने में सहायता मिली है। परन्तु मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं में देंगे। उनके अपने ही शहर में हजारों झोंपड़ी वाले अपने घरों से निकाले जा रहे हैं और उनको शहरों के बरामदों में रहना पड़ रहा है। एक दिन बम्बई में एक लारी बरामदे पर चढ़ गई थी जिसके फलस्वरुप 7 व्यक्ति मारे गये थे उनमें से 1 लाख बरामदों में रहते हैं। यह सर्वविदित है कि जनता की स्थिति सुधरी नहीं हैं और अभी तक वे विभिन्न स्थिति में रह रहे हैं, उनको न पौष्टिक भोजन मिलता है और न कपड़ा तथा पर्याप्त स्थान ही उपलब्ध है।

पुराने परम्परागत एकाधिकारियों के स्थान पर नए एकाधिकारी आ रहे हैं जो राज्य के उपक्रमों का प्रबन्ध कर रहे हैं, क्या उन पर कोई नियंत्रण है? क्या उनकी आलोचना की जाती है ? क्या ऐसा कोई आयोग नियुक्त किया गया है जो यह देखे कि क्या सरकारी धन सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रमों में बरबाद हो रहा है ? परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार सरकारी धन की बरबादी होती है। अब भी मंत्री महोदय कहदें कि मुझे भूल हुई है और मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या उनको घाटे का बजट दिखाते रहना चाहिए और क्या नए कर भी लगाना चाहिए ? उनके नए करों का एक या दो दल तथा कुछ सदस्यों को छोड़कर किसी ने समर्थन नहीं किया है।

मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि मैं यह विश्वास करूं कि वे किसानों के पक्ष में है। बजट में यह कहा गया है कि " यह अत्यावश्यक है कि कृषि कार्यक्रम पूरा करने में पूरा उत्साह दिखाया जाये। उर्वरकों की पूर्ति बढ़ाई जायेगी तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। पम्पों को चलाने के लिए बिजली दी जाएगी और अधिक उत्पादन वाली बीजों की किस्मों का वितरण किया जायेगा " परन्तु इसमें ऋण का कहां उल्लेख है। आप किसानों से वह धन भी ले लेना चाहते है जो उन्होंने बचाया है। आप अपनी तरफ से क्या निवेश कर रहे

हैं। जो कुछ धन इसमें निवेश किया गया है वह किसानों का है। हजारों पम्प लगाए गए हैं। नल-कूप लगाए गए हैं तथा उनको चलाया गया है यह सब किसके व्यय पर हुआ है? यह सब किसानों के बदौलत ही हुआ है। इन लोगों ने ही 600 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अब आप उन्हें दण्ड देना चाहते हैं।

आप समझते हैं कि कृषि में क्रान्ति आई है। इस समय 9 करोड़ 90 लाख हेक्टर में खाद्यान उत्पन्न हो रहा है। उसमें से वे 90 लाख हेक्टर से भी अधिक भूमि में नए किस्म के बीज डालना चाहते हैं। क्या उन्हें इसके लिए पर्याप्त मात्र में उर्वरक मिलेगा? मेरे मित्र ने सरकार द्वारा उर्वरक न दिये जाने के कारण बताये हैं। क्या सरकार ने इसके लिए कोई रचनात्मक कार्य किया है? वे कई कारणों से मिथापुर परियोजना को क्रियान्वत नहीं करना चाहते। इसका परिणाम यह होगा कि वे उर्वरकों का उत्पादन न कर पायेंगे। बिना उर्वरकों के उनके लिए कृषि में क्रांति लाना कैसे सम्भव हो सकता है?

मैं मंत्री महोदय को एक खतरे के बारे में सावधान कर देना चाहता हूं। अगर आप कृषि में नए 2 किस्म के बीज आदि डालेंगे तो उनसे नाशिकीट उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ये नये नाशिकीट काफी संख्या में होते गए तो वे न केवल नए क्षेत्रों को नष्ट कर देंगे अपितु आस-पास के भूमि को भी नष्ट कर देंगे। अतएव इसको रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, पानी और कीटाणु नाशक औषधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि इन नाशिकीट का उन्मूलन किया जा सके। किसानों को उर्वरक नहीं मिले हैं और न उन्हें कीटाणु नाशक औषधि ही मिली है। इस जड़बुद्धि सरकार के लिए यह सम्भव कब होगा कि वह किसानों को आवश्यक साधन उपलब्ध कराये। अतएव वास्तव में कोई कृषि में क्रांति नहीं हुई है। यह तो उनका सपना ही है।

हम बहुत समय से राजस्थान में अखिल भारतीय अकाल और बाढ़ बीमा निधि स्थापित करने के लिए कह रहे हैं जिसमें सरकार का 100 करोड़ रुपये हो और इतना ही धन राज्य सरकार के पास हो ताकि किसानों की रक्षा की जा सके, वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

सरकार उन किसानों के लिए क्या कर रही है जिनकी समस्त सक्रिय पूंजी समाप्त हो गई है, वे सब कुछ खो चुके हैं। अब वे उधार लेकर काम चला रहे हैं। मशीन आदि खरीदते समय उनको ऋण लेना पड़ रहा है। यह ऋण वे सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आदि से ले रहे हैं, किसान इस धन का प्रयोग मशीन आदि खरीदने में लगा रहे हैं तो हमारे वित्त मंत्री महोदय का क्या योगदान है?

हमें कितना धन करों द्वारा लेना है? और यह किससे लेना है? यह धन हमें उन धनवान व्यक्तियों से लेना है जो शहरों में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक धन कृषि सम्बन्धी कार्यों में लगे। अगर आप इस ओर धन नहीं लगा सकते तो यह धन कहीं से भी आए मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो नर्मदा नदी परियोजना जैसी परियोजनाओं में धन लगाता जिससे हमारे किसानों को मदद मिल सके। क्या आप सम्पत्ति कर लगाकर किसानों से इन सबको खरीदने की आशा करते हैं? अगर आप किसानों तक पहुँचना चाहते हैं तो धनवान व्यक्ति से धन लीजिए। क्या सरकार उनसे धन लेने में समर्थ हुई है? अब और अधिक

कर लगाने की गुजाइश नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री यहां है। उनको इस पर विचार करना चाहिए। क्या यह सम्भव और बुद्धिमानी की बात है कि प्रतिरक्षा में हर वर्ष केवल इसी बात पर 1,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाय कि क्योंकि हम दो ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि इस वर्ष हमारी कुछ उपलब्धि होगी परन्तु यह तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि हम इस प्रकार अपनी दलगत सरकार को चलाते रहें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं बजट पर हो रहे वाद-विवाद को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और इसकी बहुत आलोचना हुई है विशेषकर सरकार को भी इससे नहीं छोड़ा गया है। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक बजट की आलोचना अपने ही दृष्टिकोण से करे।

बजट हमेशा की तरह एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न रायें होती हैं। वह बजट नहीं होता है जिसकी आलोचना नहीं की जाती है। अगर यह बजट प्रतिपक्षी दल के लोग बनाते तो भी उनमें मतभेद होता।

मैं इन आलोचनाओं के आधार पर बजट की व्याख्या करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि यह बजट क्रांतिकारी नहीं है। मैंने स्वयं यह नहीं कहा है कि यह क्रांतिकारी बजट है। यह एक गतिशील बजट है। इसका विकास होना है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक विकासमान बजट नहीं है। हमने इस बजट में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक व्यवस्था की है। यह भी कहा गया है कि बदले की भावना वाला बजट है, परन्तु जिनके मन में बदले की भावना समायी रहती है वे और क्या कहेंगे। परन्तु मैं इन सब बातों से परेशान होने वाला नही हूं।

यह भी कहा गया है कि यह बजट राज्यों के साथ अनबन वाला है परन्तु यह कैसे हो सकता है? क्या इस बजट में कर तथा उर्वरकों पर कर तथा सम्पत्ति कर आदि का प्रावधान होने से राज्यों के साथ अनबन हो जाएगी?

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : आप राज्यों के मामले में अनधिकार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

श्री मोरारजी देसाई : मैं किसी भी राज्य के मामले में अनधिकार हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। उर्वरकों पर कर लगे होने के कारण ही वे क्यों झगड़ रहे हैं। क्या सरकार को उत्पादन कर लगाना नहीं चाहिए? तब तो आप कहते कि यह बहुत उचित बजट है। मेरे विचार में कई उन वस्तुओं पर भी उत्पादन शुल्क लगा हुआ है जिनको किसान प्रयोग में लाते हैं। कृषि की आय पर केन्द्रीय सरकार कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संवर्ती सूची में जो वस्तुएं शामिल नहीं हैं उन पर केन्द्रीय सरकार कर लगा सकती है। ऐसा निश्चित रूप से दिया गया है। अतएव इस प्रकार वाद विवाद करना ठीक नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में महान्यायवादी से बातचीत कर ली थी और इस बात पर कोई मतभेद नहीं था। मेरे मन में इस मामले की वैधता पर कोई संदेह नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यों के साथ अनबन पैदा करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मनोहरन : आप उनका सही अभिप्राय नहीं ले रहे है ।

श्री मोरारजी देसाई : अगर माननीय सदस्य मेरे कथन पर विश्वास नहीं करते तो मेरा यह सब कहने का क्या तात्पर्य हैं । वे जो भी कहना चाहते हैं उसे कहें । मैं इस बात की परवाह नहीं करता । परन्तु एक उत्तरदायी सदस्य का यह उचित दृष्टिकोण नहीं है, वे इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोचते कि हम सब उत्तरदायी हैं । जो बात सही नहीं है उसे कहने का कोई लाभ नहीं है ।

राज्यों के साथ अनबन पैदा करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है । वास्तव में भारत सरकार राज्यों के साथ अपनी आय में हिस्सा बंटाती है । और इसका भी निर्णय वित्त आयोग करता है न कि भारत सरकार । योजना आयोग भी भारत सरकार के साधनों से धन का एक भाग राज्यों के लिए रखती है । ऐसा भी नहीं है कि आय के लेन-देन में भारत सरकार राज्यों पर कोई कृपा कर रही है । जब यह कहा जाता है कि राज्यों को केन्द्र सरकार के पास जाकर धन लेने के लिए विवश किया जाता है तो यह स्थिति का गलत मूल्यांकन है, धन के लिए राज्यों को केन्द्र के पास दोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है, अगर भारत सरकार राज्यों को यह धन देती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह संरक्षक बन रही है । संविधान में इसका उल्लेख किया हुआ है । अगर माननीय सदस्य संविधान में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं । परन्तु जब तक संविधान में ऐसा है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार गलत कार्य कर रही है । आप कोई ऐसा दृष्टान्त दे जहां कि भारत सरकार ने संविधान के बाहर काम किया है अथवा कोई भेद-भाव किया हैं । हां, आप उस आधार पर भारत सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं । अगर दोषारोपण सही हैं तो भारत सरकार उन्हें स्वीकार करेगी अन्यथा नहीं, मैं नही समझता कि माननीय सदस्य यह दावा करें कि उनका राष्ट्रीय हित दूसरों से सर्वोपरि है और मैं यह भी नहीं कहता कि मेरा राष्ट्रीय हित उनसे सर्वोपरि है । परन्तु हमारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण है । हमारे अपने विभिन्न आदर्श हैं । अगर हमारे दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है तो इसी बात पर हमें एक-दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, प्रजातंत्र में हम इसी भांति कार्य कर सकते हैं ।

मैंने यह बजट भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत किया है न कि अपनी ओर से, अतएव इसको इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य और केन्द्र के मध्य कठिनाइयां हैं । परन्तु ये कठिनाइयां क्या हैं ? राज्य अधिक साधनों की मांग कर रहे हैं जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं लाया जायेगा तब तक भारत सरकार और अधिक साधन नहीं दे सकती । भारत सरकार का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य काफी है अतएव भारत सरकार को कर लगाने का अधिकार मिला हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : अपव्यय को कम करियेगा ।

श्री मोरारजी देसाई: अगर माननीय सदस्य धैर्य रखेंगे तो मैं इस पर भी कहूंगा । मैं उन सब बातों को कहना चाहता हूं जिनमें सबकी दिलचस्पी है । मैने कई बार इसका उत्तर

दिया था परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया । मुझे आशा है कि अब मेरी बात पर ध्यान दिया जायेगा ।

ऐसा कहा जाता है कि कई मंत्रालयों को समाप्त कर देना चाहिए । परन्तु सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि वह कृषि की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे और चूंकि कृषि राज्य का विषय है अतएव सरकार किसान के रोजमर्रा की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देगी । परन्तु समूचे देश में समान अनुसंधान आदि करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए । यह एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है अतएव भारत सरकार का अपना कार्यालय इस क्षेत्र में होना चाहिए । इसी प्रकार एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए । यह नीति राज्यों पर लागू नहीं की जा सकती परन्तु भारत सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में नीतियां तथा दृष्टिकोण राज्य सरकारों के सम्मुख रख सकती है और यह उन पर है कि वे इसे स्वीकार करें या नहीं करें । प्रत्येक राज्य में अपने-अपने विश्वविद्यालय हैं । केन्द्र के पास अपने कम विश्वविद्यालय हैं । प्रत्येक राज्य अपने-अपने विश्वविद्यालय के मामलों में स्वतंत्र हैं । चूंकि केन्द्र के पास अधिक साधन है अतएव यह उसका कर्त्तव्य है कि वह राज्यों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के मामले में सहायता करे । इसलिए अनुदान सम्बन्धी कार्यों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई । यह कार्य भारत सरकार का कोई मंत्रालय नहीं करता । इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं जो इन सब बातों पर विचार करते हैं । केन्द्र का राज्यों को कमजोर बनाने अथवा हस्तक्षेप करने का कोई मन्तव्य नहीं है । अगर यह कहा जाये कि केन्द्र के पास नाममात्र के अधिकार हों और समस्त शक्ति राज्यों के पास रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है । इस सम्बन्ध में मेरे अपने विचार हैं और उनके अपने विचार हैं ।

केन्द्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है और उसी प्रकार राज्य का भी शक्तिशाली होना आवश्यक है । मैं यह नहीं कहता कि राज्य कमजोर बनें रहें । परन्तु जब केन्द्र शक्तिशाली नहीं रहेगा तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे । पहले जब केन्द्र नहीं था तो इस देश में विदेशियों का प्रभुत्व छाया रहा था । अगर उस समय शक्तिशाली केन्द्र होता तो ऐसा कभी नहीं होता ।

देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का शासन होने के कारण उनमें विचारों और नीति सम्बन्धी विभिन्नता का होना भी स्वाभाविक है । केन्द्र को उनमें समन्वय करना होता है तथा सब राज्यों के साथ समान रूप से व्यवहार करना होता है । इसके लिये भी केन्द्र सरकार को सशक्त होना चाहिए । परन्तु केन्द्र का सशक्त होना राज्यों को कमजोर करना अथवा उनके अधिकारों को छीनना या फिर उनके विषयों में हस्तक्षेप करना नहीं होता । हां, यह आवश्यक है कि केन्द्र यथोचित रूप में राज्यों से परामर्श आदि करके अपने स्वयं के न्यायसंगत निर्णयों को लागू करने के लिये अपेक्षित रूप से सशक्त हो । यदि इसी विचारधारा को लेकर आगे विचार किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र और राज्यों के मध्य सिवाय धन-वितरण की बात को लेकर अन्य कोई मतभेद नहीं है । राज्य कहते हैं कि उन्हें और अधिक धन चाहिये परन्तु केन्द्र के पास इतना धन नहीं है । राज्यों की मांग है कि केन्द्र अपने धन-स्रोत उन्हें दे दें । परन्तु इससे तो केन्द्र कमजोर पड़ जायेगा । और केन्द्र कमजोर हो गया तो फिर राज्यों को भी कम धन मिलेगा । सो उनकी यह मांग भी न्याय-संगत नहीं है ।

इसके अतिरिक्त राज्यों में भी परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति नहीं है। एक राज्य के कमजोर पड़ जाने पर अथवा अन्य राज्यों से पिछड़ जाने पर केन्द्र को ही उसकी सहायता करनी होती है। राज्य मांग तो यह करते हैं कि केन्द्र सब के साथ समान रूप से व्यवहार करे परन्तु वे स्वयं एक दूसरे से समानता का व्यवहार नहीं करते। वे स्वयं आपस में सीमाओं आदि के प्रश्नों को लेकर लड़ते हैं। हमें उनका हल इस प्रकार करना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर शान्ति से आगे बढ़ते रह सकें तथा प्रगति कर सकें। अपने देश के हर व्यक्ति को खुश रख सकें।

श्री श्रीकान्त नायर ने वैयक्तिक आलोचना करते हुए कहा है कि सूती कपड़ा मिलों को प्रदान की गई राहत से महाराष्ट्र और गुजरात के बुनाई मिलों को अधिक लाभ हुआ है तथा दक्षिण के मिलों को कोई राहत नहीं मिली है। क्योंकि मैं गुजरात का रहने वाला हूं शायद इसीलिये उन्होंने यह बात कही है। परन्तु यह सच नहीं है। मेरा सम्बन्ध तो देश के प्रत्येक राज्य से है। जब मैं बजट तैयार करता हूं तो मेरे दिमाग में किसी विशिष्ट राज्य की बात नहीं रहती है। हां, इतना मैं अवश्य चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को अधिक सहायता की आवश्यकता है उसे अधिक सहायता मिले तथा जिसे कम धन की आवश्यकता है उसे कम। अतः माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है क्योंकि जो कमी हैं वह धागे के शुल्क में की गई है तथा जहां सज्जीकरण शुल्क समाप्त कर दिया गया है उसका सर्वाधिक कु-प्रभाव बारीक तथा अधिक बारीक धागे पर पड़ा है जोकि असैनिक उपभोग हेतु देश के अन्य क्षेत्रों के मिलों की तुलना में दक्षिण भारत के मिलों से कहीं अधिक प्राप्त होता है। परन्तु सूती रेशों के मामले में उस छपाई अधिभार को बढ़ा करके जो मध्यवर्ती और मोटे प्रकार के कपड़े पर अपेक्षाकृत अधिक था, बारीक और सबसे बारीक किस्म के छपे हुए कपड़े पर भी बढ़ा दिया गया है। इस अधिभार का दक्षिण भारत के मिलों की अपेक्षा महाराष्ट्र तथा गुजरात स्थित मिलों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी तरह सूटिंग, टैपस्ट्री, तौलियों के कपड़े और इसी प्रकार के दूसरे कपड़ों पर लगाये गये 15 प्रतिशत के मूल्यानुसार शुल्क का प्रभाव दक्षिण भारत की मिलों की अपेक्षा महाराष्ट्र और गुजरात की मिलों पर अधिक पड़ेगा। इस प्रकार यदि कुछ कपड़ों पर ऊंचेशुल्क की छूट दी जाती है तो इससे महाराष्ट्र और गुजरात के मिलों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ नहीं होता। परन्तु ऐसे मामलों में सरकार राहत देने तथा शुल्क में कमी करने सम्बन्धी छूट देने के लिये क्षेत्रीय विचारधारा नहीं अपना सकती तथा प्रस्तावित छूट मुख्यतः केन्द्रीकृत क्षेत्र की कुल खरीद तथा मोटे और मध्यवर्ती दर्जे के कपड़े की उपभोक्ताओं द्वारा समस्त देश में की गई कुल खरीद को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से दी गई है। फिर भी लोग वास्तविकता को न समझकर आलोचना करते हैं तथा आरोप लगाते हैं। मैं आलोचना तथा आरोपों से घबराता नहीं हूं, परन्तु जनता के मन पर निश्चय ही इनका गलत प्रभाव पड़ता है तथा साथ ही उन हितों को भी हानि पहुंचती है जिनको लेकर वे माननीय सदस्य आलोचना करते हैं अथवा आरोप लगाते हैं।

करों के बारे में बात करने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि देश किन-किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस समय न तो हम बुरी स्थिति में हैं तथा न ही अच्छी स्थिति में हैं। वास्तव में हम बुरी स्थिति से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं अच्छी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह कहना गलत है कि हमारी योजनायें असफल रही हैं तथा उनसे कोई लाभ नहीं

हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक सारे लक्ष्य पूरे हो गये थे। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भी लक्ष्य पूरे हो गये थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद के तीन वर्ष अधिक अच्छे नहीं रहे अर्थात् हम पहले वर्षों से कम खाद्यान्न उत्पन्न कर सके। इसके बाद फिर एक वर्ष अच्छा आया परन्तु उसके बाद के दो वर्ष हमारे लिये इतने बुरे सिद्ध हुए कि पिछले 100 सालों में भी हमने ऐसे बुरे दिन नहीं देखे थे। दो वर्षों में ही हमें 300 लाख मैट्रिक टन खाद्य की हानि हुई। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव तथा दबाव पड़ा। खाद्यान्नों के मूल्य बेहद बढ़ गये। इसके पश्चात् हमें दो विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। एक चीन द्वारा किये गये आक्रमण का तथा दूसरा आक्रमण पाकिस्तान ने सन् 1965 में किया था।

इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा जिसके कारण हमें आर्थिक मन्दी तथा मुद्रा स्फीति का बड़ा अजीब सा मेल करना पड़ा जोकि पहले कहीं नहीं हुआ। और मुद्रा स्फीति के साथ आर्थिक दबाव आने का कारण यही था कि मौसम अनुकूल नहीं रहा। चारों ओर राजस्वों में कमी पड़ गई। कृषि से हमें कुल राजस्व का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है उसमें 20 प्रतिशत की कमी पड़ गई तथा उसी के अनुसार देश की आय कम हो गई। देश की आय कम होने से रेलवे द्वारा क्रयादेश दिये जाने बन्द हो गये और इन्जीनियरी उद्योग में भारी मन्दी आगई और इसका फिर आगे बुरा प्रभाव हम सब पर पड़ा।

यही वे हालात थे जिनसे हम गुजरे हैं। वर्ष 1967-68 में वातावरण में कुछ सुधार हुआ और हमने इन कठिनाइयों से निकलने के प्रयत्न किये क्योंकि कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ था। यह कहना सरासर गलत है कि हमने कृषि की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। आप आंकड़े उठाकर देखें तो पायेंगे कि पिछले 18 वर्षों में जितना धन उद्योगों पर व्यय किया गया है प्रायः उतना ही कृषि पर भी लगाया गया है। दूसरी ओर उद्योग का क्षेत्र भी देश के लोगों की भलाई के लिये साथ-साथ चलता है। अतः मैं यही स्वीकार नहीं कर सकता कि कृषि की उपेक्षा की गई है, यदि इस सम्बन्ध में कोई भिन्न धारणा रखता है तो वह गलत धारणा बनाये हुए है।

यह ठीक है कि जो कुछ हम उद्योग, कृषि आदि किसी भी क्षेत्र के लिये कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है।

इस बजट तथा पिछले बजट को जैसे प्रस्तुत किया गया है उसका यही उद्देश्य है कि हम अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक कर लें तथा अपनी प्रगति के पथ पर वास्तविक रूप में आगे बढ़ें। इसी प्रयत्न में चौथी पंचवर्षीय बनाई जा रही है तथा तीन वर्ष तक एक एक वर्ष की योजना बनाई जा रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि योजना छोड़ दी गई थी या कि कोई योजना ही नहीं थी। यह सत्य है कि तीन वर्ष तक वार्षिक योजनायें रखी गईं थीं क्योंकि हम कठिनाईयों में घिरे थे तथा हमारे पास यथोचित स्रोत नहीं थे। योजनायें तो सदा स्रोतों के आधार पर ही चलती हैं तथा स्रोतों का पैदा करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। परन्तु छोटे स्तर की योजनायें बनाने का अर्थ यह नहीं है कि इससे उत्पादन या वृद्धि न होगी। इस वर्ष की योजना पिछले वर्ष की योजना से कहीं बड़ी होनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है ही कि प्रत्येक योजना का आकार उसके लिये उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ही निश्चित होता है।

मैं घाटे की बजट-योजना के पक्ष में नहीं हूँ परन्तु परिस्थितियों के वश होकर तथा देश की आवश्यकताओं का वास्तविक अध्ययन करने के बाद ही मैं ऐसा करने को बाध्य होता हूँ। इस सदर्भ में हमें वास्तविकता को ही आगे रखकर कार्य करना पड़ता है। इस घाटे की योजना से तो केवल साधनों को बढ़ाकर ही बचा जा सकता है और मुझे आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हम यह कर सकेंगे। अब भी मैंने बजट को केवल 250 करोड़ के घाटे तक ही सीमित रखा है।

कुछ लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र को इतनी रियायतें नहीं दी जानी चाहिये थी तथा इसके विपरीत उससे अधिक धन प्राप्त किया जाना चाहिये था। इस समय हम मन्दी की स्थिति से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा यदि अब हम औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक बोझ डालें तो यह घातक सिद्ध होगा। अतः हमें इसका भी ध्यान रखना है। हम निष्क्रिय क्षमता का पूर्ण उपयोग तथा निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये हमें औद्योगिक क्षेत्र को कुछ रियायतें देनी होंगी।

कुछ लोगों ने पूंजी बाजार को दिये प्रोत्साहन पर आपत्ति की है जबकि मिश्रित अर्थ व्यवस्था के लिये पूंजी बाजार का बड़ा महत्व है। अतः इसको यथोचित महत्व दिया जाना चाहिये अन्यथा लोग इसमें धन लगाना नहीं चाहेंगे। इसके लिये मैंने कर-मुक्त लाभांश की राशि 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी है। इसी उद्देश्य से हमने पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग तथा अन्य कुछ चीजों को भी कई रियायतें दी हैं तथा उन पर और अधिक भार नहीं पड़ने दिया है। इन उद्योगों से अधिक धनराशि प्राप्त करने से पूर्व यह भी देखना है कि वे इसके अनुपात में कमाते भी हैं।

इसके बाद पूछा गया है कि मैंने उर्वरकों तथा कृषि-सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर तथा पम्प सेटों पर लगे कर के रूप में क्यों अधिक धन लिया है। इन्हीं बातों पर सर्वाधिक आलोचना हुई है तथा प्रायः प्रत्येक वर्ग की ओर से हुई है। मैं यह भी मानता हूँ कि यह आलोचना किसी आधार को लेकर की गई है तथा वस्तुतः जानदार आलोचना है। उर्वरकों और पम्पिंग सैटों पर कर लगाने की बात से पहले यह सोच लिया गया था कि ऐसा करने से कृषि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी इन मामलों पर मंत्रिमंडल गम्भीरता से विचार करेगा। यह कहना सत्य नही है कि करों के कारण किसान उर्वरकों का कम उपयोग करेंगे और उससे कृषिगत उत्पादन में कमी आयेगी। उर्वरकों पर केवल 8% से 10% कर लगाए गए हैं जिससे उनकी उत्पादन लागत में 8% या 9% की वृद्धि होगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

अतः यह कहना कि उर्वरकों का उपयोग बन्द हो जाएगा, सत्य नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, विशेषकर छोटे क्षेत्र में, जो प्राप्त हुए उर्वरकों को चोर बाजार में बेच देते हैं।.....—...(अन्तरबाधाएं)

मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। बहुत से व्यक्ति राशन की चीनी को लेकर ऊंचे दामों पर बेच ही देते हैं। मेरा आशय है कि हर क्षेत्र हर प्रकार के आदमी हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि अधिकतर किसान ऐसा करते हैं। यदि कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि मैं वे सब कुछ स्वीकार कर लूं जो कि वे कहते हैं तो यह सम्भव नहीं।

1967 में उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को बन्द कर दिया गया जिसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। तथापि उस वर्ष उर्वरकों के उपयोग में 37% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार अगले वर्ष भी उर्वरकों के उपयोग में 58% की वृद्धि हुई।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है तथा अच्छे कृषकों ने भी बताया है कि उर्वरकों की वर्तमान कीमत देने पर भी किसानों को लाभ रहता है। उर्वरक की जितनी मात्रा से 134 रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होता है उस पर केवल 4 रुपया कर लगाया गया है।

कृषि-सम्पत्ति कर को असंवैधानिक बताया गया है। किन्तु दो महान्यायवादियों ने इसकी पुष्टि की थी।

श्री च० चु० देसाई : मंत्रिमण्डल ने आपको सभा में संशोधन पढ़ने के लिए विवश किया था।

श्री मोरारजी देसाई : किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिमण्डल उस पर विचार करता है। इस विषय में मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं सदन को बताने जा रहा हूं कि इसमें वास्तविक कृषकों पर भार नहीं पड़ेगा। किन्तु वे इसे लिखित रूप में मांग रहे थे और इसी कारण देरी भी हुई। मैं नहीं चाहता कि वास्तविक कृषक इससे प्रभावित हों और इसके लिए मैं आवश्यक उपाय खोजने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ कर इसे एक वर्ष के लिए रक्खा है। इस वर्ष इसकी वसूली नहीं की जाएगी।

यह शुल्क केवल विद्युतपम्पों पर लगाया गया है। जहां पर बिजली नहीं पहुँची है वहां के लोगों को डीज़ल इंजनों का उपयोग करना पड़ेगा और चूंकि डीज़ल इंजनों का मूल्य अधिक है उन पर कर नहीं लगाया गया। ऐसा करने से विद्युत पम्पों और अन्य पम्पों की उपयोगिता के अन्तर में कमी आ जाएगी। विद्युत पम्पों पर शुल्क केवल वर्ष में एक बार लिया जाएगा।

श्री बलराज मधोक : चूंकि आप सब लोगों को बिजली देने में असफल रहे हैं इसलिए आप उन लोगों को दण्डित कर रहे हैं जिन्हें बिजली मिल गई है।

श्री मोरारजी देसाई : केवल एक पक्ष पर ही विचार करने से काम नहीं चलता। मैं यह नहीं कहता सरकार ने कोई गलती नहीं की है किन्तु यह भी मानना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को परिपूर्ण नहीं कह सकता।

मितव्ययता के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए कि यहां से कम करो और वहां से कम करो। किन्तु यह भी देखना पड़ता है कि क्या सम्भव है और क्या नहीं। मैं मानता हूं मितव्ययता करने की गुंजाइश है किन्तु मितव्ययता समय-समय पर की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : कितनी ?

श्री मोरारजी देसाई : यह प्रश्न भी गम्भीर है। यदि मैं अधिक मात्रा में मितव्ययता करना चाहूं और उसके लिए कर्मचारियों की छंटनी करूं तो क्या माननीय सदस्य मुझे ऐसा करने देंगे ? जहां तक मंत्रियों और उनके वेतनों का प्रश्न है वह भी उचित ही है।

श्री जे० बी० कृपलानी : मंत्रियों की संख्या में कमी की जानी चाहिए। यदि डी०एम० के सरकार में मंत्रियों की संख्या अधिक है तो इसका आशय यह नहीं कि आप भी मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं आपसे सहमत हूं किन्तु इस बात का निर्णय केवल प्रधान मंत्री ही कर सकती हैं।

कहा जाता है कि प्रतिरक्षा प्रशासन में 100 करोड़ रुपये की मितव्ययता की जा सकती थी। गत वर्ष कुछ मितव्ययता की गई थी किन्तु सुधरे उपकरण बनाने और भत्ता देने से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय के कारण उसका उपयोग कर लिया गया। उचित उपकरणों का उपयोग करने के लिए हमें अपने सुरक्षा कार्यों में कई प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं।

देश की समुचित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्यों पर व्यय के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री को प्रतिरक्षा मंत्री की बात माननी पड़ती है। प्रतिरक्षा मंत्री को भी सुरक्षा के मामलों में सेनाध्यक्षों की कठिनाइयों को समझना पड़ता है। अतः यह कहना कि प्रतिरक्षा प्रशासन में 100 करोड़ रुपये की कमी की जा सकती थी न्यायसंगत नहीं है।

विकास सम्बन्धी व्यय को छोड़कर चालू वर्ष के लिए असैनिक प्रशासन पर 1,466 करोड़ रुपयों के स्थान पर 1.594 रुपयों के व्यय की व्यवस्था है। इस राशि में से 596 करोड़ रुपये राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के योजना और गैर योजना कार्यों में सहायता देने के हेतु रक्खे गए हैं। इस प्रकार केन्द्र सरकार के असैनिक प्रशासन के लिए केवल 998 करोड़ रुपये बचते हैं। इस शेष राशि में से 580 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाले गए धन के ब्याज में देने हैं, इसमें सेवा शुल्क भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस वर्ष 390 करोड़ रुपयों के स्थान पर 418 करोड़ रुपये अन्य कार्यों पर व्यय के लिए शेष बचते हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि केवल 28 करोड़ रुपये अधिक हैं। 418 करोड़ रुपयों में 75 करोड़ रुपये पुलिस पर व्यय के लिए हैं। 36 करोड़ रुपये मुद्रा और टकसाल आदि पर व्यय के लिए हैं, 65 करोड़ रुपये नियत राजस्व के स्थानान्तरण पर व्यय के लिए हैं तथा 28 करोड़ रुपयों की पड़ौसी देशों को सहायता देनी हैं और 13 करोड़ रुपये विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय करते हैं। इनका योग 217 करोड़ रुपये हो जाता है तथा इनमें से किसी भी व्यय को कम नहीं किया जा सकता। अब शेष राशि 201 करोड़ रुपया होती है जिसमें से 100 करोड़ या 200 या 300 करोड़ रुपया कैसे बचाया जा सकता है ? इस शेष राशि में से भी 39.3 करोड़ रुपये कर वसूली के कार्य पर व्यय होंगे। 21 करोड़ रुपये वैदेशिक कार्यों पर व्यय के लिए हैं, 20 करोड़ रुपया लेखा परीक्षा पर व्यय के लिए तथा 20 करोड़ रुपये खाद्यान्न सम्बन्धी

राजसहायता के लिए हैं, 13 करोड़ रुपये असैनिक पेंसन प्रभार के लिए हैं। इनमें से किसी भी मद के व्यय में कमी नहीं की जा सकती। इस प्रकार सामान्य प्रशासन के हेतु केवल 28 करोड़ रुपये बचते हैं।

जहां तक प्रिवीपर्स बन्द करने का प्रश्न है इस मद पर केवल 4.5 करोड़ रुपये व्यय होते हैं।

मैंने अपने मंत्रालय में पांच सचिवों के स्थान पर केवल 3 सचिव कर दिए हैं तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या में भी काफी कमी की है। यद्यपि अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्य विभागों में रखने का यथा सम्भव प्रयत्न किया गया है। यह तो नहीं कहा जा सका कि भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी क्योंकि यदि हमें किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है तो हम उसके स्थान पर किसी अवैज्ञानिक व्यक्ति को तो नहीं रख सकते। फिर भी जिन स्थानों को रिक्त रखे रहना सम्भव है हम उनको रिक्त ही रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यदि मेरे माननीय मित्र कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दें तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ।

लेखानुदान की मांगें (सामान्य) 1969-70

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL) 1969-70

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands for Grants on Account for the year 1969-70 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रक्षा मंत्रालय	29,51,000
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	1,29,09,11,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय नौ-सेना	7,81,96,000
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु-सेना	32,95,27,000
5.	रक्षा सेवाएं, निश्क्रिय	5,46,67,000
6.	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य	20,74,000
7.	शिक्षा	10,04 39,000
8.	पुरातत्व	26,93,000

9.	भारतीय सर्वेक्षण	95,25,000
10.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	3,24,75,000
11.	शिक्षा मंत्रालय और युवक सेवा कार्य का अन्य राजस्व व्यय	67,16,000
12.	वैदेशिक कार्य	3,90,95,000
13.	विदेश मंत्रालय का राजस्व व्यय	4,17,21,000
14.	वित्त मंत्रालय	51,66,000
15.	सीमा शुल्क	1,38,16,000
16.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	2,69,69,000
17.	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	2,75,38,000
18.	स्टाम्प	88,88,000
19.	लेखा-परीक्षा	4,24,26,000
20.	मुद्रा और सिक्का ढलाई	2,92,10,000
21.	टकसाल	55,06,000
22.	कोलार की सोने की खानें	1,12,65,000
23.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,96,03,000
24.	अफीम	3,55,19,000
25.	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,41,37,000
26.	राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	69,53,86,000
27.	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	6,48,000
28.	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	30,000
29.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	31,65,000
30.	कृषि	1,77,00,000
31.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	2,58,34,000
32.	वन	29,68,000
33.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,60,16,000
34.	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय	23,33,000

35.	पूर्ति और निप्टान	71,08,000
36.	विदेश व्यापार	15,47,76,000
37.	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,24,80,000
38.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	12,05,000
39.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	3,99,94,000
40.	लोक निर्माण कार्य	6,77,92,000
41.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,37,01,000
42.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	43,20,000
43.	गृह मंत्रालय	29,19,000
44.	मंत्रिमंडल	11,11,000
45.	न्याय प्रशासन	41,000
46.	पुलिस	9,66,02,000
47.	जनगणना	26,31,000
48.	अंक संकलन	62,03,000
49.	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	45.000
50.	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	3.16,000
51.	दिल्ली	7,21,65,000
52.	चण्डीगढ़	98,14,000
53.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,30,71,000
54.	आदिम जाति क्षेत्र	4,24,07,000
55.	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	10,71,000
56.	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	20,16,000
57.	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,86,73,000
58.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	14,49,000
59.	उद्योग	81,19,000
60.	नमक	10,72,000
61.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,48,26,000

62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3,97,000
63.	प्रसारण	1,98 76,000
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,07,96,000
65.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	6,52,000
66.	बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	36,24,000
67.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,57,30,000
68.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	14,12,000
69.	खान सुरक्षा महानिदेशक	9,71,000
70.	श्रम और नियोजन	2,74,07,000
71.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	3,10,68,000
72.	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,44,000
73.	विधि मंत्रालय	14,42,000
74.	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	33,71,000
75.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	8,74,000
76.	भूगर्भ सर्वेक्षण	1 68,56,000
77.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,65,34,000
78.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	23,44,000
79.	सड़कें	3,33,63,000
80.	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	49,61,000
81.	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	24,00,000
82.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	51,59,000
83,	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	3,80,000
84.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26,74,000
85.	पर्यटन और नगर विमानन प्रभारित मंत्रालय	3,93,000
86.	ऋतु विज्ञान	78,33,000
87.	उड्डयन	2,71,24,000
88.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	46,01,000

89.	परमाणु शक्ति विभाग	7,01,000
90.	परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,42,12,000
91.	संचार विभाग	3,17,000
92.	समुद्रपारीय संचार सेवा	47,51,000
93.	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	36,13,84,000
94.	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग	5,66,25,000
95.	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	6,27,000
96.	संसदीय-कार्य विभाग	1,52,000
97.	समाज कल्याण विभाग	3,30,000
98.	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	75,66,000
99.	योजना आयोग	26,32,000
100.	लोक-सभा	31 35,000
101.	राज्य-सभा	12,94,000
102.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	50,000
103.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	21,83,67,000
104.	शिक्षा और युवक सेवा-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,21,09,000
105.	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	11,09,000
106.	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	2,59,37,000
107.	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	8,38,000
108.	कोलार की सोने की खानों का पूंजी परिव्यय	20,98,000
109.	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	1,00 47,000
110.	वित्त मत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	32,00,000
111.	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	5,83,01,000
112.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	90,62,42,000
113.	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	67,20,30,000
114.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	9,40,01,000
115.	विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय	34,77,000
116.	दिल्ली पूंजी परिव्यय	1,17,29,000

117.	निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,50,49 000
118.	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,31,63,000
119.	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	4,14,37,000
120.	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	8,00,000
121.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	77,39,000
122.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	86,34,000
123.	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,41,76,000
124.	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,02,31,000
125.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	90,68,000
126.	पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	17,19,70,000
127.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	7,77,47 000
128.	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	1,00,55,000
129.	जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,11,43,000
130.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	28,50,75,000
131.	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	2,13,42,000
132.	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	91,69,000
133.	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	7,62,50,000
134.	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	9,61,67,000
135.	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय	74,97,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1969
APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1969

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Shri Shiva Chandra Jha : (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I have informed you that I wanted to oppose this bill at its introduction stage.

अध्यक्ष महोदय : मांगों पर अभी मतदान हुआ है तथा धन की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाय'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FORTY FIFTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

श्री भलाजी भाई परमार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के 45 वें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति के 45 वें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

राज्यों के ऋणों के परिशोधन के बारे में संकल्प–जारी

RESOLUTION RE : AMORTISATION OF DEBTS OF STATES-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री पी० पी० एस्थोस द्वारा 27 फरवरी, 1969 को उपस्थापित किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"सभी राज्यों के समक्ष गम्भीर वित्तीय सकट और इस तथ्य की दृष्टि से कि राज्यों के विशाल ऋण प्रभार विकास योजनाएं आरम्भ करने की उनकी क्षमता को क्षीण बना रहे हैं, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह राज्यों के परामर्श से ऋणों के परिशोधन की एक योजना तुरन्त बनाए और उसे कार्य रूप दे ।"

श्री पी० पी० एस्थोस (मुक्त पुजा) : राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की अधिक से अधिक ऋणी होती जा रही हैं । कुछ सरकारों पर देयता का भार उनके सम्पूर्ण बजटीय स्रोतों की 31 प्रतिशत राशि तक बढ़ गया है । 1966–67 से 1968–69 ये सभी राज्यों के ऋण सेवा भार में 100 करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई है जिससे सभी राज्यों के राजस्व व्यय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इससे राज्यों के बजट में अविकासी व्यय हावी हो गया है । सभी राज्य सरकारों के 1968-69 के 2597 करोड़ रूपयों के कुल राजस्व व्यय में से 1137 करोड़ रूपये अविकासी कार्यों में व्यय हुए हैं । केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की वित्त समस्याओं की ओर ध्यान न देकर उनकी अर्थ व्यवस्था का गला घोट रही है ।

पूर्व प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आम जनता पर अत्यन्त अधिक भार डालने को विवश कर रही है ।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

केन्द्र सरकार ने निरंकुशता से राज्य सरकारों को खाद्यान्न सम्बन्धी राज सहायता देना बन्द कर दिया, इससे कीमतें बढ़ गई, केरल की खाद्यान्न समस्या इस राजसहायता के बन्द होने से विकटता हो गई । विलक्षण बात यह है कि एक ओर तो केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न की सहायता बन्द करदी और दूसरी ओर केन्द्र के कांग्रेसी नेताओं ने केरल के कांग्रेसी नेताओं को कीमतों में वृद्धि के विरूद्ध उग्र अभियान चलने को उत्साहित किया । इस तरह उन्होंने अनुचित राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया ।

केन्द्र और राज्य सरकारों में कर राजस्व को बांटने की व्यवस्था भी केन्द्र के पक्ष में अधिक पड़ती है । अत: सभी वित्तीय क्रियाओं पर केन्द्र सरकार का अंकुश है । राज्यों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा । केन्द्र इस स्थिति में है कि राज्यों से इतनी शर्तों को मनवा सके ।

आश्चर्य है कि राज्यों के कांग्रेसी मुख्य मंत्री भी विवश होकर केन्द्र की इस नीति से अपनी असम्मित प्रकट करते हैं । अत: राज्य सरकारों के पास वित्तीय संकटों से बचने के लिए अधिविकर्ष की शरण लेने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय शेष नहीं रहता । उप प्रधान मंत्री का

व्यवहार राज्यों से उपहास करने के समान है। हमने देखा है कि यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने सरकारों से अधिविकर्ष के लिए मनाही की थी तथापि अधिकतर राज्यों ने घाटे के बजट पेश किए।

इस सबका उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार पर है। इस सम्बध में केरल के वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि केन्द्र सरकार राज्य को उसके कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, खाद्यान्न सम्बन्धी राज सहायता और पहले ऋणों की अदायगी में कुछ सहायता दे तो राज्य सरकार को अधिविकर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन सभी मदों का सम्बन्ध करों से है। नित्य नए करों के कारण जीवन निर्वाह अंक भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसका कारण यह है कि कर निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुद्रास्फीति अवमूल्यन तथा इसके परिणमस्वरूप मूल्यों में वृद्धि आदि के लिए केन्द्र सरकार ही उत्तरदायी है। इस नीति से राज्य सरकारों को अधिक धक्का पहुंचा है।

केन्द्र सरकार को अपनी यह नीति त्यागनी पड़ेगी। बंगाल, केरल और कुछ अन्य राज्यों में बनी संयुक्त मोर्चा सरकारें प्रयत्न कर रही हैं कि वे केन्द्र द्वारा फैलाई बीस वर्षों की गंदगी को साफ करदें। केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बंध संयुक्त मोर्चा सरकारों के लिए कठिनाई उपस्थित कर रहे हैं। अतः राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार को वर्तमान ऋणों का शोधन कर देना चाहिए। जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति शोचनीय है उन पर शोध विलम्ब-काल लगाया जाना चाहिए तथा विशिष्टकर अविकासी कार्यों के लिए लिए गए ऋण का अपलेखन करना पड़ेगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बधों को सुव्यवस्थित करने के यही उपाय है अन्यथा केन्द्र का सुनहरा स्वप्न भंग हो जाएगा। यदि पदासीन दल ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान न दिया, तो सम्भव है, जो बंगाल में हुआ है, वह अन्य स्थानों पर भी हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तावित हुआ :

"सभी राज्यों के समक्ष गम्भीर वित्तीय संकट और इस तथ्य की दृष्टि से कि राज्यों के विशाल ऋण प्रभार विकास योजनाएं आरम्भ करने की उनकी क्षमता को क्षीण बना रहे हैं, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह राज्यों के परामर्श से ऋणों के परिशोधन की एक योजना तुरन्त बनाए और उसे कार्यरूप दे।"

संकल्प में कुछ संशोधन हैं। श्री लकप्पा और श्री श्रीधरन उपस्थित नहीं हैं अतः उनके संशोधन प्रस्तावित नहीं होंगे। अन्य संशोधन प्रस्तावित होंगे।

श्री सी० के० चक्रपाणि : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन अब सदन के समक्ष हैं। मैं मंत्री महोदय को 5·45 बजे बुलाऊंगा।

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर) : विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः इस पर विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह सहमत हूं तथा अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न करूंगा। आधा घंटा बढ़ाने का तात्पर्य यह हुआ कि अब मैं मंत्री महोदय को 6 बजे बुलाऊंगा। श्री राणे।

श्री राणे (वुलडाना) : मैं संकल्प प्रस्तुत कर्ता की भावनाओं का आदर करता हूँ किन्तु मेरा निवेदन हैं कि वित्त आयोग द्वारा इन समस्याओं की जांच की जा रही है अतः इस संकल्प को लाने का अभी समय नहीं है।

{ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए। }
{ Shri Vasudevan Nair *in the Chair* }

दूसरे संकल्प में केन्द्र की देयता और उसके उत्तरदायित्वों की उपेक्षा की गई है। केन्द्रीय सरकार के ऋण 16000 करोड़ के हैं और इसमें 5 प्रतिशत विदेशी ऋण है। और इसे 500 करोड़ रूपया प्रतिवर्ष ब्याज का देना होता है। इस तरह राज्यों की ऋण सम्बन्धी समस्या भी बहुत भारी है। 1951 में ऋण की मात्रा 44 करोड़ रूपये थी जो कि अब 195 करोड़ रूपयों तक पहुंच चुकी है। प्रस्तावक का ऋण परिशोधन सम्बंधी सुझाव उपयुक्त नहीं है। अतः मैं हम संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि पिछड़ा हुआ राज्य है तथा उसका आज का रूप बंगाल, बिहार आदि कई राज्यों के क्षेत्रों को मिला कर बना है। उड़ीसा ने पहले अंग्रजों का विरोध किया था तथा अब वह केन्द्र सरकार का भी विरोध कर रहा है। उड़ीसा ने अपनी मिली जुली सरकार बनाकर अन्य राज्यों को भी दिशा दिखाई।

हमारी योजना का मुख्य लक्ष्य विकास स्तर पर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का होना चाहिए। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से यह असन्तुलन और बड़ा है। राज्य सरकारों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि वे केन्द्र की तरह नए नोट छाप कर अपने घाटे के बजट को पूरा नहीं कर सकती। राज्यों के कार्य तो अपरिमित हैं किन्तु साधन सीमित हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय करों का राज्य सरकारों के लिए जाने वाले वितरण में पक्षपात किया जाता है। पिछले तीन वित्त आयोगों से मुझे यही अनुभव हुआ है। इस सम्बन्ध में हमने वित्त मंत्री महोदय को एक ज्ञापन भी दिया था। हमने इस सम्बन्ध में हाल में ही वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था, भूतपूर्व राज्य सरकार की फिजूल खर्ची के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को आज वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। पारादीप पत्तन पर जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा चुका है। राज्य सरकार ने 15 करोड़ रूपये की

योजना वाह्य राशि खर्च की है और जिन केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को नहीं लौटाया है। इसी प्रकार लौह अयस्क खानों को पारादीप पत्तन से जोड़ने वाली एक्सप्रेस राजपथ पर राज्य सरकार ने 19 करोड़ रूपये खर्च किये जो फिजूल खर्च ही साबित हुआ है। अवमूल्यन के पश्चात् राज्य सरकार ने लौह अयस्क पर 1 रूपया प्रति टन रॉयल्टी बढ़ानी चाही लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अनुमति नहीं दी और दूसरी ओर उसने लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया और राज्य सरकार को इस शुल्क से वंचित रखा गया।

हीराकुंड बांध का उदाहरण लीजिये। इस बांध से 270 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और इसे मुख्यतः राऊरकेला इस्पात कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, इस बांध के लिये ऋण के रूप में दी गई राशि पर राज्य सरकार से इस वर्ष लगभग 5 लाख रूपये ब्याज के रूप में देने को कहा गया है। इसी प्रकार महानदी बांध पर खर्च की गई राशि पर ब्याज के रूप में लगभग 3 लाख रूपये देने को कहा गया है।

महंगाई भत्ते के प्रश्न को ले लीजिये। केन्द्रीय सरकार की मुद्रस्फीति की नीति तथा गलत प्राथमिकताएं निर्धारित करने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है जिस कारण वेतन आयोग नियुक्त करने की निरन्तर मांग रही है।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }.

वर्तमान वेतन आयोग के पंचाट के बाद उड़ीसा सरकार को अपने कर्मचारियों को 13 करोड़ रूपये के स्थान पर 18 करोड़ रूपये महंगाई भत्ते के रूप में देना पड़ा है। राज्य सरकार के खर्च में इस वृद्धि के लिये जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है और वह राज्य सरकारों के लिये वित्तीय संकट पैदा कर रही है ताकि उनके लिये दिन-प्रति-दिन का प्रशासन चलाना असम्भव हो जाये। राज्य सरकारों का गला घोटने का केन्द्र का यह एक बड़ा षड़यंत्र है जिसकी आड़ में वह अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में लेना चाहता है।

इस संकल्प को बहुत ही उपयुक्त समय पर लाया गया है और मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : Sir, to my utter surprise, some hon. Members, particularly from Orissa, have held the Central Government solely responsible for all the financial difficulties the States are facing to day. It is absolutely necessary for us to strengthen the financial position of the Centre if we want the economic structure of the States to be improved.

We invisaged in our Constitution a strong Centre with a view to allowing the States to goe ahead with their socio-economic development plans smoothly. But the political situation in the country has changed today with the emergence of Governments of different political complexions in the various States with the result that Centre-States relations have assumed threatening dimensions.

To-day our country has to repay loans amounting to 16 thousand crores of rupees. The Centre have spent this money on the various schemes in the States during the First.

Second and Third plan periods. There is no denying the fact that the States spent money on their developmental schemes beyond their repaying capacity and they resorted to overdrafts. The Central Government had from time to time given financial assistance to the States as per their demands. They have to repay the money to creditors and depositors now. How can one blame the Centre if they ask the States to repay their loans and mobilise additional resources for their schemes ? The States are as good responsible as the Centre is for the repaying of these loans. While talking of regional imbalances, we should not allow ourselves to be swayed by parochial tendencies.

So far as my State Rajasthan is concerned, it has not a sound financial position and from this point of view, it is a very backward State. It will be good if the Centre adopts a liberal policy in the case of such States as are financially weak and are unable to meet their demands.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों के पुनरीक्षण करने तथा राज्यों को सहायतानुदान तथा ऋण देने की मूल पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । वर्तमान स्थिति यह है कि राज्यों की ओर केन्द्र की ऋण के रूप में भारी राशियां है और उन्हें प्रतिवर्ष ब्याज तथा मूल के रूप में भारी राशि केन्द्रीय सरकार को लौटानी पड़ती है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है । वर्तमान बजट में ही हम देखते हैं कि एक ओर केन्द्रीय सरकार राज्यों को 1845 करोड़ रूपये दे रही है दूसरी ओर ऋणों की वसूली के रूप में 538 रूपये इनसे ले रही है जो एक वित्तीय जादूगरी है । राज्यों को ब्याज के रूप में भी केन्द्र को भारी राशि देनी पड़ती है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राज्यों द्वारा देय ऋणों तथा उनपर ब्याज के मामले में केन्द्रीय सरकार को उदारता बरतनी चाहिए और इन ऋणों के चुकाने के लिये राज्यों को अधिक समय देना चाहिए और आगामी दस वर्षों तक उनसे कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए और इन ऋणों पर तब तक के लिये कोई ब्याज भी नहीं लिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी विकास योजनाएं क्रियान्वित कर सकें और अपनी वित्तीय स्थिति भी मजबूत कर सकें ।

केन्द्रीय सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीति का ही परिणाम है कि आज राज्यों की ओवर ओवर-ड्राफ्टों की भारी राशियां बकाया हैं और जिस कारण देश में मुद्रा-स्फीति फैली और राज्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अधिक देना पड़ा । राज्यों के पास राजस्व के जो साधन हैं यथा बिक्री-कर, मनोरंजन कर आदि उनसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होता जिस कारण उनकी वित्तीय स्थिति हमेशा प्रतिकूल रही है । इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में राज्यों के लिये ऋण-मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । राज्यों के लिये 50 करोड़ रूपये की जो व्यवस्था की गई है उससे केवल 6 राज्यों को लाभ पहुंचा है । राज्यों के साथ समान तथा न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिए । उपरोक्त नियम का लाभ केवल राजस्थान, केरल आंध्र, मध्य प्रदेश तथा मद्रास राज्यों को पहुंचा है । किन्तु अन्य राज्यों को ऋणों की मुक्ति के लिये कोई राशि नहीं मिली है । इसलिये यह संकल्प बिल्कुल उचित तथा परिस्थिति अनुकूल है । वित्त मंत्री को अपने बजट में कम से कम 50 करोड़ रूपये का ऋण-मुक्ति उपबन्ध रखना चाहिए जैसा कि गत वर्ष के आय-व्ययक में व्यवस्था की गई थी ।

मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से तथा अन्य पहलुओं से भी एक पिछड़ा राज्य है। वहां सड़कों तथा सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं। औद्योगिक दृष्टि से भी यह राज्य पिछड़ा है। उसके विकास के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। इस राज की एक और भी समस्या है कि वहां एक तिहाई क्षेत्र में आदिम जातीय लोग बसते हैं जिनके पास न खाने के लिये पर्याप्त भोजन है, न पहनने के लिये कपड़े और न रहने के लिये पर्याप्त आवास है। उनकी हालत बड़ी दयनीय है। उनके विकास के लिये धन की आवश्यकता है। अतः केन्द्र को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिए।

अन्त में, मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं। दिल्ली प्रशासन की न्यायोचित वित्तीय मांगे पूरी नहीं की जा रही है। राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर उसके साथ वित्तीय मामलों में जो व्यवहार किया जा रहा है उससे उसके विकास की प्रगति धीमी पड़ जायेगी। इसलिये केन्द्रीय सरकार को उसकी न्योयोचित मांगे पूरी करनी चाहिए ताकि उसके विकास मे बाधा न पड़े।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : जहां तक राज्यों की राजकोषीय स्थिति का सम्बन्ध है, तुलनात्मक रूप से वह बहुत ही गिरी हुई हैं जो भारत सरकार की कुछ अविरल नीतियों के कारण और भी अधिक खराब हो गई हैं। हम जरूर चाहते है कि केन्द्र मजबूत हो, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है केन्द्र को उन विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जो राज्य-सूची में हैं। उदाहरण के लिये प्राथमिक शिक्षा को ले लीजिये। इसी प्रकार कृषि भी है। शिक्षा अनुसन्धान के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय के लिये बजट में थोड़ी राशि की व्यवस्था की गई है। जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है, राज्यों को अपने पर निर्भर रहना है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जहां उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उदाहरणार्थ, भू-राजस्व लीजिये। आन्ध्र प्रदेश ने उसमें थोड़ी सी वृद्धि करने की कोशिश की। लेकिन उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। इंजीनियरी साइड में उत्तरोत्तर छटनी चल रही है। इसी प्रकार हजारों अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं। इस सन्दर्भ में, नितान्त आवश्यकता है योजना को क्रियान्वित करने की। जहां तक राज्यों को ऋण देने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार विदेशों से सामान्य ब्याज दरों पर ऋण लेती है और राज्यों को वह ऊंची दर पर ऋण देती है। यह व्यवहार उचित नहीं है।

राज्यों का राजस्व का एक मुख्य स्त्रोत शराब उत्पादन है। कई राज्यों में वह राजस्व का बहुत बड़ा स्त्रोत है। यदि मद्यनिषेध लागू किया जाये, तो राज्यों को उत्पादन शुल्क के रूप में इस स्त्रोत से होने वाली आय से वंचित होना पड़ेगा।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, उसकी एक और कठिनाई है। उसे भू-राजस्व की वसूली में दिक्कत हो रही है क्योंकि वह निरन्तर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है जिसके परिणामस्वरूप राहत कार्यों पर खर्च ही नहीं हो रहा है बल्कि राजस्व आय में, समूची वाणिज्यिक गतिविधि में, बिक्री-कर आदि में भी कमी हो रही है और दूसरी ओर राहत कार्यों के परिणामस्वरूप राज्य का खर्च बढ़ रहा है। आन्ध्र प्रदेश तूफान सम्बन्धी राहत कार्यों पर

अब तक 1.70 करोड़ रुपये तथा सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर 11.32 लाख रूपये खर्च कर चुका है। आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्र को 491.44 करोड़ रूपये देने हैं जिसमें से 300 करोड़ रुपये चौथी पचवर्षीय योजना की अवधि में लौटाने हैं। इसलिये उसे केन्द्र से उपरोक्त योजना अवधि में जो सहायता मिलने की आशा है, वह पुरानी राशि चुकाने में ही पूरी हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि आन्ध्र प्रदेश को उसकी हालत को देखते हुए, केन्द्रीय ऋण चुकाने के लिये अधिक समय दिया जाये ताकि वह अपनी स्थिति सभाल सके।

डा० रानेन सेन (बरसाट) : भारत सरकार का कुछ समय से यह दृष्टिकोण रहा है कि समस्त राजनैतिक, वित्तीय शक्तियों को अपने हाथ में केन्द्रित कर लिया जाये। आज दो-तीन राज्यों को छोड़कर बाकी सब पिछड़े हुये हैं। यहां तक कांग्रेसी सदस्य यह कह रहे हैं कि वित्त आयोग की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है। न केवल संयुक्त सरकार और मद्रास की द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार अपितु कांग्रेसी सरकारें भी यह कह रही हैं कि उनका राज्य केन्द्र के इस रवैये से दुःखी है। कांग्रेस सरकार ने 21 वर्ष के शासन के बाद भी यह स्थिति है।

अगर सरकार वास्तव में ही चाहती है कि सब राज्य उन्नति करें और असन्तुलन विकास को दूर किया जाये तो उसे समस्त स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये। केन्द्र का दृष्टिकोण कुछ ऐसा रहा है जिसमे वित्तिय और राजनैतिक शक्तियों को अपने हाथ में रखकर राज्यों को झुकाया जा सके। 1967 में जब पश्चिमी बंगाल में संयुक्त सरकार की स्थापना हुई थी तो उनको खाद्य तथा धन न देने का भय दिखाकर उन पर दबाव डाला गया। आज राज्यों की स्थिति यह है कि उसको अपनी जनता पर कर लगाना पड़ रहा है जो पहले से ही करों के बोझ से दबी हुई है, सरकार इस स्थिति का लाभ उठाकर राज्यों पर दबाव डाल रही है।

मैं पश्चिमी बगाल की संयुक्त सरकार की मांगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस सभा में बंगाल को समस्या वाले राज्य की उपाधि दी हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1952 से ही केन्द्रीय सरकार का रवैया पश्चिमी बंगाल के प्रति भेदभाव का रहा है। यह स्थिति तब भी थी जब वहां कांग्रेस सरकार विद्यमान थी। पश्चिमी बंगाल की सरकार को कलकत्ता महानगरी के विकास करने हेतु छोटी-छोटी बातों के लिये केन्द्र सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इस प्रकार की बातें समाप्त की जानी चाहिये।

इसलिये यह प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिनसे राज्यों की ऋण शोधन क्षमता बढ़े, इस सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिये। क्योंकि राज्य बहुत समय तक केन्द्र से इस प्रकार भिक्षा नहीं मांग सकते। केन्द्र राज्यों की इस स्थिति का बहुत ही अनुचित लाभ उठा रहा है।

जो बड़ी मात्रा में ऋण लिया गया है उसको बट्टे खाते में डाल दिया जाय। दूसरा, राज्यों को धन देने की पद्धति का संशोधन तथा पुनर्मूल्यांकन किया जाये ताकि राज्यों को वित्तिय सहायता अधिक मात्रा में दी जा सके। इससे राज्य सरकारें अपना विकास विभिन्न प्रकार से कर सकेंगी।

अन्त में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह पश्चिमी बंगाल की संयुक्त सरकार को सहायता देने में पहल करे नहीं तो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध और अधिक खराब होते चले जायेंगे, अतएव भारत की एकता बनाये रखने के लिये केन्द्र राज्य सरकार को अविलम्ब सहायता दे।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : This resolution should not have brought here at the present juncture. If the same was so necessary, then the report of Finance Commission should have been awaited, to ensure the proper utilisation of loans by the recipient States. The Kerala Government have created many Gazetted and Non-Gazetted posts. Their report indicates that it has been spent on miscellaneous development purposes. I do not know what is this miscellaneous development. It is not agriculture, multi-purpose scheme, etc. then what is this ? Efforts are being made to influence the public, by creating new posts. The dismissed employees of 10 to 15 years old have been reinstated Kerala is a small state with no big population and the total due from them is 1½2 crores of rupees. They have invested this amount on non-productive use and now they request that the same may be written off. In this way they want to create trouble in this country and make it suffer from inflation. That is why I say that unless the report of Finance Committee is received, the resolution should not be considered. The Government should be the purpose for which the money is demanded. Had the hon. Minister read out the statement then the mover would not have dared to move it. The Kerala Government have squeezed the money of Small Savings. The same case is with the West Bengal. They all want to weaken the Central Government. They are increasing the Pay-Scale and spending the money or non-productive purposes. Then it is stated that the Central Government should give money for their maintenance. When the Government try to realise the money the request is made to write off the same. What calamity has fallen on you for which you do not want to repay the loans. First you clear the debt then demand for new loans. It is the right way. Let the report of the Finance Commission be there, and then only it will be considered. There is no use of bringing the resolution here at this time.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। यह न केवल सामयिक है अपितु इसमें उन मूलभूत समस्याओं का उल्लेख किया गया है जो भारत के संघीय ढांचे को कमजोर बना रहे हैं। एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना आत्मघातक है परन्तु मैं तो कहूँगा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो यह प्रजातन्त्र और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिये इति घातक होगा।

हम चाहते हैं कि केन्द्र मजबूत बना रहे, परन्तु यह राज्यों का दुर्बल करके प्राप्त न किया गया हो। अगर राज्यों का अस्तित्व है तो केन्द्र का भी अस्तित्व कायम है। हमें इस प्रश्न पर वास्तविक दृष्टिकोण से देखना चाहिये और समस्त स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये।

कर और वित्तिय साधनों का बटवारा गलत और अनुचित ढंग से होता है। आय के बढ़ते हुये साधन सरकार के पास हैं और व्यय करने आदि का दुष्कर कार्य राज्यों के पास है। राज्यों को इससे परेशानी हो रही है।

कई सदस्यों ने कहा है कि राज्य ऋणों का ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं वे शायद संविधान को नहीं समझते राज्य बिना केन्द्र की सहमति से ऋण नहीं ले सकता है और इसकी भी शर्त है वह यह कि उसे सरकार पर ऋण होना चाहिये व्यवहार में कोई भी राज्य ऐसा

नहीं है जो सरकार का ऋणी नहीं है। इस प्रकार समस्त उधार का कार्य केन्द्र के पूर्ण नियन्त्रण में है, अगर राज्य बाजार ऋण भी लेना चाहता हैं तो उसे रिजर्व बैंक से सहमति लेनी पड़ती है। अतएव राज्य द्वारा ऋण लेने पर केन्द्र का नियन्त्रण रहता है।

राज्यों के पास साधन और कराधान के उपाय न होने से उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। प्रथम पंचवर्षीय के दौरान राज्यों को केन्द्रीय ऋण चुकाने के लिये कुल राजस्व आय का 3 प्रतिशत देना पड़ा था। दूसरी योजना में 9 प्रतिशत और तीसरी योजना में 14 प्रतिशत देना पड़ा था। मुझे आशा है कि चतुर्थ योजना में यह 20 प्रतिशत बढ़ जायेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्व आय में स्थिरता है जबकि ऋण का भुगतान बढ़ता जा रहा है। इस से सरकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

यह भी एक गलत धारणा पैदा हो गई है कि सब ऋणों का राज्यों को भुगतान करना चाहिये, परन्तु कई बार जो धन राहत कार्य के लिये दिया गया है उसे ऋण की श्रेणी में रख दिया गया है और अब उसको वापस करने को कहा जा रहा है। हम सबको स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के बारे में मालूम है। सभी राज्य एवं सदस्य इसके विरुद्ध थे परन्तु यह आदेश लागू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाखों स्वर्णकार बेरोजगार कर दिये गये थे। सरकार ने स्वर्णकारों को ऋण दिया परन्तु बाद में सरकार ने यह ऋण राज्य सरकारों पर डाल दिया। राज्य सरकार इस कार्य के लिये कैसे उत्तरदायी है ? इसी प्रकार विदेशों से आने वाले उपहार को भी ऋण की श्रेणी में लाया जाता है।

एक यह भी गलत धारणा पैदा हो गई है कि विकास योजनाओं का सब लाभ राज्य को ही मिलता है। उदाहरण के लिये अगर कोई योजना से राज्य को लाभ होता है तो क्या केन्द्र भी उत्पादन कर, निगर कर और आय कर द्वारा लाभ नहीं कमाता है ? ये सब लाभ भी तो उसी योजना से आते हैं।

राज्यों की ऋणग्रस्तता की स्थिति का मूल्यांकन करते समय हमें यह देखना चाहिये कि उन्होंने कितना ऋण चुकाया है और कितना उन पर जबरदस्ती थोप दिया गया है, माना अगर यह अनुत्पादक ऋण या राहत कार्य के लिए दिया गया ऋण है तो इसको बट्टे खाते में डाल देना चाहिये। दूसरे ऋणों के भुगतान के बारे में मेरा एक सुझाव है। वह यह कि अगर ऋण योजना अथवा गैर योजना कार्य के लिये दिया गया है तो न भुगतान किया जाने वाला ऋण समझना चाहिये परंतु एक शर्त यह होनी चाहिये कि वे वार्षिक ब्याज दर पर दें। प्रशासन सुधार आयोग ने भी यह सुझाव दिया था। अगर सरकार कहीं धन निवेश करती है तो क्या उसको यह आशा करनी चाहिए कि क्या उसको वह धन वापिस मिले। हां वे एक सीमा तक लाभांश निर्धारित कर सकते हैं। आज राज्यों पर ऋण भार बढ़ता जा रहा है। कोई भी राज्य इन ऋणों को भुगतान करने की नहीं सोच रहा है चाहे वह अनुदान के रूप में हो या ऋण के रूप में। राज्यों की ऋणग्रस्तता को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। वे तो सरकार से धन लेना चाहते हैं परन्तु वापिस करना नहीं। अगर वे ऋणों का भुगतान भी करना चाहते हैं तो भी राजस्व आय में कमी होने के कारण नहीं कर पाते।

अन्त में मेरा निवेदन है कि केन्द्र का दृष्टिकोण वास्तविक तथ्य पर आधारित होना चाहिये, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत सरकार के पास काफी अधिकार हैं अतएव उसको इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। अगर सरकार इस प्रकार राज्यों पर ऋण का बोझ डालती रहेगी तो एक समय ऐसा आ सकता है जब राज्य सरकारें यह कहने पर विवश हो जायेंगी कि हम ही कर को उगाहेंगे और केन्द्र की देखभाल पर व्यय करेंगे।

मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिति के बारे में

RE: POLITICAL SITUATION IN MADHYA PRADESH

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It is my point of order. Shri Govind Singh had resigned when the Assembly in Madhya Pradesh was in session. The Assembly was prorogued and Raja Naresh Chandra Singh was elected Child Minister. But the Assembly is not being called. Situation like Aya Ram and Gaya Ram is taking place. The Assembly should be called without further delay.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मध्य प्रदेश में शासक दल अल्पसंख्यक स्थिति में है और विरोधी दल बहुसंख्यक स्थिति में है। यह बात संसदीय मामलों के मन्त्री के ध्यान में लाई जाये वहां संविधान नहीं रह गया है इसलिये कुछ शीघ्र ही किया जाना चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं नियम 340 के अन्तर्गत यह व्यवस्था का प्रश्न रखता हूँ कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 340 के अन्तर्गत कई मामले उठाये गए थे और मैंने उनको ध्यान से सुना। हमें देखना चाहिये कि वहां क्या संवैधानिक संकट आया है। माननीय सदस्य इसके बारे में संक्षेप में बतायें।

श्री रा० ढो० भण्डारे : संयुक्त विधायक दल ने अपना नया नेता चुना। कल ही इस पर चर्चा हुई थी अतएव मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वाद-विवाद के दौरान यह कहा गया था कि श्री नरेश चन्द्र सिंह का सरकार बनाने के लिये नहीं बनाया गया था। कल ही उन्हें निमन्त्रित किया गया था। परन्तु अब कुछ अजीब ही स्थिति है। हमने संसदीय प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है, परन्तु अब वे ज्योतिषों से सलाह मशविरा कर रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर अभी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। वे कृपया अपनी बात पर आयें।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मेरा कहना है कि सभा में प्रस्ताव को स्थगित करके मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा की जाए। विधान सभा को तुरन्त बुलाया जाये। हमें इससे कोई सम्बन्ध है कि सरकार कौन बनाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न और वक्तव्यों से यह पता चलता है कि समावसान समाप्त करने और विधान सभा को बुलाने की मांग की जा रही है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विधान–सभा बुलाने के कोई विरुद्ध नहीं है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : पहले जब यह आशंका होती थी कि राज्य की संविधान व्यवस्था भंग हो रही है तो उस स्थिति के बारे में यहां चर्चा होती थी । यह ससद की परम्परा है । हमारी यह मांग है कि विधान सभा में ही सरकार के भाग्य का फैसला होना चाहिए । ऐसा पहले भी हमारा दृष्टिकोण रहा है । आज भी हम यही कहते हैं कि विधान सभा को बुलाना चाहिये और उनको निर्णय करने का समय देना चाहिये ।

मैं न केवल विरोधी दल अपितु समस्त सभा की ओर से गृह मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे राज्य की स्थिति पर वक्तव्य दें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support the adjournment motion moved by Shri Bhandare. I would, however, suggest that while discussing the political situation in Madhya Pradesh, the powers of the Governors should also be discussed so that a firm and definite opinion is formed about them. It is so because to-day we find that the Governors are acting as partymen. Their actions are not consistent with the oath they take at the time of taking over charge of the States. It is quite obvious from what has recently happened in Madhya Pradesh, West Bengal and Bihar. It is my firm opinion that the meeting of the Legislative assembly must be convened immediately. Only, thereafter, the Chief Minister should be allowed to constitute the Government.

श्री उमानाथ (पुडुकोट्टै) : मैं विधान सभा की बैठक बुलाये जाने का विरोध नहीं करता हूं । परन्तु इतना कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया था वे मध्य प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों से भिन्न प्रकार की थी। मध्य प्रदेश में मुख्य मन्त्री ने शपथ तो ले ली है परन्तु वहां पर अभी सरकार नहीं बनी है । इन लोगों ने सरकार से बनने से पहले ही यह कहना आरम्भ कर दिया है कि विधान सभा की बैठक बुलाई जाए । प्रश्न यह है कि बैठक की तारीख तो तभी निश्चित की जायेगी जब वहां की सरकार राज्यपाल को ऐसा करने की सलाह देगी । पहले वहां पर सरकार तो बनने दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा को तो केवल यह देखना है कि वहां पर संवैधानिक प्रथाओं का पालन हो रहा है या नहीं । यदि कोई मुख्य मन्त्री शपथ ले लेने के पश्चात कोई सरकार नहीं बना पाता है, तो इसके लिये कब तक प्रतीक्षा की जा सकती है ?

श्री उमानाथ : सरकार का गठन करने में जो विलम्ब हो रहा है उस के लिये कांग्रेस दल तथा मुख्य मन्त्री का दल जिम्मेवार है । इसके लिये "आयाराम" और "गयाराम" जिम्मेवार हैं । मेरा तो केवल यह अनुरोध है कि विधान सभा की बैठक तभी बुलाई जानी चाहिये जब वहां की सरकार ऐसा करने की राज्यपाल को सलाह दे ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का समय व्यतीत किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । मैंने इस मामले की अनुमति केवल इसलिये दी थी कि इस मामले के गुण दोषों तथा पूर्व इतिहास पर चर्चा किये बिना इस संवैधानिक मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए । संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह विधान सभा की बैठक बुलाए और सदस्यों ने इस मामले को इसलिये उठाया है क्योंकि दो दिन सभा की बैठक दो दिन के लिए नहीं हो रही है । प्रस्ताव यह किया गया है कि वादविवाद को स्थगित कर दिया जाये क्योंकि सदस्य मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा करना चाहता है । यदि सभा इससे सहमत है तो मैं इस पर अग्रेतर वादविवाद की अनुमति दे दूंगा । श्री सेठी अपनी धारणा को गृह-कार्य मंत्री तक पहुंचा दें ।

श्री उमानाथ : आपका विनिर्णय क्या है । पिछली बार जब श्री मधु लिमये ने मध्य प्रदेश के प्रश्न पर विचार करने के लिये सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रश्न उठाया था, तो आपने अपना विनिर्णय दिया था । सभा की मर्जी पर छोड़ने की बजाए इस मामले पर आप अपना विनिर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भंडारे, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री रा० डो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । प्रस्ताव वापस लेने से पूर्व मुझे इसका कारण तो बताना ही चाहिये । मैं यह केवल मध्य प्रदेश सरकार के ध्यान में ही लाना चाहता था ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : At this stage when a Government is functioning in Madhya Pradesh, it is not proper to raise or permit to raise this issue. It is an interference in the internal matters of a State Government. The Governor cannot call the Assembly unless he is advised by the Chief Minister to do so. The Chief Minister has already stated that he will call the Assembly. As such what has so far been discussed here is wrong.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । मैंने सर्वश्री मधु लिमये, स० मो० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों को, जब उन्होंने नियम 341 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे, अनुमति दे दी थी । इसमें भेदभाव करने की तो कोई बात ही नहीं है । उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया है ।

श्री रा० डो० भण्डारे : पहले कि मैं प्रस्ताव वापस लूं.....

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव वापस लेने के लिये कोई शर्त न लगाई जाये । मैं इसे अनैध ठहरा दूंगा (अन्तर्बाधा)

श्री रा० डो० भण्डारे : इसे मध्य प्रदेश में ध्यान में रखा जायेगा । (अन्तर्बाधा)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्री कंवर लाल गुप्त तथा उनके दल को धिक्कार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री सेझियान ।

राज्यों के ऋणों के परिशोधन के बारे में संकल्प—जारी

RESOTUTION RE : AOMORTISATION OF DEBTS OF STATES--CONTD.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमन् जैसा कि मैं कह रहा था राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अधिकांश ऋण पूंजीगत व्यय के लिये लिया था क्योंकि राज्यों के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे । उदाहरणार्थ प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्यों को 980 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी जिसमें से 770 करोड़ रुपये का अथवा 77 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया गया था । दूसरी पचवर्षीय योजना में 74 प्रतिशत और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 89 प्रतिशत ऋण लिया गया था । स्पष्ट है कि किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर निर्भर हैं । जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनकी योजनायें तथा धन के आवंटन के मामले में उपेक्षा की जाती है । अतः इस समस्या का कोई समाधान किया जाना चाहिये । ऋण तथा अन्य धन राशि देने के मामले की समूची संवैधानिक स्थिति का एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिये जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक 1967 के चुनावों के पश्चात जो संघीय ढांचा हमारे सामने आया है उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा । केन्द्रीय सरकार के हित में भी यही है क्योंकि केन्द्र का अस्तित्व राज्यों के अस्तित्व पर निर्भर है ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Those who want to weaken the Centre, they are, I think, the biggest enemies of the country. If the Centre goes on granting loans to States and States go on refusing their repayments, from where the Centre will get all this money ? A person who takes loan and does not repay it, cannot be treated as an honest man. This resolution cannot therefore be supported.

The States should, however, not be asked to pay compound interest on these loans because the poor States like Bengal, Madras, Punjab and Haryana cannot afford to pay it.

The Centre should help us in the implementation of Satluj-Bias Link Project, Kisan Dam Project and Gurgaon Canal Project because their completion will enable us to solve the food problem of other States. Necessary sanction should also be granted in respect of I. T. I. Project and for setting up a Tractor factory in Haryana.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support this resolution. The background of this resolution is that the way in which we have been implementing our Five Year Plans was wrong. Regional disparities have been created as a result thereof. The gulf between the poor and the rich has widened. In order to remove these disparities, certain States have taken loans from the Centre to carry on their development works. The Centre now wants to recover not only the principal amounts but also the interest thereon.

But the States are not in a position to do so. Some solution of thie problem should be found out.

As at present, after every five years a finance commission is appointed to make allocations of the proceeds of taxes between States and the Centre. I suggest that in place of that a Finance Commission should be appointed every year which should take into account the changed conditions while making such allocations of our revenues.

{ श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair.* }

Secondly efforts should be made that these loans are written off. There is no dearth of wealth in the country. Hoarded wealth worth five thousand crores to ten thousand crores lying in temples, mosques and at other places should be brought out and put to use. Similarly an amount of Rs. 500 crores can be saved through economy every year and an amount of Rs. 200 crores to Rs 300 crores by checking tax-evasion. Over and above this an amount of Rs 1,000 crores can be saved every year if a ceiling on incomes is imposed in the ratio of 1:10. If all these resources are tapped we will not have to depend on others for funds for execution of our development programmes.

श्री स० कन्दू (बालासोर) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋणों की राशि 44 करोड़ रुपये से बढ़ कर अब 7000 करोड़ रुपये हो गई है। इन ऋणों पर राज्यों को जो ब्याज देना पड़ता है उसकी दर बहुत अधिक है। यदि हम चाहते हैं कि यह सारा काम अच्छी तरह से हो तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्धों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिये। कुछ बातें बहुत ही असंगत सी लगती है। केन्द्रीय सरकार को उस द्वारा किसी परियोजना पर लगाये गये धन को तब तक वापस नहीं मांगना चाहिये जब तक कि उस परियोजना से राज्य सरकार को लाभ होना आरम्भ नहीं हो जाता।

वित्त आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में पिछड़े हुए राज्यों की विशेष समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उन्हें कितना धन दिया जाये इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये।

इस समय रेलवे की आय से केन्द्रीय सरकारों को 150 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों को केवल 14 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाये और राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 40 करोड़ अथवा 50 करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिये।

यद्यपि पारादीप पत्तन से जितनी आय है वह केन्द्रीय सरकार ले लेती है तथापि उस पर किया गया खर्च तथा उस पर ब्याज उड़ीसा सरकार से मांगा जा रहा है। इसकी भला क्या तुक है।

आय-व्ययक में सूखाग्रस्त तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये ऋण की बजाये सहायतार्थ अनुदान दिया जाना चाहिये जैसाकि अनुच्छेद 275 में उपबन्ध है।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक संशोधन है।

सभापति महोदय : अब सशोधन प्रस्तुत करने का समय समाप्त हो चुका है । इसकी बजाए उन्हें एक प्रश्न पूछने का अवसर बाद में दिया जायेगा ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध अच्छे बने रहने चाहिये क्योंकि ऐसा होना केन्द्र तथा राज्यों दोनों के लिये लाभकारी है । विभिन्न साधनों से केन्द्रीय सरकार को होने वाली विभाज्य आय का आंवटन करने के बारे में संवैधानिक उपबन्ध मौजूद है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपने आप भी राजस्व इकट्ठा कर सकती हैं । जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगा हुआ है उनकी संख्या 35 से बढ़ कर 68 हो गई है और इस प्रकार राज्य सरकारों के हिस्से में भी वृद्धि हुई । इसी प्रकार प्रशुल्क तथा आयकर से विभाज्य आय में भी वृद्धि हो रही है ।

इन सभी मामलों पर विचार करने के लिये हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है जो सभी राज्यों का दौरा करता है और राज्यों के प्रतिनिधियों की राय लेता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही राजस्व व्यय तथा अन्य बातों पर विचार किया जाता है । इसी प्रकार योजना व्यय के बारे में योजना आयोग, मुख्य मन्त्रियों तथा वित्त मन्त्रियों के सम्मेलनों में विचार किया जाता है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभाज्य करों तथा शुल्कों की राशि 345 करोड़ रुपये थी ; दूसरी योजना में 711 करोड़ रुपये और तीसरी योजना में यह बढ़ कर 1,196 करोड़ रुपये, हो गई । इसी प्रकार 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में यह क्रमशः 373 करोड रुपये 416 करोड़ रुपये तथा 491 करोड़ रुपये थी । 1969-70 में यह 519 करोड़ रुपये होगी । इस प्रकार विभाज्य आय की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है । यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ही सारा धन हड़प रही है । केन्द्रीय सरकार देश की सुरक्षा के लिये भी तो जिम्मेवार है । कोई भी नहीं चाहता कि किसी राज्य को पिछड़ा हुआ रहने दिया जाये क्योंकि राज्य देश का ही एक अंग है और यदि वह पिछड़ा हुआ है, तो हम सभी पिछड़े हुए हैं ।

श्री प्र० चं० सेठी : केन्द्र और राज्यों के बीच आय का बटवारा वित्त-आयोग, जोकि एक उर्द्ध-न्यायिक निकाय है, की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । समय समय पर ऐसे कई वित्त आयोग बनाये गए और उनकी सिफारिशों के आधार पर आय का बटवारा किया जाता है, योजना के लिये केन्द्र और राज्यों के बीच सहायता राज्यों को दी जाती है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विपताओं पर, विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए सहायता कार्यों के लिए भी राज्यों को अनुदान दिये जाते हैं । यह कथन कि केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार धन के बटवारे की नीति निर्धारित कर, राज्यों से अन्यों की अपेक्षा पक्ष-पात करती है, तथ्यहीन है ।

राज्यों को योजना के लिए दिये जाने वाले धन का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में हो और कितना ऋण के रूप, ये अभी तक निश्चित नहीं किया गया था अब ऐसा विचार है कि 30% अनुदान और 70% ऋण के रूप में दिया जाये । इसका अध्ययन वित्त आयोग

एवं योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है और अनेक मुख्य मन्त्रिओं के सम्मेलनों में तथा अन्य सम्मेलनों में भी राज्यों की कठिनाइयों का ध्यान निश्चित रूप से रखा जाएगा ।

यहां तक व्यय का सम्बन्ध है इसे योजना व्यय, विकास सम्बन्धी व्यय तथा योजना बाह्य व्यय में विभाजित किया जा सकता है । कुछ राज्यों का यह मानना कि केन्द्र अन्य राज्यों का पक्ष लेता हैं और साथ ही विकासेतर मदों में अधिक व्यय करना युक्ति युक्त नहीं । परन्तु इन सभी मदों के व्यय पर केन्द्र और राज्यों में सहयोग एवं तारतम्य होना चाहिये । हमारा सुरक्षा व्यय बढ़ा है पर उसकी अनिवार्यतः से इन्कार नहीं किया जा सकता । ऐसे ही कुछ अन्य मद भी हैं । जो धन हमने राजकीय क्षेत्रों में व्यय किया है, स्वभावतः सभी आकांक्षा करते हैं कि उनसे लाभ प्राप्त है । ऐसे ही जो राज्यों को धन दिये जाते हैं उनसे भी आकांक्षा रखी जाती है कि वे ऐसे मदो पर ही लगे जो राज्य को धन लाभ देने में समर्थ हों ।

एक स्थाई वित्त आयोग की मांग की जा रही है । इस समय यह आयोग उन संचालन खर्चों का ही अध्ययन करता है जोकि आने वाले तीन चार वर्षों में करने होते हैं । इसलिये स्थाई आयोग की स्थापना पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा । समय-समय पर इस विषय पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

इस समय राज्यों का देय ऋण लगभग 5191 करोड़ रुपये हैं और केन्द्र का 16,000 करोड़ रुपए । जहां तक ऋण शोधन के सुझाव का प्रश्न है तथा शोधन-निधि की स्थापना की बात की जा रही है उस विषय पर मेरा विचार है कि केन्द्र की स्थिति अत्यन्त कमजोर हो जाएगी । हम यह स्थिति स्वीकार नहीं करते कि जो ऋण हमने किसी को भी स्रोत लिये हैं वे वापस नहीं करने । वे ऋण ब्याज सहित देय है तथा केन्द्रीय सरकार इस बारे में वचन बद्ध है । राज्यों को जो सहायताएं ऋण रूप में अथवा अनुदान रूप में जिन भी शर्तों पर दी गयीं हैं हम आशा करते हैं कि वे शर्तों के अनुसार ब्याज सहित लौटाई जाएंगी । इसलिए शोधन निधि की स्थापना अथवा ऋणों को भद्दे खाते में डालने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री नम्बियार : तिरुचिरापल्लि राज्य कैसे दे सकते हैं जब कि उनकी देने की क्षमता नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : देश तो एक है । यदि राज्य नहीं दे सकते, केन्द्र नहीं दे सकता, तो उस अवस्था में देश की क्या स्थिति होगी । हम रचनात्मक दृष्टि रखते हुए राज्यों की कठिनाइयों पर विचार करना है । यही कार्य वित्त आयोग कर रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कृपया ब्याज न लीजिए ।

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसा करना समेकन तथा युक्ति-युक्त होने के हेतु उचित ही है । और इनसे सम्बन्धी समस्याओं पर वित्त-आयोग विचार कर रहा है । मैं श्री एस्थोस से प्रार्थना करता हूं कि अपने प्रस्ताव पर जोर न दें और इसे वापिस ले लें । इस मामले पर सरकार की

ओर तथा वित्त आयोग द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है । वित्त-आयोग की रिपोर्ट आने पर इस मामले पर सविस्तार विचार किया जा सकेगा । यदि वह अपने प्रस्ताव को वापिस नहीं लेते तो मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार न करे ।

सभापति महोदय : श्री लकप्पा केवल एक सीधा और सरल प्रश्न पूछें ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा संशोधन राज्यों द्वारा ऋण शोधन के बारे में औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से सम्बन्धित है । क्षेत्रीय असंतुलन को ध्यान में रखते हुए तथा सांविधान की धारा 263 का अह्वान करते हुए कुछ कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने राज्यों की ओर से केन्द्र को देय ऋणों के बारे में स्थाई परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि अनेक ऐसे यन्त्रों पर जो धन लगा है वे बेकार गया है जबकि उन धन-राशियों पर भारी ब्याज देय हो गया है । क्या सरकार राज्यों को इस वित्तीय संकट से मुक्त करने के लिए सांविधान के अन्तर्गत एक स्थाई वित्त आयोग की स्थापना करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : स्थाई आयोग की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन नहीं है । परन्तु आयोग की रिपोर्ट आने पर इस मामले पर अधिक विचार विमर्श किया जा सकता है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा व्यक्त किये गये विभिन्न दृष्किोणों पर योजना आयोग तथा अन्यत्र भी विचार पूर्वक एक सूत्र निर्धारित किया गया, जिस पर अमल करने की हम चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री पी०-पी० एस्थोस : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते है जिससे राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके । प्रायः सभी राज्यों ने विकास के लिए अधिक धन की मांग की है । राज्यों की केन्द्र से कोई होड़ नहीं है अपितु यदि केन्द्र इस मांग को स्वीकार नहीं करता तो जन-विकास कार्यों में बाधा उपस्थित होती है ।

मुद्रा स्फूर्ति के कारण राज्यों को सेवाओं के लिए अधिक मंहगाई भत्ते की व्यवस्था करनी पड़ती है । अन्य मदों पर भी अधिक व्यय के कारण राज्यों के पास सिंचाई, उद्योग बिजली तथा सड़कों के लिये कुछ धन नहीं बचता । धनाभाव की चर्चा करने से काम नहीं चलेगा । जब तक केन्द्रीय सरकार की वित्तीय नीति बदलती नहीं, वर्तमान शोचनीय दशा सुधर नहीं सकती ।

केन्द्र द्वारा अपनी जिम्मेदारी वित्त-आयोग पर डालने मात्र से भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आयेगा । केन्द्र को सभी मामले अपने तक विनियोजित नहीं करने चाहिये तथा सुरक्षा संचार-व्यवस्था एवं विदेश विभाग के अतिरिक्त सभी विषय यथा, शिक्षा, कृषि, आरक्षण, स्वास्थ्य आदि राज्यों पर छोड़ने चाहिये । उन्हें वित्तीय मामले पूरे अधिकार देने चाहिये । इससे एक ओर तो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार होगा और दूसरी ओर केन्द्र का भार हलका होगा ।

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

संशोधन संख्या 1 और 5 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सभी राज्यों के समक्ष गम्भीर वित्तीय संकट और इस तथ्य की दृष्टि से कि राज्यों के विशाल ऋण प्रभार विकास योजनाएं आरम्भ करने की उनकी क्षमता को क्षीण बना रहे हैं, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह राज्यों के परामर्श से ऋणों के परिशोधन की एक योजना तुरन्त बनाये और उसे कार्य रूप दे ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

हिमाचल प्रदेश के दर्जे के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE-STATUS OF HIMACHAL PRADESH

श्री विक्रमचन्द महाजन (चम्बा) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

" इस सभा की राय है कि हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये ।"

यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्य क्षेत्र के लाखों लोगों की इच्छाओं एवं भावनाओं का परिचायक है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। क्या सभा अब आधे घण्टे की चर्चा को लेना चाहती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 14 मार्च 1969/26 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday the 17th March, 1969/Phalguna 26, 1890 (Saka).